त्रयोदश माला, खंड 24, अंक 26

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2002
6 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

FOR REFERENCE ONLY

NOT TO BE ISSUED

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...53...
Date 13.11.02

(खंड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 26, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2002/6 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 462, 464 और 465	2–26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 461, 463 और 466 से 480	26–41
अतारांकित प्रश्न संख्या 4985 से 5159	41–316
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
एन.एस.सी.एन.(के) के साथ संघर्ष विराम समझौते की अवधि बढ़ाना	316
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	316
सभा पटल पर रखे गए पत्र	317–328
राज्य सभा से संदेश	329
सभा का कार्य	329–330
आगरा में थल सेना और वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर भवनों के गिराए जाने के बारे में	335–342
महाराष्ट्र में बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं की कथित हत्या के बारे में	342–343
वित्त विधेयक, 2002	350–408
विचार करने के लिए प्रस्ताव	350
श्री यशवन्त सिन्हा	350
श्री पवन कुमार बंसल	356
श्री तरित बरण तोपदार	367
डा. संजय पासवान	372
श्री मणिशंकर अय्यर	376
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	384
श्री संतोष मोहन देव	392
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	396
श्री अधीर चौधरी	398

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2002/6 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल आरंभ होता है।

श्री आर.एस. पाटिल, प्रश्न संख्या 461 ।

श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : मैं श्री आर.एस. पाटिल और श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा की ओर से प्रश्न पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न संख्या बोलें।

श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : प्रश्न संख्या 461 ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): महोदय, वह एक सदस्य की ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं। सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): वे सदस्य कहां हैं? वह ऐसा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह यहां नहीं हैं तो मैं श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा का नाम पुकारता हूं।

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा – अनुपस्थित।

श्री आर.एस. पाटिल यहां नहीं हैं।

हां, अब श्री रमेश। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछने का अनुरोध किया है।

श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : प्रश्न संख्या 461 ।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, प्रश्न किसी ने रखा है। दो सदस्य अनुपस्थित हैं। हम एक गलत परंपरा डालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-सूची समाप्त होने के बाद इसे दूसरे दौर में लिया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

***462. श्री+ ए.एफ. गुलाम उस्मानी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में दस प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बढ़ते घाटे सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वेतन नहीं दिए जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे को कम करने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तत्काल वेतन देने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) घाटे के कारण उद्यम-सापेक्ष हैं। बहरहाल, कुछ सामान्य कारणों में अधिगृहीत उद्यमों के मामले में विरासत में प्राप्त रुग्णता,

पुराने संयंत्र एवं मशीन, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, क्षमता का कम उपयोग, अधिशेष श्रमशक्ति, संसाधनों की कमी, निविष्टि की अधिक लागत, ब्याज का भारी बोझ, तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा प्रबंधकीय समस्याएं आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों/कामगार संघों से कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सरकारी उपक्रमों से संबंधित सरकार की नीति तथा श्रमिकों के मुद्दे के साथ-साथ कुछेक सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन/मजूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन सरकारी उद्यमों में वेतन/मजूरी का भुगतान लंबित है उनके नाम अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार की नीति संभाव्य अर्थक्षम उद्यमों को पुनर्संरचित करने, जिन उद्यमों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता उन्हें बंद करने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने की है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन द्वारा कामगारों के प्रतिनिधियों सहित विविध हितधारकों के परामर्श से उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं ताकि घाटे में कमी लाई जा सके और कार्यनिष्पादन में सुधार किया जा सके। इस संबंध में किए जाने वाले कुछ उपायों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, जिन सरकारी उपक्रमों की निवल परिसंपत्ति ऋणात्मक हो गई है उनके मामले में पुनरुद्धार/पुनर्वास योजनाएं बनाने के लिए उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपना, व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन करना, आदेशों की स्थिति में सुधार करना, क्रय अधिमानता की नीति को क्रियान्वित करना, श्रमशक्ति को उपयुक्त सीमा में लाना, विपणन रणनीतियों को बेहतर बनाना, लागत नियंत्रण के उपाय करना आदि शामिल हैं।

सरकारी उपक्रमों से अपने कर्मचारियों की मजूरी एवं उनके वेतन का भुगतान आंतरिक संसाधनों से करना अपेक्षित होता है। बहरहाल, कुछेक सरकारी उपक्रमों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मामला-विशेष के आधार पर उन्हें बजटीय सहायता दी जाती है।

अनुबंध

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 187 उद्यमों में से 38 उद्यमों के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.12.2001 तक कर्मचारियों के बकाया वेतन एवं मजूरी की उपक्रम-वार स्थिति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम	बकाया/वेतन मजूरी (लगभग)
1	2	3
1.	बंगाल इम्युनिटी लि.	107.70
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	0.26
3.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	2562.54
4.	बड्र्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	16.00
5.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1131.45
6.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	912.00
7.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. लि.	319.41
8.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	89.75
9.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	12848.03

1	2	3
10.	एच.एम.टी. लि.	976.00
11.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम लि.	0.01
12.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1133.00
13.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	975.00
14.	मझगांव डाक लि.	0.97
15.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	260.88
16.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	533.00
17.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपोरेशन लि.	3123.00
18.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	1885.00
19.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.	189.23
20.	नेपा लि.	1282.00
21-30.	नेटेका एवं इसकी सहायक कंपनियां	8389.00
31.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	460.00
32.	सांभर साल्ट्स लि.	112.46
33.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा. लि.	64.00
34.	राज्य फार्म्स निगम लि.	450.00
35.	चाय व्यापार निगम	1030.00
36.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	270.00
37.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	126.72
38.	टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	183.12
	जोड़	39430.53

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा कर चुकी है। लेकिन हमने पाया है कि चाहे वे जो भी समीक्षा करें घाटा गुणात्मक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। 1991-95 में घाटे की दर 1.5 प्रतिशत थी। 1995-2000 में यह बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, 2000-01 में घाटे की दर बढ़कर 33.7 प्रतिशत हो गई। अत: इस प्रकार के घाटों को कम करने हेतु मंत्रालय और इससे संबंधित अन्य व्यक्ति क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री मनोहर जोशी : महोदय माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि मुझे इस सदन को सरकार द्वारा इन घाटों, जिनका सामना आज भी ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कर रहे हैं, को कम करने हेतु किए गए उपायों का विवरण देना चाहिए।

सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार। दूसरा है वित्तीय पुनर्गठन, जो कि

कई मामलों में किया गया है। सरकार ने एक ऐसी नीति भी स्वीकार की है जिसमें संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाएं और संयुक्त उपक्रम का साझीदार उसमें धन का निवेश करे। जहां कहीं भी संभव है वहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से श्रम शक्ति को युक्ति संगत बनाया गया है। चूंकि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है अत: सरकार ने कार्यकारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था शुरू की है जिससे कंपनी के घाटे को नियंत्रित करना संभव हो सके। यह भी सत्य है कि न केवल अधिकारियों द्वारा अपितु मंत्रालयों द्वारा स्वयं भी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है जिससे कि समुचित नियंत्रण रखा जा सके। हमने दो अन्य महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं – पहला, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आदेश पुस्तिका की स्थिति सुधारना और दूसरा है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद में वरीयता देना जिससे कि इनके घाटे को कम किया जा सके। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे जहां कहीं भी संभव हो वहां घाटे को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटे की सबसे अधिक समस्या उर्वरक क्षेत्र में है। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम भारी घाटे में चल रहे हैं और सरकार इन उर्वरक कारखानों को बंद कर देने की इच्छुक है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक उत्पादन के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के संबंध में कोई पुनरुद्धार योजना शुरू की गई है?

श्री मनोहर जोशी : हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, जिसका माननीय संसद सदस्य ने उल्लेख किया है, के मामले में, नामरूप इकाई का पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वयनाधीन है और अन्य का पुनर्वास पैकेज भी मंत्री समूह के विचाराधीन है। यह पाया गया है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम में घाटे का कारण पुराना तकनीकी डिजाइन, कार्य संचालन में कमियां, अतिरिक्त श्रमशक्ति और संसाधनों की कमी है। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के संबंध में मंत्री-समूह ने तीन बैठकें की हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस समूह की सहायता कर रहे हैं। हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस कंपनी का पुनरुद्धार किया जा सकता है।

श्रीमती श्यामा सिंह: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के चलते निकाले गए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? देश के सम्पूर्ण आर्थिक विकास में वे क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं जो रोजगार पैदा करते हैं। दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव डालने वाली इस समस्या को सरकार किस प्रकार हल करने की इच्छा रखती है?

श्री मनोहर जोशी : बहुत पहले भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी नौकरी चली गई है या जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार कर ली है एक विशेष कोष की स्थापना की थी– एन.आर.एफ.। यह योजना अभी तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में थी। अब, इसे मेरे मंत्रालय में भेजा गया है। इसके लिए बजट में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान था और मैंने पाया कि इस एन.आर.एफ. योजना के माध्यम से आठ से दस हजार लोगों को परामर्श दिया गया या पुन: प्रशिक्षित किया गया या उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया गया लेकिन माननीय संसद सदस्य की चिंता बिल्कुल ठीक है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार पाना संभव नहीं है।

इसलिए, सरकार द्वारा नई योजनाएं आरंभ करके विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के मामले में, रोजगार सृजित किए जा रहे हैं और नई योजनाएं आरंभ की जा रही हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन सबसे उपयुक्त रास्ता स्वरोजगार का होगा। इस बार बजट प्रावधान में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वृद्धि की गई है और हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वालों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। देश में लगभग 14 केन्द्र आरम्भ किए गए हैं। अत: माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया भय ठीक नहीं है। सबको रोजगार देना संभव नहीं है परंतु उनमें से कुछ को स्व-रोजगार के अवसर दिये जा सकते हैं। जहां भी संभव हुआ हम ऐसे मामलों में पुन: प्रशिक्षण भी दिलाएंगे। हम उनके लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढ़ेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कोई समय था जब कुछ एक सार्वजनिक उपक्रम भारत के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ माने जाते थे और माना जाता था कि देश के राष्ट्रीय विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है परन्तु धीरे-धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की'। परिणामस्वरूप आज इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति यह हो गई कि एक प्रकार से वहां के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वी.आर.एस. की तलवार उन पर लटकी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब एच.एम.टी. के प्रस्ताव को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा, इसके रिवाइवल के प्रयास चल रहे थे, दूसरी तरफ आपने देश में उसकी कुछ इकाइयों को बंद कर दिया लेकिन अजमेर जैसे स्थान की इकाइयों के कर्मचारियों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा जा रहा है, क्या धीरे-धीरे लोगों का ट्रांसफर करके इन इकाइयों को बंद करने की योजना सरकार के विचाराधीन है अथवा वे वापस लाभ में लाने के लिये इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं? मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि एच.एम.टी. जैसे सार्वजनिक उपक्रम को जीवित रखा जायेगा या नहीं? दूसरे, वी.आर.एस. के अंतर्गत एक यूनिट में वी.आर.एस. सबको दे देते हैं लेकिन दूसरे यूनिट में मना

कर देते हैं। परिणामस्वरूप उन लोगों को कहने का मौका मिलता है कि वहां तो वी.आर.एस. मिल रही है, हमें नहीं मिल रहा है। इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एच.एम.टी. के बारे में खासतौर से प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं खुद एच.एम.टी. की मौनिटरिंग कर रहा हूं। एच.एम.टी. को बंद करने का इरादा सरकार का नहीं है, इसीलिये सरकार ने स्पेशल पैकेज देकर एच.एम.टी. को पुनर्जीवित किया था। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार की पूरी कोशिश यही रही है कि कोई भी कम्पनी बंद न हो। जहां तक मुमकिन होता है, कम्पनी को रिवाइव करने का काम सरकार का होता है। माननीय सदस्य ने पूछा कि एक जगह से दूसरी जगह कर्मचारी ट्रांसफर किये जाते हैं, इसका कारण क्या है और उनके मन में संदेह है कि सरकार का इरादा धीरे-धीरे कम्पनी बंद करने का है - मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार का यह उद्देश्य बिलकुल भी नहीं है। एच.एम.टी. जैसी कम्पनी में कभी-कभी ऐसा होता है कि यदि एक जगह पूरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या काम नहीं है और कम्पनी दूसरी जगह काम शुरू करना चाहती है तो हम ऐसा करते हैं कि यदि एक जगह काम नहीं है, लोगों की नौकरी न जाये, इसलिये हम उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। जहां तक अजमेर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं उनके साथ बैठकर खुद इस विषय पर चर्चा करूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का उत्तर व्यापक और सम्पूर्ण नहीं है।

उन्होंने विवरण में कहा है कि 187 उद्यमों में से 38 इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी आदि के 39,430 लाख रुपये बकाया हैं। अब, यदि आप बयान को देखें तो पाएंगे कि 38 इकाइयों की उस सूची में से 13 इकाइयां केवल पश्चिम बंगाल में हैं।

मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.जी. को प्रतिबंधित करने के बावजूद भी, यह पश्चिम बंगाल राज्य ही है जहां 60 के दशक में पहले ग्रामीण क्षेत्रों से और उसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्रों से नक्सलवाद की लहर उमड़ी थी। अब गत एक माह से जिन इकाइयों को बंद करने की धमकी दी जा रही है और जो पहले से ही बंद पड़ी हैं उनके श्रमिक और उनके परिवार सड़क पर आ गए हैं। मैं समय की कमी के कारण आसनसोल उप-मंडल, हावड़ा और मिदनापुर में हुई हिंसा की भयावहता के बारे में विस्तार से नहीं बता सकता। सदन के अगले सत्र में इसकी चर्चा होगी। मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे अपने आंतरिक संसाधनों से अपने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुगतान करें। तथापि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में वित्तीय कठिनाइयों के कारण मामला विशेष के आधार पर बजटीय सहायता दी जाती है। मामला विशेष के आधार पर बटीय सहायता देने का क्या अर्थ है? बर्न स्टैन्डर्ड, जो कि सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उपक्रमों में से एक है, के लिए हमने कम से कम इसके श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने हेतु माननीय मंत्री जी से मांग की थी। इसके 9 श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं। एक रात उन्होंने 3000 कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने को कहा। इस योजना के लिए धन नहीं है। यह इकाई बंद है। नैशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, श्रीमती गांधी द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई पहली जूट कम्पनी थी *...(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अधीर मत होइए। मंत्री जी उत्तर देंगे। आप अधीर क्यों होते हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यहां मजदूरों की बात हो रही है। आप क्यों इम्पेशेन्ट होते हैं?

[अनुवाद]

कल तक भी नैशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के श्रमिकों को उनकी छः महीने की मजदूरी नहीं मिली है। आप जानते हैं वहां कौन काम कर रहे हैं? वहां कार्यरत लोगों में से 90 प्रतिशत लोग उत्तरी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से हैं और उस पैसे से वे अपने परिवारों की देखरेख करते हैं। वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। इन बड़ी इकाईयों के कर्मचारियों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है और वे आत्महत्या कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह एक गंभीर प्रश्न नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैं यहां सदन को नियंत्रित करने हेतु बैठा हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तथ्य बता रहा हूं। उन्हें कुछ सब्र रखना चाहिए। मैंने पहले भी इसी सदन में माननीय मंत्री जी से कहा था, तृणमूल कांग्रेस से संसद सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय भी मेरे साथ थे और आज भी मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या ये निम्न समस्याओं का हल तलाश करने हेतु संबंधित राज्य सरकार और मजदूर संघ के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। (क) बी.आई.एफ.आर. में सरकार ने इन इकाइयों का पुनरुद्धार कर सकने हेतु क्या पैकेज दिए हैं और (ख) वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां सरकार पुनरुद्धार तो नहीं कर सकती परंतु वर्तमान दावों का निपटारा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार कर सकती है? मैं स्पष्ट नीति जानना चाहता हूं। सब कुछ लंबित रखने से समस्याएं ज्वलंत हो रही हैं और बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस पर प्रतिक्रिया देंगे और संसद के इस सत्र के पश्चात तुरंत आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विवरण पूरा नहीं है। इसमें नेशनल इंस्ट्रुमेन्ट्स का नाम नहीं है। गत सप्ताह तक भी नैशनल इंस्ट्रुमेन्ट्स के श्रमिकों को वेतन हीं मिला है।

श्री मनोहर जोशी: महोदय, पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि वक्तव्य पूरा है या नहीं। मेरे अनुसार यहां बकाया मजदूरी के संबंध में पूरा विवरण दिया गया है। हमने सभी 240 कंपनियों से अपनी सूची देने को कहा है। उनमें से 187 कंपनियां पहले ही यह जानकारी दे चुकी हैं। यदि बाकी कंपनियों की भी सूचना चाहिए तो मुझे माननीय सदस्यों को वह सूचना देकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

दूसरे, यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि मूलत: मजदूरी, वेतन और बकाया का भुगतान करने की जिम्मेदारी कंपनी की है न कि सरकार की। लेकिन इसी के साथ-साथ सरकार यह भी महसूस करती है कि यदि कठिनाइयां हैं और कंपनी मजदूरी और वेतन का भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार मानवीय आधार पर वित्तीय सहायता देती रही है। मैं इस संबंध में आपको आंकड़े दूंगा। वर्ष 1997-98 में विभिन्न कंपनियों को गैर-योजना सहायता के रूप में 1339 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 1998-99 में 1411 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 199-2000 में 1817 करोड़ रुपये दिए गए, 2000-01 में 1626 करोड़ रुपये दिए गए और 2001-02 में गैर-योजना सहायता के रूप में 1775 करोड़ रुपये दिए गए।

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जहां कहीं भी पुनरुद्धार या पुनर्गठन होता है सरकार आवश्यकता पड़ने पर बकाया वेतन का भुगतान करने पर सहमत है। यह एक पुनरुद्धार पैकेज है अत: सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी जब भी लोगों ने कारखाना बन्द करने की इच्छा जताई है और बंदी के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है तो ऐसे मामलों में भी वेतन, बकाया मजदूरी और बकाया धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन मूल रूप से यह सब करने की जिम्मेदारी उसी कंपनी की होती है।

माननीय संसद ने यह भी पूछा है कि इस मामले में, पश्चिम बंगाल के पैकेज के बारे में, क्या मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बात करने को तैयार हूं। मुझे उन्हें सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा है और मैं अपने अगले कोलकाता दौरे के दौरान उनसे मिलने पर सहमत हूं और इस दौरे में मैं यह प्रयास करूंगा कि मेरे मंत्रालय के अधीन पश्चिम बंगाल स्थित सभी कंपनियों के मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सके और जहां कहीं भी संभव हो, यदि पश्चिम बंगाल की सरकार सभी आवश्यक रियायतें देने को तैयार होती है तो एक बैठक में सभी चीजों को हल कर लिया जाए। यह शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, विनिवेश की नीति के बारे में बताया गया है कि यह बड़े पैमाने पर विघटन पर आधारित है। पहले वे कहेंगे कि सरकार की चिंता लाभार्जन की नहीं है और केन्द्र सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार विनिवेश के मामले में उन्होंने बहुत बड़ा विभाजन यह किया है कि एक इकाई रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं, यह देखना है, लाभ कमाना मानदण्ड नहीं है। अभी हाल के मामले में माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाभ ही एकमात्र मानदण्ड है और वह सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का पुनरुद्धार करने की कोशिश करेंगे जो लाभ कमा सकते हैं और वे टिके रह सकते हैं अर्थ व्यवहार्य हैं। इसके लिए आवधिक समीक्षा भी होगी।

इसके अतिरिक्त बीआई.एफ.आर. है। इस बोर्ड के समक्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न मामले अनिर्णीत पड़े हैं। किसी इकाई का पुनरुद्धार किया जायेगा या उसे बंद कर दिया जाएगा। यह एक बहस का विषय है जो कि बोर्ड के सम्मुख कई वर्षों से लम्बित है। बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रमों पर भी निर्णय नहीं लिया है जिन्होंने लाभ कमाया है और जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। ऐसे मामले में बोर्ड ने उचित समय पर निर्णय न लेने की परंपरा बना ली है। यह मामला औद्योगिक मामलों से संबंधित है। उचित समय पर निर्णय लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। लेकिन बी.आई.एफ.आर. निर्णय नहीं ले रहा है। वे निर्णय नहीं लेंगे और वे उचित समय पर सही निर्णय लिए बिना ही सुनवाई पर सुनवाई करते चले जायेंगे। इससे सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम भी जो पुनरुद्धार किए जाने योग्य हैं वे भी इस योग्य नहीं रहते।

Scanned by CamScanner

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राधाकृष्णन, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे बी.आई.एफ.आर. को इन लंबित मामलों के संबंध में निर्णय लेने हेतु विशेष दिशा-निर्देश दें। उन्हें समय पर यह निर्णय दे देना चाहिए कि एक इकाई पुनरुद्धार किए जाने योग्य है या नहीं। इस मामले पर उन्हें निर्णय लेना है। लेकिन वे निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप कृपया बोर्ड को यह सलाह दें कि वह उसके समक्ष लंबित सभी मामलों में निर्णय लें, अन्यथा आपकी नीति अनुपयोगी है और श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राधाकृष्णन, माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने दें।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, श्रमिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इन मामलों में निर्णय लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री मनोहर जोशीः महोदय, भारत सरकार की विनिवेश नीति को समय-समय पर स्पष्ट किया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, वे कहेंगे कि लाभ से उनका वास्ता नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राधाकृष्णन, अब माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने दें।

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, यह एक गंभीर मामला है। एक स्थिति में ये कहेंगे कि उन्हें लाभ की चिंता नहीं है अपितु वे यह देखते हैं कि कोई इकाई राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं ...*(व्यवधान)* कृपया ऐसी इकाईयों का पुनरुद्धार करें जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशीः माननीय सदन और माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं इस नीति के बारे में पढ़कर सुनाऊंगा। इसके अनुसार रणनीतिक दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के सभी गैर-महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत या, यदि आवश्यक हो तो, उससे भी कम करना, लाभ की दृष्टि से संभावना वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार; पुनरुज्जीवित किये जा सकने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना और श्रमिकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करना।

यही सामान्य नीति है। माननीय संसद सदस्य ने ठीक ही कहा है कि बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित किए गए बहुत सारे मामलों में बहुत समय लगता है। सरकार इसके बारे में जानती है। इसलिए, पुनरुद्धार हेतु सरकार कभी भी पूर्णतया बी.आई.एफ.आर. पर निर्भर नहीं करती। मेरे अपने विभाग में भी ऐसे मामले हैं। 12 कंपनियों का पुनरुद्धार बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से किया गया है और सात मामलों में विभाग ने मंत्रिमंडल की स्वीकृति से बी.आई.एफ.आर. के पास जाए बिना ही स्वयं कंपनियों का पुनरुद्धार किया है। इसलिए, पुनरुद्धार के लिए किसी कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. के पास भेजना बाध्यकारी नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णनः एक बात प्रेषित किए जाने के बाद वे निर्णय ही नहीं लेते।

श्री मनोहर जोशीः बहुत से मामलों में बी.आई.एफ.आर. के पास भेजे बिना ही कंपनियों का पुनरुद्धार किया गया है। श्री राधाकृष्णन की ही भांति बहुत से सदस्यों ने सरकार को लिखा है या संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों से कहा है कि बी.आई.एफ.आर. बहुत अधिक समय लेता है। इसलिए सरकार बी.आई.एफ.आर. को समाप्त करने और एक शीघ्र निर्णय लेने वाले निकाय की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसलिए, मैं नहीं सोचता कि पुनः बी.आई.एफ.आर. को कहने या लिखने की कोई आवश्यकता है। अब सरकार की सुविचारित राय यह है कि एक नए निकाय का गठन किया जाए। मुझे आशा है कि जब भी इस नए निकाय के गठन का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष लाया जायेगा तो वे सभी सदस्य जिन्हें बी.आई.एफ.आर. से शिकायत है इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री खारबेल स्वाइंः महोदय, माननीय मंत्री जी ने सरकारी क्षेत्र के अलाभकारी उपक्रमों को दिए गए पुनरुद्धार पैकेजों का वर्ष-वार ब्यौरा दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे पुनरुद्धार पैकेजों से कितने उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया है? क्या सरकारी क्षेत्र के ऐसे किसी उपक्रम के पुनरुद्धार की कोई संभावना है जिसका निवल मूल्य नकारात्मक हो गया हो? क्या उन उद्योगों को बेचने के कोई प्रस्ताव हैं जिनके पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न बहुत छोटा है और उत्तर भी इसी प्रकार छोटा होना चाहिए।

श्री मनोहर जोशीः महोदय, यह प्रश्न से भी छोटा होगा। बहुत सी कंपनियों के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि यदि वे कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो उनका भी विनिवेश किया जा सकता है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रश्नकर्ता निश्चित संख्या जानना चाहते हैं। मुझे मेरे विभाग से संबंधित ऐसी कंपनियों की संख्या पता है जिनके लिए पुनरुद्धार प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। मेरे विभाग की 48 कंपनियों में से सरकार ने 19 कंपनियों के पुनरुद्धार प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।

श्री खारबेल स्वाइंः मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व में दिए गए पुनरुद्धार पैकेजों से कितनी कंपनियों का पुनरुद्धार किया गया है। यह मेरा मुख्य प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वे पुनरुद्धार पैकेज देने जा रहे हैं। पुराने पुनरुद्धार पैकेजों का क्या हुआ?

Scanned by CamScanner

उपाध्यक्ष महोदय: आप लिखित में ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री मनोहर जोशी: ऐसी कंपनियों के संबंध में अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श करने के पश्चात मैं उन्हें उत्तर भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप लिखित में ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: किसी भी उद्योग का पुनरुद्धार नहीं किया गया। इसीलिए, वह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: यह क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पैट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, और वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। ऐसे ही अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिन पर विभिन्न मंत्रालयों का नियंत्रण है। एक विशेष मामले में जब मैंने पैट्रोलियम मंत्री को दक्षिण भारत की घाटे में चल रही इकाई का नियंत्रण लेने के संदर्भ में लिखा तो मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि यह पत्र भारी उद्योग मंत्री को सम्बोधित किया जायें। पुन: जब मैंने पत्र लिखा तो जवाब दिया गया कि इसका उत्तर विनिवेश मंत्री देंगे। इस वक्त मैं सरकार तथा विशेषकर भारी उद्योग मंत्री और वस्त्र मंत्री जो उनके साथ बैठे हैं को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें जो पूरे देश में फैली हुयी हैं, घाटे में चल रही हैं, इनके बारे में मैं बहुत चिंतित हूं।

महोदय, उत्तर के भाग (ख) में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अधिग्रहण किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रुग्ण हैं। ऐसे मामले हैं जहां घाटे में चल रही इकाइयों का सरकार ने अधिग्रहण किया और लाभ कमाने वाली इकाइयों का विनिवेश किया है। क्या माननीय मंत्री जी इस मुद्दे को माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के साथ उठायेंगे और क्या इस प्रश्नकर्ता द्वारा रखी गयी समस्या पर विचार करेंगे? यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। गुजरात में वस्त्र मिले हैं और कुल मिलाकर पूरे देश में ऐसी 32 वस्त्र मिले हैं। इन मिलों के कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा। मैं जानना चाहता हूं कि घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए सरकार की क्या नीति होगी।

श्री मनोहर जोशी: महोदय, घाटे में चल रही सरकारी इकाइयों के बारे में आम नीति सदन को पहले ही बता दी गयी है। जहां तक वस्त्र मिलों का प्रश्न है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कैबिनेट ने एक पैकेज को पहले ही स्वीकृति दे दी है। यह सही है कि विशेषकर दो वस्त्र कम्पनियां, जो खस्ता हाल हैं को पैकेज दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग का मंत्री होने के नाते मेरे समक्ष वस्त्र मंत्री द्वारा लाये गये थे, और हम लोगों ने उन कम्पनियों के पुनरुद्धार के बारे में निर्णय लिया है। मैं केवल उन दो कम्पनियों महाराष्ट्र (उत्तर) तथा महाराष्ट्र (दक्षिण) जो बहुत ज्यादा नुकसान उठा रही हैं की बात कर रहा हूं। कुल मिला कर 17 कम्पनियों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है और अन्य को बन्द किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी जा सकती है।

महोदय, सभी विभागों के बीच पूरा समन्वय है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम उसे मूल विभाग को भेज देते हैं तथा उनकी टिप्पणी प्राप्त कर ही कोई निर्णय लिया जाता है। अत: इस संबंध में अलग से किसी समन्वय समिति की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते अनेक एम्पलाइज संगठन के लोगों का एक जन-आंदोलन हुआ जिसमें बैंक के लोग भी थे, इंश्योरेंस के लोग भी थे और बहुत सी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लोगों ने भी धरने दिये। उनमें बहुत जन-आक्रोश देखने में आया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि घाटे की इकाईयां तो ठीक हैं लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड जैसी इकाई, जो कि मुनाफे में चल रही हैं, उसका भी आप डिसइन्वेस्टमैंट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जो जन आंदोलन हुआ, वह जनता की भावना है, एम्पलाइज की भावना है। लेबर और पब्लिक अंडरटेकिंग्स का आपस में गहरा रिश्ता है। मैं भारी उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते एम्पलाइज का जो जन-आंदोलन हुआ, उसके संबंध में मिनिस्ट्री का व्यू क्या है और क्या आप कुछ को रिवाइव करना चाहते हैं या नहीं?

श्री मनोहर जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, जो जन आंदोलन हुआ, उसमें एम्पलाइज की दो मांगें थी—एक मांग यह थी कि कम्पनीज में डिसइन्वेस्टमैंट न करें और दूसरी मांग थी कि एंटी लेबर्स रिफार्म्स न लायें। ये उनकी मुख्य दो मागें थीं।

[अनुवाद]

जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन संबंधी मामला है।

[हिन्दी]

इसमें हमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। इस पर कैबिनेट का निर्णय तो हुआ है लेकिन जब वह विषय सभाग्रह में आयेगा तब इस विषय पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है और उस समय माननीय सभासद उसका उत्तर मिल सकता है। दूसरी बात माननीय सभासद ने मारुति उद्योग कम्पनी के बारे में कही है। गवर्नमेंट ने मारुति कम्पनी का डिसइन्वेस्टमैंट करने का निर्णय

किया है। उसके राइट्स शेयर्स आदि का जो प्रौसेस है, वह अभी शुरू है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: आप इसका डिसइन्वेस्टमैंट क्यों करना चाहते हैं?

श्री मनोहर जोशी: इस बारे में तो कहना मुश्किल है क्योंकि डिसइनवेस्टमैंट कमेटी में इसका निर्णय होता है। लेकिन सरकार ने इस कम्पनी का डिसइन्वेस्टमैंट करने का निर्णय कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में जो कुछ भी किया जाये वह देश के हित में होना चाहिए। अगर उनका पुनरुद्धार भी करना है तो वह देश के हित में होना चाहिए और अगर विनिवेश भी करना है तो वह भी देश के हित में होना चाहिए।

महोदय, इन सरकारी उपक्रमों की स्थापना उन क्षेत्रों में की गयी थी जहां निजी क्षेत्र आने को इच्छुक नहीं था, क्योंकि इसमें लम्बी अवधि की आवश्यकता थी। साथ ही इसमें बहुत ज्यादा राशि की भी आवश्यकता थी और बहुत सी पेचीदगियां थी। अनेक वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद इन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की स्थापना हुयी। अब लगता है कि कुछ सरकारी उपक्रम अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं और इन सरकारी उपक्रमों के विनिवेश का प्रस्ताव है। हम नहीं कह रहे कि "अगर एकदम आवश्यक हो तो भी विनिवेश मत कीजिए।" हमारा कहना है कि अगर आपको विनिवेश करना है तो उसे इस तरह से करें कि देश, कामगारों, उपभोक्ताओं को मदद मिले और जिससे देश को विश्व में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके। सिर्फ विनिवेश के नाम पर विनिवेश न करें और किसी नीति को इसलिए भी स्वीकार न करें क्योंकि वह कहीं लागू की गयी है तो यहां भी स्वीकार की जाए।

कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। यह सम्भव है, अगर हम इन पर ध्यान दें तो इनका पुनरुद्धार संभव है। वे देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर सकते हैं। उनके द्वारा लोगों की मदद की जा सकती है। वे देश को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह के सरकारी उपक्रमों की मदद करने के लिए सरकार ने कौन सी नीतियां बनायी या स्वीकार की हैं? इसमें कामगारों के हित भी शामिल हैं। हम कामगारों को ऐसे ही उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते और यह नहीं कह सकते कि वह अपने लिए खुद ही रोजगार खोज लें। सरकार अथवा संसद में बैठकर हम नहीं कह सकते कि उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उन्हें रोजगार प्रदान करने वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह सच है कि इस संबंध में सरकारी उपक्रमों को कुछ करना होगा, आखिरकार यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह इस बारे में कुछ करे।

हम जानना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे—विनिवेश के संबंध में सरकार की क्या नीतियां हैं। साथ ही इन इकाइयों के पुनरुद्धार तथा लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा आगे भी प्रदान करते रहने और ये सभी प्रयास देश की अर्थव्यवस्था में मददगार साबित हों, इस संबंध में सरकार की नीतियों को हम जानना चाहेंगे।

श्री मनोहर जोशी: महोदय, मुझे याद है कि कम से कम पांच बार इस सम्माननीय सदन में विनिवेश नीति पर चर्चा हो चुकी है जिसमें अनेक सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने अनेक उपयोगी सुझाव दिए और माननीय विनिवेश मंत्री जी ने उनका जवाब दिया। मैं स्पष्ट कर दूं कि विनिवेश के संबंध में नीति यह नहीं कहती कि केवल घाटे में चल रही कम्पनियों का ही विनिवेश किया जाये लाभ कमाने वाली कम्पनियों का भी विनिवेश किया जाता है क्योंकि सरकार की धारणा है कि उसका कार्यक्षेत्र व्यापक है। उसका मुख्य कार्य, व्यवसाय करना नहीं है। अत: स्पष्ट है कि गैर-सामरिक उद्योगों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करके 26 प्रतिशत तक ले आयेगी और अगर आवश्यक हुआ तो उससे नीचे भी लायेगी जिसका मतलब है ऐसे उद्योग का निजीकरण भी किया जा सकता है।

माननीय उप-नेता, प्रतिपक्ष ने प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार कामगारों की जिम्मेदारी लेगी या नहीं। जब भी विनिवेश किया जाता है, हम समझौते में स्पष्ट तौर पर शर्त रखते हैं कि कम से कम से एक वर्ष तक कम्पनी का खरीददार या जो कम्पनी के शेयर खरीदेगा, कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा। अब तक विनिवेश की गयी कम्पनियों का अनुभव है कि कामगारों को कम नहीं किया गया। असल में कुछ कम्पनियों में तो इनकी संख्या बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ और इसका मुख्य कारण क्या है यह समझने की आवश्यकता है और अधिक धन, नयी तकनीक लानी होगी और इसलिए संयुक्त-उद्यम के रूप में सहभागी की तलाश करनी होगी। संयुक्त-उद्यम का सहभागी भी कामगारों की संख्या को कम नहीं करना चाहते जब तक कि ऐसा करना अति आवश्यक न हो। अत: कामगारों के हितों की भी रक्षा की जाती है।

माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि जहां भी संभव हो हमें अर्थक्षम कम्पनियों का पुनरुद्धार करना चाहिए। यह सच है। इस पहलू के मद्देनजर कैबिनेट के पास अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं। बहुत से मामलों में पुनरुद्धार किया जाता है क्योंकि सरकार समझती है कि कम्पनी को बंद करना तो अंतिम उपाय है और जहां तक सम्भव हो ऐसी कंपनी के पुनर्गठन की बात होनी चाहिए।

अत: माननीय उप-नेता, विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों से सरकार अवगत है। जहां तक सम्भव हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम्पनियों का पुनरुद्धार कर उनको पुनर्गठित किया जाये। हम कामगारों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आधे घंटे से हाथ खड़ा किए हैं, लेकिन हमें प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कभी खड़े नहीं होते, लेकिन जब बोलना चाहते हैं तो मौका नहीं दिया जाता। हम क्या ऐसे ही यहां उठाकर लाए गए हैं। यह हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी हो रही है। कुछ लोग जो जाने-पहचाने हैं, उनको मौका दिया जाता है, लेकिन हमें नहीं दिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय: सबको चांस मिलेगा।

श्री राम टहल चौधरी: वे लोग भाषण देते हैं और आधा घंटा तक बोलते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता।

जापान से सहायता

***464. श्री रामपाल सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने और इस देश को पुन: एक बार सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान सरकार ने सहायता देने के लिए कुछ कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जापान सरकार और भारत सरकार ने आपसी परामर्श से आर्थिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य, शिक्षा, जल व स्वच्छता जैसी मूलभूत मानव आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों के लिए संभावित सहायता की पहचान कर ली है।

[हिन्दी]

श्री राम पाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जापान सरकार ने भारत को कुल कितनी राजकीय सहायता देने का निर्णय लिया है? परमाणु परीक्षण के पूर्व दी जा रही सहायता की तुलना में यह राशि अधिक है या कम है?

श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में हम जापान से सहयोग चाहते हैं, उसके बारे में मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है। जहां तक राशि का सवाल है, राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितने प्रोजेक्ट्स को उनके सामने रखते हैं, कितने वे स्वीकार करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स की लागत क्या है। इसमें कोई एनुअल टार्गेट एज सच मुकर्रर नहीं होता है। इसलिए उसकी तुलना अतीत में जापान जो हमें पैसा देता था, उससे करना सही नहीं होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम अधिक से अधिक योजनाओं को जापान के सामने रखें, ताकि अधिक से अधिक राशि हमें प्राप्त हो सके।

श्री राम पाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि दोनों देशों ने आपसी परामर्श से, मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार, सहायता के लिए पहचान कर ली है। मैं मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि हमारी तरफ से किस-किस सहायता के लिए प्रस्ताव हुआ है?

श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि इसमें जो क्षेत्र हैं, वे इन्फ्रास्ट्रक्चर और बेसिक ह्यूमन नीड के प्राय हैं। लेकिन जापान की एजेंसियों के साथ जो बातचीत हुई है, जो सेंक्शन पहले लगी थी, उनके उठाने के बाद, उसमें प्राथमिकता के आधार पर, हम जो नए प्रोजेक्ट्स उनके सामने रख रहे हैं, उनमें मुख्य रूप में यमुना एक्शन प्लान-जो मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, अनपारा थर्मल पावर स्टेशन, नैनी ब्रिज, पोल्यूशन एबेटमेंट आफ दि रिवर गोमती एट लखनऊ, यमुना एक्शन प्लान और बुद्धिस्ट सर्किट फेज-टू हैं। इस प्रकार की कई योजनाओं का उसमें समावेश है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न योजनाओं के लिए जापान से हमें जो सहायता मिल रही है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, क्या वह हमें लोन के रूप में मिल रहा है,

या वे हमारी मदद कर रहे हैं? कितना धन वे हमें दे रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी योजना भारत में ला रहे हैं, उसके बदले में हमसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्या वे हमें लोन दे रहे हैं या आर्थिक सहायता दे रहे हैं? क्या आपका वहां की सरकार से समझौता हुआ है या वहां की निजी कंपनियों से समझौता हुआ है—यह मैं जानना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत के बाजारों में आजकल जितना स्मगलिंग का सामना इस समय जापान से आ रहा है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उस स्मगलिंग के सामान को, जो बंगलादेश

और नेपाल के रास्ते से आ रहा है, रोकने के प्रयास भी हम नहीं कर रहे हैं—क्या हम किसी दबाव में हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, यह मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं। जो प्रश्न अंत में पूछा गया है, उस पर मैं अंत में जाऊंगा लेकिन जिस बात को मैं सदन के सामने रख रहा हूं, वह यह है कि जापान सरकार और भारत सरकार के बीच में जो सहयोग का चित्र है, वह दोनों सरकारों के बीच में है, मगर प्राइवेट सैक्टर का नहीं है। जो जापान की एजेंसी है—जैप्नीज बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन है, वह जापान सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से अधिकांश सहायता हमें लोन के रूप में प्राप्त होती है। उसमें कुछ अंश ग्रान्ट का भी है जो खास-खास प्रयोजनों के लिए मिलती है, जैसे कहीं कोई अध्ययन करना है, कहीं कोई कंसलटेंसी का काम है, उसके लिए ग्रांट का एलीमेंट है। उसमें अधिकांश लोन है और लोन के टर्म्स काफी आसान हैं—दस साल का मोराटोरियम है, बीस साल का री-पेमेंट पीरिएड है, 1.8 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट है और यह अनटाइड है, टाइड नहीं है। मैं सदन के सामने यह भी रखना चाहूंगा कि पिछले दस वर्षों में जापान भारत का इस मामले में सबसे बड़ा सहायक रहा है और बाइ-लेटरल असिस्टेंस में जापान सबसे बड़ा स्रोत रहा है। हमारे उनसे संबंध मधुर हैं। जो सैंक्शंस पोखरन के बाद लगाई गई थीं, वे सैंक्शंस जापान सरकार ने स्वयं पिछले वर्ष अक्तूबर में उठा ली थी और हमारे जापान के साथ अब संबंध मधुर हैं, आर्थिक सहयोग चल रहा है तथा यह आगे और अधिक मजबूत होगा क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी सारे विजिट्स हुए हैं जिसमें दोनों देशों के प्रधान मंत्री भी एक-दूसरे के देश में गये थे।

जहां तक स्मगलिंग का प्रश्न है, उसमें मैं नहीं समझता कि जापान सरकार का कोई योगदान है। स्मगलिंग अगर हमारे देश में हो रही है तो यह हमारी समस्या है और उस स्मगलिंग को हमें रोकना है जिसमें हम क्रियाशील हैं।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो बात कही गई कि जापान से या अन्य देशों से, चीन से या अलग-अलग देशों से जो कंटेनर के अंदर मैटीरियल आता है, कंटेनर के साथ ही उसमें ब्राउन-शुगर से लेकर कई अम्लीय पदार्थ भी आते हैं, हमारे देश में क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि कंटेनर में क्या आया है, उसके एक्सरे करने की क्या कोई मशीन लगाई गई है? हमने एक-दो विभागों से बात की है। उन्होंने कहा है कि जो विभाग एक्साइज वसूल करता है, यह उस विभाग का काम है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश की गई है?

श्री यशवन्त सिन्हा: यह मूल प्रश्न जापान सरकार के सहयोग के बारे में है कि उनसे हमें क्या आर्थिक सहायता मिलती है लेकिन यहां प्रश्न दूसरी दिशा में मुड़ गया और अब स्मगलिंग की बात हो रही है—जो सीधे मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक स्मगलिंग का सवाल है, उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि हम सतर्क हैं और जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, वह हम बरतते हैं कि कंटेनर्स के बीच में क्या सामान आ रहा है। कंटेनर्स खोलकर भी देखा जाता है और कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर से भी सर्वेक्षण करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का मैटीरियल उनमें है। कहीं-कहीं इस प्रकार की मशीन लगी है, अन्य स्थानों पर नहीं लगी हैं।

लेकिन स्मगलिंग के सवाल पर जैसा मैंने कहा, हम कृतसंकल्प हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस संकट से हम देश को बचायें। मैं इस बात को स्वीकार कर पाने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं कि इसके चलते देश की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है। फिर भी मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस समस्या के निदान में जुटें और सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पर्यावरण, इन मामलों में जापान से सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी मुझे अत्यन्त खेद है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सौर ऊर्जा है, जिसमें जापान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, लेकिन सौर ऊर्जा के बारे में आपने ध्यान तक नहीं दिया है। इसका मुझे अत्यन्त खेद है और सारे सदन को है। आज देश में भीषण विद्युत संकट है। किसान अपने खेत में पानी नहीं दे पा रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच में कोई वार्ता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कृषकों के हित में और देश के हित में, क्या आप जापान से सौर ऊर्जा के संबंध में कोई सहयोग लेने जा रहे हैं या नहीं; कृपया स्पष्ट बतायें?

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत खेद प्रकट करने वाली बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह: हमें खेद है, आपको नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत यह हुई है। ...*(व्यवधान)* किसानों को आपने दरकिनार करके रख दिया है। किसानों की बहुत बुरी हालत हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, जो कि इस प्रकार है—चूंकि जापान से हमने सौर ऊर्जा के बारे में मदद नहीं मांगी, इसलिए बीजेपी की यह हालत हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: यह एक पहलू है। ऐसे कई और पहलू हैं। इसीलिए आप यहां और हम वहां बैठने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: वे सारे पहलू मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भी जुड़ रहे हैं। उसकी चिन्ता मत करिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता था, वह यह है कि जापान से, किसी दूसरे देश या मल्टीलैट्रल संस्थाओं के पास रखने के लिए प्रोजैक्ट्स वित्त मंत्रालय के पास कहां से आते हैं। हम राज्य सरकारों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे पास प्रोजैक्ट भेजें। हम विभिन्न मंत्रालयों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे पास प्रोजैक्ट भेजें। फिर उन प्रोजैक्टस की जांच-पड़ताल करके, तहकीकात करके प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर उन देशों के सामने या हम उन मल्टीलैट्रेल एजेंसियों के सामने रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा के संबंध में प्रोजैक्ट जापान के सामने नहीं रखा है, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि इस सरकार में सौर ऊर्जा के संबंध में एक मंत्रालय है, जो न केवल सौर ऊर्जा बल्कि गैर-परम्परागत जितने भी स्त्रोत हैं, उनका विकास करने के लिए देखरेख करता है। चूंकि, यह विषय जापान के सामने नहीं रखा गया है, इसलिए देश में सौर ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें जापान से सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे प्रोजैक्ट्स जापान के सहयोग से चल रहे हैं और चलने वाले हैं, जिनमें न केवल ऊर्जा के नए उपक्रम लगेंगे, बल्कि ऊर्जा को बचाकर कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम उनके साथ मिलकर विचार करेंगे। इसलिए मुझे लगता है, अगर माननीय सदस्य को बहुत खेद है, तो वे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को कहें कि वे ऊर्जा से संबंधित प्रोजैक्ट यहां भेजें, तो निश्चित रूप से हम उन पर विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह: केन्द्रीय सरकार को पांच साल पहले स्कीम भेजी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि जापान द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता राशि परमाणु परीक्षण के कारण बंद कर दी गयी थी और जापान पश्चिमी और यूरोपीय लोकतांत्रिक देशों के साथ मिल कर चलता है, मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि गुजरात में हो रहे नरसंहार और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसाईयों को दबाने के कारण क्या पश्चिमी लोकतांत्रिक देश तथा जापान भारत को सहायता बंद कर देंगे, क्या ऐसी संभावना है?

श्री यशवन्त सिन्हा: इसका संक्षिप्त उत्तर है—नहीं।

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि डा. तारो नाकामामा संसद सदस्य, जापान के भूतपूर्व विदेश मंत्री, जापान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत, एशियन पापुलेशन और डिवलपमेंट एसोसिएशन टोकियो जापान के चेयरमैन और जापान के सांसदों का शिष्टमंडल 28-30 अप्रैल 2002 को भारत के दौरे पर आयेगा। क्या भारत सरकार की कोई विशेष कार्यसूची है जिस पर वह जापान के साथ चर्चा करेगी?

दूसरा, ऐसी अनेक स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो तमिलनाडु सरकार द्वारा बनायी गयी हैं और भारत सरकार के माध्यम से जापान की सहायता हेतु भेजी जाती हैं। क्या सरकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए तमिलनाडु की सभी स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान करेगी?

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, जैसा कि मैंने कहा इस संबंध में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच टिकाऊ तंत्र है जो राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सभी परियोजनाओं पर कार्यवाही करता है। जब भी तमिलनाडु से संबंधित स्वास्थ्य परियोजनाएं प्राप्त होंगी इस संयुक्त तंत्र द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी।

महोदय, जहां तक संसदीय शिष्टमंडल के दौरे का प्रश्न है तो इस संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह मामला मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मैं इस मामले के बारे में संबंधित सहयोगी को सुझाव दूंगा कि वह माननीय सदस्य को अपेक्षित जानकारी दें।

शिशु गृह योजना

***465. श्री किरीट सोमैया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिशु गृह योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय सहायता मात्र 18 वर्ष की आयु तक दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयु सीमा को बढ़ाकर, विशेषकर बालिकाओं के लिए, 21 वर्ष करने का है;

(घ) क्या विवाह आयु सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अनाथालय और कन्या आश्रम आयु सीमा को 21 वर्ष तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों को सहायता की योजना को 1.4.2001 से संशोधित किया गया है और इसे अब गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे शिशु गृहों के अतिरिक्त राज्यों द्वारा चलाये जा रहे शिशु गृहों के लिए प्रयोज्य बना दिया गया है।

(ख) इस योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ/निराश्रित बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 6 वर्ष से आगे आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अनुसार, न्यूनतम विवाह आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।

(ङ) आयु सीमा को 21 वर्ष तक बढ़ाने की ऐसी कोई मांग नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री किरीट सोमैया: सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के जो समाज-कल्याण विभाग हैं उनमें आपसी कोआर्डिनेशन न होने के कारण अनेक सामाजिक संस्थाओं के समय पर एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उन्हें ग्रांट्स नहीं मिल पा रही है और पिछले 7-8 वर्षों से ग्रांट्स के मामले पैंडिंग हैं। इस बारे में मंत्री महोदय का क्या अभिप्राय है?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित रूप से राज्य सरकारों के माध्यम से जो प्रस्ताव आते हैं उन पर हमारा मंत्रालय विचार करता है किंतु जो प्रस्ताव राज्य सरकारों के माध्यम से नहीं आ रहे हैं उन पर भी विचार करने के लिए मेरा मंत्रालय कुछ निष्कर्ष और योजनाएं बनाने के बारे में विचार कर रहा है। पिछले समय में इस पर गंभीर रूप से विचार-विमर्श हुआ है। यदि राज्य सरकारों से निश्चित समय-अवधि तक प्रस्ताव नहीं आते तो क्या कार्रवाई की जाए, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री किरीट सोमैया: माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा स्पैसिफिक प्रश्न था और मैंने दो संस्थाओं—श्रद्धानन्द महिला आश्रम और वात्सल्य ट्रस्ट के नाम भी दिये थे। उन्होंने समय पर एप्लीकेशन दे दी थी लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभागों में समन्वय नहीं है। क्या सरकार उनको ग्रांट्स देने का प्रावधान करेगी। दूसरा, इसके संबंध में ग्रांट्स के जो नार्म्स हैं वे बहुत पुराने समय में, 25 साल पहले तय किये गये थे। उनके रिवीजन के बारे में क्या कोई विचार किया जा रहा है?

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. सत्यनारायण जटिया: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो संस्थाओं के बारे में जिक्र किया जिसमें निश्चित रूप से एक संस्था श्रद्धानन्द महिला आश्रम है। हमने इसे ग्रान्ट देने का काम 1995-96 तक किया। उसके बाद 1996-97 के बाद की अवधि के लिए कोई आवेदन-पत्र हमारे पास नहीं आया इसलिए हम निर्णय नहीं कर पाए।

श्री किरीट सोमैया: उसका प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

डा. सत्यनारायण जटिया: वह हमारे पास नहीं आया। यदि वह आएगा तो हम उस पर खाना-पूर्ति करने के बाद विचार करेंगे। दूसरा वात्सल्य संस्था के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। इसे 1993-94 तक की अवधि के लिए इसे अनुदान प्राप्त हुआ था। उपयुक्त संगठनों की ओर से 1993-94 से 2001 तक हमने कुल अनुदान 31 लाख 70 हजार 455 रुपए दिया है। बाकी 1997-98 और 1998-99 की अवधि के लिए अनुदान संबंधी प्रस्ताव हमें महाराष्ट्र सरकार से ठीक से प्राप्त होने और स्पष्टीकरण होने के बाद उन पर हम विचार कर सकेंगे। जहां तक संस्थाओं को अनुदान देने का प्रश्न है, हमने इसे रिवाइज किया है। इसमें बदली करने के बाद वे ठीक प्रकार से काम कर सकें, इस प्रकार के भी उपाय हमने किए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट

***461. श्री आर.एस. पाटिल :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप किसानों के पास इसका भंडार जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू उत्पादक राज्यों ने केन्द्र सरकार से तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए इसे तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) किसानों के पास फ्लू क्योरड वरजीनिया (एफसीवी) तम्बाकू का कोई संचित स्टाक नहीं है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने नवम्बर, 2001 में तम्बाकू बोर्ड के जरिए 55 रु. प्रति किग्रा. की दर से तम्बाकू की खरीद हेतु केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी।

(ग) से (ङ) चूंकि दिसम्बर 2001 से आगे कीमतों में वृद्धि शुरू हो गयी थी इसलिए तम्बाकू बोर्ड के जरिए इस प्रकार के हस्तक्षेप को आवश्यक नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

यूरोपीय देशों द्वारा भारतीय वस्त्रों का आयात

***463. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय देशों और बांग्लादेश ने भारतीय वस्त्रों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के करों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और उन देशों के नाम क्या हैं तथा भारत से वस्त्रों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए हाल ही में उन्होंने क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त कारणों से इन देशों को भारत से किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) यूरोपीय संघ (ई.यू.) द्वारा वर्तमान में भारत से आयात किए जा रहे पॉलीएस्टर स्टैपल फाईबर पर 14.7% से 35.4% तक लगाया गया पॉटनरोधी शुल्क जारी रखा गया है। बांग्लादेश ने हाल ही में सूती यार्न की सभी किस्मों के आयात पर 10% विनियमन शुल्क लगाया है। टर्की ने भी भारत से आयाति पॉलीएस्टर टैक्सचर्ड फिलामेंट यार्न पर 6.8% से 33.7% तक लगाया गया पॉटनरोधी शुल्क जारी रखा है। भारत से किए जा रहे वस्त्र आयात द्वारा अन्य कई रुकावटों का भी सामना किया जा रहा है जैसे हमारे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों में निर्मित वस्त्रों को यूरोपीय संघ द्वारा शुल्क मुक्त/कोटा मुक्त प्रवेश प्रदान किया गया है; पॉलीएस्टर टैक्सचर्ड फिलामेंट यार्न पर यूरोपीय संघ द्वारा सब्सिडी रोधक/पॉटन रोधी अन्वेषण की पहल की गई है; बांग्लादेश द्वारा भू-मार्ग के द्वारा यार्न के आयात पर प्रतिबंध लगाना; और बेड-लिनन के आयात पर शुल्क एकीकरण की समाप्ति की पुनरीक्षा, आदि।

(ग) और (घ) यूरोपीय संघ तथा बांग्लादेश को किए जा रहे समग्र निर्यात ने इन वित्तीय वर्षों अर्थात 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान, निर्यात में गिरावट आई है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों व विनियमन का अनुसरण करते हुए डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान निकाय के समक्ष यह मामला प्रस्तुत करते हुए सभी संभव कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

कृषि ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज

***466. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सभी कृषि ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2001 में इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस निर्णय का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि किसानों को अपने ऋणों पर ब्याज की दांडिक दर का भुगतान न करना पड़े?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने सबसे बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं की ओर बढ़ने के विचार से 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) के रूप में ऋण की पहचान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 90 दिवसीय मानदण्ड को अपनाने के संबंध में मई 2001 में एक परिपत्र जारी किया था। इसके अतिरिक्त, इस उपाय को सुकर बनाने के लिए बैंकों को 1 अप्रैल, 2002 तक मासिक अन्तराल पर ब्याज प्रभारित करने की सलाह दी गई। तदनन्तर, कुछ बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, भारतीय बैंक संघ से परामर्श कर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च, 2002 के परिपत्र के तहत स्पष्ट किया कि कृषि अग्रिमों के लिए मासिक अन्तराल पर ब्याज प्रभारित करना लागू नहीं होगा।

राज्य सरकारों द्वारा ''पाम आयल'' लेने से इंकार

*467. **श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने भारतीय खाद्य निगम तथा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों से पाम आयल लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कारणों समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को इसके कारण कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ''पाम आयल'' का आयात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित आरबीडी पामोलिन की डिलिवरी भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों से नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्य तेल आयात करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयात की दर और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर के कारण खाद्य तेल के प्रचालन में राज्य व्यापार निगम को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई प्रतिपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
1999-2000	50.00
2000-2001	40.00
2001-2002	7.99

(घ) से (ङ) खुले बाजार में खाद्य तेलों की उचित मूल्य पर सुगम उपलब्धता होने के कारण सरकार ने सितम्बर, 1999 के बाद खाद्य तेल का कोई आयात नहीं किया है।

जन रक्षा बीमा

*468. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य पहलुओं की संरक्षा के लिए जन रक्षा बीमा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''इन्डोर'' और ''आउट डोर'' उपचार हेतु शहरी जनसंख्या के लिए कोई बीमा योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने की मंशा से बनायी गयी ''जनरक्षा'' नामक एक नई बीमा योजना वर्ष 2002-03 के बजट भाषण में घोषित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 365/- रु. के वार्षिक प्रीमियम पर बीमित व्यक्ति नामित अस्पतालों और क्लिनिकों, जिनमें सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, निजी ट्रस्ट अस्पताल और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चालित संस्थान शामिल हैं, में 30,000/- रु. तक के अन्तरंग और 2000/- रु. प्रतिवर्ष तक के बहिरंग उपचार हेतु पात्र होगा। यह योजना सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों द्वारा शुरू की जानी है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियां शहरी और ग्रामीण जनसंख्या दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाली

"मेडिक्लेम" नामक चिकित्सा बीमा योजना पहले ही चला रही हैं। इस योजना में बीमावधि के दौरान हुई अथवा जारी रही किसी बीमारी, चोट अथवा रोग के लिए अस्पताल में इलाज/घर में इलाज हेतु व्यक्ति द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

विदेशी बैंक

*469. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय बैंकरों ने भारत में विदेशी बैंकिंग गतिविधियों के विस्तार हेतु उदारतापूर्वक स्वीकृति देने की नीति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है और भारत में उनकी कितनी-कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ग) उन नए बैंकों के नाम क्या हैं, जो भारत में अपना कार्य प्रारम्भ करने के लिए सरकार से अनुमति मांग रहे हैं;

(घ) भारतीय बैंकरों द्वारा नए बैंकों की स्थापना करने/वर्तमान बैंकों का विस्तार करने के लिए अनुमति न देने के लिए क्या कारण बताए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) जी, नहीं।

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत में 40 विदेशी बैंक अपनी 192 शाखाओं समेत कार्य कर रहे थे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार भारत में अपना परिचालन आरम्भ करने के लिए किसी नए विदेशी बैंक से कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अब तक विदेशी बैंकों को बैंकिंग कारबार केवल शाखाओं के द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2002-2003 के बजट भाषण में इस निर्णय की घोषणा की गई थी कि विदेशी बैंकों को या तो अपने मूल बैंक की शाखाओं के रूप में अथवा अनुषंगियां स्थापित करने का विकल्प दिया जाएगा।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

*470. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका के "टविन सिटीज" पर हुए हमले के बाद निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेतु वित्त मंत्रालय के पास अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त प्रोत्साहन निर्यातकों को प्रदान कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रोत्साहनों में भारतीय निर्यात के कार्य-निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) वर्ष 2000-01 के पूर्वार्द्ध में निर्यातों की वृद्धि में आई गिरावट और विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी के मद्देनजर निर्यातों को बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2001 में वित्त मंत्रालय के परामर्श से अनेक उपाय किए गए थे। इनमें शामिल हैं निर्यात वित्त के लिए ब्याज दर में कटौती, 100 करोड़ रु. अथवा इससे अधिक के बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों (एल.ए.सी.) को निर्यात करने के लिए प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाना, लगभग 500 मदों के लिए शुल्क वापसी की दरों में वृद्धि, पूंजीगत सामान और मशीनरी के लिए अवशिष्ट वापसी दरों में वृद्धि तथा शुल्क हकदारी पासबुक योजना के तहत 429 मदों पर मूल्य सीमा समाप्त करना।

इन उपायों का उद्देश्य धीमे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में भारतीय निर्यातों की वृद्धि दर में आई गिरावट को रोकना था। नवम्बर, 2001, दिसम्बर, 2001 और जनवरी 2002 के महीनों में भारतीय निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 3.29%, 1.11% और 18.18% (डालर के रूप में) वृद्धि हुई है जबकि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 2001 के महीने में इससे पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 1.06%, 8.61% और 7.39% की गिरावट आई थी।

बैंकों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

*471. **श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने के कुछ मामले राष्ट्रीयकृत बैंकों में लंबित हैं। अधिकांशत: ऐसे मामले आवेदकों द्वारा आस्तियों, देयताओं, आय आदि के संबंध में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित रहते हैं।

(ख) बैंक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	96
2.	आन्ध्रा बैंक	13
3.	बैंक आफ बड़ौदा	104
4.	बैंक आफ इंडिया	58
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	12
6.	केनरा बैंक	53
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	51
8.	कार्पोरेशन बैंक	शून्य
9.	देना बैंक	6
10.	इंडियन बैंक	257
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	91
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	76
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	166
14.	पंजाब नेशनल बैंक	29
15.	सिंडिकेट बैंक	6
16.	यूको बैंक	133
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	66
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	28
19.	विजया बैंक	149

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, बैंक मामलों को आवेदकों से पूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

*472. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉपरेटिव बैंकों की ऋण नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित कॉपरेटिव बैंकों की ऋण नीति में समुचित संशोधन करने हेतु उनके मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) अपनी वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति विवरण में स्थूल ऋण नीति संबंधी उपाय निर्धारित करता है जिनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में की जाती है। यह नीति सहकारी बैंकों समेत सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र पर लागू होती है। इसमें आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को बनाए रखना, सांविधिक चल निधि अनुपात (एस.एल.आर.) विवेकपूर्ण मानदण्ड आदि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।

(ग) से (ङ) शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही के संकट से शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) के लिए एस.एल.आर. निवेश पैटर्न, मांग मुद्रा बाजार में परिचालन, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों के रूप में अन्य सहकारी बैंकों में निधियों का निवेश और शेयरों एवं डिबेन्चरों के बदले बैंक वित्त से संबंधित क्षेत्रों में मानदण्डों को कुछ कठोर करने की आवश्यकता हुई थी जिनकी घोषणा अप्रैल 2001 में वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति में की गई थी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को शहरी सहकारी बैंकों को अपनी एस.एल.आर. धारित पूंजी को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी./राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) से सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करने के वास्ते वापिस लेने के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया था क्योंकि इससे महाराष्ट्र में एस.सी.बी./ डी.सी.सी.बी. की संसाधन स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अक्तूबर 2001 में मौद्रिक नीति उपायों तथा इनके कार्यान्वयन में हुई प्रगति की गति की समीक्षा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में एस.एल.आर. धारित पूंजी के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ायी है।

चीनी मिलों के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता

***473. श्री रामशकल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-2001 के दौरान अनेक राज्यों से चीनी मिलों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अभी तक राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 के दौरान चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु 13 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 मामलों में ऋण मंजूर किया गया था। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	मंजूर किए गए प्रस्ताव
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	2
2.	बिहार	1	1
3.	महाराष्ट्र	6	6
4.	तमिलनाडु	1	1
5.	उत्तर प्रदेश	2	1
	जोड़	13	11

दो मामलों में ऋण मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में विहित शर्तें पूरी नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों को स्वायत्तता

***474. श्री नागमणि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले से ही पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत के अन्तर्गत जमा राशि

***475. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बचतों के अन्तर्गत जमा धनराशियों में से राज्य सरकारों को इस समय कितने प्रतिशत अग्रिम धनराशि दी जा सकती है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बचतों से अग्रिम सुविधा की वर्तमान प्रतिशतता को बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत वर्ष के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों से कुल कितनी राष्ट्रीय बचत जमा हुई; और

(ङ) राज्यों पर राष्ट्रीय बचतों से ली गई कितनी अग्रिम धनराशि बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) "अल्प बचत योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण निवल आय राज्य सरकारों को अन्तरण करने के लिए" एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से इस पर कार्रवाई कर दी गई है।

(घ) गुजरात और अन्य राज्यों एवं देश के संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक) के दौरान डाकघरों में निवल अल्प बचत संग्रहण क्रमश: 3592.02 करोड़ रुपए और 29102.45 करोड़ रुपए का था।

(ङ) वर्ष 2001-2002 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान डाकघरों में निवल अल्प बचत संग्रहणों के एवज में देय 24194.32 करोड़ रुपए की राशि अब तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) की सरकारों को रिलीज कर दी गई है। फरवरी, 2002 के संग्रहणों के एवज में मई, 2002 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले) की सरकारों को रिलीज करने के लिए 3417.95 करोड़ रुपए की राशि देय है।

भारतीय वस्तुओं के लिए रूस में बाजार

***476. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी संघ भारतीय वस्तुओं के लिए बढ़ता हुआ बाजार और निवेश का संभावित स्थल है;

(ख) यदि हां, तो क्या मास्को स्थित भारतीय व्यापारिक गठबंधन (इंडियन बिजनेस एलायंस) ने सूचित किया है कि भारतीय उद्यमियों की चूक के कारण भारत इस अवसर को तथा तीसरी दुनिया के देशों को वस्तुएं निर्यात करने के अवसर गवां सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रूसी संघ में भारतीय वस्तुओं के लिए अवसर का पूरी तरह लाभ उठाया जाए, क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली, चेन्नई तथा मुंबई में आयोजित "इंडिया-रशिया टूगैदर सेमिनार्स" में भाग लेने के लिए मार्च, 2002 में अपने भारत दौरे के दौरान मास्को स्थित भारत व्यापार एलाएंस के प्रतिनिधियों ने भारतीय व्यापारियों से आग्रह किया था कि रूस के बाजार की उपेक्षा न की जाए और रूस में उपलब्ध व्यापार तथा निवेश के अवसरों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि रूस के बाजार में प्रवेश पर भारतीय निर्यातकों तथा उद्यमियों की झिझक के कारण वे अन्य देशों के निर्यातकों/व्यापारियों को भी खो रहे हैं।

(ग) भारत-रूस आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ करने के मुख्य प्रश्न की समीक्षा तथा सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श भारत-रूस अंत:सरकारी कमीशन (आईआरआईजीसी) के ढांचे को भीतर की गई है जिसके आठवें सत्र की बैठक दिनांक 7 फरवरी, 2002 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों पक्ष भारतीय तथा रूस के उद्यमियों के बीच वर्द्धित तथा प्रत्यक्ष बातचीत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें और उसे सुविधाजनक बनाएं जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार करने के लिए आर्थिक तथा वाणिज्यिक अवसरों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। यह निर्णय लिया गया कि शिष्टमंडलों, संयुक्त व्यापार परिषदों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियां आयोजित करके, मेलों में भागीदारी आदि के माध्यम से व्यापारियों के पारस्परिक रूप से प्रत्यक्ष सम्पर्क को प्रोत्साहित किया जाए। एक महत्वपूर्ण घटना यह रही कि नवम्बर, 2001 में भारतीय उद्योग परिसंघ तथा रूसी उद्योगपतियों तथा उद्यमियों के संघ के बीच इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए कि वे मास्को तथा नई दिल्ली में क्रमश: अपने-अपने प्रतिनिधि-कार्यालयों की स्थापना करेंगे।

कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत किए गए भारतीय बैंक

***477. श्री अधीर चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के 35 बैंकों की पहचान कमजोर बैंकों के रूप में की गई और उनका कोई नेटवर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे भारतीय बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्तरदायी कारकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कमजोर बैंकों के रूप में पहचाने गए भारतीय बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के एक बैंक यथा इण्डियन बैंक और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों यथा दी बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड एवं दी नेडुङडी बैंक की नकारात्मक शुद्ध मालियत थी। इन बैंकों की नकारात्मक शुद्धि मालियत के लिए जिम्मेवार मुख्य कारक अनुपयोज्य आस्तियों की अधिक घटनाएं और उनके द्वारा की गई लगातार हानियां हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और सरकार ने बैंकों को विभिन्न उपाय करने की सलाह दी है जैसे अपने स्टाफ की संख्या एवं शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण, आंचलिक कार्यालयों को समाप्त करना, जमाराशियों, परिचालनों की लागत में कमी करना, अपनी उत्पादकता में वृद्धि एवं अनुपयोज्य आस्तियों में कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों का निरीक्षण करता है और अनुवर्ती कार्रवाई करता है। सरकार भी सतत् आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन की निगरानी करती है। इण्डियन बैंक के मामले में, भारत सरकार ने इसकी शुद्ध मालियत में सुधार करने के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान 1300 करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान की है।

राज्यों में राजस्व घाटा

***478. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों के राजस्व घाटे पर काबू पाने के लिए विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन ऋण लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक अनुमति प्रदान की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों को विश्व बैंक से सीधे ऋण लेने की अनुमति नहीं है। फिर भी, भारत सरकार ने तीन राज्यों के मामले में राजकोषीय सुधारों के लिए अपेक्षित संसाधनों को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से सहायता ली है। राज्यों को यह राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। वे राज्य जिन्होंने ऐसी सहायता का लाभ उठाया है वे हैं:- उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।

प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क वापस लेने की मांग

***479. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क वापस लेने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं। प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क वापस लेने की कोई मांग नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकदी फसलों के लिए समर्थन मूल्य

***480. श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी नकदी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों पर विचार किया जाता है;

(ख) वर्तमान वर्ष के लिए प्रत्येक नकदी फसल यथा चाय, कॉफी, तम्बाकू, काजू और रबड़ के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) चाय, कॉफी, काजू और रबड़ के लिए कोई न्यूनतम समर्थन कीमत नहीं है। जहां तक तंबाकू का संबंध है, वर्ष 2001-2002 के लिए फ्ल्यू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ.सी.वी.) तंबाकू के दो ग्रेडों

एल-2 और एफ-2 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 29.00 रु. प्रति किलोग्राम और 27.00 रु. प्रति किलोग्राम है। वर्ष 2002-2003 के लिए एफसीवी तंबाकू के लिए कीमत संबंधी नीति अभी घोषित की जानी है।

कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सी.ए.सी.पी.) तंबाकू के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) की सिफारिश तम्बाकू के किसानों और केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के साथ परामर्श करने के बाद करता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण सी.ए.सी.पी. की सिफारिश और संबंधित राज्य सरकारों के विचार पर विचार करने के पश्चात् किया जाता है। तंबाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी सी.ए.सी.पी. द्वारा विधिवत् जांच की जाएगी।

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

4985. श्री अमर राय प्रधान : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय के अधीन मंत्रालय/विभागों में कितने अधिकारी और कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके नाम और पदों का वर्षवार/कार्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उचित नौकरी प्रदान की गई है;

(ग) उन मृतक कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अभी तक नौकरी प्रदान नहीं की गई हैं; और

(घ) मृतक अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कब तक नौकरी प्रदान कर दी जाएगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में सेवाकाल के दौरान निधन हुए अधिकारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1999	–	श्री ए. बसु, वरिष्ठ अन्वेषक, लोक उद्यम विभाग।
2000	–	शून्य
2001	–	श्री ए.के. महतो, उ.श्रे. लिपिक (भारी उद्योग विभाग में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर कार्यरत)

(ख) से (घ) श्री ए. बसु और श्री ए.के. महतो का कोई योग्य आश्रित नहीं है जिसे अनुकम्पा आधार पर नौकरी दी जा सके।

जापान से सरकारी विकास संबंधी सहायता

4986. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जापान से सरकारी विकास संबंधी मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर भारत सरकार और जापान के बीच कोई वार्ता हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में नीतिगत वार्ता हेतु एक उच्चस्तरीय जापानी मिशन ने भारत का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो दौरे के क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने मार्च, 2002 के दौरान जापान सरकार द्वारा तैनात ओडीए मिशन के साथ नीतिगत बातचीत के पश्चात नए प्रस्तावों के लिए ऋण और अनुदान सहायता मांगी है। जापान सरकार सहायता के नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। ऋण और अनुदान सहायता के नए प्रस्तावों को संबंधित कार्यक्षेत्र के मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद प्राथमिकता दी गई थी और इन्हें अब जापान सरकार के समक्ष रख दिया गया है।

आर्थिक विकास की गति का धीमा पड़ना

4987. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री शशि कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और ग्रेटर मैसूर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से आर्थिक विकास की धीमी गति के मद्देनजर उद्योग के प्रति उदार होने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग क्षेत्र मंदी और विश्व व्यापार संगठन तथा भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण संघर्ष से जूझ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अधिक राजस्व अर्जन हेतु अनुसंधान और विकास, उत्पादन और विपणन के लिए उचित समय होने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार उनके सुझावों पर किस हद तक सहमत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अपने बजट पूर्व ज्ञापन में कर्नाटक लघु उद्योग संगठन और द ग्रेटर मैसूर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री ने अपने विभिन्न आधारों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरों में कुछ रियायतों के लिए अनुरोध किया था।

(ख) यद्यपि लघु उद्योग क्षेत्र में वृद्धि की दर में कमी आई है, इसे पूरी तरह विश्व व्यापार संगठन और भूमण्डलीकरण के प्रभाव के कारण ही सम्भाव्य नहीं माना जा सकता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई प्रतीत होती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सिविल सेवा के अधिकारी

4988. श्री सुनील खां : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सेवा के कितने अधिकारियों और नौकरशाहों ने पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और विश्व बैंक में काम किया है;

(ख) कितने मंत्रियों ने पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में कार्य किया है;

(ग) क्या मंत्रियों, अधिकारियों और नौकरशाहों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से पेंशन मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार उन्हें कितनी धनराशि की पेंशन प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) "अधिकारियों" तथा "नौकरशाहों" की सुस्पष्ट परिभाषा के अभाव में तथा साथ ही "केन्द्रीय सेवाओं" में प्रवेश से पहले सेवा संबंधी रिकार्डों के रख-रखाव न होने से, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में सेवा देने वाले "अधिकारियों" की सही संख्या बताना संभव नहीं है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, ऐसे 29 अधिकारी हैं, जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में प्रतिनियुक्त किया गया है/सेवा करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(ख) सरकार ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रख रही है।

(ग) और (घ) बैंक/फंड स्टाफ नियमों के अनुसार सदस्य सरकार को छोड़कर कर-प्रयोजनों हेतु पेंशन सूचना जारी नहीं की जा सकती और संबद्ध स्टाफ की सम्मति के बिना बीमांककों से परामर्श नहीं किया जा सकता।

वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति

4989. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृद्ध व्यक्तियों के एक निकाय वरिष्ठ नागरिक मंच ने सरकार से वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति को पूरी तरह लागू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नीति को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो नोडल एजेंसी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को एजेंसी की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में 22 मंत्रालय और सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, विभिन्न गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

(च) वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: मंत्रालय द्वारा देश में 391 वृद्धावस्था गृहों, 469 दिवा देखभाल केन्द्रों, 83 सचल चिकित्सा ईकाइयों और 2 गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए 609 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, प्रत्येक निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को प्रत्येक माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न दिया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अस्पतालों में अलग पंक्तियों की व्यवस्था करने का परामर्श दिया गया है। 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए और शिकायत निवारण में प्राथमिकता दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल और हवाई यात्रा के लिए रियायती किराये की अनुमति दी गई है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक वृद्ध व्यक्तियों की जमा धनराशियों पर उच्च ब्याज दे रहे हैं। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान जरावस्था देखभाल में लगे गैर-सरकारी संगठन के कर्मियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

वानिकी परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

4990. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वानिकी परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन परियोजनाओं हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) इस समय विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त दो वानिकी परियोजनाएं अर्थात् उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल वानिकी परियोजना और केरल वानिकी परियोजना उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और केरल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। 35 वर्ष की परिपक्वता अवधि (10 वर्ष की छूट अवधि सहित) वाली ये ब्याज-मुक्त निधियां विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं के लिए मानक आईडीए शर्तों पर दी गई हैं जिनमें 0.5 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर क्रमश: वचनबद्धता और सेवा प्रभार शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त वानिकी परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल और केरल राज्यों के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई निधियां निम्नानुसार हैं:

राशि (मिलियन अमरीकी डालर)

	1999-00	2000-01	2001-02
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	6.686	7.329	8.986
केरल	4.746	5.795	3.044

केन्द्रीय भण्डारण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि

4991. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से केन्द्रीय भण्डारण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय भण्डारण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

4992. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में 11.60 लाख एकड़ भूमि हेतु जल प्रदान करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने हेतु विश्व बैंक से 8000 करोड़ रुपये की सहायता का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नवरत्नों और मिनी नवरत्नों का कार्य-निष्पादन

4993. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2002 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नवरत्नों और मिनी नवरत्नों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के नवरत्न व मिनीरत्न उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की रूप रेखा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 में विस्तार से दी गई है, जिसे 7.3.2002 को सभा पटल पर रखा गया था। सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के नवरत्न व मिनीरत्न उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष 2000-2001 के कार्य-निष्पादन की संक्षिप्त रूप रेखा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों के मामले में 'सेल' के अलावा अन्य सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम लाभ में थे तथा मिनी रत्नों के मामले में सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रमों ने घाटा दर्शाया था।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार नवरत्न कंपनियों की रूपरेखा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल कारोबार	निवल लाभ	एनपी/ सीई(%)	कर्मचारियों की संख्या	निवल मूल्य	सीई के % के रूप में एनडब्ल्यू
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	245	4556	6348	313	6.86	51808	3602	79.06
2.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	300	6248	45932	820	13.13	12670	4079	65.29
3.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	846	6897	10059	1126	16.33	3264	5480	79.45
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	339	8964	48567	1088	12.14	11549	6485	72.35
5.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.	779	28418	113327	2720	9.57	32266	15804	55.61
6.	इण्डियन पेट्रोलियम कारपो. लि.	249	7219	5818	249	3.45	13731	3138	43.47
7.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	630	10414	5785	1540	14.79	61104	8348	80.17
8.	नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.	7813	27809	19065	3734	13.43	23978	25812	92.82
9.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	1426	31532	23640	5229	16.58	40226	30148	95.61
10.	स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि.	4130	16745	16400	-729	-4.35	156721	4165	24.87
11.	विदेश संचार निगम लि.*	285	5981	7298	1779	29.74	2991	6589	110.16

*2001-02 में विनिवेश के बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं रहा।

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार मिनीरत्न-I कंपनियों की रूपरेखा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल कारोबार	निवल लाभ	एनपी/ सीई(%)	कर्मचारियों की संख्या	निवल मूल्य	सीई के % के रूप में एनडब्ल्यू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारत डायनामिक्स लि.	115	295	164	49	16.59	3178	294	99.59
2.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	80	641	1715	155	24.22	14177	623	97.2
3.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स	200	521	1255	-57	-11.03	1826	556	106.77
4.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	68	650	262	73	11.29	8579	718	110.49
5.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपो. लि.	149	2250	7133	122	5.44	1718	1234	54.84
6.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	65	724	1075	217	29.93	687	776	107.26
7.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	28	523	416	109	20.78	1064	437	83.46
8.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.	56	523	973	124	23.70	3606	713	136.47
9.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर)	355	1251	1733	-152	-12.15	7198	423	33.8
10.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	121	1175	2447	244	20.74	32642	1015	86.41
11.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	83	218	253	16	7.43	1457	216	99.21
12.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	67	480	408	-39	-8.13	2170	198	41.19
13.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	423	1035	1613	169	16.35	10611	1160	112.10
14.	आई.बी.पी. कंपनी लि.	22	724	8388	54	7.49	2626	369	50.99
15.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	68	161	296	-35	-22.00	7469	186	115.61
16.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	5	353	774	66	18.58	1808	495	140.22
17.	कोच्चि रिफाइनरीज लि.	138	2101	7138	109	5.21	1988	1362	64.79
18.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.	635	894	583	59	6.54	2290	1033	115.51
19.	एमएमटीसी लि.	50	821	5338	12	1.51	2456	562	68.39
20.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	644	2381	2406	656	27.55	6515	3572	150.07
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	491	2308	2809	27	1.18	6602	1407	60.95
22.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	132	784	1015	235	29.98	6358	1126	143.65
23.	ऑयल इण्डिया लि.	214	2994	1976	467	15.61	9980	3077	102.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	विद्युत वित्त निगम	1030	722	1898	604	83.67	272	4706	651.72
25.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	2906	11117	2485	742	6.68	6877	6606	59.42
26.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	552	1867	2092	65	3.48	5408	1367	73.2
27.	भारतीय नौवहन निगम लि.	282	3138	2995	383	12.19	1478	2187	69.71
28.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	30	443	1078	27	6.02	1224	421	95.02
29.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.	7	348	755	59	16.89	642	332	95.59

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार मिनीरत्न-II कंपनियों की रूपरेखा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल कारोबार	निवल लाभ	एनपी/ सीई(%)	कर्मचारियों की संख्या	निवल मूल्य	सीई के % के रूप में एनडब्ल्यू
1.	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.	1	9	58	1	11.49	99	9	100.00
2.	फैरो स्क्रेप निगम लि.	2	109	79	12	10.63	1312	110	110.91
3.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	0	33	46	0	0.91	82	20	61.68
4.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम	0	14	10	8	55.25	100	14	100.73
5.	इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स लि.	1	2	3	0	1.68	130	2	93.70
6.	एमएसटीसी लि.	2	125	336	4	3.04	287	58	46.49
7.	मैगनीज ओर (इण्डिया) लि.	15	100	165	20	20.01	7761	102	101.98
8.	मेकॉन लि.	2	117	274	-51	-43.95	2853	55	47.13
9.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	14	20	67	3	16.35	241	20	99.26
10.	पीईसी लि.	2	88	1729	3	2.93	219	22	25.53
11.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स	1	8	32	0	3.38	173	4	56.53
12.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज	2	22	42	5	24.00	393	27	122.06

आयकर विभाग के पुनर्गठन का प्रभाव

4994. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में आयकर विभाग के पुनर्गठन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर विभाग के पुनर्गठन से प्रत्येक्ष करों की अधिक वसूली में सहायता प्राप्त होने की संभावना है। तथापि, पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों की वसूली में वास्तविक वृद्धि का कोई आकलन सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) फरवरी, 2002 तक संग्रहण की लागत की तुलना पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि के आंकड़ों के साथ करने पर संग्रहीत प्रति रुपए लागत (पैसे) के साथ-साथ संग्रहण की लागत में मामूली वृद्धि का पता चलता है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

अवधि	प्रत्यक्ष कर संग्रहण (करोड़ रुपये में)	संग्रहण की लागत (करोड़ रुपये में)	संग्रहीत प्रति रुपए लागत (पैसा)
1.4.2000 से 28.2.01 तक	49941	792.64	1.58
1.4.2001 से 28.2.02 तक	49953	823.83	1.64

उपभोक्ता संरक्षण परिषद

4995. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करने का अनुरोध किया है जैसाकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार को एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करना अभी शेष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विलंब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन 17.3.1999 को किया गया था तथा 14 मार्च, 2002 को उसका पुनर्गठन किया गया है।

[हिन्दी]

हथकरघा विकास निगम

4996. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों के हथकरघा विकास निगमों ने केन्द्र सरकार से काष्ठ शिल्प, ताम्र और शीशे की वस्तुओं के विकास, हस्तनिर्मित कालीन, साड़ी बनाई और मिट्टी के बरतनों इत्यादि के कार्य से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) हथकरघा के विकास हेतु कुशल और अकुशल कामगारों और कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं अस्तित्व में हैं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) और (ख) कर्नाटक हथकरघा विकास निगम ने दिशानिर्देशों के साथ पुष्टि हेतु राज्य सरकार के माध्यम से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के नाम से हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए तथा निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान प्रस्ताव भेजे थे। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान इन प्रस्तावों पर क्रमश: दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की राशि तथा निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनके विपणन के अन्तर्गत 7.95 लाख रुपये की राशि जारी की। काष्ठ शिल्प, ताम्र, शीशे की वस्तुओं, हस्तनिर्मित कालीन, और मिट्टी के बर्तन आदि के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था क्योंकि हथकरघा विकास योजना में सहायता के लिए इन हस्तशिल्प मदों को शामिल नहीं किया जाता।

तथापि राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम हस्तशिल्पों के विकास के लिए सहायता की मांग करती है। हस्तशिल्प क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में जारी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हथकरघा बुनकरों के लिए संशोधित विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त यह मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए अनेक प्लान योजनाऐं क्रियान्वित करता रहा है। इन योजनाओं में से 9वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान किये गए हैं:-

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
2. निर्यात योग्य उत्पादों का विकास तथा उनकी विपणन योजना
3. कार्यशाला-सह-आवास योजना
4. स्वास्थ्य पैकेज योजना
5. समूह बीमा योजना
6. थ्रिफ्ट निधि योजना

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प विकास निगम का नाम	जारी की गई राशि 2000-01
1.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम	9.26500
2.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम	72.76000
3.	मिजोरम	मिजोरम हथकरघा व हस्तशिल्प विकास निगम लि.	22.03000
4.	मेघालय	मेघालय हथकरघा व हस्तशिल्प विकास निगम लि.	1.20000
5.	नागालैण्ड	नागालैण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास निगम	28.95000
6.	त्रिपुरा	त्रिपुरा हथकरघा व हस्तशिल्प विकास निगम	49.12000
	कुल		183.32500

[अनुवाद]

सांभर साल्ट लिमिटेड

4997. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड में 74 प्रतिशत तक की ऑफलोड इक्विटी के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोगी की संभावना का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो शेष 26 प्रतिशत इक्विटी में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सांभर साल्ट लिमिटेड की मौजूदा परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) इस साल्ट लिमिटेड को संयुक्त उद्यम कंपनी में हस्तांतरण की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सांभर साल्ट्स लि. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। सांभर साल्ट्स लि. में 60% इक्विटी हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. के पास है और शेष राजस्थान सरकार के पास है। सरकार सांभर साल्ट्स लि. में इक्विटी को (ऑफ लोड) कम करने के लिए संयुक्त उद्यम के गठन की संभावना का पता लगा रही है। कंपनी की परिसंपत्तियों और देयता के मूल्यांकन तथा हस्तान्तरण की विस्तृत शर्तों के बारे में निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

शून्य आधारित बजट

4998. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शून्य आधारित बजट को तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 51 मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा आयोजना स्कीमों, केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, दोनों की समीक्षा की गई है। इन स्कीमों को शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था के अधीन रखा गया है ताकि दसवीं योजना में केवल उन्हीं स्कीमों को बनाये रखा जा सके जो अत्यधिक आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया से स्कीमों को उन पर और अधिक ध्यान देकर तर्कसंगत बनाने तथा डिलीवरी प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने में मदद मिलेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ लक्ष्य वर्ग तक पहुंचे।

सेवा कर अधिनियम, 1994

4999. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेवा कर अधिनियम, 1944 जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक केन्द्र सरकार को इससे कितने राजस्व की हानि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सेवा कर, वित्त अधिनियम, 1994 के उपबंधों के द्वारा लागू किया गया है (और न कि किसी सेवा कर अधिनियम, 1994 द्वारा)। नीतिगत मामले के अनुसार सेवा कर उपबंधों को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है।

(ग) चूंकि यह एक सोच-समझ कर लिया गया निर्णय था कि सेवा कर कानून को जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू न किया जाए, अत: इसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार की राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात

5000. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में आयात हेतु किन-किन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विशेष कारणों हेतु भारत में ऐसे कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेष कारणों के अंतर्गत आयात हेतु योजना की समीक्षा की है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसी आयातित वस्तुओं के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) आयात हेतु निषिद्ध मदों के नाम निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में उपलब्ध है। निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) से (च) वन्य जीव ट्रॉफियों के आयात हेतु आयात लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित अनुरोधों पर प्रतिबंधित आयात लाइसेंसिंग समिति/निर्यात सुविधा समिति (एक अंतर-मंत्रालयी समिति जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं) ने अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक की अवधि के दौरान हुई अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया है और उसकी सिफारिशों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की लिखित सिफारिशों, राज्य के मुख्य वन जीव वार्डन की निकासी निर्यातक देश के उच्चायोग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर सात आवेदकों को वन्य जीव ट्रॉफियों के 68 नगों के आयात हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इन अनुमतियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कंप्यूटरीकरण

5001. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कितने ग्रामीण बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और इनमें से कितने का कंप्यूटरीकरण किया जाना शेष है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी ग्रामीण बैंकों का कम्प्यूटरीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सभी प्रायोजक बैंकों को सलाह दी है कि प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) की 50% शाखाओं को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीकों से कम्प्यूटरीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने सभी प्रायोजक बैंकों को सलाह दी है कि वे प्रत्येक आर.आर.बी. की वित्तीय स्थिति, उसके कमान क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं तथा उनकी शाखाओं की व्यापारिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार कम्प्यूटरीकरण योजना तैयार करें। इसके अनुसार प्रत्येक आर.बी. की अलग-अलग योजना/स्कीम को प्रायोजक बैंकों द्वारा अंतिम रूप देते हुए उसे कार्यान्वित किया जाना है।

रेशम का आयात

5002. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 के बीच कितनी प्रमात्रा में रेशम का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने रेशम के आयात हेतु कोई गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आयात किया जा रहा रेशम इस उद्देश्य हेतु जारी किये गए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के अनुसार है अथवा घटिया किस्म के रेशम के आयात को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) इस समय, जनवरी के अंत तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। अप्रैल-जनवरी, 2002 अवधि के दौरान, अपरिष्कृत रेशम का आयात अनंतिम तौर पर 5081 टन सूचित किया गया है।

(ख) से (घ) 31.3.2001 तक, अपरिष्कृत शहतूती रेशम का केवल श्रेणी 2-ए और उससे ऊपर के आयात की अनुमति विशेष आयात लाइसेंस (एस.आई.एल.) के अंतर्गत दी गयी थी। 1.4.2001 से, रेशम का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत है तथा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र की कोई शर्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

(ङ) घटिया रेशम के आयात के संबंध में कोई शिकायत इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

चीनी विकास कोष

5003. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ चीनी मिलों ने इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी विकास कोष से ऋण के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु चीनी विकास कोष के पास कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ग) क्या ऋण हेतु सभी आवेदनों, विशेषकर महाराष्ट्र से प्राप्त होने वाले आवेदनों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के मौजूदा उपबंधों में इथानोल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण प्रदान करने हेतु राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। तद्नुसार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अधीन बनाई गई चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में फिलहाल ऐसे प्रयोजनों के लिए ऋण देने की व्यवस्था नहीं है।

सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। इस संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ एल्कोहल से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथानोल का उत्पादन करने के लिए किसी चीनी फैक्ट्री अथवा उसकी किसी यूनिट को ऋण देने हेतु चीनी विकास निधि का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है ताकि चीनी फैक्ट्री अथवा उसकी यूनिट की व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

कुछ चीनी फैक्ट्रियों ने इस मंत्रालय को इथानोल के उत्पादन की अपनी परियोजना और चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता हेतु अपनी आवश्यकता के बारे में सूचित किया है। तथापि, फिलहाल चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास

निधि नियमावली, 1983 के अधीन चीनी विकास निधि से ऐसी गतिविधि के लिए वित्त पोषण करने का प्रावधान नहीं है।

बेसहारा बच्चों के लिए गैर-सरकारी संगठन

5004. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेसहारा बच्चों के कल्याण में सक्रिय कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने गत तीन वर्षों के दौरान उनको प्रदान की गई वित्तीय सहायता का दुरूपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सरकारी धनराशि का दुरूपयोग किया है; और

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में हैं जहां अनुदानग्राही संगठन को निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए निर्मुक्त अनुदान का दुरूपयोग करते हुए पाया गया। इन संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन सभी मामलों में चूककर्ता संगठन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तथा आगे सहायता अनुदान की निर्मुक्ति रोक दी जाती है। उन्हें काली सूचीबद्ध करने के लिए भी कार्रवाई की जाती है। सरकारी अनुदानों से सृजित की गई सम्पत्तियों की वसूली तथा राज्य सरकारों के माध्यम से निधियों की वसूली की जाती है।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें सहायता अनुदान रोक दिया गया है अथवा जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूचीबद्ध किया गया है

क्र.सं.	संगठन का नाम और पता
1	2
1.	युवजन विकलानुला समक्षेम संगम, कुमार पालेम रोड, विनुकोंडा, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश।
2.	जिला विकलांगुला संगम, दक्षिणम बाजार, वेनुकोंडा, गुंटूर, आंध्र प्रदेश।
3.	नवोदय सेवा संगम, मकान नं. 10-107, नेताजी रोड, जदचेरला, महबूब नगर, आंध्र प्रदेश।
4.	लर्निंग इन दि फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, फ्लैट नं. 302, रॉकी अपार्टमेंट, वेंकटरेड्डी कालोनी, सिख कालोनी, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश।
5.	बागिनी निकेतन, 10, तुलसी मार्ग, बाग कालोनी, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद, गुजरात।
6.	अवध संस्थान, रामघाट, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।

केरल में निवेश की स्थिति

5005. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ और विश्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, अन्य राज्यों की तुलना में केरल में निवेश की स्थिति अधिक बुरी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट में केरल में निवेश की स्थिति बुरी होने के लिए क्या-क्या कारण जिम्मेदार बताए गये हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) "भारतीय विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता-फर्म स्तरीय अध्ययन के परिणाम" पर विश्व बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन के अनुसार, निवेश वातावरण की दृष्टि से गुजरात और महाराष्ट्र सर्वोत्तम समझे जाने वाले राज्य हैं, इस क्रम में दूसरे स्थान पर (अच्छे) हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य; तीसरे स्थान पर (मध्यम) हैं दिल्ली और पंजाब राज्य तथा इस सूची में सबसे नीचे हैं केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य।

इस रिपोर्ट में खराब निवेश वातावरण के लिए उल्लिखित राज्यों में जिन मुख्य कारणों की पहचान की गई है, वे हैं - घटिया अवसंरचनात्मक सुविधाएं, सरकारी अधिकारियों के साथ विनियामक मुद्दों पर खर्च किया जा रहा अत्यधिक प्रबंध समय, अपर्याप्त पत्तन सुविधाएं, सीमा शुल्क गृहों (कस्टम हाउसों) में होने वाले अपेक्षाकृत अधिक विलंब, बिजली की अत्यधिक लागत, आदि।

राज्यों में अच्छे निवेश का वातावरण तैयार करने सहित औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की ही होती है। भारत सरकार द्वारा अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभायी जाती है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों का कल्याण

5006. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीस-सूत्रीय कार्यक्रम में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कमजोर वर्गों और बेरोजगार व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी विकास तथा कल्याण-कार्यों को प्रणालीबद्ध तरीके से पुन: सुसंगठित करके क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक पदार्थों की तस्करी

5007. डा. चरण दास महंत :
श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में तालिबान शासन ढ़हने के पश्चात्, दिल्ली और हरियाणा स्वापक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के केन्द्र बन गए हैं;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली और हरियाणा में करोड़ों रु. मूल्य के स्वापक पदार्थ बरामद किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितने अभियुक्तों को पकड़ा तथा दण्डित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वापक पदार्थों के व्यापार को पूरी तरह समाप्त कर देने के लिए की गई कठोर कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने और अन्य देशों के साथ अच्छे हवाई सम्पर्क होने के परिणामस्वरूप दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार, जो कि एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, के लिए संवेदनशील क्षेत्र बन गए हैं, विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंन्सियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2002 के दौरान स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थों की जब्ती में वृद्धि होने का पता नहीं चलता है।

(ख) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002 (मार्च तक) के दौरान दिल्ली में 15.80 कि.ग्रा. अफीम, 21.76 कि.ग्रा. हेरोइन, 32.75 कि.ग्रा. गांजा और 36.99 कि.ग्रा. हशीश जब्त की गई है और हरियाणा में 41.48 कि.ग्रा. अफीम, 0.04 कि.ग्रा. हेरोइन, 6.80 कि.ग्रा. गांजा और 13.87 कि.ग्रा. हशीश जब्त की गई है। सभी जब्त की गई स्वापक औषधियों को नष्ट किया जा सकता है और किसी का भी कोई प्रामाणिक बाजार मूल्य मौजूद नहीं है। अत: उपर्युक्त जब्त की गई स्वापक औषधियों का मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

(ग) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002 (मार्च तक) के दौरान दिल्ली और हरियाणा में स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमश: 118 और 60 है। सभी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दण्ड दिया जा सकता है।

(घ) स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। इनमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, भारत-पाक सीमा पर बाड़ एवं फ्लड लाइटिंग लगाना, स्वापक औषधियों का निषेध करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षाबल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों जैसे कि ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफिड्राइन आदि को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित

पदार्थों'' के रूप में अधिसूचित करना, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकें करना, भारतीय और पाकिस्तानी स्वापक-रोधी एजेंसियों की आवधिक द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा म्यांमार को कुछ सहायता प्रदान करना शामिल है।

गोदामों में सड़ता गेहूं

5008. श्री राजो सिंह:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान कीटों तथा घुन आदि के कारण सरकारी गोदामों में रखा गेहूं भारी मात्रा में खराब हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में असावधानी बरतने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं सहित खाद्यान्नों का परिरक्षण और रखरखाव वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और कीटजन्तु बाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपचार किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों को क्षति हुई पाई जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बेसहारा बच्चे

5009. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में बेसहारा बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम को कब शुरू किया गया;

(ख) क्या कर्नाटक में बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम संचालित कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान-सहायता मंजूर की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान कर्नाटक में काम कर रहे कितने गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान राशि मंजूर की गई;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम को कर्नाटक के बेल्लारी जिले में चलाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) कर्नाटक में यह कार्यक्रम वर्ष 1993-94 के दौरान शुरू किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक में बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम को चलाने के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान तीन गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत किया गया था जबकि चार गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान स्वीकृत किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक और व्यापारिक लेनदेन में यंत्रांकित (डिजिटल) हस्ताक्षर

5010. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक और व्यापारिक लेनदेन में यंत्रांकित (डिजिटल) हस्ताक्षर का चलन शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ग) इस सुविधा के शुरू होने से कंप्यूटर और इंटरनेट-उपयोगकर्ता कहां तक लाभान्वित होंगे; और

(घ) इस प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) डिजिटल हस्ताक्षर भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफआईएनईटी) के भाग के रूप में बैंकों के बीच संचारित इलेक्ट्रॉनिक संदेश का हिस्सा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के परिणामस्वरूप, इन्फीनेट तथा जहां कहीं इलेक्ट्रॉनिक/चुम्बकीय माध्यम में निधियों से संबंधित आंकड़े विद्यमान हैं, पर आदान-प्रदान किए गए वित्तीय संदेशों पर आमतौर पर ये लागू होंगे।

भारत सरकार के प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक द्वारा एक बार इसे अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात् बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

(ग) यह उन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए लाभदायक होगा जो निधियों पर आधारित संदेशों का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं। जहां तक इंटरनेट आधारित कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं का संबंध है, उन्हें अन्य प्रमाणन एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना पड़ता है।

(घ) इन्फीनेट के लिए, सुरक्षा आईडीआरबीटी के विन्यासित वित्तीय संदेश सोल्यूशन (एसएफएमएस) का हिस्सा होगी। ऐसे प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष होंगे।

[हिन्दी]

बैंक-डकैतियां

5011. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 के दौरान बैंक-डकैती की कितनी घटनाएं हुई और उनमें लुटने वाले बैंक-ग्राहकों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इन बैंक-डकैतियों से प्रत्येक बैंक को हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2001 के दौरान बैंकों द्वारा लूट-पाट/डकैतियों की 113 घटनाओं की सूचना दी गई थी। बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार ऐसी घटनाओं के समय डकैतों द्वारा किसी ग्राहक को नहीं लूटा गया था।

(ख) डकैतियों के कारण बैंकों द्वारा उठाई गई हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001 के दौरान लूट-पाटों/डकैतियों के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाई गई हानियों के राज्य-वार ब्यौरे

(राशि लाख रु. में)

1. सरकारी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	राज्य/बैंक का नाम	पंजाब नेशनल बैंक	यूनाइटेड बैंक	इलाहाबाद बैंक	स्टेट बैंक	यूको बैंक	इंडियन बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	सिंडीकेट बैंक	ओरियंटल बैंक	केनरा बैंक	विजया बैंक	कार्पोरेशन बैंक	देना बैंक	यूनियन बैंक	पंजाब सिंध बैंक	सेन्ट्रल बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	असम	0.35	9.97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	बिहार	55.08	–	15.34	12.09	13.58	1.07	0.58	22.64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	चंडीगढ़	1.91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	दिल्ली	2.00	–	–	5.00	–	–	–	–	–	–	–	---	–	–	–	–	
6.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	8.86	–	–	1.19	–	–	–	–	–	3.00	5.00	–	–	–	–	–	–
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3.85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	8.23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	2.21	–	–	–	–	7.07	1.96	1.92	–	–	–
11.	मध्य प्रदेश	–	–	2.05	1.21	4.04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.35	–	–
12.	उड़ीसा	–	6.27	–	4.78	9.28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	पंजाब	9.00	–	–	–	–	–	–	–	–	1.16	–	–	–	–	–	7.1	–
14.	उत्तर प्रदेश	6.42	–	4.76	15.5	–	–	4.4	–	4.05	–	6.00	–	–	–	1.00	–	–
15.	उत्तरांचल	15.00	–	–	–	–	–	0.84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	8.85	30.37	2.94	0.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.43
17.	झारखंड	2.08	–	6.94	8.84	–	–	3.45	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	113.4	46.61	32.03	48.96	26.9	9.30	20.78	28.44	4.05	4.16	11.00	7.07	1.96	1.92	1.35	7.1	1.47

2. गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

क्र.सं.	राज्य/बैंक का नाम	वैश्य बैंक लि.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक लि.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
1.	दिल्ली	3.87	–	–	–
2.	जम्मू एवं कश्मीर	–	4.21	–	–
3.	महाराष्ट्र	–	–	–	20.00
4.	तमिलनाडु	–	–	6.90	–
	कुल	3.87	4.21	6.90	20.00

[अनुवाद]

बागान उद्योग के विकास पर व्यय

5012. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में चल रहे चाय, कॉफी, मसाला तथा तम्बाकू उद्योगों के विकास पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) दक्षिणी राज्यों में भी इन उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) चाय और कॉफी के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

चाय

पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्र तथा कारखाना से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण तथा इमदाद का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	पूर्वोत्तर		दक्षिण भारत		प. बंगाल	
	ऋण	इमदाद	ऋण	इमदाद	ऋण	इमदाद
1999-2000	530.31	384.71	52.28	143.24	451.51	18.79
2000-2001	299.13	774.32	59.70	97.32	306.15	29.61
कुल		1159.03	111.98	240.56	757.66	48.40

पिछले दो वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए इमदाद का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

वर्ष	पूर्वोत्तर	दक्षिण भारत	प. बंगाल और सिक्किम
1999-2000	92.67	29.85	-
2000-2001	193.01	21.02	5.45
कुल	285.68	50.87	5.45

कॉफी

(रु. लाखों में तथा क्षेत्र हैक्टेयर में)

राज्य	2000-2001		2001-2002	
	लाभान्वित क्षेत्र	शामिल राशि	लाभान्वित क्षेत्र	शामिल राशि
कर्नाटक	700	114.00	915	127.00
केरल	68	13.00	51	4.00
तमिलनाडु	26	29.00	43	5.00

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों को विकास सहायता संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार है:

(राशि लाख रु. में और क्षेत्र हेक्टेयर में)

प्रयोजन	2000-2001		2001-2002	
	क्षेत्र	राशि	क्षेत्र	राशि
विस्तार	526	25.45	1168	73.00
चकबंदी	1120	66.44	14	0.80
गुणवत्ता उन्नयन	16 इकाईयां		3 इकाईयां	0.51

चाय

सरकार/चाय बोर्ड द्वारा दक्षिणी राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों में चाय उद्योग के विकास हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। सहायता उपायों में शामिल हैं—चाय के क्षेत्र का विस्तार, पुराने तथा अलाभकारी खंड का पुनर्रोपण, चाय के कारखानों में पुरानी तथा जीर्ण-शीर्ण मशीनरी को बदल कर गुणवत्ता में सुधार लाना, सिंचाई सुविधाओं का सृजन करना, लघु उपजकर्त्ताओं को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान तथा विकास सहायता, चाय के लघु उपजकर्त्ताओं के लिए चाय की खेती के आधुनिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना आदि।

कॉफी

सरकार/कॉफी बोर्ड ने अपनी योजना स्कीमों के तहत कॉफी उद्योग का संवर्धन करने तथा उसे सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न विकासात्मक उपाय किये हैं। तीनों कॉफी उत्पादक राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एक अनन्य लघु क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वित की गई है जिसमें जल संवर्धन क्रियाकलापों और उत्पादित कॉफी की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए फार्म स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

जहां तक मसाला तथा तम्बाकू उद्योग का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गैर-बैंककारी कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

5013. श्री मानसिंह पटेल:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंककारी कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान किन-किन गैर-बैंककारी कर्मचारियों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले प्रकाश में आए; और

(घ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां ठोस आधार के साथ सही तरीके से कार्य करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, आरक्षित निधि में निवल लाभ के कम से कम 20 प्रतिशत का अंतरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अधीन जारी निदेशों की अवहेलना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भ्रष्ट गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कम्पनी विनियमन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा स्थायी वित्त समिति के पास भेजा गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे पिछले दो वर्ष के दौरान देश में परिचालन कर रही गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ियों की जानकारी नहीं है। यद्यपि, जमाकर्ताओं की कुछ शिकायतें रही हैं क्योंकि कुछ गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां ने चलनिधि समस्याओं के कारण जमाराशियों के भुगतान में चूक की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा गुजरात के लिए अनुदान

5014. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा गुजरात सरकार को पंचायती राज हेतु अनुदान सहायता मिलने का समय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुदान राशि को जारी कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक जारी किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने गुजरात राज्य के लिए 2000 से 05 तक की अवधि हेतु 69.61 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान देने की सिफारिश की थी। स्थानीय निकायों के अनुदानों के उपयोग हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकायों की अनुदान राशि उन्हें राज्यों को जारी की जाएगी, जिन्होंने स्थानीय निकायों के नियत चुनावों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में यदि कोई विलम्ब होता है, तो समानुपातिक रूप से धनराशि काट ली जाएगी। चूंकि गुजरात में पंचायती चुनाव दिसम्बर, 2001 में ही हुए हैं, इसलिए यह राज्य सरकार वर्ष 2000-01 के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान की पात्र नहीं है।

वस्त्र उद्योग में अनुसंधान एवं विकास

5015. श्री पी.आर. किन्डिया:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के नये युग में वस्त्र क्षेत्र की विदेशी प्रतियोगी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य पर अधिक जोर देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वदेशी वस्त्र उद्योगों, जिनकी दशा वर्तमान में अपेक्षतया शोचनीय है, का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में वस्त्र क्षेत्रगत अनुसंधान पर कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या यह राशि विश्व के अन्य देशों में इस क्षेत्र पर खर्च की जाने वाली धनराशि की तुलना में कमतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार स्वदेशी फैब्रिक से निर्मित परिधानों की डिजाइनों की प्रदर्शनियों/'फैशन शोज' को प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार रखती है ताकि जनता में 'स्वदेशी' परिधान के प्रति जागरूकता तथा अभिरुचि का प्रसार किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (छ) डब्ल्यू टी ओ के नये युग में विदेशी वस्त्र स्पर्धियों के खातों का सामना करने के लिए, अनुसंधान व विकास के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गयी है:

— अनुसंधान व विकास हेतु प्रमुख लक्ष्य समूह विकेन्द्रीकृत क्षेत्र (विद्युतकरघा, हथकरघा और प्रसंस्करण) होगा।

— दोष-रहित कपड़े का उत्पादन तथा अंत उत्पाद की इच्छित गुणवत्ता हेतु अत्युत्तम फिनिशिंग सुनिश्चित करने के लिए बुनाई तथा प्रसंस्करण क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास।

— वस्त्र उद्योग में इस क्षेत्र के उभरते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए निटिंग और गार्मेंटिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान व विकास।

— तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन और विकास।

— उत्पाद विकास।

— आशोधित अपशिष्ट बहिस्रावों से साल्ट प्राप्त करने सहित पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और बहिस्रावों का आशोधन।

— आयात के स्थान पर प्रौद्योगिकियों तथा उपकरण का विकास ताकि उन्हें घरेलू उद्योग के खरीदने लायक बनाया जा सके।

— ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, प्रक्रिया का आदर्शतम उपयोग आदि में लागत कमी प्रौद्योगिकी।

— गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग।

— वस्त्र मशीनरी में अनुसंधान व विकास।

— सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 1996-99 के दौरान अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और वस्त्र अनुसंधान पर सरकार के व्यय के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान की है:

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुसंधान व विकास पर कुल सरकारी व्यय	वस्त्र में अनुसंधान व विकास पर व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में वस्त्र में अनुसंधान व विकास पर व्यय
1996-97	106443	4769	4.48
1997-98	119120	5189	4.35
1998-99	148267	5459	3.68

सरकार विश्व के अन्य देशों की तुलना में वस्त्र अनुसंधान पर खर्च की गयी राशि से संबंधित आंकड़े नहीं रखती है। अत:, अन्य देशों से तुलना करना संभव नहीं है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र अनुसंधान संघों को विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र में लागत कम करने और फैब्रिक्स की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन में सुधार लाने, प्रदूषण कम करने, ऊर्जा का संरक्षण करने और अपशिष्ट का उपयोग करने, नयी प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के उद्देश्य से वस्त्र प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर वस्त्र उद्योग को परामर्श सेवाओं को देने तथा अनुसंधान करने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों (टी आर ए) को अनुदान सहायता देती रही है।

सरकार ने परिधान उद्योग के विभिन्न पहलुओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना की है। निफ्ट भारत तथा विदेश में भारतीय फैब्रिक और डिजायनरों का संवर्द्धन करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों और फैशन शो का आयोजन करती रही है।

राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान

5016. श्री रामजी मांझी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1993-94 के दौरान मऊ में राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एस.एस.टी.) की स्थापना करने का निर्णय किया गया था, जबकि सितम्बर, 2001 में प्रेक्षित आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र का पूर्व से स्थापित ऐसा ही एक अन्य संस्थान (राष्ट्रीय गन्ना संस्थान, कानपुर) 16.72 करोड़ रुपये का अनुत्पादक व्यय दर्शा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मऊ में उक्त संस्थान "एन.आई.एस.एस.टी." की स्थापना के क्या कारण थे; और

(ग) इस प्रकार के निरर्थक व्यय पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 1993-94 में उत्तर प्रदेश के मऊ में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य मुख्यत: पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों और चीनी उद्योग के तकनीशियनों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाना और इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादक किसानों तथा चीनी उद्योग को विस्तार सेवाएं प्रदान करना था। बाद में, यह निर्णय लिया गया था कि गन्ना प्रौद्योगिकी, चीनी, प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरिंग, औद्योगिक किण्वन और एल्कोहल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन पाठ्यक्रम लागू किया जाए और इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जाए।

केन्द्रीय मानीटरिंग समूह ने 27 जनवरी, 2002 को हुई अपनी बैठक में निम्नानुसार सिफारिश की थी:

"यद्यपि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में भवन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश किया जा चुका है लेकिन चूंकि यह संस्थान के रूप में पूर्णतया विकसित नहीं हुआ है इसलिए समूह इस संस्थान को समाप्त करने की जोरदार सिफारिश करता है और भूमि सहित भवन को किसी केन्द्रीय एजेंसी, जो इस क्षेत्र में भवन की तलाश कर रही हो, को अंतरित करने की सिफारिश करता है। यदि कोई ऐसा केन्द्रीय संस्थान रुचि नहीं लेता है तो विभाग को इन परिसम्पत्तियों को राज्य सरकार को अंतरित करने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए। यदि इस संस्थान द्वारा कोई विशेषज्ञता प्राप्त कार्य निष्पादित किया जाना हो तो उसे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर को सौंप दिया जाए, जिसकी चीनी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और चीनी उद्योग में नियोजन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की अच्छी प्रतिष्ठा है।

केन्द्रीय मानिटरिंग समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसम्पत्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित करने का मामला उठाया है ताकि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में सृजित परिसम्पत्तियों और इस पर हुए पूंजीगत खर्च का परिषद द्वारा लाभकारी उपयोग किया जा सके। कृषि और सहकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक निकाय है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में परिसम्पत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुपुर्दगी तथा उपयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपनी अनापत्ति भेज दी है।

उड़ीसा में कॉफी बागान

5017. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों में कॉफी के बागान लगाने शुरू किए गए हैं;

(ख) अब तक राज्य की कितने क्षेत्रफल भूमि पर कॉफी के बागान लगाये गये हैं;

(ग) क्या इनमें से कोई क्षेत्र अनुसूचित जिले की श्रेणी में आता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कॉफी की उत्पादन लागत कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) उड़ीसा राज्य में कॉफी की खेती के लिए 22,258 हैक्टेयर का अनुमानित क्षेत्र उपयुक्त पाया गया है। उड़ीसा के विभिन्न जिलों में काफी की खेती के अंतर्गत लाया गया कुल क्षेत्र निम्नानुसार है:

जिला	काफी के अंतर्गत क्षेत्र (है.)
कोरापुट	957.02
रायगादा	264.24
कालाहांडी	340.00
कंधामल	208.20
क्योंझर	12.08
गजापति	48.40
कुल	1829.94

उपरोक्त सभी कॉफी उत्पादक जिले अनुसूचित जिलों के अंतर्गत आते हैं।

(ङ) उड़ीसा में उत्पादित एवं उत्पादन के लिए उपयुक्त पायी गई कॉफी की प्रमुख किस्म अरेबिका है तथा अरेबिका की खेती में आने वाली लागत 62,500 रु. प्रति हेक्टेयर है जो 4 वर्ष की अवधि में होती है।

"दिल्ली निर्यातक संघ" की मांगें

5018. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के "पायनियर" समाचार पत्र में "डी.ई.ए. ऑस्क्स फॉर मोर इन्सेंटिव्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो "दिल्ली निर्यातक संघ" ने क्या-क्या मांगें रखी हैं; और

(ग) इन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली एक्सपोर्टस एसोसिएशन ने लघु क्षेत्र को दिए जाने वाले लाभों को और बढ़ाने और एसईजेड को उपलब्ध रियायतें लघु उद्योग क्षेत्र के कस्बों जैसे मुरादाबाद, आगरा, भदौही, सहारनपुर इत्यादि को भी प्रदान करने का सुझाव दिया है। एसोसिएशन ने डीईपीबी योजना को जारी रखने का स्वागत किया है और लम्बित शुल्क वापसी भुगतानों को क्लीयर करने की मांग की है। राजस्व विभाग शुल्क वापसी के लम्बित मामलों को क्लीयर करने के लिए शुल्क वापसी क्लीयरेंस ड्राइव आयोजित कर रहा है।

मनपसंद खाद्यान्न/चीनी पैकिंग

5019. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न/चीनी क्षेत्रों को सीमेंट और उर्वरक क्षेत्रों की तरह अपनी मनपसंद पैकिंग-सामग्री (जूट/जूट रहित) की खरीद के लिए पूरी स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सुविधाजनक बनाने हेतु जूट पैकेजिंग (सामग्री पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 और चीनी (पैकिंग तथा निर्माण) आदेश, 1970 में आवश्यक संशोधन जारी कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सरकार ने जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत खाद्यान्नों और चीनी के लिए अनिवार्य पैकिंग नामों का उत्तरोत्तर मन्दन के लिए एक रोड मैप तैयार करने के वास्ते कपड़ा मंत्री, कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री को शामिल करके एक अन्तर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो सरकार के विचाराधीन है।

उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर शुल्क की अप्राप्ति

5020. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर कम शुल्क लगाये जाने अथवा बिल्कुल न लगाये जाने या जालसाजी, धोखाधड़ी इत्यादि के चलते उत्पाद शुल्क की प्राप्ति न हो पाने और ऐसे ही अन्य कारणों की वजह से करोड़ों रुपये की राशि की वसूली नहीं हो पाई है, जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 11 के पृष्ट 56 (और आगे) पर उल्लेखित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारणों से कितनी धनराशि कब से फंसी पड़ी है और इस पर कितना ब्याज बनता है।

(ग) बकाया राशि की वसूली करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है और उनके विरुद्ध मंडल-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) महोदय, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) ने रिपोर्ट सं. 2002 की 11 के अध्याय-10 में धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि के कारण कम शुल्क अथवा शुल्क न लगाने के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली न किए जाने के कतिपय मामलों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट, जिसे 15 मार्च, 2002 को लोक सभा और राज्य सभा के पटलों पर रखा गया था, में एण्ड ए जी द्वारा किए गए प्रेक्षणों को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के पास आवश्यक उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए, जिसमें दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कम/न लगाए गए शुल्क की जहां कहीं भी आवश्यक हो, वसूली करना शामिल है, अग्रेषित किया गया है। रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजा जाएगा।

प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र हेतु धनराशि

5021. श्री सुबोध पंडा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में काफी धनराशि अप्रयुक्त ही रही; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वास्तविक अनुदान बचतें और अभ्यर्पित राशि और तत्संबंधी कारण वित्तीय वर्ष 2001-02 के संघ सरकार के विनियोग लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने और उनकी लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात ही उपलब्ध हो पाएंगी।

[हिन्दी]

अमरीका के साथ व्यापार-समझौता

5022. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कुछ व्यापार-समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समझौतों को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) हाल ही के वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी अंतर्सरकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रास्फीति

5023. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2001-2002 के दौरान आगम-राशि की मात्रा को घटाकर केवल 14.3 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के वर्ष 2001-2002 के ऋण-कार्यक्रम को भी कम कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-02 के दौरान धन का आगम सीमित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस संबंध में वर्ष 2002-03 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या विगत वर्ष बैंक के लिए पुनर्वित पोषण सुविधाओं को भी नियंत्रित कर दिया गया था; और

(च) भारतीय रिजर्व बैंक की इस नीति का अर्थव्यवस्था और उसमें मुद्रास्फीतिगत रुझानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल, 2001 को जारी की गई अपनी वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति विवरणी में वर्ष 2001-02 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में लगभग 14.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की 6.0 से 6.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर, जिसमें मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत के अन्तर्गत रही, पर आधारित थी एम-3 में इस दर पर वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था की क्रेडिट संबंधी जरूरतें उचित रूप से पूरी होने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान मुद्रा आपूर्ति में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान, केन्द्र सरकार की निवल बाजार उधारी 92.302 करोड़ रुपए थी जो 91.480 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 822 करोड़ रुपए अधिक थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात ऋण पुनर्वित (ईसीआर) और संपार्शविक उधार सुविधा (सीएलएफ) के जरिए पात्र बैंकों को स्थाई नकदी निधि सुविधाएं प्रदान करता है। इन दोनों सुविधाओं के तहत बैंकों को उपलब्ध सीमा कुल मिलाकर 23 मार्च 2001 को 7,849 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 मार्च, 2002 को 9,743 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार, बैंकों को उपलब्ध स्थाई सुविधाओं में कोई कमी नहीं हुई थी।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक की नीति और सरकार द्वारा किए गए उपायों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। सकल घरेलू उत्पाद के विस्तार में निरन्तर रूप से वृद्धि हुई है जो वर्ष 2001-02 की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत से बढ़ कर क्रमश: दूसरी और तीसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत हो गया है। 29 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक द्वारा बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर मापी गई मुद्रास्फीति दर 1.38 प्रतिशत पर कम बनी रही।

पिछड़े वर्गों को नौकरी

5024. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सिफारिश करने और तदनुसार सरकार द्वारा इसके अनुमोदन में ज्यादा समय लगने के कारण बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के युवक नौकरी प्राप्त करने की निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किस कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) कोई ऐसा पत्र मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की लेखा परीक्षा जांच

5025. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की वर्ष 1998-99 की बाजार वृत्तियों की लेखा परीक्षा जांच की थी;

(ख) क्या उक्त जांच के दौरान यह पाया गया था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमों के अनुसार जानबूझ कर अपनी निवेश सूचियों के बारे में पूरी उद्घोषणा नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के दौरान पता लगाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की कमियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सेबी के अनुसार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्कीमों के विनियामक अनुपालन की जांच-पड़ताल करने के लिए सेबी द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निरीक्षण किया गया था, जो वर्ष 1998-99 के लिए सेबी के क्षेत्राधिकार के अधीन थीं।

(ख) और (ग) निरीक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रदर्शित हुआ था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 30.06.1999 की स्थिति के अनुसार इन स्कीमों के पोर्टफोलियों के केवल 75 प्रतिशत का प्रकटन किया था। सेबी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को इन विनियमों के अधीन यथापेक्षित, स्कीमों के सम्पूर्ण पोर्टफोलियो का प्रकटन करने का परामर्श दिया था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में सम्पूर्ण पोर्टफोलियो का प्रकटन किया।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

5026. श्री अरुण कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 11 के पृष्ठ 23 और इसके बाद के पृष्ठों पर नियमों में समुचित प्रावधान के कारण निर्धारितियों को प्राप्त करोड़ों रुपए के अनियत लाभ अस्पष्ट अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क न लगाया जाना आदि के बारे में खुलासा किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय-वार इस प्रकार कुल कितने धन की हानि हुई है;

(ग) अब इस धनराशि की उगाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त दशा के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या उक्त कमियों का कारण नियमों एवं विनियमों की जानकारी न होना था अथवा धोखाधड़ी एवं मिलीभगत?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) महोदय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 11 के पैरा 3.1 और 3.2 में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनमें उत्पाद शुल्क के अनभिप्रेत लाभ की अनुमति दी गई थी और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सूती वस्त्र से बिना वस्तु) अधिनियम, 1978 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 के तहत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। सरकार ने लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया है।

[हिन्दी]

सूती धागे का निर्यात

5027. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूती धागे का निर्यात लगातार घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूती धागे के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) मात्रात्मक मामलों में सूती यार्न निर्यात 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी थी। हालांकि, वर्ष 2001-02 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सूती यार्न के निर्यात ने पूर्व वर्ष की उसी अवधि की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है। लगभग 8% का ह्रास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण हैं। सूती यार्न के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	मात्रा (मि.किग्रा. में)
1998-99	376.86
1999-2000	443.99
2000-2001	505.49
2000-2001 (अप्रैल-नवंबर)	314.17
2001-2002 (अप्रैल-नवंबर)	288.75

सरकार सूती यार्न के निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जिनमें शामिल हैं:-

(1) सूती, सूती अपशिष्ट और सूती यार्न पर सभी प्रतिबंध को हटा लिया गया है तथा इस प्रकार निर्यात को सभी प्रशासनिक नियंत्रण से स्वतंत्र रहने की अनुमति दी गयी है।

(2) उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए, सरकार ने 1.4.99 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की है जहां 5% की ब्याज सब्सिडी निर्धारित प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं हेतु नामित वित्तीय संस्थान से प्राप्त वित्त पर प्रदान की जाती है।

(3) सरकार ने "निर्यात संवर्धन परिषदो" जैसे कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टेक्सप्रोसिल) को सूती यार्न निर्यात आदि के लिए अपने बाजारों को विधिधीकृत करने की सलाह दी है।

कल्याणकारी योजनाएं

5028. श्री सुबोध राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, अनाथों, आतंकवाद से प्रभावित बच्चों, अपंगों एवं असहाय लोगों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा अब तक तैयार एवं क्रियान्वित नई कल्याणकारी योजनाओं का योजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त वर्णित योजनाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और उनके कार्यान्वयन पर वास्तविक रूप से कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवाद के प्रभावित व्यक्तियों, विकलांग तथा असहाय व्यक्तियों के उत्थान के लिए कोई नई कल्याण योजना तैयार और कार्यान्वित नहीं की गई है। नौवीं योजना की वर्तमान स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानसिक रूप से अपंग बच्चे

5029. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मानसिक रूप से अपंग बच्चों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) उक्त बच्चों के कल्याण के लिए समुचित व्यवस्था करने हेतु राज्य-वार कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन आबंटित किया गया और वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितना धन नियत किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान 45.30 करोड़ रु. की राशि तथा 2002-2003 के दौरान 6.00 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास के लिए कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं क्योंकि कारपस निधि सरकार द्वारा पहले ही प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों को मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए विधिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

5030. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में संचालित की जा रही केन्द्र प्रायोजित कौन सी है;

(ख) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के दौरान एवं वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तावित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में वस्त्र उद्योग को राज्य-वार एवं योजना-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को दी गयी सहायता के उचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वस्त्र मंत्रालय और उसके कार्यालयों द्वारा संचालित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

रेशम उत्पादन क्षेत्र

उत्प्रेरक विकास योजनाएं :

(1) गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यू एन डी पी सहायित उप-कार्यक्रम।

(2) ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन।

(3) राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना।

(4) नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना।

(5) बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता।

(6) उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता।

(7) उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं।

(8) रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता।

(9) रीलिंग एककों के लिए सहायता-

- द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन
- कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता।*

(10) मूगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना।

(11) कोटि के मूगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं।

(12) मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता।

(13) मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना।**

(14) हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

(15) किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन।

(16) प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों को आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन।

(17) एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता।

(18) मूगा खाद्य पादपों को बढ़ाना।

हथकरघा क्षेत्र

(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

(2) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(3) सामूहिक बीमा

(4) स्वास्थ्य पैकेज।

(5) बचत निधि।

(6) नया बीमा।

(7) हथकरघा निर्यात विकास योजना।

(8) परियोजना पैकेज योजना।

(9) निराश्रय बुनकरों के लिए मार्जिन धनराशि।

विद्युतकरघा क्षेत्र:

विद्युतकरघा बुनकरों के लिए सामूहिक बीमा योजना।

कपास क्षेत्र:

कपास प्रौद्योगिकी मिशन।

(ख) राज्य सरकारों को निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाती है:-

रेशम उत्पादन क्षेत्र:

रेशम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत की गयी राज्य-वार, योजना-वार सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

---

* बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

** यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

हथकरघा क्षेत्र:

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये में)

कर्नाटक		महाराष्ट्र	
2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002
109.73	473.94	103.07	54.26

विद्युतकरघा क्षेत्र:

विद्युतकरघा कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना:

कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 2002-2003 के लिए प्रत्येक मामले में सहायता की मात्रा विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी जिनमें पहले जारी अनुदान का उपयोग, कार्यक्रमों की प्रगति आदि शामिल हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं किया गया है। क्योंकि उनके लिए उनसे कोई भी प्रस्ताव नहीं थे। तथापि, नहीं थे। तथापि, कुछ अन्य राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदान निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	राशि	राज्य सरकार के नाम
1	2	3
1999-2000	96,800 रु.	मध्य प्रदेश
	80,280 रु.	राजस्थान
	68,000 रु.	प. बंगाल
	45,320 रु.	केरल
कुल	2,90,400 रु.	
2000-2001	36,800 रु.	मध्य प्रदेश
	29,320 रु.	केरल
कुल	66,120 रु.	
2000-2001	11,680 रु.	मध्य प्रदेश
	7,720 रु.	राजस्थान
कुल	19,400 रु.	

कपास क्षेत्र:

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

यह फरवरी, 2000 में शुरू हो गया था। वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के दो भागों के लिए उत्तरदायी है। अन्य दो भागों का उत्तरदायित्व कृषि मंत्रालय का है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए भारत सरकार के अंशदान के रूप में क्रमश: 1489.68 लाख रूपए और 465 रुपए दिये गये हैं।

(ग) निधियां सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उनका अनुमोदन होने पर ही जारी की जाती है। सहायता के उपयोग की प्रगति और उपयुक्तता की समय-समय पर विभिन्न माध्यमों, जैसे कि पुनरीक्षा, बैठकों, विवरणियों, मूल्यांकन आदि से मॉनीटरी की जाती है। सहायता, किस्तों में जारी की जाती है और परवर्ती किस्तें इस आशय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने पर कि पहले से जारी की गयी राशि का उपयोग हो गया है, जारी की जाती हैं। सहायता की उपयुक्त उपयोगिता संबंधी मुद्दा भी सी ए जी जैसे सांवधिक निकायों की रिपोर्टों की ही विषय वस्तु है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी की गयी आर्थिक सहायता के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	आंध्र प्रदेश			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	-	2.87	25.50	28.37

1	2	3	4	5	6
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	22.50	–	22.50	45.00
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	6.05	–	31.97	38.02
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	17.50	–	73.32	90.82
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	5.10	5.10
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.02	–	1.52	1.54
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	6.00	6.00
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	5.19	1.65	20.53	27.37
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	9.50	29.20	2.30	41.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	0.60	0	0.60
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	झारखंड			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	15.70	46.82	62.52
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	0.45	0.30	0.75
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	उड़ीसा			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	13.25	52.90	66.15
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	4.00	4.00	–	8.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	17.50	9.83	0.58	27.91
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	4.13	0.12	0.08	4.33
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	1.50	–	–	1.50
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	0.05	0.05
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	0.41	0.42	0.17	1.00
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	4.90	10.00	1.10	16.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	पश्चिम बंगाल			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	1.07	43.79	44.86
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	5.00	1.25	22.36	28.61
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	4.01	9.05	13.57	26.63
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	5.10	–	5.10
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	1.21	0.02	1.37	2.60
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	0.26	–	0.26
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	1.58	1.58
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	0.36	0.36
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	2.20	–	5.60	7.84
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	1.42	3.10	4.52

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	असम			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	33.29	122.04	155.33
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	2.74	2.74
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	0.48	9.30	9.78
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	2.80	2.80
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	2.32	0.21	7.33	9.86
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	0.94	0.94
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	3.70	–	0.30	4.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	0.01	3.19	8.18	11.38
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.78	0.83	13.21	14.82
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	10.86	15.25	52.15	78.26

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	नागालैंड			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	3.38	6.67	10.05
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	0.13	2.63	2.76
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.27	–	–	2.27
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	1.46	0.16	1.08	2.70
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.20	–	–	0.20
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	1.63	3.05	5.31	9.99

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	मेघालय			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	21.48	21.48
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	0.30	0.85	1.15

1	2	3	4	5	6
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.47	0.31	0.24	1.02
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	0.33	2.32	2.65
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.10	0.14	0.29	0.53
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	3.17	5.93	9.67	18.77

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	छत्तीसगढ़			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	11.52	11.52
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	5.40	4.80	10.20
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	13.00	13.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	0.26	–	0.26
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	11.25	11.25	22.50

1	2	3	4	5	6
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	5.12	–	5.12
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	22.47	20.83	45.82	89.12
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	1.50	4.95	6.45
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.24	–	1.31	1.55
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	हिमाचल प्रदेश			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	0.05	0.05
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	5.00	5.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	7.14	7.14
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना।	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	कर्नाटक			
		1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	25.31	25.31	67.50	118.12
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	22.48	16.10	38.58
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	35.00	35.00
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	1.50	0.69	2.19
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	0.04	2.88	2.92
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	12.00	18.58	27.40	57.98
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	12.03	10.84	63.86	86.73
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	2.90	7.20	5.70	15.80
15.	किफायती चूल्हों से स्त्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	3.25	–	–	3.25
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	तमिलनाडु			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्त्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	30.51	34.34	26.73	91.58
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	17.14	12.29	19.43
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	8.40	14.00	14.00	36.40
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	0.16	0.16
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	4.75	4.40	9.15
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	12.03	1.88	4.96	18.87
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	13.40	26.20	1.90	43.50
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	0.16	0.16	0.32
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	केरल			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	1.58	1.58

1	2	3	4	5	6
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	2.45	2.45
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	7.11	8.15	2.78	18.04
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	7.50	5.40	12.90
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	0.02	0.02
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	जम्मू व कश्मीर			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	4.00	5.00	4.00	13.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	15.00	15.00	–	30.00
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	8.34	–	10.17	18.51
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	8.35	4.90	–	13.25
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी. अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	5.19	–	6.13	11.32
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	मध्य प्रदेश			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	15.19	4.88	20.07
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	1.68	–	1.68
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	5.99	–	8.40	14.39
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	1.33	–	1.33
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	3.00	3.00
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	0.94	–	–	0.94
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	4.90	3.80	0.30	9.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	बिहार			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	3.20	0.59	–	3.79
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	2.05	–	–	2.05

1	2	3	4	5	6
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	उत्तर प्रदेश			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	9.00	–	–	9.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	2.25	2.25
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.41	0.46	0.30	1.17
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	5.08	0.18	5.35	10.61
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	1.00	1.00
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	3.79	–	–	3.79
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	2.80	18.20	21.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	सिक्किम			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	1.00	0.06	2.19	3.25
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	1.40	–	1.96	3.36
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	अरुणाचल प्रदेश			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	6.75	6.75
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	2.02	2.02

1	2	3	4	5	6
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.11	–	–	0.11
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	0.38	–	–	0.38
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.07	–	–	0.07
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	1.63	1.14	2.48	5.25

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	मिजोरम			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	5.00	–	–	5.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	11.15	–	–	11.15
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	1.05	1.05
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	1.29	0.51	2.15	5.95
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	1.20	0.73	2.70	4.63

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	त्रिपुरा			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	2.79	6.80	–	9.59
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	4.60	–	–	4.60
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	9.40	9.40
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	मणिपुर			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.21	–	0.05	0.26
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	0.02	0.02
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	1.20	–	1.20

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	उत्तरांचल			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	0.71	0.71
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

क्र.सं.	योजनाओं के नाम	पंजाब			
		1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	–	–	–	–
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	–	–	–	–
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	–	–	–	–
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	–	–	–	–
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता—				
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	0.94	0.94
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पादप में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

एनसीसीएफ द्वारा ऊंची दरों पर लेखन सामग्री की बिक्री

5031. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ सरकार को केन्द्रीय भंडार और खुले बाजार की तुलना में अधिक मूल्य पर ऐसी लेखन सामग्री की बिक्री कर रहा है जो घटिया और बिना ब्रांड वाली होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सुधारात्मक उपाए शुरू किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे घटिया सामग्री नहीं बेच रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा बिना ब्रांड वाली मदों की आपूर्ति किए जाने का संबंध है, वे गुणता तथा अपनी दरों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा केन्द्रीय भंडार दो स्वायत्तशासी सहकारी संगठन हैं जिनका कारोबार संबंधी नीतियों पर निर्णय लेने के लिए अपना निदेशक मंडल है। दोनों संगठनों के मूल्य नीतियां तथा बिक्री की शर्तें भी भिन्न हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा केंन्द्रीय भंडार स्वायत्तशासी सहकारी संगठन हैं, कारोबार और प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए जिनका अपना निदेशक मंडल है, इसलिए भारत सरकार इन मामलों में दखल नहीं देती है।

बी.एच.ई.एल. द्वारा लगाए गए विद्युत संयंत्र

5032. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों में एवं विदेशों में भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा कितने विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं;

(ख) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने वर्ष 2001-02 के दौरान कुछ नए क्रयादेश प्राप्त किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्ष में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को कुल कितने मूल्य के क्रयादेश मिले हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त क्रयादेशों के अनुसार परियोजनाओं के विनिर्माण, आपूर्ति प्रतिस्थापन एवं आरंभ करने हेतु भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) देश के विभिन्न स्थानों में एवं विदेशों में भेल द्वारा स्थापित विद्युत संयत्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

	1999-2000	2000-01	2001-02
देश में			
- विद्युत क्षेत्र	49	26	20
- उद्योग क्षेत्र	10	05	11
विदेश	02	02	04

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान भेल को मिले क्रयादेशों की कुल राशि निम्नानुसार है:-

देश में-

- विद्युत क्षेत्र - 7075 करोड़ रुपये
- उद्योग क्षेत्र - 1961 करोड़ रुपये (जिसमें से 470 करोड़ रुपये कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए है)

विदेश - 800 करोड़ रुपये (जिसमें से 767 करोड़ रुपये कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए है)

(घ) भेल ने विभिन्न संगठनों द्वारा आदेश दी गई परियोजनाओं के निर्माण, आपूर्ति, उत्पादन तथा परियोजनाओं को आरंभ करने की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग, प्राप्ति, उत्पादन और निर्माण जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

* बाजार आसूचना तथा कार्य के संभावित मूल्य के मूल्यांकन के आधार पर ठेकापूर्व इंजीनियरिंग कार्य को आरंभ करना तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग कर इंजीनियरिंग समय सीमा में कटौती करना।

* खरीदे गये मदों के लिए बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के ठेकापूर्व प्राप्ति कार्यकलापों को पूरा करना तथा ग्राहकों द्वारा आदेश प्राप्ति के समय प्रतिस्थापन स्तर पर खरीद प्रक्रिया आरंभ करना।

* बाजार आसूचना और कार्य की संभावित प्राप्ति के आधार पर कास्टिंग, फोर्जिंग और सब-असैंम्बलिंग जैसी दीर्घावधि अंत: परिवर्तनीय मदों के लिए उन्नति विनिर्माण कार्रवाई करना।

* विशेष मदों की खरीददारी के लिए दीर्घावधिक दर पर ठेकों को अंतिम रूप देना।

* मुख्य निर्माणकारी इकाईयों में निर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना।

* तीव्र गति से निर्माण कार्य करने के लिए उच्च क्षमता वाले मोबाईल क्रेनों तथा अन्य उपस्करों को शामिल करने के लिए बेहतर निर्माणकारी कार्यकलाप करना।

* निर्माणकारी इकाईयों/व्यवसाय क्षेत्रों और कारपोरेट स्तर पर परियोजना प्रबंध/निगरानी समूहों की स्थापना करना।

* प्रबंधन समिति की बैठक में प्रति माह उच्च स्तर पर सुपुर्दगी और परियोजना आरंभ करने की अनुसूची की समीक्षा करना।

शहरी सहकारी बैंकों की ब्याज दर

5033. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को जमा राशियों की ब्याज दरों को कम करके वाणिज्यिकों बैंकों के स्तर तक लाने के लिए निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के पहले शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दर क्या थीं; और

(घ) वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) शहरी सहकारी बैंक अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से मियादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज की दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि ब्याज की उच्च दर, जो बाजार दरों के अनुरूप नहीं हैं, देने से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है और उनकी देयता में वृद्धि होती है। अत: शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न परिपक्वता अवधि की मियादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दर बनावट की समीक्षा करने और इन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर करने के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु जनवरी, 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दी गई थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि की घरेलू मियादी जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें 22 अक्तूबर, 1997 से निर्धारित करने के लिए सभी बैंकों को स्वतंत्रता दी है। वर्तमान में विभिन्न शहरी सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की मियादी जमा दरें सामान्यत: क्रमश: 8% से 16% एवं 8% से 9% के बीच वार्षिक हैं। तथापि बचत जमाओं पर ब्याज दरें अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं और इस दर को 1 अप्रैल, 2000 से 4.0 प्रतिशत वार्षिक पर निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

5034. श्री पदमसेन चौधरी:
डा. अशोक पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए और अधिक सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विश्व बैंक भारत को सहायता मुहैया कराने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कर रहा है:

1. रोग निगरानी परियोजना
2. खाद्य और औषधि क्षमता निर्माण परियोजना
3. राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
4. तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
5. असम स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
6. भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी परियोजना।

ये परियोजनाएं विश्व बैंक में विचार-प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं। विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं का अनुमोदन किए जाने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

प्याज और कपास के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाना

5035. श्री वाई.वी. राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज और कपास के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्याज और कपास के निर्यात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) से (ङ) कपास के निर्यात पर 2.7.2001 से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तथापि, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध जारी हैं। चालू वर्ष (2002-2003) के लिए 7 लाख मी. टन प्याज निर्यात के लिए जारी किया गया है। ऐसे सभी निर्यात राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए किए जाएंगे।

तथापि, प्याज की बंगलौर रोज किस्म और कृष्णापुरम प्याज का निर्यात किसी प्रकार की मात्रात्मक सीमा के अधीन नहीं है, हालांकि ऐसे निर्यात भी राज्य व्यापार उद्यमों के द्वारा किए जाएंगे।

प्याज तथा रोज प्याज के निर्यात समेत निर्यात के बारे में नीति की समीक्षा समय समय पर की जाती है।

अचल सम्पत्तियों की ''लॉक-इन'' अवधि को समाप्त करना

5036. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में खरीदी गई अचल संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया को स्वदेश भेजने की ''लॉक-इन'' अवधि को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय कब तक प्रभावी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 21/2000/आरबी के विनियम 6 की शर्तों के अनुसार, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को, अन्य बातों के अलावा, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए अचल संपत्ति की बिक्री से हुई प्राप्तियों को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी गई है और यह संपत्ति अधिग्रहण की तारीख से अथवा अन्तिम किश्त के भुगतान की तारीख से जो भी बाद में हो, तीन वर्ष बाद बेची जाएगी। इसके परिणामस्वरूप अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने भारत में संपत्ति की खरीद करने के लिए संविदाएं निष्पादित की हैं, वे अपना धन तब तक वापस नहीं ले जा सकते जब तक कि उन्होंने खरीद की पूरी राशि अदा न की हो। इन परिस्थितियों में ऐसे भी मामलों में, जहां निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से बढ़ न रहा हो अथवा किन्हीं बाध्यकारी कारणों से खरीदार को संविदा रद्द करनी पड़ी हो, अनिवासी भारतीयों द्वारा लाई गई राशि भारत में अवरुद्ध हो जाती है। अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इस शर्त के अधीन रहते हुए बिक्री प्राप्तियों अथवा खरीद संविदाओं के रद्द किए जाने पर प्राप्त राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी है कि यह राशि बैंकिंग चैनल के जरिए लाई गई विदेशी मुद्रा में खरीदी गई संपत्ति के अधिग्रहण हेतु अदा की गई राशि अथवा वसूल की गई राशि, जो भी कम हो, से अधिक न हो।

विकलांगों को आरक्षण

5037. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में सभी सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पदों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नि:शक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहचान किए गए पदों की संख्या कितनी है और सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समग्र रूप से नियोजित नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत के नौकरी कोटे को भरने के लिए क्या नवीन कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 1900 से अधिक पदों की पहचान की गई है। सेवाओं में आरक्षण के लिए सरकार का नोडल विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) ने अभिज्ञात पदों के संबंध में सरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित विकलांग व्यक्तियों की प्रतिशतता का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नही किया जाता है।

(ग) इस मामले पर मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। साथ ही, निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन पदों को विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया है, उन्हें भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी), कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) आदि को मांग भेजते समय इस आशय का प्रमाणपत्र कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से संबंधित नीति को ध्यान में रखा गया है, दिया जाना होता है।

[हिन्दी]

वाहनों का विनिर्माण

5038. योगी आदित्यनाथ: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान देश में कितने दुपहिया/चौपहिया वाहनों का विनिर्माण किया गया;

(ख) वर्तमान में कितनी विदेशी कंपनियों के सहयोग से वाहनों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या वाहन विनिर्माण क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के और अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दुपहियों और चौपहियों का उत्पादन निम्नानुसार है:-

(संख्या में)

श्रेणी	1999-2000	2000-01	2001-02
चौपहिया	8,75,179	7,97,640	8,34,071
दुपहिया	37,78,011	37,58,518	43,23,644

(ख) जुलाई, 1991 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का उदारीकरण होने से 17 विदेशी कंपनियों को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा यात्री कारों, बहुपयोगी वाहनों तथा वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन के लिए निर्माणकारी यूनिटें स्थापित करने हेतु अनुमोदन दिया गया है।

(ग) ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 4.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 1 करोड़ से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां; ऑटोमोटिव क्षेत्र का इसके अगले और पिछले लिंकेज के कारण रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगले लिंकेज में रोजगार के मुख्य सृजनकर्ताओं में तेल उद्योग, वितरण तथा बिक्री पश्चात सर्विस नेटवर्क के साथ-साथ ऑटो उपस्कर उद्योग द्वारा कलपुर्जों की बिक्री पश्चात आपूर्ति तथा प्रतिस्थापना क्षेत्र आते हैं। पिछले लिंकेज में, ऑटो उद्योग स्टील, एल्युमिनियम, जिंक मिश्र, रबड़ और प्लास्टिक जैसे कच्चे मालों का भी सबसे बड़ा उपभोक्ता है जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार का काफी सृजन होता है।

[हिन्दी]

परस्पर सहायता कोष

5039. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी शहरी सहकारी बैंकों को परस्पर सहायता कोष में अनिवार्य रूप से अंशदान करने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनका शहरी सहकारी बैंकों के लिए किसी म्यूचुअल सहायता निधि के सृजन के वास्ते कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेवा क्षेत्र के लिए उपकरणों का शुल्कमुक्त आयात

5040 श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शिक्षा, चिकित्सा, लेखाकार्य एवं परामर्श जैसे क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र निर्यातों के लिए कारपोरेट जगत द्वारा उपकरण के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कारपोरेट जगत को निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(घ) सेवा क्षेत्र को अन्य क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) से (घ) एग्जिम नीति 2002-07 में निर्यात् संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत सेवा क्षेत्र द्वारा पूंजीगत वस्तुओं/उपकरणों के आयात पर रियायती शुल्क की अनुमति दी गई है। वस्तुओं का आयात 5% सीमा शुल्क पर किया जा सकता है। जो आयातित वस्तु के सीआईएफ मूल्य के 5 गुने के बराबर निर्यात दायित्व के अधीन होगा जिसे लाइसेंस जारी होने की तारीख से गिनी गई 8 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत सेवा क्षेत्र को निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है जिससे निर्यात दायित्व को पूरा करना सुविधाजनक बनेगा। सेवा क्षेत्र द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु बाजार पहुंच संबंधी उपाय के तहत निधियों का लाभ भी उठाया जा सकता है। सेवा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम आरंभिक सीमा के आधार पर निर्यात गृह का दर्जा प्राप्त करने का पात्र भी है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए विकास निगम

5041. श्री राम टहल चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी राज्य सरकार से पिछड़े वर्गों के लिए एक पृथक विकास निगम गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निगम के लिए किसी राज्य सरकार को कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) गत दो वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साइबर अपराध एकक

5042. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क और आयकर विभागों ने साइबर अपराध एककों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उनके द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्टरनेट के माध्यम से किए जाने वाले आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के संबध में अपराधों की जांच करने तथा शास्ति लगाने के लिए तंत्र की व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

महिला स्वैच्छिक संगठन

5043. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनु. जा./अनु.ज.जा. बाहुल्य क्षेत्रों में राज्यवार, कितने स्वैच्छिक महिला संगठनों को केन्द्रीय सहायता मिल रही है;

(ख) इस संबंध में कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) कोई महिला स्वैच्छिक संगठन नहीं हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कैम्प

5044. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्नाटक में यांत्रिक कताई चरखा चलाने (मेकेनाइज्ड स्पिनिंग ह्वील) में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कैंप शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कर्नाटक में कुल कितने प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए गए;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि 'मेकेनाइज्ड स्पिनिंग ह्वील' को चलाने के लिए कर्नाटक में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक के अन्य भागों और अन्य राज्यों में इस प्रकार के और प्रशिक्षण कैंप का आयोजन करने के लिए कदम उठाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (छ) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड यांत्रिक चर्खों पर लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए इस संबंध में राज्य सरकारों अथवा गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान कर्नाटक में स्वयं सेवी समूहों की 130 महिलाओं के लिए ऐसे पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कर्नाटक में यांत्रिक चर्खों को चलाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खर्च

5045. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रबंधन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों का प्रशासनिक व्यय भी सतत रूप से बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन खर्चों को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक और अन्य खर्चों में वृद्धि हुई है, जो 1998-99 में 20450 करोड़ रुपए से बढ़कर 1999-2000 में 22461 करोड़ रुपए तथा 2000-2001 में और बढ़कर 28013 करोड़ रुपए हो गया है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करके, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, संगठनात्मक पुनर्संरचना, शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण आदि के द्वारा लागतों को कम करें।

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज

5046. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन 3 लाख टन चावल आवंटित किए जाने के बाद कोई और आवंटन नहीं किया गया क्योंकि राज्य गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) 2000-01 से 2001-02 के दौरान उड़ीसा राज्य को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन निम्नानुसार खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई थी:-

2001-02	:	सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,00,000 टन चावल
2001-02	:	सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50,000 टन चावल
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,00,000 टन चावल

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत 2.00 लाख टन चावल की मात्रा रिलीज की गई है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा राज्य सरकार से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई और मांग प्राप्त नहीं हुई है।

अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमीलेअर

5047. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमीलेअर के निर्धारण के लिए आय के मानदण्ड के पुनरीक्षण हेतु कोई समीक्षा समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) यह एक समीक्षा समिति का गठन करने की प्रक्रिया में है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण वस्त्र इकाइयों में निवेश

5048. श्री बीर सिंह महतो: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह प्राक्कलन किया गया है कि देश के वस्त्र उद्योग की 25 प्रतिशत से अधिक इकाइयां रुग्ण हैं क्योंकि यह उद्योग अत्यधिक दयनीय स्थिति के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रुग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए निवेश की धनराशि का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उनमें कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत इन रूग्ण इकाइयों में किए गए निवेश का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) चूंकि वस्त्र उद्योग मुख्यत: विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में स्थित हैं और उनमें अनेक क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए देश में वस्त्र एककों की कुल संख्या और ऐसे रुग्ण एककों संबंधी सूचना संकलित करना संभव नहीं है। तथापि, 31.1.2002 तक की स्थिति के अनुसार, वस्त्र मिलों के 650 मामले औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत हैं जिनमें से 316 मामलों का निपटान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित लघु उद्योग क्षेत्र और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के एककों की संख्या निम्न अनुसार है:

क्रमांक	विवरण	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु.)
1.	गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण वस्त्र एकक	564	3362.49
2.	लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण एकक	20315	489.98

गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण वस्त्र एककों की संख्या निम्न अनुसार है:

क्रमांक	क्षेत्र	संख्या	राशि
1.	सरकारी	92	435.27
2.	निजी	457	2848.26
3.	संयुक्त	9	66.76
4.	सहकारी	6	11.20
	कुल	564	3362.49

वर्ष 1999-2000 के लिए आईडीबीआई द्वारा भारत में बैंकिंग बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2000 के अंत तक बीआईएफआर के पास पंजीकृत 139 रुग्ण वस्त्र कंपनियों के संबंध में 722 करोड़ रु. के ऋण की राशि बकाया थी। यह सूचना आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई से संबंधित है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को ब्रिटेन/अमरीका से सहायता

5049. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए तमिलनाडु को ब्रिटेन/अमरीका द्वारा सहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में ब्रिटेन और अमरीका से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या तमिलनाडु को अमरीका द्वारा अधिकतम योगदान दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अमरीका और ब्रिटेन का विचार तमिलनाडु को दी गई वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य को यूनाइटेड किंगडम से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। वर्तमान में यूएसएआईडी, तमिलनाडु राज्य को एक परियोजना अर्थात एड्स निवारण एवं नियंत्रण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें 15 वर्षों की अवधि में 9.123 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि प्राप्त होगी। विगत तीन वर्षों के दौरान यूएसएआईडी से प्राप्त सहायता की राशि निम्नांकित हैं:-

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर
1999-2000	0.925
2000-2001	1.419
2001-2002	1.592

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदाम

5050 डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में, राज्य-वार, केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों की संख्या और भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ख) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भंडारण क्षमता में, राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा प्रबंधन/प्रचालित किए जा रहे कुल भाण्डागारों की संख्या 475 है और इनकी कुल क्षमता 89.00 लाख टन है।

(ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने 2001-02 के दौरान देश में 3.24 लाख टन की कुल क्षमता बढ़ाई है जिसमें से आंध्र प्रदेश राज्य में आदिलाबाद नांदियाल और नदीकोटकुर में 0.25 लाख टन की क्षमता शामिल की गई थी। ब्यौरे विवरण-II दिए गए हैं। यह क्षमता 7 वर्षीय गारंटी उपयोगिता पर केवल भारतीय खाद्य निगम के लिए शामिल की गई क्षमता के अलावा है। सात वर्षीय गारंटी उपयोग की 1.22 लाख टन की क्षमता आन्ध्र प्रदेश राज्य में निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम की योजना 3.25 लाख टन क्षमता का निर्माण करने की है। इसमें से 0.27 लाख टन क्षमता का निर्माण आन्ध्र प्रदेश में करने का है।

विवरण I

31.3.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों की राज्यवार संख्या तथा भंडारण की क्षमता

(टन में)

क्र. सं.	राज्य के नाम	भांडागारों की संख्या	भंडारण क्षमता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	49	12,60,753
2.	असम	6	46,934
3.	बिहार	13	1,04,524
4.	चंडीगढ़ संघ शासित	1	14,761
5.	छत्तीसगढ़	10	2,59,964
6.	दिल्ली	11	1,35,517
7.	गोवा	2	30,400
8.	गुजरात	30	5,15,301
9.	हरियाणा	23	3,33,860
10.	हिमाचल प्रदेश	2	5,370
11.	जम्मू और कश्मीर	1	6,265
12.	झारखंड	3	33,950
13.	कर्नाटक	36	4,31,352
14.	केरल	7	93,599
15.	मध्य प्रदेश	31	6,65,873
16.	महाराष्ट्र	52	12,49,404
17.	नागालैंड	1	13,000
18.	उड़ीसा	10	1,52,506
19.	पांडिचेरी	1	9.080
20.	पंजाब	31	8,20,604
21.	राजस्थान	26	3,71,013
22.	तमिलनाडु	27	6,67,049
23.	त्रिपुरा	2	24,000
24.	उत्तर प्रदेश	50	10,18,469
25.	उत्तरांचल	7	73,490
26.	पश्चिम बंगाल	43	5,63,758
	सकल जोड़	475	89,00,796

विवरण II

वर्ष 2001-2002 के दौरान पूर्ण की गई कुल क्षमता

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	राज्य	क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	वेर्ना गोवा (खुला यार्ड)	गोवा	2400
2.	काकानाड (कोचि)	केरल	1700
3.	टुटीकोरिन सीएफएस 5000 वर्गमीटर (खुला यार्ड)	तमिलनाडु	9000

1	2	3	4
4.	द्रोणागिरी नोड 12.5 हैक्टेयर 40,000 वर्ग मीटर (खुला यार्ड)	महाराष्ट्र	72000
5.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	
	19920 वर्ग मीटर (खुला यार्ड)		35800
	13200 टन (ढ़का हुआ)		6600
6.	कोटा-II	राजस्थान	4000
7.	गुलबर्गा-II	कर्नाटक	5000
8.	भटिंडा	पंजाब	5000
9.	चानालोन	पंजाब	5000
10.	माक्सी	मध्य प्रदेश	3000
11.	अकोला (कैप)	महाराष्ट्र	15000
12.	नासिक अम्बाद (कैप)	महाराष्ट्र	10000
13.	नागपुर (कैप)	महाराष्ट्र	5000
14.	गौंडिया (कैप)	महाराष्ट्र	27000
15.	नागेरक्वाइल	तमिलनाडु	1640
16.	सूरजपुर 2800 वर्ग मीटर (ढ़का हुआ)	उत्तर प्रदेश	5000
17.	चौधवार	उड़ीसा	6650
18.	जेयपोर	उड़ीसा	7800
19.	रायगढ़	उड़ीसा	6400
20.	एसजीटी व्हाइटफील्ड	कर्नाटक	14200
21.	धारवाड़ा (15000 टन)	कर्नाटक	9000
22.	उदुमालपेट	तमिलनाडु	5000
23.	त्रिपुरा	केरल	7590
24.	बरही (गानौर)	हरियाणा	5000
25.	अदीलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	10000
26.	नांदयाल	आन्ध्र प्रदेश	10000
27.	नांदीकोटकुर	आन्ध्र प्रदेश	5000
28.	बिकानेर	राजस्थान	3800
29.	कोटा-III	राजस्थान	5000
30.	मंडी गोविन्दगढ़	पंजाब	5800
31.	करनाल-III	हरियाणा	10000
		सकल जोड़	324380

बैंकिंग प्रणाली

5051. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग प्रणाली की प्रभावशाली निगरानी के लिए किसी स्वतंत्र एजेन्सी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'ऋण वसूली न्यायाधिकरण' कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा ऋण वसूली में प्राप्त की गई सफलताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को 'आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन' से बैंकों के कार्यकरण में सुधार संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बैंकिंग प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जो स्वायत्तशासी संस्था है, पहले से ही अस्तित्व है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के कार्यनिष्पादन की पिछली बार समीक्षा ऋण वसूली अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के साथ (डीआरएटी) के अध्यक्षों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ दिनांक 2 जुलाई, 2001 को हुई बैठक में की गई थी। ऋण वसूली अधिकरणों का समग्र कार्यनिष्पादन संतोषजनक है। 30 सितम्बर, 2001 तक, ऋण वसूली अधिकरणों ने 18,703 मामलों का निपटान किया था, जिनमें 14,026 करोड़ रुपए की रकम (7065 करोड़ रुपए की डिक्री प्राप्त रकम) अंतर्ग्रस्त है, जिसमें से 3527 करोड़ रुपए की रकम की वसूली की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली

5052. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 27 मार्च, 2002 के "द एशियन एज" में "आरबीआई फंकशनिंग इन्फलुएन्सद बाई सेन्टर, सेज इकोनामिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अर्थशास्त्रियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में केन्द्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप के कारण उसकी आलोचना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकरण केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ग) जी, हां।

(ख) सरकार अर्थशास्त्री द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में कार्य करता है तथा सरकार इसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों की निवेश और ऋण सीमा

5053. श्री सुरेश पासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों में हो रही धोखाधड़ी को दृष्टिगत रखते बैंकों की निवेश और ऋण सीमा को संशोधित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या संशोधन किए गए हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपर्युक्त संशोधनों से भविष्य में बैंकों में हो रही धोखाधड़ी पर किस सीमा तक पूर्ण रोक लगाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश (एक्सपोजर) के संबंध में अपने मार्गनिर्देशों को मई, 2001 में संशोधित किया है। एकल उधारकर्ताओं के लिए निवेश की अधिकतम सीमा पूंजीगत निधियों के 20% से

कम करके 15% कर दी गई है। सामूहिक निवेश की सीमा 40% निर्धारित की गई है और आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निवेश की सीमा पूंजीगत निधियों का 50% रखी गई है। पूंजी बाजार में कुल निवेश की अधिकतम सीमा बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों का 5% निर्धारित की गई है। शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में बैंकों का निवेश उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 20% से अधिक नहीं होगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन है।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

5054. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर और सम्पत्ति कर विभाग ने 97 ऐसी चयनित कंपनियों के जिनका लाभपूर्व कर 25 लाख रुपया था, के वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के कर निर्धारण का मूल्यांकन किया है और इनकी लेखा परीक्षा की है और अपनी 326 टिप्पणियों में 654.42 करोड़ के अतिरिक्त कर आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की गई और 654.42 करोड़ रुपये में से अब तक कितना कर एकत्रित किया गया: और

(ग) उपर्युक्त कंपनियों ने कर अपवंचन के लिए कौन सा तरीका अपनाया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12 क (मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) जिसे 15 मार्च, 2002 को संसद में रखा गया था, में चयनित क्षेत्रों नामत: सीमेण्ट, ऑटोमोबाइल्स और टैक्सटाइल्स की कंपनियों के कर-निर्धारणों की लेखा परीक्षा पर पुनरीक्षा के परिणामों को शामिल किया है। यह पुनरीक्षा इन क्षेत्रों में कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक के लिए 97 ऐसी चयनित कम्पनियों (24-सीमेण्ट, 35-ऑटोमोबाइल्स, 38-टैक्सटाइल्स) जिनका लाभपूर्व कर 25 लाख रुपये था के आयकर और धन कर के निर्धारण पर केन्द्रित थी। 326 लेखा परीक्षा प्रेक्षण उठाए गए थे। जिनका कर-प्रभाव 654.42 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पैरावार उत्तर देने और उक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है।

स्वायत्त निकायों का वार्षिक लेखा

5055. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने 2000 के प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल) के अध्याय 1 में स्वायत्तशासी निकायों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट में विभिन्न बिन्दुओं पर की गई टिप्पणियों पर स्वायत्तशासी निकाय-वार क्या कार्रवाई की गई है;.

(ग) क्या स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के रख-रखाव में पारदर्शिता लाने सहित मुख्य परिवर्तन/सुधार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह संबधित मंत्रालयों/विभागों का दायित्व है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सुझाए गए मामलों पर सुधारात्मक उपाय करें और उपयुक्त क्रियाविधि भी तैयार करें ताकि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले स्वायत्तशासी निकाय निर्धारित अवधि के अंदर वार्षिक लेखे पूरा करके उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करा सके। स्वायत्तशासी निकायों के लिए विशेषज्ञों की समिति द्वारा लेखे का सामान्य प्रारूप तैयार किया गया है तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से अनुमोदित किया गया है और इसे सभी मंत्रालयों/विभागों को संबंधित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के उपयुक्त निदेश के लिए परिचालित किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा करेंसी रैकेट का भंडाफोड़

5056. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग की जांच इकाई ने संगठित करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए रैकेट का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रणाली क्या है;

(ग) तस्करी की गई कितनी धनराशि का पता लगाया गया है; और

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने एक व्यक्ति द्वारा दिल्ली से हांगकांग को स्पीड पोस्ट से भेजे जा रहे 25000 अमेरिकी डालर वाले दो पार्सलों को दिनांक 9 जून, 2001 को पकड़ा था। संबंधित व्यक्तियों के परिसरों से 1.14 करोड़ रुपये की नकदी भी पायी गई थी। इस आशय की जानकारी मिलने पर आयकर विभाग ने दिल्ली में उक्त गिरोह के 5 लाभानुभोगियों के परिसरों पर तालिशयां ली थीं और 29.40 लाख रुपये की नकदी एवं 45.60 लाख रुपये का सामान जब्त किया था। यथार्थ कार्य-प्रणाली का पता लगाने के लिए जांच कार्य प्रगति पर है।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

5057. डा. सी.कृष्णन:
श्री एच.डी. देवगौड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात में उनके निर्धारित लक्ष्य की तुलना में गत दो वर्षों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उक्त अवधि के दौरान प्रमात्रा और मूल्य के संदर्भ में निर्यात की गई कृषि वस्तुओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भारी गिरावट के संबंध में कोई अध्ययन अथवा समीक्षा कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) निकट भविष्य में कृषि वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने इस मुद्दे को गहराई से अध्ययन करने हेतु कोई निगरानी दल का गठन किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) से (छ) कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करता है। निष्पादन का पूर्वानुमान पिछले रुझानों के आधार पर लगाया जाता है जो अनुमान के स्वरूप का होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान कृषि निर्यात (समुद्री उत्पाद, चाय, कॉफी कपास तथा अरंडी के तेल को छोड़कर) निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1999-2000	14812.61
2000-2001	16713.48
2001-2002 (अप्रैल-जन.) (अ.)	14407.54
2000-2001 (अप्रैल-जन.) (अ.)	12953.38

(अ.) अनंतिम

निर्यातों के मात्रावार और उत्पादवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कलकता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक अंक में दिए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरकार द्वारा अपने अभिकरणों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यातों की समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है। सरकार कृषि निर्यातों का संवर्धन करने के लिए वस्तु बोर्डों, प्राधिकरणों इत्यादि जैसे अपने अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय तथा अन्य सहायता के रूप में कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है।

औद्योगिक विकास के लिए सहायता

5058. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार की महत्वपूर्ण

आधारभूत सन्तुलन योजना, एकीकृत संरचनात्मक विकास योजना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना इत्यादि जैसी क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करती रही है। तथापि, मध्य प्रदेश के समग्र औद्योगिकी विकास हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करने संबंधी कोई भी समेकित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नही किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाएं

5059. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में निगम के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) व्यक्तिगत जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की चल रही योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एलआईसी ने सूचित किया है कि उसने निगम के कार्य-करण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) अपनी ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपाय करना। मुख्य उपाय ग्राहक संबंध प्रबंधन से संबंधित हैं।

(2) एजेंटों को व्यापक प्रशिक्षण देने के लए प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार करना ताकि वे पेशेवर तरीके से कार्य करने और आवश्यकता-आधारित बिक्री करने तथा अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने में सक्षम हो सकें।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नवीनतम साधनों के इस्तेमाल से मौजूदा सेवा में वृद्धि करना। इनमें ये शामिल हैं: 59 शहरों में टेलीफोन पर पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की प्रास्थिति से संबंधित सूचना देने के लिए एन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) शुरू करना; सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण और उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक शाखाएं मेट्रो एरिया नेटवर्क/वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए जोड़ दी गई है; नेट पर एलआईसी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर पॉलिसीधारक को आईएसपी के जरिए प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा/विकल्प देना और देश भर में विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर तीस "टच स्क्रीन इन्फार्मेशन कियोस्क" संस्थापित करके ग्राहकों को एलआईसी की योजनाओं के बारे में भी सूचना प्रदान करना।

एलआईसी ने सूचित किया है कि उपर्यक्त सभी उपायों के संदर्भ में राजस्थान में स्थिति निम्नानुसार है:

(1) ग्राहक संबंध प्रबंधन: राजस्थान में निगम के 5 मण्डल हैं अर्थात् अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ये मण्डल 110 शाखा कार्यालयों के प्रचालनों को नियंत्रित करते हैं। पांचों मण्डलों में पांच ग्राहक संबंध प्रबंधक तथा शाखा कार्यालयों में 110 ग्राहक संबंध कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हैं;

(2) प्रशिक्षण: पूरे राज्य में 5 मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र तथा 19 एजेंट प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपाय: आईवीआरएस अजमेर, जयपुर और जोधपुर में कार्य कर रहा है। 6 टीएसआईके स्थापित किए गए हैं-अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर प्रत्येक में एक-एक और जयपुर में 2 । कुल 110 शाखाओं में से, 40 शाखाओं को मेट्रो एरिया/वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए पहले ही जोड़ा जा चुका है।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम की चालू योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

सं.	योजना कोड	योजना का नाम	भागीदारी/गैर-भागीदारी	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
1.	2	आजीवन बीमा	भागीदारी	कम लागत बीमा योजना बीमित राशि मृत्यु पर देय है।
2.	3	आजीवन सीमित अदायगी	गैर-भागीदारी	आजीवन बीमा जिनमें प्रीमियम राशियां बीमित अवधि के लिए देय है।

1	2	3	4	5
3.	5	आजीवन सीमित अदायगी	भागीदारी	आजीवन बीमा भागीदारी सीमित अदायगी पर
4.	7	आजीवन सीमित अदायगी	गैर-भागीदारी	एकल प्रीमियम द्वारा आजीवन बीमा
5.	8	आजीवन सीमित अदायगी	भागीदारी	एकल प्रीमियम द्वारा आजीवन बीमा
6.	11	वृत्तिदान बीमा	गैर-भागीदारी	परिपकवता पर अथवा मृत्यु पूर्व के मामले में बीमित राशि देय है।
7.	14	वृत्तिदान बीमा	भागीदारी	वृत्तिदान बीमा में भागीदारी जिसमें बीमित राशि परिपक्वता पर अथवा मृत्यु-पूर्व देय है।
8.	18	दुगुना वृत्तिदान बीमा	गैर-भागीदारी	मृत्यु के मामले में मूल बीमित राशि सहित वृत्तिदान बीमा देय है तथा परिपक्वता पर दुगुनी बीमित राशि देय है।
9.	27	रूपान्तरणीय आजीवन बीमा	भागीदारी अथवा भागीदारी रूपान्तर विकल्प पर निर्भर	आजीवन बीमा योजना जो 5 वर्षों के बाद वृत्तिदान बीमा में रूपान्तरित की जा सकती है।
10.	41	बाल आस्थगित वृत्तिदान बीमा	भागीदारी	21 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए वृत्तिदान बीमा
11.	43	अस्थायी बीमा पालिसी	गैर-भागीदारी	अवधि के दौरान मृत्यु के मामले में बीमित राशि देय
12.	47	वृत्तिदान बीमा सीमित अदायगी	गैर-भागीदारी	वृत्तिदान बीमा जिसमें प्रीमियम राशियां एक सीमित अवधि के लिए देय हैं।
13.	48	वृत्तिदान बीमा सीमित अदायगी	भागीदारी	वृत्तिदान बीमा में भागीदारी, जिसमें प्रीमियम की राशियां सीमित अवधि के लिए देय हैं।
14.	50	बाल आस्थगित वृत्तिदान बीमा	भागीदारी	18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए वृत्तिदान बीमा
15.	51	पूंजी मोचन	गैर-भागीदारी	बीमित राशि निर्धारित समय के अंत में देय है।
16.	52	बंधक मोचन पालिसी	गैर-भागीदारी	आवधिक बीमा पालिसी जिसमें मृत्यु लाभ बकाया ऋण राशि है।
17.	58	रूपान्तरणीय पालिसी	गैर-भागीदारी	आवधिक बीमा योजना जिसे एक निश्चित अवधि के बाद वृत्तिदान बीमा में रूपान्तरित किया जा सकता है।
18.	60	तत्काल वार्षिकी निश्चित	गैर-भागीदारी	वार्षिकी योजना जिसमें वार्षिकी एक निर्धारित अवधि के लिए देय है।

1	2	3	4	5
19.	61	आस्थगित वार्षिक निश्चित	गैर-भागीदारी	आस्थागित अवधि के बाद वार्षिकी एक निर्धारित अवधि के लिए देय है।
20.	75	मनी बैंक योजना	भागीदारी	20 वर्षीय योजना जिसमें बीमित राशि मृत्यु होने पर है तथा उत्तरजीविता संबंधी लाभ पालिसी अवधि के दौरान आवधिक रूप से देय है।
21.	88	जीवन मित्र	भागीदारी	दुगुणी बीमित राशि सहित वृत्तिदान बीमा योजना पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय है।
22.	89	जीवन साथी	भागीदारी	पति और पत्नी के लिए दुगुणी कवच वाली संयुक्त जीवन वृत्तिदान बीमा योजना
23.	90	विवाह वृत्तिदान/शैक्षिक वार्षिकी	भागीदारी	बीमित राशि अवधि के अंत में एक मुश्त अथवा किस्तों में देय है।
24.	91	नई जन रक्षा योजना	भागीदारी	प्रथम अप्रदत्त प्रीमियम से तीन वर्षों की अवधि के लिए मृत्यु कवच के विशेष प्रावधान सहित वृत्तिदान बीमा परन्तु कम से कम 2 वर्षों की प्रीमियम राशियों की अदायगी हो चुकी हो।
25.	93	मनी बैक	भागीदारी	25 वर्षीय योजना जिसमें बीमित राशि मृत्यु होने पर देय है तथा उत्तरजीविता संबंधी लाभ पालिसी अवधि के दौरान आवधिक रूप से देय हैं।
26.	95	भविष्य जीवन	भागीदारी	प्रथम पांच वर्षों के दौरान देय उच्च प्रीमियम राशियों सहित वृत्तिदान बीमा
27.	101	जीवन बाल्य	भागीदारी	जहां पालिसी 21 वर्ष की आयु के लिए है, बच्चे की जीवन के संबंध में वृत्तिदान बीमा पालिसी
28.	102	जीवन किशोर	भागीदारी	बच्चों के लिए वृत्तिदान बीमा जिसमें जोखिम प्रतीक्षा-अवधि के बाद शुरू होता है।
29.	103	जीवन छाया	भागीदारी	बच्चों के लिए एक योजना जिसमें बीमित राशि मृत्यु होने पर देय है तथा एक निश्चित लाभ अवधि के अंत में किस्तों में अदा किया जाता है।
30.	104	जीवन गृह	गैर-भागीदारी	पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय तीन-गुणी बीमित राशि सहित वृत्तिदान बीमा योजना
31.	105	जीवन गृह	गैर-भागीदारी	पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय दुगुणी बीमित राशि सहित वृत्तिदान बीमा योजना
32.	106	जीवन सुरभि	भागीदारी	आवधिक रूप से देय उत्तरजीविता लाभों सहित 15 वर्षीय सीमित अदायगी योजना

1	2	3	4	5
33.	107	जीवन सुरभि	भागीदारी	आवधिक रूप से देय उत्तरजीविता लाभों सहित 20 वर्षीय सीमित अदायगी योजना
34.	108	जीवन सुरभि	भागीदारी	आवधिक रूप से देय उत्तरजीविता लाभों सहित 25 वर्षीय सीमित आदयगी योजना
35.	114	जीवन आधार	भागीदारी	विक्लांग आश्रितों को लाभों के प्रावधान सहित सीमित अदायगी आजीवन योजना
36.	121	आशा दीप-II	भागीदारी	जीवन बीमा की अनोखी योजना कैंसर, अधरंग, दोनों गुर्दों का बेकार होना तथा धमनी बीमारी नामक चार प्रमुख रोगों के जोखिम को कवर करती है।
37.	131	जीवन आशा-I	भागीदारी	शल्य चिकित्सा के लिए निश्चित लाभ सहित वृत्तिदान योजना
38.	133	जीवन मित्र तिगुणा कवच	भागीदारी	पालिसी के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय तिगुनी बीमित राशि सहित वृत्तिदान बीमा योजना
39.	135	बाल विद्या	भागीदारी	बच्चों के लिए एकल प्रीमियम योजना जो निश्चित अंतरालों पर वार्षिकी देती है।
40.	136	जीवन विश्वास	भागीदारी	विक्लांग आश्रितों के लिए वृत्तिदान बीमा योजना
41.	140	बीमा प्लस	आवधिक बीमा भागीदारी गैर भागीदारी	यूनिट संबधित योजना
42.	142	नया बीमा निवेश	भागीदारी	मृत्यु होने अथवा परिपक्वता पर देय संयुक्त गारंटीशुदा अतिरिक्त अदायगी सहित पांच तथा दस वर्षीय एकल प्रीमियम योजना
43.	146	नया जीवन अक्षय-I	गैर-भागीदारी	तत्काल वार्षिकी योजना
44.	147	नई जीवन सुरक्षा-I	भागीदारी	वैयक्तिक पेंशन योजना जो 50 से शुरू होकर 79 वर्ष तक पेंशन प्रदान करती है।
45.	148	नई जीवन धारा-I	भागीदारी	समापन एक मुश्त अदायगी के विकल्प सहित आस्थगित वार्षिकी योजना
46.	149	जीवन आनन्द	भागीदारी	वृत्तिदान तथा आजीवन योजना का मिश्रित रूप
47.	150	नई बीमा किरण	भागीदारी	आवधिक बीमा योजना जो परिपक्वता पर प्रीमियम राशि की वापसी अदायगी तथा परिपक्वता के बाद 10 वर्ष के लिए नि:शुल्क बीमा कवच प्रदान करती है।
48.	151	नई जीवन श्री	भागीदारी	5 लाख रुपए की न्यूनतम बीमित राशि सहित सीमित अदायगी द्वारा वृत्तिदान बीमा

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

5060. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 550 करोड़ रुपये का उपयोग करके 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया के लिए चयनित 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन-कौन से हैं और अंश पूंजी में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया 1994-95 में प्रारम्भ हुई थी। मार्च, 2000 तक, 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को पुनर्पूंजीकरण सहायता दी जा चुकी है। इन 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 158 क्षेत्रीय बैंक पूर्ण रूप से पूनर्पूंजीकृत है और 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आंशिक रूप से पुनर्पूंजीकृत हैं। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक पुनर्पूंजीकरण सहायता नहीं दी गई है। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता की आवश्यकता नहीं है। बजट संबंधी प्रतिबंधों के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सका। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है। कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निकट भविष्य में अपना कारबार स्वयं करने में समर्थ होंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुसंधान और विकास गतिविधियां

5061. श्री दिनशा पटेल:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु अनुसंधान और विकास के क्या क्रिया-कलाप शुरू किये गए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुसंधान एवं विकास के क्रिया-कलाप से किस सीमा तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वर्तमान सन्दर्भ में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनुसंधान व विकास कार्यकलाप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनुसार अलग-अलग हैं, जो प्रौद्योगिकी के स्तर तथा उत्पाद/सेवा के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी गई है कि उन्हें स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में लगातार मजबूती बनाए रखने के लिए अपने अनुसंधान व विकास प्रयासों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और अपनाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी की स्थिति का आकलन करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुसंधान तथा विकास प्रयासों की क्षमता का परिवीक्षण सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उद्यम/प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है तथा इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

ब्रिटेन निर्मित कपास का प्रभाव

5062. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयातित विवादास्पद ब्रिटेन निर्मित कपास पर किसी प्रकार की रियायत दिये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार समाचार माध्यमों में प्रकाशित इस समाचार से अवगत है कि उक्त नीति भारतीय वस्त्र उद्योग के हित में नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) इस तरह की कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं लायी गयी है।

अनुकंपा आधार पर रोजगार

5063. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय और मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के उन अधिकारियों के वर्षवार/कार्यालयवार नाम और पद क्या हैं जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर उचित रोजगार प्रदान किया जा चुका है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) मृत अधिकारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को कब तक अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान कर दिया जायेगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुकंपा के आधार पर प्रदान किया रोजगार, पदों की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर है।

विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कार्यालय का नाम	सेवा काल के दौरान मृत अधिकारियों के नाम व पद	उन पात्र आश्रितों के नाम जिन्हें उचित रोजगार प्रदान किये गये हैं।	उन आश्रितों के नाम जिन्हें उचित रोजगार प्रदान नहीं किये गये हैं।
1	2	3	4	5	6
1.	1999	**विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)**	श्री प्रेम सिंह, ड्रा.	श्री प्रेम सिंह	–
2.			श्री छेदी लाल, चौकीदार	–	श्री छेदी लाल
3.			श्री ओ.पी.राय., एस.के./एसी	–	श्री ओ.पी. राय
4.			श्री राजा राम, अनुदेशक	–	श्री राजा राम
5.			श्री एच.आर. जायसवाल, सी टी ओ	–	श्री एच.आर. जायसवाल
6.			श्री सोहन लाल, स. अनु.	–	श्री सोहन लाल
7.			श्री वाई.बी. गायकवाड़, चप.	–	श्री वाई बी. गायकवाड़
8.			श्री प्रभात कुमार, एलके/ एसी	–	श्री प्रभात कुमार
9.			श्री तरंजीत सिंह, एलके/एसी	–	श्री तरंजीत सिंह
10.			श्री एम.एस.भट्ट, अनुदेशक	–	श्री एम.एस. भट्ट
11.			श्री बदरुद्दीन, अनुदेशक		श्री बदरुद्दीन
12.			श्री के. रमन्ना, सफाई कर्म.	–	श्री के. रमन्ना
1.	2000		श्री कन्हैया लाल, ड्राइवर	–	श्री कन्हैया लाल
2.			श्री के. अल्गन	–	श्री के. अल्गन
3.			श्री पी.पी. नवाही	–	श्री पी.पी. नवाही
4.			मो. युसुफ खां चौकी.	–	मो. युसुफ खान
5.			श्री कृष्ण कुमार, स.नि.(ए एंड सी)	–	श्री कृष्ण कुमार

1	2	3	4	5	6
6.			श्री प्यारा राम, अ.अ.	–	श्री प्यारा राम
7.			श्री कृष्णा नंद, चपरासी	–	श्री कृष्णा नंद
8.			मो. इशहाक, एसके/एसी	–	मो. इश हक
9.			श्री राजा राम, अनुदेशक	–	श्री राजा राम
1.	2001		श्री तेजपाल सिंह, उ.भे. लि.	–	श्री तेजपाल सिंह
2.			श्री अनिल डोगरा, एच.पी.ओ.	–	श्री अनिल डोगरा
3.			श्री सरूजित सिंह, एस.के./एसी	–	श्री सरूजित सिंह
4.			श्री गु.र. भट्ट, चौकीदार	–	श्री गु. रसूल भट्ट
		विकास आयुक्त (हथकरघा)			
1.	1999		श्री मो. सिंह	श्री मोर सिंह, चौ.	
2.			श्री शेर अली , अवर श्रे. लि.	–	श्री शेर अली
3.			श्री प्रेम सिंह, रेंगरेज	–	श्री प्रेम सिंह
4.			श्री एस. कृ. नायक, प्रिंटर	–	श्री एस. कृष्णा नायक
1.	2000		श्री नबाब सिंह, उ.श्रे. लि.	–	श्री नबाब सिंह
2.			श्री रजिंद्र सिंह, चौ.	–	श्री रा सिंह
3.			श्री मोहिंद्रर सिंह, चौकीदार	श्री मोहिद्र सिंह	–
4.			श्री दलिप सिंह, क. बढ़ई	श्री दलिप सिंह	–
5.			श्री प. बहा. सिंह, हमल	–	श्री प. बहादुर
6.			श्री के. वेकंटेशन, चौकी.	–	श्री के. वेंकटेसन
7.			श्री के.बी. वकलकर, बढ़ई	–	श्री के.बी. वकलकर
1.	2001		श्री बी.वी. बीरगांवकर यूडीसी	–	श्री बी.वी. बीरगांवकर
2.			श्री जे. के देवरी, से. कटर	–	श्री जे. के देवरी
3.			श्री वी. प्रभाकर नायडु, अ.श्रे.लि.	–	श्री वी. प्रभाकर नायडु
4.			श्री लक्ष्मी चंद, पेशागत परिचर	–	श्री लक्ष्मी चंद
5.			श्री अभिमन्यु प्रसाद सहायक मास्टर, श्रेणी-1	–	श्री अभिमन्यु प्रसाद
6.			श्री बी.एन. सिंह, ड्राइवर	–	श्री बी.एन. सिंह
7.			श्री एस. थियागराजन, उ.श्रे.लि.	–	श्री थियागराजन

1	2	3	4	5	6
8.			श्री आर. गुनसीलन, चौ.	–	श्री आर. गुनसीलन
	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय				
1.	1999		श्री किशोर खड़के, अ.श्रे.लि.	श्री किशोर खड़के	–
2.			श्री दिनेश होडर, चपरासी	–	श्री दिनेश होडर
3.			श्री एम.पी. सोलंकी, चपरासी	श्री एम.पी. सोलंकी	–
1.	2000		श्री क्यू.जे. मोटिरिओ, सहा.	–	श्री क्यू.जे.मोटेरिओ
1.	2001		श्री एच.सी. देशी, उ.श्रे.लि.	–	श्री एच.सी. देसी
2.			श्री जे.बी. भालेराव, सहायक	–	श्री जे.बी.भालेराव
3.			श्री एस.बी. पांडे, चौकी.	–	श्री एस.बी. पांडे
4.			श्री अनिरुद्ध चौधरी, उ. श्रे.लि.	–	श्री अनिरुद्ध चौधरी
5.			श्री के. शिशुपाल, ईआई (टी)	–	श्री के. शिशुपाल
	पटसन आयुक्त का कार्यालय				
1.	1999			शून्य	
2.	2000				
3.	2001				
	वस्त्र मंत्रालय (मुख्य)				
1.	1999			शून्य	
2.	2000				
3.	2001				

लेवी चीनी का वितरण

5064. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु आंध्र प्रदेश की लेवी चीनी की वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या राज्य की पूरी आवश्यकता के अनुरूप लेवी चीनी जारी की जा रही है और उसे लिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता और जारी की गयी लेवी चीनी के बीच कितना अन्तर है; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश राज्य को लेवी चीनी का मासिक आबंटन 01.03.2000 की प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 500 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर पर किया जाता है। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए

आंध्र प्रदेश राज्य का लेवी चीनी का वर्तमान मासिक आबंटन 9690 मी. टन बैठता है। समस्त आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक माह निर्मुक्त किया जाता है।

मुक्त प्रस्ताव संबंधी खंड

5065. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 20 प्रतिशत मुक्त प्रस्ताव संबंधी खंड में छोटे निवेशकों को महत्व देने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, इस संबंध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि लघु निवेशकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात 1 लाख रुपए अथवा 1000 शेयरों तक के लघु निवेशकों को बड़े निवेशकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रभावत: बोलीकर्ता/अधिग्रहणकर्ता के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह खुली पेशकश में लघु निवेशकों द्वारा प्रस्तावित शेयरों की पूर्ण मात्रा का क्रय करे।

(ग) और (घ) यह मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को भेजा गया था। सेबी ने यह सूचित किया है कि खुली पेशकश में शेयरधारकों के एक वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी सुझाव को स्वीकार करना निम्नांकित कारणों से व्यवहार्य नहीं होगा। कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत लघु शेयरधारकों को बड़े शेयरधारकों से भिन्न नहीं माना जाता है। ऐसा कोई उपाय निवेशक को किसी खुली पेशकश के पूर्व अपने शेयर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को हस्तांतरित करने तथा अपने सभी शेयर स्वीकृत करवाने हेतु उतनी संख्या में शेयर विभिन्न नामों के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सेबी को सभी शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है।

दसवीं कक्षा के उपरांत दी जाने वाली छात्रवृत्ति

5066. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री शशि कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने दिनांक 3 अगस्त, 2000 के संदर्भ एस.डब्लू.डी. 380, एस.ई.डब्लू. 2000 के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रयोजित योजना-दसवीं कक्षा के उपरांत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 1101.07 लाख रुपये का हिस्सा जारी करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त धनराशि जारी कर दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) इस धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) कर्नाटक सरकार को वर्ष 2000-01 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 1111.61 लाख रु. की राशि की स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता दिनांक 8.1.2001 के पत्र के तहत निर्मुक्त की गई।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व एशिया में उभरते हुए बाजार के लिए सुझाव

5067. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग और निर्यातकों से दक्षिण-पूर्व एशिया में उभरते हुए बाजार की वास्तविकताओं से निपटने तथा एशियन क्षेत्र और चीन के साथ व्यापार में भारत की भागीदारी का संरक्षण और उसमें वृद्धि के लिए शीघ्र सुझाव भेजने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय उद्योग और निर्यातकों से कौन-कौन से सुझाव प्राप्त हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी):(क) और (ख) निर्यात बाजारों को अभिज्ञात करना और ऐसे अभिज्ञात बाजारों में अवसरों का मूल्यांकन करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे देश में सभी निर्यात संवर्धन निकायों द्वारा किया जाता है। भारतीय उद्योग विश्व व्यापार जिसमें आशियान क्षेत्र तथा चीन के साथ व्यापार शामिल है, में भारत के हिस्से का संरक्षण करने और उसको बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुझाव देता है। इनकी जांच की जाती है और निर्यात कार्यनीति, एक्जिम नीति तैयार करते समय और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में घोषित मध्यावधि निर्यात कार्यनीति, 2002-07 में 25 फोकस बाजारों का पता लगाया गया है जिनमें चीन सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी शामिल हैं।

निजाम चीनी मिल

5068. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निजाम शुगर लिमिटेड ने चीनी विकास कोष से गन्ने के विकास के लिए 17.88 और 5.88 करोड़ रुपए के ऋण का लाभ उठाया;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने निजाम शुगर लिमिटेड की दोनों इकाइयों के निजीकरण का निर्णय लिया है और केन्द्र सरकार से शेष ऋण को माफ करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने पुनर्भुगतान की अवधि को बढ़ाने का भी आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद):(क) से (ङ) निजाम शुगर्स लिमिटेड की तीन यूनिटों को आधुनिकीकरण/विस्तार के चीनी विकास निधि से 17.89 करोड़ रुपये का कुल ऋण वितरित किया गया था। इसके अलावा, निजाम शुगर्स लिमिटेड की सात यूनिटों को गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि के कुल 8.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने निजाम शुगर्स लिमिटेड की सभी यूनिटों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है और उसने अनुरोध किया है कि निजाम शुगर्स लिमिटेड द्वारा चीनी विकास निधि से लिए गए ऋण से मूलधन और उस पर ब्याज को माफ कर दिया जाए। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि ऐसी माफी के लिए सहमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में ऋण की अदायगी की माफी की अनुमति नहीं है।

राज्य सरकार ने बाद में चीनी विकास निधि के ऋण की अदायगी ऋणस्थगन की अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष करने के लिए अनुरोध किया था ताकि जब तक कंपनी की यूनिटों की निजी संवर्धनों को अंतरित नहीं कर दिया जाता तब तक कंपनी को कुछ राहत प्रदान की जा सके। चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में ऋणस्थगन की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

तथापि, चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में यह व्यवस्था है कि ऋण की अदायगी अथवा उसकी किसी किस्त का उस पर ब्याज की अदायगी में चूक होने के मामले में चूक की राशि पर प्रति वर्ष ढाई प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा। ऋण की सम्पूर्ण अदायगी चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में विहित उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित होती है।

कन्या शिशु के प्रति भेदभाव

5069. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कन्या शिशु के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने और अपराध करने के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई पर्याप्त कानूनी प्रावधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के सभी प्रावधान 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत कन्या शिशु के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद

5070 श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने सितम्बर, 2001 में सिकन्दराबाद में "एप्परोपरिएट मॉडल्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड्स" विषय पर कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) क्या कार्यशाला ने अन्य बातों के साथ-साथ विशेष शिक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) विकलांगता पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति मसौदा में विशेष शिक्षा के घटक को पहले ही शामिल कर लिया गया है।

पाम ऑयल का आयात

5071. श्री टी. गोविन्दन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया से पाम ऑयल का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार कितने पाम ऑयल का आयात किया गया;

(ग) क्या इस आयात से घरेलू तिलहन उत्पादकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) दिसंबर, 2001 तक वर्षवार आयातित क्रुड/रिफाइंड पाम तेल और इसके अंशों की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन) (अप्रैल से मार्च)
1998-99	11.73
1999-00	21.22
2000-01	17.21
2001-02 (दिसंबर, 01 तक)	10.39

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5072. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर हाल ही में निगरानी समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर उक्त समितियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सर्तकता समितियों के रूप में मानीटरिंग समितियों की अवधारणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है।

मार्च, 1987 में जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिशानिर्देशों और फरवरी, 1997 में जारी किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिशानिदेशों के अनुसार राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में सतर्कता समितियों का गठन करें। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु नवम्बर, 1997 में जारी मॉडल सिटीजन चार्टर में पंचायत/वार्ड, तालुक, जिला और

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा सतर्कता समितियों का गठन करने पर जोर दिया गया है। जून, 1999 में जारी पंचायती राज्य संस्थानों के दिशानिर्देशों में भी यह कहा गया है कि उचित दर दुकान समितियों का गठन करने के लिए ग्राम पंचायतों/ ग्राम सभाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनमें क्षेत्र की उचित दर दुकान और मौजूदा सतर्कता समितियों के सदस्यों और उपभोक्ताओं समूहों, महिलाओं के प्रतिनिधि तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणली की मानीटरिंग प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वह उचित दर दुकान, ब्लाक और जिला स्तर पर माह के दौरान हुई सतर्कता समितियों की बैठकों की संख्या के बारे में सूचना भेजें।

गोवा और दमन दीव को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग हेतु विभिन्न स्तरों अर्थात ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करने के बारे में सूचित किया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। राज्य के अंदर आबंटन करने, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की होती है।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आशा की जाती है कि वे अपने राज्य में सतर्कता समितियों के कार्यकरण की मानीटरिंग करेंगे और उपयुक्त सुधारात्मक उपाए करेंगे।

[अनुवाद]

निर्यातकों की नयी श्रेणी

5073 प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यतकों की नयी श्रेणी बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम नीति के अनुसार इन निर्यातकों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) अभ्यावेदनों के आधार पर देश की बड़ी निर्यात परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर बढ़ी हुई अवधि के लिए बैंक ऋण की आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24.09.2001 को भारत सरकार के परामर्श से निम्नलिखित चुने हुए उत्पादों के अधिक मूल्य वाले निर्यात के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की दिनांक 11.10.2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए घोषणा की है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है और उच्च मूल्य परिवर्द्धन वाला है:-

(क) फर्मास्युटिकल्स (ड्रग्स फाईन केमिकल्स सहित)

(ख) कृषि रसायन (अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायनों सहित)

(ग) परिवहन उपस्कर (वाणिज्यिक वाहन, दो पहिया और तिपहिया, ट्रैक्टर, रेलवे वैगन, लोकोमोटिव)

(घ) सीमेंट (ग्लास, ग्लास के बर्तन, सिरामिक्स और रिफ्रै ,टरिज)

(ङ) आयरन एवं स्टील (आयरन एवं स्टील की छड़ें, रॉड और प्राथमिक और अर्द्धनिर्मित आयरन एवं स्टील)

(च) इलेक्ट्रिकल मशीनरी (ट्रांसमिशन लाईन टावर स्वीच-गियर, ट्रांसफार्मरों सहित)

(छ) चमड़ा और चमड़े का सामान

(ज) कपड़ा।

विशेष वित्तीय पैकेज के अधीन शामिल किए गए निर्यातकों को सामान्य निर्यात ऋणों के लिए लागू क्रमश: 270 दिनों एवं 180 दिनों की अधिकतम अवधि की तुलना में लदान-पूर्व एवं लदानोत्तर चरणों में 365 दिनों तक की बढ़ी हुई अवधि के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

5074. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वर्गीकरण किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने समझौता ज्ञापनों के ठीक तरह से कार्यान्वित न होने के मामलों में क्या कार्रवाई की है

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) जी, हां।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे समझौता ज्ञापन के निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और क्रयादेश प्राप्त करने तथा लागत में कमी लाने इत्यादि में सहायता करने, पुनर्गठन करने के उपायों सहित बाधाओं का पता लगाया जाता है और तद्नुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	दर्जा
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल)	गुड
एन्ड्रू यूल एंड कंपनी लि. (एवाईसीएल)	पुअर
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि. (ईपीआई)	एक्सीलेंट
एचएमटी लि. (एचएमटी)	पुअर
भारत यंत्र निगम लि. (बीआईएनएल)	फेयर
भारत भारी उद्योग निगम लि. (बीबीयूएनएल)	वेरी गुड
हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल)	वेरी गुड
हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एचपीसी)	एक्सीलेंट

पंच सितारा होटलों पर बकाया कर

5075. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **वित्त मंत्री** होटलों पर आयकर छापे के बारे में 31.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6078 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नयी दिल्ली में निको होटल सहित कई पंच सितारा होटलों से बकाया करों की वसूली नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन होटलों से बकाया करों की वसूली के लिए इन होटलों के गत वर्ष के दस्तावेजों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिनांक 21.11.2000 को ली गई तलाशी के आधार पर निक्को होटल, नई दिल्ली के मामले में अप्रकटित आय का कर निर्धारण जारी है। इसे रिकार्ड की संवीक्षा करने के बाद दो वर्ष की सांविधिक समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद कर की वसूली की जायेगी।

[हिन्दी]

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को तीन भागों में बांटा जाना

5076. श्री सुकदेव पासवान:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को तीन भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त पुनर्गठन कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विशेषज्ञ समितियों ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश की है तथा सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

शेयरधारकों के हित

5077. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शेयरधारकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान जनता, संसद सदस्यों और संगठनों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी द्वारा राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से आयोजित और जून, 2000 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 18 मिलियन वैयक्तिक निवेशकों को प्रतिबिंबित करने वाले सभी भारतीय घरानों के 7 प्रतिशत से पास इक्विटी शेयर थे।

(ख) शेयरधारकों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों में, अन्य के अलावा, ये शामिल हैं : (1) सेबी ने प्रतिभूतियों के अभौतिककरण को महत्व देने और अभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियों के व्यापार करने के अनेक उपाय किए हैं, (2) व्यापार हेतु चल निपटान प्रारंभ करने से कार्यप्रचालनात्मक दक्षता में सुधार हुआ है, (3) सेबी ने प्रतिभूतियों में निवेशों से जुड़े जोखिमों के बारे में निवेशकों को शिक्षित करने व सतर्क रहने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है, (4) सेबी द्वारा स्थापित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के अर्न्तगत सेबी को कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों से प्राप्त शिकायतों को स्वीकार किया जाता है और शिकायतकर्ता को संदर्भ संख्या भिजवाई जाती है। इन शिकायतों को संबधित कंपनियों के समक्ष उठाया जाता है निवारण के लिए रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। सेबी समय-समय पर सुलझाए जाने तक शिकायतों के निवारण का अनुवीक्षण करता है।

(ग) और (घ) सरकार को शेयर धारकों के हितों के संरक्षण के बारे में संसद सदस्यों और संगठनों से सुझाव व अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें, अन्य बातों के अलावा, सेबी अधिग्रहण कोड और असूचीकरण मानदंडों से संबधित मुद्दे शामिल हैं। सेबी ने समुचित कार्रवाई शुरू की है।

राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग

5078. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों में विशेषकर राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों के स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे परिवारों की पहचान की जा चुकी है और उन्हे पहचान पत्र/राशन कार्ड जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) वर्ष 1999-2000 में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के ब्यौरे जो कि योजना आयोग द्वारा अनुमानित तथा उपभोक्ता व्यय पर आधारित है, विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जनजातियों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार आदिवासी उप-योजना (टी एस पी) तथा विशेष संघटक योजना (एस सी पी) के अंतर्गत, निधियों का निर्धारण राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध योजना निधि से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमश: अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं, जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे अनु.जा./अनु.जन. जनसंख्या का प्रतिशत 1999-2000

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अनु. जा.	अनु. जन.	अनु. जाति	अनु. जन.
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.49	23.82	41.42	44.99

1	2	3	4	5	6
2.	असम	44.00	38.73	19.99	2.70
3.	बिहार	59.81	59.68	51.91	39.47
4.	गुजरात	17.77	29.11	29.13	36.66
5.	हरियाणा	19.03	0.00	25.38	0
6.	हिमाचल प्रदेश	13.15	5.73	6.74	0
7.	कर्नाटक	26.22	25.49	47.01	51.37
8.	केरल	14.64	24.20	24.15	0
9.	मध्य प्रदेश	41.29	56.26	54.24	52.59
10.	महाराष्ट्र	33.27	43.56	39.88	42.98
11.	उड़ीस	51.83	73.93	70.59	59.59
12.	पंजाब	12.39	17.99	11.30	12.95
13.	राजस्थान	19.62	25.27	41.82	20.71
14.	तमिलनाडु	32.59	43.20	44.94	5.22
15.	उत्तर प्रदेश	43.65	34.06	43.51	13.27
16.	प. बंगाल	35.10	50.02	28.15	31.88
	समस्त भारत	36.25	45.86	38.47	34.75

कृपया ध्यान दें: (1) समस्त जनसंख्या के लिए गरीबी की रेखा का प्रयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाता है।

(2) अखिल भारतीय औसत व्यक्तियों के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) तथा (अस्पष्ट) अखिल भारतीय गरीबी रेखा से तैयार किया जाता है।

विवरण II

अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई/कार्यान्वित योजनाओं की सूची

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं

1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. पी.सी.आर. एवं अत्याचार निवारण
5. अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
7. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
9. पुस्तक बैंक
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास
11. मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
12. कोचिंग एवं संबद्ध योजना
13. अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय स्वरूप की सहायक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)

14. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन

15. अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

16. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

1. आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

2. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान

3. आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।

4. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहयता अनुदान

5. आदिम जनजाति समूहों का विकास

6. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन

9. आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।

10. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों का होस्टल

11. अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल

12. जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना

13. जनजाति अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान

14. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना

15. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना

16. ग्रामीण अन्न बैंक योजना

17. राज्य जनजाति विकास वित्त निगम

18. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

[हिन्दी]

खाद्य तेल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता में कमी

5079. श्री रामपाल सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता लगातार कम होती जा रही है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998-99 में खाद्य तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के स्तर की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान इसका स्तर कितना था; और

(घ) आत्मनिर्भरता में कमी को देखते हुए आगामी वर्षों में खाद्य तेल के आयात में कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) तिलहनों का उत्पादन और घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की उपलब्धता खाद्य तेलों की मांग से कम रही है। इसलिए खाद्य तेलों का आयात आवश्यक हो गया है। तिलहनों का उत्पादन और घरेलू स्त्रोतों से खाद्य तेलों की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव होता रहता है। घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता, 1998-99 और 2001-02 में इनका आयात तथा कुल खपत (आत्मनिर्भर) के प्रति घरेलू उपलब्धता का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

वर्ष	घरेलू स्त्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता (लाख टन) में	आयात (लाख टन में)	आत्मनिर्भरता (प्रतिशत)
1998-99	69.61	26.22	72.22
2001-02*	63.01	35.00	64.29

* अनुमानित आंकड़ें।

(घ) निर्यात-आयात नीति के अनुसार नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। इस प्रकार खाद्य तेलों का आयात आयातकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

5080. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनावार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त राशि का ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिए 5786.00 करोड़ रु. आबंटित किया है।

चाय के निर्यात को बढ़ाने हेतु कृतिक बल

5081. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड ने चाय का निर्यात बढ़ाने हेतु कोई कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मौजूदा कृतिक बलों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके बीच कार्य विभाजन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) से (ग) जी, हां। चाय बोर्ड ने मै. एक्सेंचर इंडिया (प्रा.) लि. द्वारा तैयार की गई मध्यावधि निर्यात कार्यनीति को क्रियान्वित करने के लिए चाय उद्योग के प्रतिनिधियों तथा चाय बोर्ड के सदस्यों के 10 कार्यबलों का गठन किया है।

गठित किए गए कार्यबलों को निम्नलिखित क्रियाकलाप सौंपे गए हैं-

1. उत्पाद मिश्रण-परम्परागत रुपांतरण
2. संवर्धन तथा विपणन लोगो विकास
3. निर्यात रेटिंग पद्धति, अवस्थापना तथा सेवा स्तर
4. निर्यात बाजार का विविधीकरण
5. बाजार का सुदृढ़ीकरण
6. विशेष क्षेत्र, दार्जिलिंग तथा मूल्यवर्धन
7. गुणवत्ता सुधार
8. लागत में कमी
9. सूचना का प्रचार
10. निधियों का स्रोत।

[अनुवाद]

चीनी मिलों में बिजली उत्पादन इकाइयां

5082. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों को अपनी निजी रक्षित बिजली उत्पादन इकाई स्थापित करने हेतु धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित संशोधन से, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार किसी भी चीनी फैक्ट्री अथवा तत्संबंधी किसी भी इकाई को खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन के लिए ऋण प्रदान कर सकेगी ताकि वह अपनी व्यवहार्यता में सुधार कर सके।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5083. श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय और उनके मंत्रालय के उपक्रमों में कितने अधिकारियों के श्रेणी-वार/पद-वार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है;

(ख) इन कर्मचारियों को उपक्रमवार कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को इसके परिणाम-स्वरूप बंद भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी सेवानिवृत्तियों से उनके मंत्रालय और उपक्रमों से सुचारू कार्यकरण पर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(छ) क्या सरकार ने अगले माह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए योजना आयोग से दो सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की अनुग्रह राशि के लिए व्यय को पूरा करने हेतु जिसे योजना आयोग को प्रक्षेपित किया गया है संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरों के अनुसार 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसे 2002-03 के बजट प्लान साइड में मुहैया नहीं कराया गया है। वीआरएस की अनुग्रह राशि के लिए सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उपक्रमों की अपेक्षा को पुनर्विनियोजना और/अथवा पूरक अनुदान मांग के जरिये अतिरिक्त निधियां मांग कर विभाग के गैर-योजना बजट से पूरा किया जायेगा।

विवरण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए अपेक्षित अनग्रह राशि

क्रम. सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	रुपये करोड़ में
1	2	3
1.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. (एचईसी)	14.75
2.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि. (बीपीसीएल)	17.00
3.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल)	10.00
4.	प्रागा टूल्स लि. (पीटीएल)	19.80
5.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई)	46.00
6.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. (एचपीएफ)	13.30
7	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल)	1.25

1	2	3
8.	बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल)	52.00
9.	नेपा लि. (नेपा)	3.60
10.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि. (एनपीपीसी)	3.88
11.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल)	4.74
12.	एन्ड्रू यूल एंड कंपनी लि. (एवाईसीएल)	8.20
	कुल	194.52*

(*लगभग 2000 करोड़ रुपये)

पूर्वोत्तर में सीमावर्ती व्यापार

5084. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और इनकी सीमा से लगे देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती व्यापार की निगरानी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र और उससे लगे देशों में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार से संबंधित अवस्थापना के विकास और निर्यातों में आने वाली कठिनायों को दूर करने के लिए 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इस उद्देश्य के लिए 31.03.2002 तक 41.69 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना के अनुसार व्यापार से संबंधित अवस्थापना के विकास के लिए जोखावथार (मिजोरम), मोरेह (मणिपुर), डावकी (मेघालय) और सुतारखंडी (असम) में चार सीमावर्ती कस्बों को अभिज्ञात किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि योजना के तहत पूर्वोत्तर में व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों में सहायता देने के लिए कुल 6.61 करोड़ रु. की राशि के साथ 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर में सीमा व्यापार और अन्तरदेशीय व्यापार मुद्दों की निगरानी पूर्वोत्तर संबंधी शक्ति प्रदत्त समिति के जिरिए और इस संबंध में प्रगति की नियमित समीक्षा के जरिए निकट से की जा रही है।

पैकेट-बंद वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य

5085. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं पर उल्लिखित अधिकतम खुदरा मूल्य उत्पादन की वास्तविक लागत की तुलना में सामान्यतया बहुत अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) बाट तथा माप (पैकेज में रखी वस्तुएं) मानक नियम, 1977 के तहत खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत पैकेजों पर "अधिकतम खुदरा मूल्य... सभी करों सहित" के रूप में खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा करना अपेक्षित है। सरकार को ऐसे पैकेजों में रखी विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत के बारे में सूचना नहीं होती।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में कमी

5086. श्री नरेश पुगलिया: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने गुणवत्ता वाली पाव और ब्रेड बनाने हेतु पाव और ब्रेड विनिर्माताओं के लिए निर्यात मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) जी हां। सस्ती दरों पर पाव और अन्य बेकरी उत्पाद तैयार करने के लिए 415/-रुपए प्रति क्विंटल के निर्यात मूल्यों पर महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से अगले दो वर्षों के लिए 1 लाख टन गेहूं प्रति माह रिलीज करने हेतु महाराष्ट्र बेकर्स एसोशिएशन संघ से क्योंकि गेहूं से बेकरी उत्पाद तैयार करने के लिए केवल बेकरी वालों को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। गेहूं के अन्य बल्क खरीदारों की तरह महाराष्ट्र के बेकरी मालिक भी समय-समय पर लागू दरों पर गेहूं की चालू खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की वांछित मात्रा खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। फरवरी, 2002 से गेहूं की खुली बिक्री के निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यवार निर्धारित किए जा रहे हैं। और अप्रैल, 2002 माह के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ठोस गेहूं/चमकहीन गेहूं के निर्गम मूल्य (2001-2002) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अप्रैल, 2002 माह हेतु गेहूं की राज्यवार खुली बिक्री दरें

दर प्रति क्विंटल (रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चमकहीन गेहूं 2001-02	ठोस गेहूं
1	2	3	4
	उत्तरी जोन		
1.	दिल्ली	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	655
2.	चंडीगढ़	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	655
3.	पंजाब	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	655
4.	हरियाणा	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	655
5.	उत्तर प्रदेश	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	665
6.	उत्तरांचल प्रदेश	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	665
7.	राजस्थान	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	665
8.	हिमाचल प्रदेश	620	660
9.	जम्मू और कश्मीर	630	670
	दक्षिणी जोन		
10.	तमिलनाडु	685	725
11.	पांडिचेरी	685	725

1	2	3	4
12.	केरल	685	725
13.	आंध्र प्रदेश	680	720
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	690	730
15.	लक्षद्वीप	690	730
16.	कर्नाटक	680	720
	पूर्वी जोन		
17.	बिहार	640	680
18.	पश्चिम बंगाल	660	700
19.	सिक्किम	665	705
20.	उड़ीसा	665	705
21.	झारखण्ड	650	690
	उत्तर पूर्वी जोन		
22.	असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य	675	715
	पश्चिमी जोन		
23.	महाराष्ट्र	655	695
24.	गोवा	660	700
25.	मध्य प्रदेश	स्थानीय बिक्री हेतु नहीं*	670
26.	छत्तीसगढ़	650	690
27.	गुजरात	650	690
28.	दमन और दीव	650	690
29.	दादर और नगर हवेली	650	690

*तथापि, वसूली न करने वाले क्षेत्रों को चमकहीन गेहूं वर्तमान निदेशों के अनुसार भेजना जारी रखा जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे में कमी

5087. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के 'दी पायनियर' में "मिनिस्ट्री टारगेट्स 91 परसेंट कट इन लौसवेर आफ पी एस ईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कार्य योजन तैयार की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के 49 उपक्रमों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निष्पादन को बेहतर बनाने के कदमों में जहां कहीं उपयुक्त हो वित्तीय पुनर्संरचना करना, विपणन और वित्तीय कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना, क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराना और कामगारों का युक्तिकरण करने सहित लागत में कमी करने के लिए उपाय करना शामिल है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+) हानि (–) (कर पूर्व) दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (अनुमानित)	2002-2003 (अनुमानित लक्ष्य)
1	2	3	4	5
(क)	सरकारी क्षेत्र के लाभ कमा रहे उपक्रम***			
1.	हुगली प्रिंटिंग	0.05	0.48	0.52
2.	भेल	294.00	667.00	739.00
3.	ब्रेथवेट	1.74	-15.54	-7.85
4.	बीबीजे	0.60	0.11	0.20
5.	टीएसपी	0.07	-1.50	0.20
6.	पीएचपीवी	0.94	1.00	1.00
7.	एचपीसी	32.80	44.65	48.32
8.	बीएंडआर	3.39	5.00	5.40
9.	ईपीआई	17.76	9.75	10.60
10.	एचएमटी (धारक कंपनी)	24.41	1.17	29.25
11.	एचएमटी (बी)	2.21	1.04	2.59
12.	एचएमटी (आई)	0.38	1.04	1.19
13.	आरईआईएल	0.43	0.80	1.05
14.	एसआईएल	5.10	4.31	4.47
15.	एचएनएल	30.35	22.53	14.74
	(क) का उपयोग	414.23	741.84	850.68

1	2	3	4	5
(ख) सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रम				
16.	एवाईएंड कंपनी	-26.78	-21.67	-2.53
17.	बीबीवीएल	-9.29	-7.13	*
18.	बीपीसीएल	-5.59	0.50	1.00
19.	बीएससीएल	-45.22	-35.52	-14.51
20.	जेसप	-48.77	-34.05	-19.90
21.	बीडब्ल्यूईएल	-4.69	-4.63	0.67
22.	आरबीएल	-2.68	*	*
23.	पीपीएमई**	-43.88	*	*
24.	डब्ल्यूईएल**	-10.26	*	*
25.	आरएंडसी	-8.15	-4.80	-4.50
26.	टीएसएल	-45.92	-15.00	-6.50
27.	सीसीआईएल**	-46.48	*	*
28.	एचसीएल	-71.41	-199.89	-132.62
29.	एचईसी	-189.26	-88.77	-66.12
30.	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-96.17	-49.61	-8.50
31.	एचएमटी (वाच)	-59.18	-29.78	38.99
32.	एचएमटी (चिनार)	-7.95	-6.45	-4.42
33.	पीटीएल	-34.49	-19.11	-13.92
34.	आईएलके	-34.52	-24.74	7.50
35.	एमएएमसी**	-197.97	*	*
36.	एनबीसीआईएल**	*	*	*
37.	एनआईएल	-4.48	-3.57	0.89
38.	बीओजीएल	-24.88	-29.35	-32.10
39.	सीसीआई	-230.76	-209.08	-182.39
40.	एनपीपीसी	-15.26	*	*
41.	एचपीएफ	-328.16	-346.08	-380.55

1	2	3	4	5
42.	एचएसएल	-2.19	-1.66	-1.00
43.	एसएसएल	-3.27	-0.80	0
44.	नेपा	-2.26	-15.39	-18.06
45.	आरआईसी**	*	*	*
46.	टैफ्को**	*	*	*
47.	टीसीआईएल	-66.43	-65.68	-61.91
48.	बीएलसी	-2.42	*	*
49.	एनआईडीसी	-6.83	-11.14	-9.56
	उप-योग (ख)	-1675.6	-1223.40	-893.04
	सकल योग (क एवं ख)	-1261.37	-481.56	-42.35

*पूरे वर्ष में कोई उत्पादन/प्रचालन नहीं हुआ।

**कंपनी को बंद कर दिया गया है।

***वर्ष 2000-01 के वर्गीकरण पर आधारित है।

[हिन्दी]

गरीब लोगों का बीमा

5088. श्री नागमणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीब लोगों को उनके घर में आग लगने पर ही बीमा सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को बाढ़, भूकम्प, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नष्ट हुए उनके घरों के लिए बीमा सुविधा प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) बीमा सुरक्षा न केवल आग बल्कि भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, तूफान, भू-स्खलन इत्यादि जैसी अन्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी है और जो सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् (1) नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (2) न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. (3) ओरियन्टल इंश्योरेंस कं. लि. और (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. के पास उपलब्ध हैं। ये सुरक्षाएं अपेक्षित प्रीमियम की अदायगी करके इन कंपनियों से खरीदी जा सकती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक हेतु विशेष पैकेज

5089. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित कुछ राज्य सरकारों ने वस्त्र उद्योग हेतु विशेष पैकेज की मांग करते हुए कुछ प्रस्ताव अग्रेषित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में शामिल की गई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को वित्तीय सहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों से सामान्यत: प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है; जहां आवश्यक होता है वहां योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप संशोधन के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाती है और निधियां जारी की जाती हैं।

कुछ राज्य सरकारों ने समय समय पर सीधे अथवा योजना आयगो के माध्यम से ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव किए हैं अथवा भेजे हैं जिन्हें मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है, जांच और टिप्पणियां दी जाती हैं तथा यदि संभव होता है तो निधियों के लिए ऐसे स्त्रोत के सुझाव दिए जाते हैं जिनसे राज्य संपर्क कर सकते हैं और राज्यों द्वारा इन प्रस्तावों में व्यक्त किए गए अनुसार क्षेत्र की आवश्यकताओं को नोट किया जाता है ताकि उन्हें मंत्रालय की भावी योजना स्कीमों और कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके।

अन्य राज्य सरकारों की ही तरह कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजे हैं। रेशमी सम्पथु नामक एक एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इस परियोजना को वित्त पोषण करने वाली किसी इच्छुक एजेंसी को वित्तीय सहायता के लिए भेज दिया जाए। इस परियोजना पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया, इसे पुन: बनाया गया और बाह्य वित्त पोषण के लिए इसे विचारार्थ विधिवत् भेजा गया।

मात्रात्मक प्रतिबंधों के तहत वस्तु सूची

5090. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मात्रात्मक प्रतिबंधों वाली प्रतिबंधित सूची और सरणीबद्ध सूची में अलग-अलग इस समय किन-किन मदों को रखा गया है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान उपर्युक्त सूचियों में हुए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जब मात्रात्मक प्रतिबंधों वाली सूचियों के तहत कोई मद नहीं रहेगा तो देश का आर्थिक ढांचा कैसा होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) इस समय प्रतिबंधित सूची में शामिल मदों के नाम निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में उपलब्ध हैं निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। राज्य व्यापार प्रणाली के तहत वर्तमान में जो मदें आती हैं उनके नाम भी उसमें उपलब्ध हैं।

(ख) भुगतान संतुलन के कारण आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को 31.3.2001 तक हटा लिया गया था। 715 ऐसी टैरिफ लाइनों पर अयात प्रतिबंध 31.3.2001 को हटा लिए गए थे। 715 टैरिफ लाइनों और 714 टैरिफ लाइनों (8 अंकीय स्तर पर) जिन पर ऐसे प्रतिबंध 31.3.2000 को हटाए गए थे की सूची संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) आयात पर लगे प्रतिबंध को सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में और हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार हटाया जा रहा है। इन प्रतिबंधों की समाप्ति से देश के आयातों की समग्र वृद्धि दर में बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2000-01 में आयात वृद्धि दर रुपए के रूप में केवल 7.27% और अमरीकी डालर के रूप में 0.27% थी। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के प्रथम नौ महीनों के दौरान आयातों में वृद्धि दर पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के रूप में केवल 0.31% और रुपए के रूप में 4.55% थी। जिन 714 मदों पर से 31.3.2000 को मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए थे। वर्ष 2000-01 के लिए उन मदों के आयात संबंधी आंकड़े इन मदों के अयातों में 6% से कम की वृद्धि दर्शाते हैं। इसी तरह उन 300 संवेदनशील मदों जिन पर सचिवों का एक स्थाई दल निगरानी रख रहा है, की आयातों में भी वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्रथम नौ महीनों में वृद्धि प्रदर्शित नहीं हुई है। इस प्रकार मांग और पूर्ति कारकों के उत्तर में जो दृश्य उभरता हैं वह एक सामान्य व्यापार कार्य कलाप का हैं।

प्रत्यक्ष करों हेतु राष्ट्रीय न्यायालय

5091. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्यक्ष करों हेतु एक राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। सरकार ने प्रत्यक्ष करों के लिए किसी राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। ये निम्नानुसार है:-

(1) आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान के लिए परामर्शदात्री समय सीमा विहित की गई है।

(2) मुकदमेबाजी की संख्या को कम करने के लिए उपबंधों को अधिनियमित किया गया है। आयुक्त के समक्ष अपीलों को दायर करने के लिए शुल्कें निर्धारित की गई हैं और तंग करने वाली अपीलों को हतोत्साहित करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के मामलों में अपील शुल्क में वृद्धि की गई है।

(3) न्यायालय में मामले को ले जाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रतीक्षा किए बिना उच्च न्यायालय में सीधे अपीलें दायर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(4) निर्णय अथवा विधि के प्रश्न अथवा विनिर्दिष्ट निवासियों के मामले में किसी कर निर्धारण से उद्भूत होने वाले तथ्य, तथा निवासियों द्वारा अनिवासियों के साथ किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित लेन-देनों से उद्भूत होने वाले मामलों के निर्धारण को शामिल करने के लिए अग्रिम विनिर्णयन प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया है।

(5) यह प्रावधान किया गया है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त हो जायेगा यदि ऐसी अपील पर निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा स्थगन आदेश के छः माह के भीतर नहीं कर दिया जाता है।

औद्योगिक नीति में श्रम प्रोत्साहन की मदें

5092. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान औद्योगिक नीति में श्रम प्रोत्साहन की मदों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) औद्योगिक नीति संबंधी विवरण-पत्र संसद के दोनों सदनों में दिनांक 24.7.1991 को रखा गया था। नीति के प्रमुख उद्देश्य उत्पादकर्ता और लाभप्रद रोजगार में निरंतर वृद्धि करना तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना है। नीति का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा करना, उनके कल्याण का संवर्धन करना और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की अनिवार्यता से निपटने के लिए उन्हें सभी प्रकार से सुसज्जित करना है।

[अनुवाद]

चीन द्वारा भारत के विरुद्ध पाटनरोधी जांच

5093. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारतीय प्थलिक एन्हड्राइड के निर्यात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) जी, हां।

(ख) चीन के थैलिक एनहड्राइड उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनियों द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर चीन ने भारत, जापान और कोरिया से थैलिक एनहड्राइड के आयातों के विरुद्ध 7.3.2002 को पाटनरोधी जांच शुरू की है। आवेदकों ने दावा किया है कि इन देशों से हुए इस उत्पादन के आयात से चीन के उत्पादकों को क्षति पहुंची है।

(ग) चीन को थैलिक एनहड्राइड का निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को चीन द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए जारी किए गए नोटिस का जवाब देना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्तुओं का जमा होना

5094. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में हथकरघा द्वारा खादी की वस्तुएं बुनकरों के पास जमा होती जा रही है:

(ख) क्या यह स्थिति विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा हथकरघा वस्तुएं न खरीदने के कारण पैदा हुई है:

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार के पास यह सूचना है कि खादी संस्थाओं के पास बड़ी मात्रा से खादी कपड़े के भण्डार भरे पडे हैं। तथापि, स्टाक की स्थिति जो दिनांक 1.4.2001 के अनुसार 778 करोड़ रुपये की थी दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार यह गिरकर 658 करोड़ रुपये तक आ गई थी।

जहां तक हथकरघा मदों का संबंध है, तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट दी है कि कांचीपुरम रेशम बुनकर सहकारी समितियों के पास एक से दो वर्ष तक के 33.98 करोड़ रुपये के भण्डार पड़े थे इसके अतिरिक्त हथकरघा मदों के भरे होने से संबंधित किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) जी, नहीं। कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की अधिप्राप्ति नहीं करता है। तथापि, खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (के.वी.आई.सी.) खादी कपड़े की अधिप्राप्ति करता है। इस प्रकार की स्थिति मुख्यत: खादी उत्पादों की खराब मांग तथा खराब डिजाईन के कारण उत्पन्न हुई हैं। वास्तव में, खादी उत्पादन ने 1998-99 के 98 मिलियन वर्ग मीटर से 2000-01 में केवल 69 मिलियन वर्ग मीटर तक एक धीमी गिरावट दर्शायी है।

हथकरघा मदों के संबंध में भी, यह कहा जा सकता है कि इन मदों के उत्पादन बिक्री सरकारी विभागों में इन मदों की आवश्यकता पर निर्भर नहीं हैं। तथापि, यह कहा जा सकता है कि निगम के संघ तथा हथकरघा शीर्ष समितियों (आकाश ने वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों को हथकरघा मदों की आपूर्ति के क्रमश: 2041.00 लाख, 2217.24 लाख तथा 2506.52 लाख रुपये के आदेश पूरे किए हैं।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए ताकि यह व्यवहारिय, गतिशील तथा स्थायी बन सके, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने 14.5.2001 को एक खादी पैकेज की घोषणा की है। खादी क्षेत्र के लिए इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ खादी कारीगरों के लिए बीमा, लम्बी अवधि की छूट नीति, छूट तथा बाजार सहायता के बीच विकल्प, खादी उत्पादों के लिए ब्रांड का संवर्धन शामिल है।

जहां तक हथकरघा मदों का संबंध है सरकार दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जो 1.4.2000 से लागू है के अन्तर्गत विपणन प्रोत्साहन के रूप में विपणन सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त हथकरघा संगठनों को विपणन के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, विशेष हथकरघा एक्सपो, जिला स्तरीय आयोजन जैसे मेलों आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 18 राष्ट्रीय/विशेष हथकरघा एक्सपो तथा 101 जिला स्तरीय आयोजन किये गये तथा वर्ष 2001-02 को दौरान विभिन्न राज्यों/एजेंसियों को 682.45 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात नीति 1997-2002 की उपलब्धियां

5095 श्री अशोक ना. मोहोल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात-निर्यात नीति, 1997-2002 ने किस सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीति, 1997-2002 की पूर्णकालीन समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या कमियां देखी गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी): (क) से (घ) एग्जिम नीति 1997-2002 (31.03.2001 तक किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए) भारतीय कृषि, उद्योग एवं सेवाओं की प्रौद्योगिकीय क्षमता एवं कुशलता को बढ़ाने, सतत् आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और वैश्विक गतिशील अर्थव्यवस्था में देश के संक्रमण को तेज करने तथा उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रही थी। विदेश व्यापार की बदलती हुई दिशा और दशा तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नई एग्जिम नीति 2002-07 का

उद्देश्य निर्यात उत्कृष्टता, शहरों को मान्यता देने, कुछेक संवेदनशील मदों पर प्रतिबंधों को छोड़कर सभी निर्यात प्रतिबंधों को हटाने; कृषि निर्यात जोनों की अवधारणा के जरिए विनिर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों को क्षेत्रीय ग्रामीण मोटर्स के रूप में परिवर्तित करने, विदेशी बैंकिंग यूनिटों जैसी सुविधाओं की अनुमति देने; विशेष आर्थिक जोनों में वस्तु जोखिमों और बाह्य वाणिज्यिक कर्जों से बचाव करने निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए पारदर्शी और सरल क्रियाविधि लागू करने और दर्जा धारकों को विशेष सुविधा प्रदान करने जैसे कुछेक उपाय शुरू करके निर्यातों को बढ़ाना है।

निर्यात में धोखाधड़ी

5096. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में सीमा शुल्क विभाग ने निर्यात में धोखाधड़ी का पता लगाया है जिसमें एक निजी फर्म ने उच्च निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अपने प्रेषित माल का अधिक मूल्य दिखाकर सिले-सिलाए वस्त्रों की एक खेप का निर्यात किया;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है और इन जाली फर्मों द्वारा ड्यटी वापिस लेने के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्ण का आयात

5097. **श्री गुणीपाटी रामैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में स्वर्ण का आयात किया गया और रुपए में इसकी कीमत कितनी है;

(ख) क्या हाल ही में स्वर्ण के आयात में रूकावट आ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में आयातित सोने की मात्रा और उसका अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है:-

मात्रा टनों में और मूल्य करोड़ रुपये में

अवधि	मात्रा	मूल्य
1999-2000	558.91	24542.35
2000-2001	583.72	26070.75
2001-2002* (मार्च, 2002 तक)	469.70	21481.87

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी मेले

5098. **श्री मोहन रावले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 दिसम्बर, 2001 तक कितने स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और उनके मंत्रालय का इन मेलों में क्या योगदान है;

(ख) क्या सरकार भविष्य में और अधिक स्वदेशी मेलों का आयोजन करने में अपना सहयोग देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का पुनर्गठन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) वस्त्र मंत्रालय न तो किसी स्वदेशी मेले का आयोजन करता है और न ही देश में आयोजित स्वदेशी मेलों की संख्या के बारे में कोई सूचना रखता है। तथापि, उसके नियंत्रणाधीन कुछ संगठन अपने विकास और संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में संगठनों अथवा एजेंसियों को उनके संभावित प्रदर्शन लाभभोगी की सहभागिता और बिक्री का मूल्यांकन करने के आधार पर स्वदेशी मेले सहित प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेते हैं अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी-दिसंबर, 2001 के दौरान आयोजित विभिन्न स्वदेशी मेलों में निम्नलिखित संगठनों ने भाग लिया और उनके नाम के सामने दी गई राशि खर्च की:-

संगठन/कार्यालय का नाम	कार्यक्रम का नाम	खर्च की गई राशि
विकास आयुक्त (हथकरघा) के अन्तर्गत बुनकर सेवा केन्द्र, दिल्ली	स्वदेशी वनवासी मेला जिसका आयोजन नई दिल्ली में भारतीय विपणन विकास केन्द्र द्वारा किया गया।	40,500 रुपये
केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	जोधपुर में आयोजित स्वदेशी मेला	207,500 रुपये
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली	(1) गोरखपुर में आयोजित स्वदेशी मेला	67,500 रुपये
	(2) इंदौर में आयोजित स्वदेशी मेला	4,05,000 रुपये
	(3) कोचीन में आयोजित स्वदेशी मेला	2,02,500 रुपये
	(4) जोधपुर में आयोजित स्वदेशी मेला	10,50,000 रुपये

(घ) और (ङ) निर्यात संवर्द्धन परिषदों के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था जिसने परिषद/अध्यक्ष का चयन करने और सदस्यता के लिए, सदस्यों की कार्यकारी समिति की समग्र कार्य अवधि को सीमित करने, वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, कर्मचारी नियंत्रण व पर्यवेक्षण आदि के लिए मानदंडों की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद सहित सभी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों को सुझाये गये परिवर्तनों को शामिल करने और उन्हें अपनाने के लिए भेजी गई है।

दुहरे कराधान से बचने के लिए संधि

5099. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार दुहरे कराधान से बचने का लाभ उठाने वाली मूलत: भारतीय किन्तु मारीशस रूट वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत और मारीशस के बीच दोहरा कराधान समाप्त करने की तिथि क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी, ठगी और हेरा-फेरी के मामले, नाम बदलना या नकली नाम का इस्तेमाल करने के मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मारीशस सरकार ने इस संधि की खामियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ उठाने से बचने के लिए कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एन. रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिखारियों, फेरीवालों और बेसहारा बच्चों का पुनर्वास

5100. श्री अनन्त नायक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महानगरों, विशेषत: दिल्ली में भिखारियों, फेरीवालों और तरह-तरह से भीख मांगने वाले बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के मामलों की देख-रेख करता है। यह "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" का कार्यान्वयन करता है जिसका उद्देश्य बेघर और पारिवारिक संबंधों से विहीन बच्चों को निराश्रिता और उसके परिणामों से बचाना है। इस कार्यक्रम में निराश्रित और अपेक्षित बच्चों के लिए आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देख-भाल, सफाई और स्वच्छता, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं और दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का प्रावधान है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को 8.06 करोड़ रु. की कुल राशि निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

संगमरमर के आयात पर प्रतिबंध

5101. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संगमरमर के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने टन संगमरमर के आयात की अनुमति दी गई है और यह अनुमति किस आधार पर दी गई थी;

(घ) संगमरमर के आयात के लिए कितनी फर्मों ने आवेदन किया है या लाइसेंस कब मागें गए थे; और

(ङ) इन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुड़ी) (क) जी, नहीं

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

(ग) से (ङ) दिनांक 1.4.2001 से, अपरिष्कृत या अर्द्ध संसाधित संगमरमर जो आईटीसी (एचएस) आयात एवं निर्यात मदों के वर्गीकरण, अप्रैल 1997-2002 (31.3.2001 तक यथासंशोधित) में इंगित एक्जिम कोड सं. 25151100, 25151200 एवं 25152002 के तहत वर्गीकृत है, को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है अर्थात इनका आयात केवल डीजीएफटी द्वारा जारी लाइसेंस के तहत ही किया जा सकता है। इस संबंध में दिशा निर्देशों को दर्शाने वाली दिनांक 14.3.2002 को नीति परिपत्र सं. 29 जारी किया गया है। 1.4.1999 से 31.3.2001 तक, ये मदें एसआईएल सूची में थी और सीमाशुल्क प्राधिकारियों का एसआईएल की सुपुदर्गी पर इनका आयात किया जा सकता था और डीजीएफटी से किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तथापि, इनकी अनुमति अपरिष्कृत संगमरमर के ब्लाकों के लिए 300 अमरीकी डालर प्रति मी. टन और उससे अधिक और स्लैबा के लिए 450 अमरीकी डीलर प्रति मी. टन और अधिक को मूल्य सीमा के साथ दी गई थी। अन्य मदें, अर्थात प्रसंस्कृत संगमरमर आदि, जो आईटीसी (एचएस) आयात एवं निर्यात मदों के वर्गीकरण के अध्याय 68 के तहत वर्गीकृत है; वर्तमान एक्जिम नीति के अन्तर्गत मुक्त रूप से आयात योग्य है।

1.4.2001 से 31.3.2002 की अवधि के दौरान पूजास्थलों तथा फाइव स्टार होटलों के लिए 15.807.40 मी. टन की कुल मात्रा के लिए 3 लाइसेंस जारी किये गया हैं। इसके अलावा 1.4.2001 के पश्चात् व्यापारियों/विनिर्माताओं से 41 आवेदन और पूजास्थलों 5-स्टार होटलों से 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी 14 मार्च, 2002 के नीति परिपत्र सं. 29 के अनुसार समीक्षा की जा रही हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं में आईडीबीआई की सहायता

5102. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने गत तीन वर्ष के दौरान शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की है;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत करने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष उद्योग-वार कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने कोई औद्योगिक परियोजना शुरू नहीं की है। तथापि, यह नए एककों की स्थापना एवं एककों के विस्तार, विविधिकरण और आधुनिकिकरण के लिए मध्यम एवं बड़े उद्योगों को ऋण एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्ष अर्थात 1999-2000 से 2001-02 के दौरान वर्ष-वार मंजूरियां निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एककों की संख्या	मंजूर राशि
1999-2000	917	25034
2000-01	830	25445
2001-02	512	15091

आईडीबीआई अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सभी अर्थक्षम एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि, प्रबंधकीय दक्षता तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तिय सुदृढ़ता, वाणिज्यिक संभावनाएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक और आर्थिक क्षेत्राधिकार के पैरामीटर में इस परियोजना का इसकी अर्थक्षमता के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अन्य पैरामीटर यह हैं: प्रति लाभ की आंकरिक दर, ऋण सेवा करवेज अनुपात, प्रति लाभ की आर्थिक दर आदि। प्रदूषण-कारी प्रकृति के उद्योगों का वित्तपोषण करने में निस्सारियों (एफलुऐंट्स) के परिशोधन एवं निपटान के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान उद्योग-वार प्रत्यक्ष वित्तपोषण योजनाओं के अधीन मंजूर वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत मंजूर सहायता

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	उद्योग	1999-2000		2000-2001		2001-2002*	
		संख्या	मंजूर सहायता	संख्या	मंजूर सहायता	संख्या	मंजूर सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खाद्य उत्पादन	62	490.31	44	346.37	26	232.93
	(क) चीनी	9	86.02	10	116.89	3	45.94
	(ख) अन्य	53	404.29	34	229.48	23	186.99
2.	टेक्सटाइल्स	172	2137.48	119	1150.99	60	512.40
3.	जूट	3	19.80	1	2.50	2	11.00
4.	पेपर एडं पेपर प्रोडक्टस	21	275.48	12	214.39	5	82.00
5.	रबर एवं रबर प्रोडक्टस	8	170.25	9	111.25	3	64.03
6.	केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट	135	2381.91	118	2517.76	79	1344.89
	(क) पेट्रोकेमिकल्स	11	1081.50	13	1185.17	16	503.12
	(ख) ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल	40	452.38	33	481.48	27	389.37
	(ग) बैसिक इंडस्ट्रियल केमि.	14	235.25	17	272.35	1	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8
	(घ) प्लास्टिक एंड प्ला. गुड	8	47.23	10	97.00	5	68.09
	(ङ) अन्य केमिकल्स	62	565.55	45	481.76	30	381.81
7.	रिफाइनरिस एंड आईल एक्स	10	1945.25	4	1041.99	2	390.00
8.	आर्टिफिसियल फाइब्रेस	32	633.51	29	356.91	17	238.40
9.	फर्टिलाइजर्स	13	515.29	11	802.07	5	137.24
10.	सीमेंट	18	460.21	11	430.05	13	695.36
11.	बेसिक धातु	35	1114.16	32	1160.42	7	514.64
	(क) आइरन एंड स्टील	27	817.43	24	1070.69	4	499.90
	(ख) नान-फेरोस	8	296.73	8	89.73	3	14.74
12.	मेटल प्रोडक्ट्स	34	381.44	31	437.97	17	489.94
13.	मशिनरी	24	383.40	22	220.52	9	349.74
14.	इलेक्ट्रिकल एंड इके.प्रोडक्ट्	56	840.08	37	1365.13	26	1706.07
15.	ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	41	744.86	29	520.23	21	439.51
16.	इलेक्ट्रीसिटी जनरेशन	39	6107.89	29	5017.98	9	1970.00
17.	इन्फारमेशन टेक्नोलाजी	19	274.55	6	72.95	3	33.97
18.	सर्विसेज	60	2317.09	84	2925.14	49	1323.23
	(क) होटल्स	15	162.38	14	104.09	4	54.30
	(ख) हास्पिटल्स	5	77.60	8	84.25	3	19.13
	(ग) रोड ट्रांसपोर्ट	2	15.00	1	5.00	3	58.08
	(घ) टेलिकाम सर्विसेज	15	1392.15	20	1695.63	7	737.00
	(ङ) पोर्टस	4	466.00	3	473.00	1	9.00
	(च) रोड्स/ब्रिज	7	76.50	7	55.83	11	185.57
	(छ) इंडीस्ट्रयल इस्टेट्स	0	0.00	1	1000.00	0	0.00
	(ज) इन्अरटेनमेंट	1	10.00	5	49.20	11	92.63
	(झ) फाइनेंसियल सर्विसेज	47	2108.13	129	4448.69	111	3650.68
	(ञ) अन्य	12	127.46	31	507.34	20	260.15
19.	माइनिंग एंड क्वारिंग	11	746.00	13	526.33	5	153.81
20.	अन्य	76	976.61	54	726.18	32	658.33
	कुल	917	25033.70	830	25445.02	512	15090.80

*अनन्तिम

खाद्य भंडारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

5103. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की एजेंसियों की खाद्य भंडारण, संभलाई और खाद्य परिवहन के क्षेत्र में निवेश की रुचि है और वे शत-प्रतिशत भंडारण स्थल उपयोग की गारंटी की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निजी एजेंसियों ने अन्य कौन-सी मांगें रखी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन मांगों में से प्रत्येक पर अतिंम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। निजी क्षेत्र की एजेंसियों ने ब्लक अनाज भंडारण, हैण्डलिंग तथा परिवहन सुविधाओं में निवेश करने में अपनी रुचि व्यक्त की है। निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है, तथापि, सरकार द्वारा घोषित की गई खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भंड़ारण तथा परिवहन संबंधी राष्ट्रीय नीति में विभिन्न प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है जिसमें 20 वर्षों के लिए क्षमता उपयोग की गांरटी देना शामिल है, अर्थात् प्रथम 10 वर्षों के 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग और अगले 10 वर्षों के लिए 75% उपयोग की गारंटी देना शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषदें

5104. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन परिषदों को भंग करने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या इनका विलय अन्य संगठनों के साथ किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

काजू का निर्यात

5105. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत से काजू निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार भारतीय काजू निर्यात के लिए नए बाजार हासिल करने में किस सीमा तक सफल रही हैं;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2001-2002 में काजू निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान काजू निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि भारतीय काजू विश्व काजू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) से (ङ) सरकार द्वारा काजू निर्यात संवर्धन परिषद के जरिये विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर काजू गिरी के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें शामिल है काजू उद्योग का आधुनिकीकरण, आईएसओ 9000/एच.एसी.सी.पी प्रमाणन प्राप्त करना तथा काजू निर्यात प्रसंस्करण एककों द्वारा नवीनतम लोचशील पैकेजिंग प्रणालियां प्राप्त करना। सीईपीसी को जापान तथा यूएसए जो कि प्रमुख बाजार है, में बाजार अध्ययन हेतु बाजार पहुंच संबंधी उपाय योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1999-2000	92316	2456.60
2000-2001	81657	1878.5
2001-2002 (अप्रैल-जन.) (अ)	60849	1176.00
2000-01 (अप्रैल-जन.) (अ)	73825	1722.54

(अ) अंनतिम

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

भारतीय काजू गिरी के निर्यात हेतु कुछेक नये बाजार हैं- हंगरी, आइलैण्ड और इथोपिया।

वस्त्र नीति

5106. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र उद्योग के लिए कोई रोजगारोन्मुखी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र उद्योग में रोजगार का कितना सृजन हुआ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 का लक्ष्य एक सुदृढ़ और गतिशील उद्योग विकसित करना है जो स्थायी रोजगार और आर्थिक वृद्धि के प्रावधान में उत्तरोत्तर अंशदान कर सके। नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

(ग) दसवीं योजना के निर्माण हेतु वस्त्र और पटसन उद्योग पर गठित कार्यकारी समूह के आकलन के अनुसार, नौवीं योजना के अंत तक वस्त्र और पटसन उद्योग और संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से सृजन किया गया रोजगार 81.95 मिलियन व्यक्ति था।

नकली करेंसी की जानकारी देने वालो को पुरस्कार

5107. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नकली करेंसी की सूचना देने वालों के लिए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग आदि द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तर्ज पर एक पुरस्कार योजना शुरू करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विकलांगों का पुनर्वास

5108. **श्री राजो सिंह:**
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में की गई प्रगति की निगरानी के लिए विधियों का सुझाव देने के लिए एक निकाय की स्थापना का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) विकलांग व्यक्तियों की संख्या में अन्तर की प्रवृति की जानकारी जनगणना 2001 के दौरान एकत्रित विकलांगता के प्रभाव सम्बन्धी आंकड़ों के उपलब्ध होने पर प्राप्त होगी।

(ख) और (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्यक्रमों तथा योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विभागों के साथ समन्वय करने, निधियों के उपयोग को मॉनीटर करने तथा विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों तथा सुविधाओं के रक्षोपायो के लिए उपाय करने हेतु राज्यों में नि:शक्त व्यक्तियों के आयुक्तों के कार्यालय के रूप में एक तंत्र का प्रावधान किया गया है। सभी राज्य सरकारों ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति पहले ही कर ली है।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

5109. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष कितनी इंजीनियरी मदों का निर्यात किया गया और इनका मूल्य कितना है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी इंजीनियरी मदों के निर्यात का अनुमान है; और

(ग) आगामी वर्षों में इंजीनियरी मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने की प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुड़ी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित इंजीनियरिंग मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इंजीनियरिंग मदों के निर्यात के लिए लगाया गया अनुमान 6000 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) उत्पाद उन्नयन को सुकर बनाने के लिए सरकार रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात की अनुमति देती है। डीईपीबी योजना के अंतर्गत, सरकार ने भारत में निर्मित अनुमोदित ब्राण्डयुक्त उत्पादों की मुल्य सीमा का प्रतिबंध वापस ले लिया है जिससे इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इंजीनियरिंग सामान के निर्यातक कई अन्य योजनाओं के तहत जैसे शुल्क छूट योजना, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के अतंर्गत छूट प्राप्त करने और बाजार विकास सहायता के लाभ प्राप्त करने के भी हकदार हैं। इसके अलावा, विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए जाते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं विदेशों में व्यापार शिष्टमण्डल प्रायोजित करना; भारत और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना; अनन्य रूप से भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनियां आयोजित करना विशिष्ट व्यापार मेंलों में भाग लेना।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान इंजीनियरिंग सामान का निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

समूहवार निर्यात	1998-99	1999-2000	2000-01
पूंजीगत सामान	5447.18	5225.98	7035.43
फैरोएलाय समेत प्रमुख लोहा एवं इस्पात	2516.18	3417.69	4485.31
लोहा इस्पात उत्पाद (विनिर्मित)	3302.51	4050.34	5866.39
अलौह धातुएं एवं उसके उत्पाद	1130.59	1548.92	2476.16
टिकाऊ उपभोक्त सामान	3968.69	4660.79	6714.02

स्त्रोत : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद

[अनुवाद]

वस्त्र-क्षेत्र के सामानों पर कर

5110. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा वस्त्र-क्षेत्र के सामानों पर अभी लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद कर के अलावा और अधिक अतिरिक्त कर लगाने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार तत्संबंधी केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का संशोधन संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचारधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आईडीबीआई को एशियाई बैंक का ऋण

5111. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को हाल ही में एशियाई विकास बैंक से 100 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कौन-कौन से अन्य वित्तीय संस्थानों को एशियाई विकास बैंक से ऐसी सुविधा प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में विशिष्ट आधारभूत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए एडीबी अर्थात् पीएसआईएफ-II से ऋण सहायता प्राप्त की है। इस ऋण सहायता की आहरण अवधि 5 वर्ष तथा वापसी अदायगी की अवधि 20 वर्ष (आहरण की तारीख से प्रारम्भ होने से 5 वर्ष के ऋण स्थगन सहित) है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि एडीबी के निदेशक मंडल ने दिसम्बर, 2001 में आयोजित अपनी बैठक में उन्हीं शर्तों पर आईएफ एंड एफएस को 100 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता भी अनुमोदित की है। आईसीआईसीआई ने भी 18 दिसम्बर, 2001 को 80 मिलियन अमेरिकी डालर के लिए एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

कमोडिटी बोर्डों संबंधी पी.पी.प्रभु समिति

5112. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** कॉफी, रबड़ और मसाला बोर्डों के विलय हेतु बनाई गई समिति के बारे में 3.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कमोडिटी बोर्डों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए गठित पी.पी. प्रभु समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेषत: रबड़ बोर्ड के संबंध में स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पी.पी. प्रभु समिति की सिफारिशों के अनुसरण में वस्तु बोर्डों जिसमें रबड़ बोर्ड भी शामिल है, ने दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए योजना स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया है एवं उन्हें पुन: तैयार किया है, अनुसंधान क्रियाकलापों को सुदृढ़ किया जा रहा है, स्टाफ को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है और बोर्डों के क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

गुजरात की हिंसा के कारण राजस्व की हानि

5113. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोधरा हत्याकांड के कारण गुजरात सरकार को गत दो माह के दौरान कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ख) गुजरात में दंगों/हत्याकांड से सर्वाधिक प्रभावित हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक, कृषि और अन्य विनिर्माणकारी सेवाओं में सुधार के लिए कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) से (घ) गुजरात में हाल ही की हिंसा से उद्योग, कृषि तथा अन्य विनिर्माण सेवाओं पर कुछ प्रभाव पड़ा। तथापि, इसका समग्र प्रभाव काफी अधिक होने की आशा नहीं है।

अतिरिक्त धन का रखा जाना

5114. श्री अरूण कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 4 (सिविल) के पैराग्राफ 3.2 में यह तथ्य प्रकाशित किया है कि आवश्कता से अधिक राशि सावधि जमा की बजाय चालू खाते में रखे जाने के कारण ब्याज राशि में 29.95 लाख रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने लेखा टिप्पणियों की अनदेखी करने का प्रयास किया परन्तु लेखापरीक्षा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) मामले पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या धन को अधिक समय तक बचत/सावधि जमा खाते में रखने की बजाय बिना उपयोगिता के चालू खाते में रखने के लिए संबंधित व्यक्तियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(ङ) ब्याज के कारण होने वाली इस हानि के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं या अनुदेश जारी किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) जी, हां। तथापि, ब्याज राशि की हानि के सामने उल्लिखित आकड़ों को 25.95 लाख रु. पढ़ा जाए।

(ख) से (ङ) सरकार ने लेखा अभिमतों की विस्तार से जांच की थी और कृत कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 13.9.2000 को जांच हेतु प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत की गई थी। और लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई अंतिम कृत कार्यवाही टिप्पणी 12.4.2001 को प्रस्तुत की गई थी। उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि द्विमासिक प्रेषक हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया नियम चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों पर लागू नहीं होता है। इसलिए चाय बोर्ड के कार्यालय के लिए लेखा परीक्षा द्वारा किया गया अधिक नकदी शेष का आकलन वैद्य नहीं था। चाय बोर्ड के विदेश स्थित सभी कार्यालयों का बंशी निधियों का निवेश करने ओर अपने कार्यालय तथा संवर्धनात्मक जरूरतों के अनुसार समय-समय पर नकदी शेष की समीक्षा करने के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। चूंकि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है इसलिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कागज खरीद संबंधी नियंत्रण महालेखाकार की रिपोर्ट

5115. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रण महालेखा परीक्षक ने वर्ष, 1998 की रिपोर्ट सं. 2 (सिविल) पृष्ठ 33 पर प्रैराग्राफ 5.1 में यह तथ्य प्रकाशित किया है कि कागज की खरीद में 3.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने करोड़ों रुपये के अतिरिक्त व्यय होने के मामले की जांच की है और इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर जिम्मेवारी निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निविदा को अंतिम रूप देने में अनिर्णय के कारण सरकार को हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए और निविदा में उपयुक्त और स्पष्ट शर्तें रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार ने सरकारी कार्यालयों द्वारा नियत अवधि में निविदाओं को अंतिम रूप देने के निदेश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विश्वव्यापी निविदा के प्रत्युत्तर में निम्नतम बोलीदाता (एल-1) द्वारा प्रस्तुत उच्चतर दरों के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिए कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सका। पारदर्शिता और जन हित को ध्यान में रखते हुए पुन: निविदा करने का सरकार का निर्णय एक उचित निर्णय था।

(ङ) सरकार ने खरीद प्रस्तावों के संबंध में सभी महाप्रबंधकों को अनुदेश जारी किए हैं।

उद्वह सिंचाई परियोजनाएं

5116. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) ने हाल ही में उद्वह सिंचाई परियोजनाओं में उपयोग के लिए एक स्टेट फ्रीक्वेंसी कनवर्टर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह डिजाइन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुआ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रौद्योगिकी को आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त महबूब नगर जिले में प्रयुक्त करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) भेल के आंध्र प्रदेश के नॉलगोंडा जिले के पुटामगंडी के सर्रासेलम में लेफ्ट बैंक कैनल पर अलीमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के उपयोग के लिए एक 4 के.वी., 7.5 मेगावाट स्टेटिक फ्रिक्विंसी का अभिकल्प बनाया और निर्माण किया है। एसएफसी का अभिकल्प चार 18 मेगावाट, 11 के.वी. की एक साथ मोटरों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए किया गया है। यह मोटर पंपों को चलाते हैं, जो जल भंडारण के लिए कृष्णा नदी से जल को उठाते हैं फिर वहां से जल का आगे वितरण करने के लिए नहरों को दिया जाता है। मोटर को आरम्भ करने के लिए भी पावर सपलाई की विभिन्न फ्रिक्विंसी विभिन्न वोल्टेज के लिए एसएफसी प्रणाली ग्रिड पावर सपलाई को परिवर्तित करती

है। वे ग्रिड के बराबर आने तक धीरे धीरे बोल्टेज और फ्रिक्विंवसी को बढ़ाते हैं। फिर एक ही समय में मोटर आरंभ होती हैं और प्रणाली बंद होती है। यह सुविधा इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर कोई प्रभाव डाले बिना पंप सैटों को बडी क्षमता में सही तरह से आरंभ करती है और पंप सैटों को लंबे समय तक रखने में परिणाम अभिमुख हैं। इस प्रणाली की स्थापना सितम्बर, 2001 में की गई और इसे चालू किया गया तथा यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) जी हां। यह अभिल्प आंध्र प्रदेश के नॉलगोंडा जिले में जो कि बारहमासी सूखाग्रस्त रहता है, में लाभकारी सिद्ध हुआ है। यह एसटीएफसी का अभिल्प इन क्षेत्रों में उच्च तापमान को रोकने को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(घ) और (ङ) सरकार इस प्रौद्योगिकी को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में जब कभी संबंधित राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो प्रयुक्त (एक्सटेंड) करने पर विचार किया जायेगा।

अपव्यय

5117. श्री अमर राय प्रधान: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम करने के लिए कदम उठाये हैं और यह पता लगाया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकारी विभागों में निरर्थक व्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, 2001 तक उनके मंत्रालय/विभागों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका उस मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य हेतु पता लगाया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें मिली हैं और इन्हें कार्यान्वित (लागू) की जा रही है। 3 अधिकारियों सहित लोक उद्यम विभाग के 15 पदों को समाप्त कर दिया गया है और भारी उद्योग विभाग की आन्तरिक कार्य अध्ययन इकाई को बन्द कर दिया गया है। इससे सरकार को प्रति वर्ष लगभग 25 लाख रुपये की बचत होगी।

उपरोक्त के अलावा, इस विभाग को व्यय प्रबंधन, राजकोषीय दूरदर्शिता तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से आस्टेरिटी के लिए समय-समय विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत प्राप्त होते रहे हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन किया गया है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत टेलीफोन, लेखन-सामग्री मदों पर व्यय में किफायत, स्टाफ कारों के इस्तेमाल में किफायत, नई स्टाफ कारों की खरीद पर प्रतिबंध तथा एस.टी.डी. आदि की सुविधा पर पाबंदी से संबंधित हैं।

ब्रिटेन से सहायता

5118. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली सहायता का एकमात्र सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है;

(ख) यदि हां, तो 2000-2001 के दौरान ब्रिटेन ने कुल कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान सहायता राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जैसा कि ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्री ने हाल की भारत यात्रा के दौरान घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो यह सहायता किन-किन राज्यों को प्राप्त होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त कुल अनुदान सहायता 96.64 मिलियन पौंड थी।

(ग) दिनांक 6 जनवरी, 2002 को हमारे प्रधानमंत्री और यू.के. के प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा में घोषित किया गया कि यू.के. वर्ष 2004 तक भारत को अपनी विकास सहायता तिगुनी करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 300 मिलियन पौंड (लगभग 21000 करोड़ रुपए) करने का इच्छुक है।

(घ) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश यू.के. अनुदान के प्राथमिकता वाले राज्य हैं।

अग्रिम अर्थोपाय में संशोधन

5119. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय सीमा में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्यों के लिए पहले की 5283 करोड़ रुपए की सीमा की तुलना में अब सकल संशोधित सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 6035 करोड़ रुपए हैं, जो कि लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। पिछले तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों और पूंजी व्यय के औसत को ध्यान में रखते हुए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा हर वर्ष पहली अप्रैल को संशोधित की जाती है। इसी आधार पर किसी भी राज्य के लिए 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम अर्थोपाय अग्रिम सीमा के साथ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2.9 प्रतिशत और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2.4 प्रतिशत का अनुपात लागू किया जाता है। चूंकि किसी राज्य के संव्यवहार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती है, अतएव अर्थोपाय सीमाओं को संशोधित करना पड़ता है। राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों में अर्थोपाय सहायता में अभिवर्धित सीमाएं निगमित होती हैं।

नाबार्ड का विभाजन

5120. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर कार्यकरण के लिए नाबार्ड का चार भागों में विभाजन करने का है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) नाबार्ड के बेहतर प्रबंधन के लिए क्या अन्य उपाए किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को परिचालन संबंधी अधिक लोच प्रदान करने के लिए तथा वित्तीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम में हाल ही में संशोधन किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5000 करोड़ रु. करना, राज्य सरकारों के अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए निदेशक मंडल के संघटन में परिवर्तन, राज्य सरकारों को ऋणों के साथ-साथ चयनित आधार पर परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को समर्थ बनाना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी

5121. **श्री रामपाल सिंह:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान 31 मार्च, 2002 तक प्रत्येक क्षेत्र द्वारा वर्ष-वार कितनी वास्तविक औद्योगिक उत्पादन दर प्राप्त की गयी;

(ग) क्या वर्ष 2001-2002 के लिए जनवरी-मार्च, 2002 के महीनों में औद्योगिक उत्पादन दर को और कम किया गया;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस दर के इतना कम होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 2001-2002 की प्रौद्योगिकी उत्पादन दर ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार की औद्योगिक विकास दर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके लिए कौन-से कारक उत्तरदायी है और कौन-से क्षेत्र में नकारात्मक विकास दर्ज किया गया है और किस हद तक; और

(छ) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित औद्योगिक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) योजना आयोग ने नौवीं योजनावधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8.2 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था। किन्तु योजना आयोग द्वारा क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। इस लक्ष्य की तुलना में पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि दरें प्राप्त की गयी हैं:

वर्ष	वृद्धि दर (%)
1998-1999	4.1
1999-2000	6.7
2000-2001	5.0
2001-2002	26*

* अप्रैल-फरवरी

(ग) और (घ) जनवरी और फरवरी 2002 के दौरान औद्योगिकी उत्पादन में क्रमश: 3.9 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दरें प्राप्त की गयी हैं जबकि पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान ये दरें क्रमश: 4.5 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत थी। अन्य संरचनागत और चक्रीय कारकों तथा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अलावा, औद्योगिक उत्पादन में कमी के लिए मूल कारण के तौर पर समग्र मांग में कमी की पहचान की गयी है।

(ङ) और (च) नौवीं योजनावधि (1997-2002) के दौरान औद्योगिक वृद्धि, योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गयी 8.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से कम रही है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र ने अप्रैल-फरवरी 2000-2001 के दौरान दर्ज की गयी 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में, अप्रैल-फरवरी 2001-2002 के दौरान 4.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। चक्रीय कारकों ने मांग-आपूर्ति के असंतुलनों को तीव्र करके औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है, जबकि संरचनात्मक कारकों ने उद्योग में क्षमता निर्माण/विस्तार की वृद्धि को बाधित किया है और प्रतिस्पर्धात्मकता का ह्रास किया है।

(छ) दसवीं योजना के प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि दसवीं योजना लक्ष्य में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को 10 प्रतिशत के लगभग की वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। इस वृद्धि दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस दस्तावेज में औद्योगिक उदारीकरण की प्रक्रिया का विस्तार करने पर जोर दिया गया है, जिसे केन्द्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर भी व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसमें इस प्रकार का औद्योगिक नीति वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया है जिसमें पूर्व की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां दक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें।

[अनुवाद]

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट

5122. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छ: महीनों में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में शनै-शनै गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की खर्च की जाने वाली आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हो?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) गत छ: महीनों में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उतार-चढ़ाव का रूख देखा गया है। अन्य ढांचागत और चक्रीय कारकों और विश्वव्यापी मन्दी के अलावा, कुल मांग में कमी का औद्योगिक विकास में मन्दी का प्राथमिक कारण के रूप में शिनाख्त की गई है।

(ग) अर्थव्यवस्था में रूझानी का बारीकी से निगरानी की जाती है और उसकी निरंतर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक हो, उभरते हुए रुझानों की रोशनी में उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। सरकार द्वारा बाह्य क्षेत्र, उद्योग कृषि कराधान आदि के क्षेत्र में किये गये विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों का अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर भारत के विरुद्ध अमरीका की शिकायतें

5123. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 2002 के 'पायोनियर' समाचार-पत्र में ''यू.एस. कप्लेंस अगेन्स्ट इंडिया ओवर इंटेलेक्युअल प्रापर्टी राइट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यू.एस.टी.आर. ने 2002 की अपनी राष्ट्रीय व्यापार प्राक्कलन रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय व्यापार प्राक्कलन रिपोर्ट, संयुक्त राज्य व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 181 के अंतर्गत संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू एस टी आर) का एक वार्षिक कानूनी कार्य हैं। इसमें मुख्य विदेशी प्रतिबंधों से संबंधित संयुक्त राज्य की अवधारणाओं को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) का संरक्षण प्रभावित होते हैं।

इस कार्य में विभिन्न देशों से, कूटनीतिक माध्यमों से प्राप्त सूचनाएं/टिप्पणियां शामिल होती हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्दों की स्थिति का उल्लेख होता है।

भारत द्वारा आई पी आर कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में उपयुक्त सूचना/टिप्पणियां दिनांक 04 मार्च, 2002 को भारत के दूतावास, वाशिंगटन के जरिए यू.एस.टी.आर. को उपलब्ध करवायी गई थी।

भारत ने अपने अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों को निभाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बौद्धिक संपदा से संबद्ध कानूनों को पहले ही अधिनियमित/संशोधित कर दिया है;

* भौगोलिक सूचक (पंजीकरण व संरक्षण) अधिनियम, 1999
* व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
* डिजाइन अधिनियम, 2000
* दिसंबर, 1999 तक यथासंशोधित प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
* सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटड सर्किट्स लेऑउट-डिजाइन अधिनियम, 2000
* पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

इसके अतिरिक्त, पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए, पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 नामक एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बैंकों के विरुद्ध बकाया आयकर

5124. श्री नागमणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान के विरुद्ध आय-कर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) उक्त राशि किस तिथि से बकाया है;

(ग) इस बकाया राशि के इकट्ठा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार बकाया आयकर राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों, विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया आयकर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) संलग्न सूची के अनुसार दर्शाई गई बकाया मांगों में विभिन्न तारीखों को विभिन्न करनिर्धारण वर्षों के लिए विभिन्न कार्रवाइयों के अंतर्गत जारी की गई मांग शामिल है। अत: विशिष्ट तारीखें, जिनसे ये मांग बकाया हैं; और प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ग) बकाया करों के इकट्ठा होने के कई कारण हैं जैसे अपीलों में मुकदमेबाजी, अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत स्थगन आदेश, समझौता आयोग और बी आई एफ आर में लम्बितता, मांगें जो देय नहीं हैं, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किश्तें और स्थगन आदेश और भुगतानों के सत्यापन के लिए लंबित मांगें आदि।

(घ) बकाया मांग के संग्रहण/कमी के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे वसूल करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामले का

निपटान शीघ्र करने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकरणों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली कार्रवाइयां स्थगित कर दी जाती है, स्थगन को निरस्त करने के लिए उपाय प्रारंभ किए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त मामलों में अवपीड़क उपाय किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और वसूली की स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	कर निर्धारिती	धनराशि
1	2	3
1.	सहारा इंडिया फाइनेन्सल कारपोरेशन लि. (एसआईएसआईसीओएल)	382628
2.	आई एफ सी आई लिमिटेड	61581
3.	आई डी बी आई	21091
4.	फेयर ग्रोथ फाइनेन्सल सर्विसिज लि.	16615
5.	दि पियरलेस जनरल फाइनेन्सल एंड इन्व. कंपनी लि.	11201
6.	मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि.	9465
7.	जे वी जी फाइनेन्सल लि.	7375
8.	विप्रो फाइनेन्सल लि.	5184
9.	दि करूर वैश्य बैंक लि.	4968
10.	फैडरेल बैंक लि.	4647
11.	इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपो. लि.	4644
12.	लायड्स फाइनेन्स लि.	4576
13.	इंडियन बैंक	4353
14.	कीव फाइनेन्स लि.	3936
15.	दि लक्ष्मी विलास बैंक लि.	3610
16.	21वीं सेंचुरी फाइनेन्स लि.	3518
17.	रसबाड्रेप केपिटल फाइनेन्स लि.	3515
18.	सीएट फाइनेंसियल सर्विसिज लि.	3386
19.	ए बी एन एमरो बैंक	3055
20.	वेस्टर्न इंडिया फाइनेंसियल सर्विसिज लि.	2996
21.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2441

1	2	3
22.	भसीन लिजिंग एंड फाइनेंस प्रा. लि.	2323
23.	आकार लिजिंग एड फाइनेंशियल	2322
24.	ब्यास बैंक लि.	2291
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2257
26.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	2205
27.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	2191
28.	आई सी आई सी आई लि.	2111
29.	बैंक आफ अमेरिका एन टी एंड एस ए	2107
30.	स्पैक्ट्रम फाइनेंशियल सर्विसिज	2066
31.	एच बी लिजिंग एंड फाइनेंस लि.	1923
32.	मंगल फाइनेंस लि.	1821
33.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	1668
34.	सरदार बिलाडवाला पार्दी पिपल्स को.-ओ. बैंक	1641
35.	डी एस जे फाइनेंस लि.	1563
36.	टाटा फाइनेंस लि.	1530
37.	हुडको लि.	1528
38.	दि सूरत पिपल्स को.-ओप. बैंक लि.	1495
39.	आलटेक फाइनेंस लि.	1431
40.	इंडियन ओवरसीज बैंक लि.	1396
41.	द थाणे जिला केन्द्रीय को. ओप. बैंक लि.	1299
42.	आंध्रा बैंक (ब्याजकर)	1212
43.	केन बैंक फाइनेशियल सर्विसिज लि.	1066
44.	किर्लोस्कर इनवेस्टमेंटस एंड फाइनेंस क.	1032
45.	साईनेरजी फाइनेशियल एक्सचेंज लि.	1022
46.	श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लि.	1019
47.	अन्नामलाई फाइनेंस लि.	1007
48.	को.ओ.प. बैंक आफ अहमदाबाद लि.	1000

1	2	3
49.	करण फाइनेंस लि.	978
50.	केसिओन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लि.	977
51.	आई टी सी एग्रोटैक फाइनेंस एडं इन्वे. लि.	977
52.	ऑल बैंक फाइनेंस लि.	974
53.	एलगी फाइनेंस लि.	956
54.	शोपर्स इन्वे. एंड फाइनेंस लि.	932
55.	इंडिया हाउसिंग फाइनेंस एंड डेव. कोरपो. लि.	909
56.	बिल फाइनेंस कारपो. लि.	905
57.	एसकोर्ट्स फाइनेंस लि.	897
58.	हलियस फाइनेंस एंड इन्वे. लि.	887
59.	डेव. क्रेडिट बैंक लि.	875
60.	साउथ वेस्ट फाइनेंस लि.	860
61.	रेंको फाइनेंस लि.	828
62.	हरिथा फाइनेंस (प्रा.) लि. (टीवीएस लक्ष्मी क्रेडिट लि.)	812
63.	वाल्सादु जिला सहकारी बैंक लि.	805
64.	टूरिज्म फाइनेंस कारपो. आफ इंडिया लि.	776
65.	किंजल फाइनेंस लि.	735
66.	ग्लोबल फाइनेंस कारपो. लि.	731
67.	नाथ कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	718
68.	मद्रास मोटर फाइनेंस एंड गारन्टी को. लि.	702
69.	द कांगड़ा सेंट्रल को.ओ.प. बैंक लि.	684
70.	मुथुट बैंकर्स	683
71.	एम सी सी फाइनेंस	675
72.	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को. लि.	666
73.	एशिया पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	658
74.	द मोटर एंड जनरल फाइनेंस लि.	654
75.	विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	617

1	2	3
76.	पिट्टी फाइनेंस प्रा. लि.	613
77.	द सूरत जिला को. ओप. बैंक लि.	613
78.	मुथूट एम. जार्ज बैंकर्स	610
79.	द अनग्राम फाइनेंस लि.	607
80.	बिहार स्टेट फाइनेंशियल कारपो.	593
81.	डेवलपमेंट को.ओप. बैंक लि.	588
82.	टेन्डर लिजिंग एंड फाइनेंस लि.	581
83.	इन्पेक्ट फाइनेंशियल सर्विसिज प्रा.लि.	544
84.	हुंडाई फाइनेंशियल सर्विस लि.	543
85.	सूरज सिक्योरिटीज फाइनेंस लि.	535
86.	टी एन एस बैंक लि.	516
87.	बैंक आफ कराड़ लि.	503
88.	साउथ एशियन फाइनेंशियल एक्सचेंज लि.	502
89.	सिफ्को फाइनेंस लि.	487
90.	आल्टा लिजिंग एंड फाइनेंस लि.	486
91.	उमाकांत लिजिंग एंड फाइनेंस लि.	475
92.	द गुजरात इंडस्ट्रियल को.ओप. बैंक लि.	465
93.	हरिथा फाइनेंस लि.	458
94.	21वीं सेंचुरी फाइनेंस लि.	454
95.	मुथूट फाइनेंसर	447
96.	रिंकी फाइनेंस लि.	444
97.	पी एल फाइनेंस एंड इन्वे. लि.	431
98.	भागीराम ग्रामीण बैंक	430
99.	आद्रिका फाइनेंस एंड इन्वे. प्रा. लि.	429
100.	बसीन केथोलिक को.ओप. बैंक लि.	416
101.	सोमानी कैपिटल इन्वे.एंड फाइने. लि.	410
102.	भागलपुर सेंट्रल को.ओप. बैंक लि.	407

1	2	3
103.	फलाइकिंग इन्वे. एंड फाइनें. प्रा.लि.	400
104.	सहारा इंडिया फाइनेंस कारपो. लि.	399
105.	मदुसुदन लीजिंग एंड फाइने. लि.	382
106.	लिली लीजिंग एंड फाइनें. पी.लि.	381
107.	अनाधा फाइनेंस एंड लीजिंग पी.लि.	373
108.	सानमेक मोटर फाइनान्स लि.	370
109.	केशकार्ड फाइनान्स लि.	368
110.	हेमलेट इन्वे एण्ड फाइनेन्स लि.	360
111.	बक्कारडी इन्वे. एंड फाइ. पी. लि.	359
112.	तरजनी फाइनेंस एंड लीजिंग पी. लि.	357
113.	द त्रिचुरापल्ली जिला सेन्ट्रल को.ओप. बैंक	354
114.	नेटवेस्ट फाइनेंस लि.	351
115.	मफतलाल फाइनेंस कंपनी लि.	339
116.	सिटी यूनियन बैंक लि.	335
117.	हाफलैंड लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	329
118.	टेक्सटाइल ट्रेडर्स को. आप. बैंक	328
119.	उपासना फाइनेंस लि.	324
120.	लीजिंग फाइनेंस इंडिया लि.	319
121.	भूपति फाइनेंस लि.	318
122.	वर्ड्लिंक फाइनेंस लि.	315
123.	आई सी आई सी सिक्यूरिटीज एंड फाइनेंस को. लि.	311
124.	सेठ भगवन दास बु.एस.वी.पी.इ.ओ. को.आप. बैंक	310
125.	चिन्नाणी फाइनेंस एंड इन्वे. पी.लि.	306
126.	जी.ई. केपिटल ट्रा. फाइनेंस सीर्वस लि.	306
127.	जेवीजी हाउसिंग एंड फाइनेंस लि.	302
128.	कुमार बैंकर्स	294
129.	एन फील्ड बिजनेंस फाइनेंस एंड लीजिंग लि.	290

1	2	3
130.	द यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि.	277
131.	इन्ड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लि.	274
132.	राजस्थान लोक विकास फाइनेंस कारपो. लि.	271
133.	अल्केश इन्वेस. एंड फाइनेंस पी. लि.	270
134.	गुजरात स्टेट फाइने. कारपो.	270
135.	द खेडा जिला सेंट्रल को.आप. बैंक लि.	270
136.	एच वी फाइने. कन्सलटेंटस	268
137.	पीयरलैस फाइने. सर्विसिज लि.	261
138.	बैंक आफ अमेरिका एक्सप्रेस टावर	260
139.	इंडिा हाउजिंग फाइनेंस एंड डेव. कारपो. लि.	256
140.	द केथोलिक सीरियन बैंक लि.	253
141.	न्यू होरीजन लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	252
142.	एल एंड टी. फाइनेंस लि.	251
143.	मै. कोयम्बटूर डिस्ट्रि. को.आप. बैंक	249
144.	डैफिनेट लीजिंग एंड फाइनंस प्रा.लि.	244
145.	होप लीजिंग फाइनेंस लि.	238
146.	पिनाकल फाइनेंस लि.	238
147.	द सियाम कामर्शि. बैंक पीसीएल	232
148.	लाल भाई फाइनेंस लि.	231
149.	नासिक डिस्ट्रि. सेंट्रल को.आप. बैंक लि.	230
150.	भाग्यश्री चिट एंड फाइनेंस	225
151.	भारतेंदु इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसिज प्रा.लि.	225
152.	अधिकांश फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्रा.लि.	222
153.	ग्रो वैल फाइनेंस प्रा.लि.	222
154.	पटोदिया फाइनेंस एंड लीजिंग कं. प्रा.लि.	221
155.	सुंदरम फाइनेंस लि.	217

1	2	3
156.	मधु मिलन फाइनेंस	214
157.	इलाहाबाद बैंक	212
158.	विक्टोरिया फाइनेंस प्रा.लि.	212
159.	आई एन जी बैंक लि.	210
160.	यजाती फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	208
161.	मार्क लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	206
162.	सिक्यूरैक्स फाइनेंस सर्विसिज (इं.) लि.	205
163.	मधुपाला फाइनेंस लि.	201
164.	न्यूसेंट फाइनेंस लि.	199
165.	तलिनाडु फाइनेंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव. कार्पो.	197
166.	बद्रीनाथ एंड लीजिंग लि.	196
167.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	193
168.	ई टी के इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि.	192
169.	एस एम फाइनेंस लि.	192
170.	इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव. फाइनेंस कं. लि.	191
171.	एम एफ एल हाउसिंग फाइनेंस लि.	191
172.	सी एल फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	188
173.	द बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लि.	188
174.	द भारत को.आप. बैंक लि.	185
175.	द सूरत मर्चेंटाइल को.आप बैंक लि.	179
176.	रूबी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस प्रा.लि.	177
177.	धन्दापन्त फाइनेंस लि.	171
178.	रानक फाइनेंस प्रा.लि.	170
179.	विश्वप्रिया फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	170
180.	दाहोद अर्बन को.ऑप. बैंक लि.	169
181.	द साबरकांटा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को.आप. बैंक लि.	168
182.	द अहमदाबाद मर्केंटाइल को.आप. बैंक लि.	159

1	2	3
183.	द नूतन नागरिक को.ऑप. बैंक लि.	157
184.	क्रिस्टल क्रेडिट कार्पो. लि.	156
185.	हरियाणा फाइनेंशियल कार्पो. लि.	156
186.	द दाहोद मर्कैंटाइल को.आप बैंक लि.	156
187.	सराया सूरी एस्टेट एंड फाइनेंस लि.	155
188.	मूलचन्द फाइनेंस लि.	150
189.	एलिएंस कार्पोरेट फाइनेंस लि.	147
190.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	146
191.	एडोनिस फाइनेंस लि.	145
192.	द सकूरा बैंक (भूतपूर्व)	145
193.	इन्दौर परस्पर सहकारी बैंक लि.	144
194.	रघुपति लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	141
195.	ऐनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्रा.लि.	140
196.	ब्लू चिप लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	140
197.	सुबाथी फाइनेंस लि.	140
198.	टाइमगार्ड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसिज	135
199.	द म्यूनिसिपल को.आप. बैंक लि.	132
200.	महाराष्ट्र ग्रुप हाऊसिंग फाइनेंस	126
201.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	126
202.	टैरी फाइनेंस लि. जयपुर	125
203.	टूगर फाइनेंस लि.	123
204.	आई सी आई सी पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	123
205.	ब्लू ब्लैंड फाइनेंस लि.	123
206.	मोरिटा एग्रो फाइनेंस लि.	122
207.	स्प्रिंग फील्ड फाइनेशियल सर्विसिज लि.	122
208.	श्री चक्र फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	122
209.	द नाथपुर को.आप. बैंक लि.	122

1	2	3
210.	भावनगर डिस्ट्रिक्ट को.आप. बैंक लि.	121
211.	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लि.	120
212.	एक्सैड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	120
213.	द कालुपुर कॉमर्शियल बैंक लि.	119
214.	वारालक्ष्मी फाइनेंस कार्पो.	119
215.	इण्डो अमेरिकन क्रेडिट कार्पो. लि.	118
216.	ए जी फाइनेंशियल सर्विसिज प्रा.लि.	117
217.	पी सी बी एल इंडस्ट्रियल फाइनेंस लि.	115
218.	श्वेताम्बरी लीजिंग एंड फाइनेंस लि.	113
219.	लभ लीज एंड फाइनेंस लि.	112
220.	वरेन फाइनेंशियल सर्विसिज प्रा.लि.	109
221.	कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लि.	108
222.	वसई विकास सहकारी बैंक लि.	108
223.	मालायिल बैंकर्स	107
224.	टेडो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसिज	107
225.	द भाग्योदय को.ऑप. बैंक लि.	107
226.	डायनेस्टी फाइनेंस लि.	106
227.	सिहोर नागरिक सहकारी बैंक लि.	106
228.	हांगकांग शंघाई बैंकिंग कार्टेज कार्पो.	104
229.	कल्याणी फाइनेंस कार्पो. लि.	102
230.	श्री वृद्धि लीजिंग एंड फाइनेंस प्रा.लि.	102
231.	कैनरा बैंक	101
232.	एशबर्न इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लि.	100
233.	जी ई कंट्रीवाईड कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विस लि.	100
234.	पिरामिल फाइनेंशियल सर्विसिज	100

[अनुवाद]

संगमरमर और डोलोमाइट के आयात हेतु लाइसेंस

5125. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से केवल व्यक्तिगत उपयोग हेतु भवन सामग्री के रूप में संगमरमर और डोलोमाइट के आयात की अनुमति देने के बारे में निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डोलोमाइट और संगमरमर के लिए सिद्धांत रूप में केवल उन व्यक्तियों को आयात लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है जो केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए न कि खुले बाजार में बिक्री के लिए आयात करना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस विशिष्ट प्रावधान को कब तक प्रभावी बना दिया जाएगा ताकि ''आयातित संगमरमर और डोलोमाइट खुले बाजार में नहीं बेचे जायें'' और इस प्रकार इससे वाणिज्यिक व्यापार पर रोक लग सकेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) दिनांक 1.4.1999 से 31.3.2001 तक अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाकों/स्लैबों का आयात एसआईएल की सुपुर्दगी पर अनुमत्य था और इसके लिए डीजीएफटी से किसी विशिष्ट आयात लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। चूंकि एसआईएल स्कीम दिनांक 1.4.2001 से समाप्त कर दी गई थी, इसलिए इन मदों का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया था अर्थात आयात केवल डीजीएफटी द्वारा जारी किये जाने वाले लाइसेंस पर ही किए जा सकते हैं और इस संबंध में समुचित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है। दिशा-निर्देशों का मसौदा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), खान मंत्रालय और राजस्थान की सरकार को भेजा गया था। खान मंत्रालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने दिशानिर्देशों के मसौदे पर अपनी सहमति से अवगत करा दिया था लेकिन राजस्थान की सरकार ने अपरिष्कृत संगमरमर ब्लाक/स्लैबा के लिए कोई लाइसेंस जारी किये जाने का विरोध किया था। तथापि, चूंकि जो मदें प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आती है उन मदों के संबंध में लाइसेंस जारी करने से मना करना संभव नहीं है, इसलिए दिनांक 14.3.2002 के नीति परिपत्र संख्या 29क द्वारा ये दिशानिर्देश जारी किये गये थे। आगे यह बताया गया है कि डोलोमाइट और परिष्कृत संगमरमर का आयात मुक्त है और इस प्रयोजनार्थ डीजीएफटी से कोई लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है।

प्रीमियम हासिल करने की टी.पी.ए. व्यवस्था

5126. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य बीमा अधिकारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय परिसंघ ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को प्रीमियम हासिल करने और दावा प्रबंधन में तृतीय पक्ष दलाल प्रशासक (टी.पी.ए.) की व्यवस्था के अंधाधुंध अनुपालन के विरुद्ध चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त एसोसिएशन ने सरकार से बहुसंख्यक सदस्यता वाली कर्मचारी एसोसिएशन के साथ-साथ मोल-भाव दलाल को औपचारिक मान्यता देकर द्विपक्षवाद को प्रोत्साहन देने की अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), जो बीमा कारोबार को विनियमित करने, उसे बढ़ावा देने तथा उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ने हिस्सा-धारकों के विचार जानने के बाद और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंध के अंतर्गत गठित बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात् दिनांक 17.9.2001 को आईआरडीए (तीसरा पक्षीय प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 जारी किए हैं। तीसरा पक्षीय प्रशासक (टीपीए) केवल चिकित्सा-दावों को प्रशासित करेंगे और कारोबार के प्रबंधन में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी।

(ग) और (घ) भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की चारों साधारण बीमा कंपनियों में प्रत्येक में विभिन्न संघों/यूनियनों की प्रातिनिधिक संख्या का पता लगाने के लिए जांच प्रणाली शुरू करने के तौर-तरीके तय कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों में बाल श्रम

5127. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने उन देशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां उद्योगों द्वारा बाल श्रमिकों का उपयोग कर उत्पादों को निर्मित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतिबंध से निपटने और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) यूएस टैरिफ अधिनियम, 1930 की धारा 307 उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करती है जिनके निर्माण में दोषी, बाध्यकारी, या बंधुआ मजदूरी का प्रयोग किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत, यूएस कस्टम्स ने एक विशेष भारतीय निर्यातक जिसका नाम मै. मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स है, से बीड़ी के आयात के विरुद्ध इस आशय के "तर्कसंगत सन्देह" के आधार पर अवरोधक आदेश जारी किये थे कि कम्पनी द्वारा बीड़ी निर्माण में बंधुआ बाल मजदूरों का प्रयोग किया जा रहा है। इस कम्पनी तथा भारत सरकार ने इस मामले को यूएस सरकार के उचित प्राधिकरणों के साथ उठाया है।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन

5128. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद अन्वेषण महानिदेशालय ने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनीसेफ, ए.डी.बी., यू.एन.डी.पी., विश्व बैंक, एफ.ए.ओ., अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे विश्व स्तर पर वित्तपोषित परियोजनाओं/संस्थानों के लिए वस्तु बेचने वाली कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क अपवंचन के बारे में उत्पाद और सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड को चेताया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) ऐसे कर अपवंचन को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) निष्कर्ष यह निकला कि ऐसी परियोजनाएं शुल्क छूट के लिए पात्र नहीं थीं परन्तु कोई शुल्क अदा नहीं किया गया था।

(ग) संबंधित सप्लायरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों को ऐसे शुल्क के अपवंचन हेतु सचेत कर दिया गया है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु अनुदान

5129. श्री अनन्त नायक: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती देने हेतु विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान स्वरूप वर्ष-वार कुल कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ख) इस योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप में उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को 350.00 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। आगे वर्ष 1998-99 के दौरान जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को 367.50 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किए गए 717.50 लाख रुपये के कुल अनुदान में से ऊपर उल्लिखित राज्यों द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 641.63 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया गया था।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार वार्ता

5130. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने विश्व व्यापार संगठन के नवीन चक्र के शुरू होने से पूर्व द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के साथ वरिष्ठ व्यापार अधिकारी स्तर पर वार्ता शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों की इस तरह के मुद्दों पर आम राय है;

(ग) क्या भारत-आस्ट्रेलिया सबंध को मजबूती प्रदान करने की योजना में सफलता हासिल कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो किस हद तक;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सरकार को डब्ल्यूटीओ में कार्यक्रम के संदर्भ में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय बात-चीत शुरू करने हेतु आस्ट्रेलियाई सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अप्रैल 2001 में केनबरा में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान आस्ट्रेलियाई पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापार, डब्ल्यूटीओ, व्यापार मुद्दों इत्यादि पर बातचीत करने के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया था। जहां तक दोनों देशों के बीच हितों की समानता का संबंध है, कृषि निर्यातक देशों के कैरन्स समूह के एक सदस्य के रूप में आस्ट्रेलिया द्वारा व्यापार विकृतकारी निर्यात एवं घरेलू इमदाद की समाप्ति के जरिए कृषि व्यापार के उदारीकरण के विचार को आगे लाया जा रहा है। शराब और स्पिरिट से भिन्न उत्पादों पर उच्चतर भौगोलिक संकेतकों का संरक्षण प्रदान करने के जिस मुद्दे का भारत द्वारा समर्थन किया जा रहा है, उस पर आस्ट्रेलिया द्वारा कड़ी आपत्तियां व्यक्त की जा रही हैं। आस्ट्रेलिया का यह विश्वास है कि इस प्रकार के विस्तार से आस्ट्रेलियाई कृषि उत्पादक समस्त प्रमुख घरेलू निर्यात बाजारों में बासमती चावल अथवा कालामाता ओलिभस जैसे प्रजातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने के अवसर से संभवत: वंचित हो जायेंगे।

(ग) से (च) भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की बैठकों में नियमित रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। अप्रैल, 2000 में आयोजित जेएमसी की बैठक के द्वौरान लिये गये निर्णय के अनुसरण में मई, 2001 में नई दिल्ली में ऊर्जा एवं खनिज संबंधी संयुक्त कार्यदल की एक बैठक आयोजित की गई थी। जहां तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का संबंध है वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान व्यापार 1450 मि. अमरीकी डालर का हुआ है जिसमें 405 मि. अमरीकी डालर का निर्यात और 1045 मि. अमरीकी डालर का आयात शामिल हैं। द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रतिकूल रहा है। अप्रैल-नवम्बर, 2001 के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का वर्तमान स्तर 1142.80 मि. अमरीकी डालर का है जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संगत आंकड़ों की तुलना में 17% की वृद्धि दर्ज होती है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

5131. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली ऐसी धनराशि की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों के लिए भी जो अपने अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने हेतु सौदा कराने में पहल करेगी;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक के साथ हुई ऐसी वार्ताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक से पहले ही कितना ऋण लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पांच परियोजनाओं में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का प्रावधान है। दो ऋणों में वीआरएस के लिए वचनबद्ध विनिर्दिष्ट राशि केवल 23.30 मिलियन अमरीकी डालर है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय

5132. श्री राजो सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान इस संबंध में कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या छात्रावासों के अधीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो छात्रावासों के रख-रखाव के लिए उक्त अधीक्षकों को क्या जिम्मेदारी दी गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय स्कूलों के संचालनार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान प्रदान करते हैं। आवासीय स्कूलों, जिनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सहायतानुदान स्वीकृत किया जाता है, में प्रवेश के लिए एकमात्र मानदंड यह है कि छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।

(ख) बिहार सरकार द्वारा आवासीय स्कूलों के लिए कोई राशि व्यय किये जाने की जरूरत नहीं है जिनके लिए या तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सहायतानुदान स्वीकृत किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूती वस्त्रों और मानव निर्मित वस्त्रों का निर्यात

5133. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में सूती वस्त्रों और मानव निर्मित वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2001 के प्रारंभ से ही सूती वस्त्र तथा मानव-निर्मित फैब्रिक सहित वस्त्र निर्यात में गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई जिसका मुख्य कारण यू.एस. जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारिक सहभागी देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आना और चीन व बंगलादेश जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना और उच्च उत्पादन लागत, वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की कमी के कारण निम्न उत्पादकता है।

(ग) सरकार सूती वस्त्र तथा मानव-निर्मित फैब्रिक सहित वस्त्र निर्यात को सुदृढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के वूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही इसने वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

(3) टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण के प्रोत्साहन की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में कुछ विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई है।

(6) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग मौजूदा जिनिंग व प्रैसिंग फैक्ट्री के उन्नयन/आधुनिकीकरण द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना है।

(8) पारि-परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करने हेतु आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र उद्योग को सुसज्जित करना तथा अनुकूल बनाना।

[हिन्दी]

आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करना

5134. श्री रामदास आठवले: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अनारक्षित करने पर रोक के संबंध में 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88-स्था. (एस.सी.टी.) के बावजूद बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित करके उन्हें अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों से भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत उपक्रमों, स्वायत्त और सांविधिक संगठनों और संबद्ध कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कितनी रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया गया और उन्हें अन्य श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा भरा गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रचालनरत उपक्रमों और भारी उद्योग विभाग एवं लोक उद्यम विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित करने का कोई मामला पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अमरीका में समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट

5135. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** अमरीका को समुद्री उत्पादों के निर्यात के बारे में 23 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 1101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान अमरीका को समुद्री उत्पादों के पूर्ण निर्यात में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-03 के दौरान अमरीका और अन्य देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विद्यमान एवं प्रत्याशित बाजार की स्थिति के आधार पर निर्यातों के बारे में अनुमान लगाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2002-03 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात हेतु वर्तमान अनुमान 1250 मिलियन अमरीकी डालर का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं-समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित योजनाएं; स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना; जल कृषि का विस्तार करना; रोगों के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए ठोस प्रबंधन पद्धति अपनाने के लिए जल-कृषकों को शिक्षण प्रदान करना; निर्यात हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करना; ममुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना इत्यादि।

निर्यातोन्मुख क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित करना

5136. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी निर्यातोन्मुख क्षेत्रों को शीघ्र ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और कारण क्या हैं;

(ग) इन्हें एक ही श्रेणी में लाने के बाद निर्यातकों को किस हद तक लाभ मिलेगा;

(घ) क्या इस तरह की कार्रवाई के लिए किसी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति का ब्यौरा क्या है और इस नीति से कितना लाभ होने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सभी निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजेड) को विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) में परिवर्तित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-07 की एग्जिम नीति के लिए पूर्व वाणिज्य सचिव श्री पी.पी. प्रभु की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने योजनाओं की पुनरावृत्ति को कम करने हेतु शेष ईपीजैड को एसईजैड में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी।

वस्त्रों पर भारत और अमरीका के बीच विवाद

5137. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने वस्त्र उत्पादों तथा परिधानों के मुक्त पहुंच से इन्कार करने पर संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण इकाई के समक्ष पुन: शिकायत दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा वस्त्र निर्माण के मूल संबंधी नियमों में लगातार परिवर्तन लाए जाने के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत ने 11 जनवरी, 2002 को संयुक्त राष्ट्र के उरुग्वे दौर करार अधिनियम और व्यापार एवं विकास अधिनियम 2000 में उल्लिखित वस्त्र एवं परिधान उत्पादों के उद्गम संबंधी नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत अमरीका के साथ औपचारिक परामर्श करने का अनुरोध किया था। भारत ने उद्गम नियम संबंधी करार के प्रावधानों के साथ परिवर्तनों की संगतता पर आपत्ति की है जिसके अनुसार उद्गम संबंधी नियमों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर स्वयं प्रतिबंधात्मक, विकृतकारी तथा विध्नकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, भेदकारी नहीं होंगे और उनका प्रयोग सतत, एक समान रूप से निष्पक्ष और उचित ढंग से किया जाएगा, अमरीका के साथ औपचारिक परामर्श 7 फरवरी, 2002 और 26 मार्च, 2002 को कर लिए गए हैं।

(ग) से (ङ) अमरीका द्वारा किए गए परिवर्तनों का मुद्दा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर उठाया गया है।

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

5138. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान ऊनी वस्त्रों के निर्यात में कमी का रुझान दिख रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऊनी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, कालीन के अतिरिक्त ऊनी वस्त्र मदों के निर्यात में 1999-2000 की तुलना में 69% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-2002 के पिछले 9 माह के दौरान इनमें विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18% की गिरावट आई परन्तु तुलनात्मक रूप से 1999-2000 के आंकड़ों के अनुकूल रहे।

(करोड़ रुपये में)

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अप्रैल-दिसंबर, 01)
ऊनी वस्त्र (कालीन के अतिरिक्त)	982.18	1665.84	1115.44

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

(ग) सरकार द्वारा ऊनी वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं जिनमें शामिल हैं; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, परिधान क्षेत्र का अनारक्षण, निटवियर क्षेत्र में लघु उद्योग एककों के लिए निवेश की सीमा में बढ़ोत्तरी, एकीकृत अपैरल पार्क योजना, वस्त्र समूह अध्यसंरचना विकास योजना, विशाल विदेशी मांगों की पूर्ति हेतु नये मिश्रणों व उत्पादों को विकसित करना, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाईन बैंक का सृजन, मशीन एवं कच्चे माल की टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना, आदि।

भारतीय गो-मांस पर सऊदी अरब द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

5139. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय गो-मांस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और सऊदी अरब द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात के संबंध में सऊदी अरब के साथ संपर्क में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सऊदी अरब सरकार ने इस संबंध में अपने विचार अग्रेषित कर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सऊदी अरब की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सऊदी अरब द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने सऊदी प्राधिकारियों के साथ उनके द्वारा भारतीय गोजातीय मांस तथा समुद्री उत्पादों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने संबंधी मामले को लगातार उठाया है। सउदी अरब की सरकार ने औपचारिक रूप से अभी तक अपनी प्रतिक्रिया सूचित नहीं की है। सरकार इस मामले पर जोर देती रहेगी।

डी.ई.पी.बी. योजना का उपयोग

5140. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने निर्यातक "ड्यूटी इन्टाइलटिलमेण्ट पासबुक स्कीम" का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या इन निर्यातकों द्वारा स्कीम में पंजीकरण कराया जाना होता है;

(ग) क्या उद्योग जगत और निर्यातक संगठनों द्वारा इस योजना की अवधि बढ़ाये जाने की मांग की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) देश में ऐसे लगभग 65,000 निर्यातक हैं, जो शुल्क हकदारी पासबुक योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयात निर्यातक कोड संख्या की अपेक्षा के अलावा, इस योजना के लिए किसी अन्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अनेक वाणिज्य मंडलों एवं निर्यातकों ने इस योजना के जारी रखने की मांग की थी। सरकार योजना को जारी रखने के लिए सहमत हो गयी है और इसे एक्जिम नीति 2002-07 में घोषित किया है।

विदेशी ऋण की अदायगी

5141. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विदेशी ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा भंडार में से 100 बिलियन डालर के विदेशी ऋण के एक भाग की अदायगी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने विदेशी ऋण की अदायगी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सितम्बर, 2001 के अंत में भारत का बकाया विदेशी ऋण 100.38 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने महंगे विदेशी ऋण की समयपूर्व अदायगी के मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के एक तदर्थ समूह का गठन किया है और सरकार चुनिन्दा महंगे विदेशी ऋण की समय पूर्व अदायगी पर विचार कर रही है। तथापि, कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के उनके बहुपक्षीय ऋणों के

संबंध में समय पूर्व अदायगी के प्रस्तावों को तदर्थ समूह द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार मंजूरी दे दी गई है।

अस्पतालों को कर के दायरे में लाना

5142. श्री विनय कुमार सोराके:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री राम मोहन गाइडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 66% से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और अनेक निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों को कर दायरे में नहीं लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 12000 से अधिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की कर योग्य आय का अभी आकलन किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त के संदर्भ में जो थोड़ा कर लगाया गया है वह 1000 करोड़ रुपये से अधिक का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) 15 मार्च, 2002 को संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 2002 की संख्या 12क में निजी बैंककारी कम्पनियों और गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों तथा निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की समीक्षा के परिणामों को शामिल किया है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के राज्यों में इस रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा पहचान किए गए 18,435 गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों का 12,210 (अथवा 66 प्रतिशत) कर के दायरे से बाहर थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों का राज्य-वार विभाजन उपलब्ध है। जिसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सांविधिक उपबंधों के अनुपालन न कर पाने के फलस्वरूप 1587 मामलों में 104177.18 लाख रुपये का कुल कम शुल्क लगाया गया।

(ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में जांच की जा रही है, जिसका उद्देश्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरा-वार उत्तर देना और उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षपों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करना है। तथ्यों के सत्यापन के पश्चात उचित कार्रवाई की जा सकती है।

विवरण

विवरणी दाखिल न करने वालों की स्थिति

राज्य	विभिन्न स्रोतों से पता लगाए गए निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की वास्तविक सं.	कर-निर्धारण के अध्यधीन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की वास्तविक सं. (जैसाकि विभाग द्वारा पुष्टि की गई है)	कर-निर्धारण के अध्यधीन नहीं निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों की संख्या	प्रतिशत (4 की तुलना में 2)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	975	378	597	61
असम और पूर्वोत्तर राज्य	132	36	96	72
बिहार और झारखंड	320	50	270	84

1	2	3	4	5
दिल्ली	536	93	443	83
गुजरात	3746	783	2963	79
हरियाणा	1228	667	561	46
कर्नाटक और गोवा	1861	1037	824	44
केरल	1537	492	1045	68
महाराष्ट्र	4564	575	3989	87
मध्य प्रदेश	788	501	287	36
उड़ीसा	299	84	215	72
पंजाब	941	410	531	56
राजस्थान	530	290	240	45
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	1168	966	202	18
यू टी चण्डीगढ़	48	26	22	46
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	1202	486	716	60
पश्चिम बंगाल	1228	366	862	70
कुल	21103	7240	13863	

निर्यातों को बढ़ाने की योजना

5143. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों के दौरान सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कुछ प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन किया गया;

(ग) इन योजनाओं को लागू किये जाने हेतु कौन से विशेष कदम उठाए गए; और

(घ) आने वाले वर्षों के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार की नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) निर्यात वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले दो वर्षों में दो विशिष्ट योजनाएं अर्थात् एसाईट (निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता) और एमएआई (निर्यात वृद्धि और निर्यात अध्ययन-बाजार पहुंच पहल) शुरू की गई हैं। एसाईट के तहत निर्यात वृद्धि के लिए उचित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत आवंटन दोहरे मानदण्डों अर्थात् भिन्न-भिन्न राज्यों से सकल निर्यात तथा निर्यात की वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2002-03 के बजट में इस योजना के लिए 330 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

एस ए आई योजना देश-उत्पाद-केन्द्रित-दृष्टिकोण के आधार पर विदेश में बाजार संवर्धन प्रयासों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए तैयार की गई है। इस राशि का उपयोग बाजार अध्ययनों, भांडागार सुविधाओं, शोरूम की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2001-2002 में 14.5 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था।

वर्ष 2002-2003 में इस राशि को बढ़ाकर 42 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(घ) सरकार का विचार है कि निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों का संवर्धन करने के लिए एक योजना तैयार की जाए। ये ऐसे औद्योगिक समूह वाले कस्बे हैं जो अपने उत्पाद के काफी बड़े भाग का निर्यात कर रहे हैं और जो विश्व के स्तर के हैं। ऐसे कुछेक उदाहरण हैं जैसे हौजरी के लिए तिरुपुर, ऊनी कम्बलों के लिए पानीपत, बुलन निटवियर के लिए लुधियाना है। इन कल्सटर कस्बों में सामान्य सेवा प्रदाताओं को निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान सुविधा प्रदान करने की मंशा है। इन कस्बों में मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों बाजार पहुंच पहल (एमएआई) निधि तथा एसाईट योजना से निधियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्राप्त करने की हकदार होंगी।

भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा मेला आयोजित करने हेतु दिशा-निर्देश

5144. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.पी.ओ. द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि एक ही विषय पर 45 दिनों के भीतर दो मेलों का आयोजन न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.टी.पी.ओ. द्वारा इस दिशा-निर्देश को लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या इस प्रकार के दिशानिर्देश का उल्लंघन होने के कारण विदेशी प्रदर्शनी आयोजक प्रगति मैदान का उपयोग करने से कतरा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आई.टी.पी.ओ. द्वारा अपनी छवि और व्यवहार्यता सुधारे जाने हेतु क्या कदम उठाये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या आई.टी.पी.ओ. भारी निवेश से आय अर्जित कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। दिशानिर्देशों के अनुसार एक ही विषय और उत्पाद पर दो प्रदर्शनियों/मेलों के बीच का अपेक्षित समय अन्तराल 45 दिन का होगा। यदि उसका आयोजन एक ही शहर में किया गया हो।

(ख) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (इटपो) इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रदर्शनियों के आयोजकों को निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि केवल वे ही उत्पाद प्रदर्शित किया जाएं जिन्हें उनके आवेदनों में घोषित किया गया है और यह कि विषय और उत्पाद प्रोफाइल के संबंध में कोई विरोधाभास न हो।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आईटीपीओ द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित प्रदर्शनियों के आधार पर आयोजन संबंधी वार्षिक कैलेंडर सामान्यत: मार्च के महीने में घोषित किया जाता है। ताकि आयोजकों को अपने आयोजनों की योजना बनाने और आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आईटीपीओ का यह सतत प्रयास भी रहता है कि अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जाए, समारोह के आयोजकों के साथ विचार-विनिमय तथा भारत एवं विदेशों में अपने कार्यकलापों की व्यवहार्यता को बढ़ाया जाए।

(ङ) और (च) वर्ष 2000-01 के दौरान विभिन्न स्रोतों से आईटीपीओ को प्राप्त हुई सकल आय नीचे दर्शाई गई है:

भारत में कार्यकलाप	–	80.66 करोड़ रु.
विदेश में कार्यकलाप	–	33.99 करोड़ रु.
ब्याज/लाभांश	–	17.30 करोड़ रु.

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन/खपत

5145. श्री राजो सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सीमेंट के वार्षिक उत्पादन और खपत का राज्यवार आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य से सीमेंट की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह अन्तर है; और

(ङ) इन राज्यों में सीमेंट की मांग और उत्पादन में अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट के वार्षिक उत्पादन और खपत का राज्यवार आंकड़ा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमेंट की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक है। इसके ब्यौरे विवरण संलग्न में दिये गये हैं।

(ङ) सीमेंट उद्योग को वर्ष 1991 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अत: सरकार विभिन्न राज्यों में सीमेंट की मांग और आपूर्ति का विनियंत्रण नहीं करती है। सीमेंट उद्योग इनका विनियंत्रण आर्थिक कारणों के आधार पर करता है। सीमेंट एक विपुल मद होने के कारण, जिन राज्यों में इसका उत्पादन कम होता है ऐसे राज्य स्वाभाविक रूप से उन पड़ोसी राज्यों से सीमेंट की आपूर्ति करते हैं जिनमें सीमेंट का उत्पादन उनकी मांग से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट विनिर्माताओं पर किसी भी राज्य में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की कोई पाबंदी नहीं है।

विवरण

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		सीमेंट उत्पादन	सीमेंट खपत	वृद्धि/ कमी	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट खपत	वृद्धि/ कमी	सीमेंट उत्पादन	सीमेंट खपत	वृद्धि/ कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी क्षेत्र										
1.	उत्तरांचल	–	–	–	–	3.03	3.03	–	8.30	-8.30
2.	हरियाणा	0	27.59	-27.59	0.00	28.48	-28.48	0	32.55	-32.55
3.	पंजाब	14.74	42.92	-28.18	15.24	40.99	-25.75	19.03	48.86	-29.83
4.	राजस्थान	148.52	51.53	96.99	145.28	47.44	97.84	160.05	52.11	107.94
5.	हिमाचल प्रदेश	34.10	9.41	24.69	33.75	10.60	23.15	38.98	12.51	26.47
6.	चण्डीगढ़	–	2.97	-2.97	–	3.47	-3.47	–	3.17	-3.17
7.	दिल्ली	–	28.13	-28.13	–	26.69	-26.69	–	29.43	-29.43
8.	जम्मू और कश्मीर	0.96	6.31	-5.35	1.09	7.29	-6.2	1.36	7.87	-6.51
	उत्तरी क्षेत्र-योग	198.32	168.86	29.46	195.36	167.99	27.37	219.42	194.80	24.62
पूर्वी क्षेत्र										
9.	असम	1.18	8.56	-7.38	1.34	9.38	-8.04	1.33	8.30	-6.97
10.	मेघालय	1.15	3.71	-2.56	1.22	5.23	-4.01	1.06	4.50	-3.44
11.	बिहार	30.02	39.49	-9.47	6.20	34.45	-28.25	6.25	32.84	-26.59
12.	झारखण्ड	–	–	0.00	25.08	7.14	17.94	30.09	14.00	16.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	उड़ीसा	20.80	20.57	0.23	24.17	26.33	-2.16	24.33	29.30	-4.97
14.	प. बंगाल	8.64	47.28	-38.64	8.33	47.58	-39.25	17.40	59.36	-41.96
15.	छत्तीसगढ़	-	-	0.00	86.05	6.44	79.61	86.26	14.68	71.58
	पूर्वी क्षेत्र-योग	61.79	119.61	-57.82	152.39	136.55	15.84	166.72	162.98	3.74
दक्षिणी क्षेत्र										
16.	आंध्र प्रदेश	143.17	77.11	66.06	126.35	58.62	67.73	134.12	67.55	66.57
17.	तमिलनाडु	78.60	81.99	-3.39	82.41	81.94	0.47	93.08	83.19	9.89
18.	कर्नाटक	62.91	49.50	13.41	60.89	49.78	11.11	67.64	61.77	5.87
19.	केरल	4.36	47.72	-43.36	4.37	46.66	-42.99	3.94	45.59	-41.65
20.	पांडिचेरी	-	0.78	-0.78	-	0.99	-0.99	-	1.78	-1.78
21.	अंडमान तथा निकोबार	-	0.25	-0.25	-	0.82	-0.82	-	0.99	-0.99
22.	गोवा, दमन और दीव	-	2.54	-2.54	-	2.93	-2.93	-	3.36	-3.36
	दक्षिण क्षेत्र-योग	289.04	259.89	29.15	274.02	241.74	32.28	298.78	264.23	34.55
पश्चिमी क्षेत्र										
23.	गुजरात	92.87	75.09	17.78	93.14	63.84	29.3	105.45	75.28	30.17
24.	महाराष्ट्र	60.28	122.91	-62.63	65.03	131.26	-66.23	66.84	132.33	-65.49
	पश्चिमी क्षेत्र-योग	153.15	198.00	-44.85	158.17	195.10	-36.93	172.29	207.61	-35.32
मध्य क्षेत्र										
25.	उत्तर प्रदेश	15.10	118.35	-103.25	16.02	112.80	-96.78	18.27	120.00	-101.73
26.	मध्य प्रदेश	224.67	55.77	168.90	140.10	48.63	91.47	148.53	40.06	108.07
	मध्य क्षेत्र-योग	239.77	174.12	65.65	156.12	161.43	-5.31	166.80	160.46	6.34
	कुल योग	942.07	920.48	21.59	936.06	902.81	33.25	1024.01	990.08	33.93

रेशम कीट का उत्पादन

5146. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेशमकीट पालन को प्रोत्साहन देने और देश में शहतूत के पेड़ के क्षेत्र को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या प्रस्तावित आर्थिक पैकेज दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेशम-उत्पादन क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार की गई जिसका उद्देश्य खेतों पर तथा खेती के पश्चात की कार्रवाइयों में गुणवत्ता तथा उत्पादकता को सहायता तथा सहयोग प्रदान करते हुए शहतूती रेशम एवं गैर-शहतूती रेशम को वर्ष 2001-2002 (अनंतिम) के 16400 टन प्रक्षेपित शहतूती व 2300 टन गैर शहतूती रेशम तक बढ़ाना है। इन कदमों में शामिल हैं-जहां भी व्यवहार्य हो द्विफसलीय रेशम-उत्पादन को अपनाना, पालन व धागा बनाने में सुधरी प्रौद्योगिकी, सुधरी हुई बीज आपूर्ति प्रणालियां, पौधारोपन व विविधीकरण के क्षेत्र का विस्तार तथा उत्पाद विकास आदि। अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा राज्यों के जटिल निवेशों के प्रावधान को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाना है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें केन्द्रीय रेशम बोर्ड को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपनाई गई पद्धतियों के अनुरूप वित्तीय सहायता के प्रस्ताव भेज रही हैं। मंजूरी एवं अनुमोदन की प्रक्रिया से प्रस्ताव रखे जा रहे हैं तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय भागीदारी द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। जहां भी आवश्यकता है वहां केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा तकनीकी सलाह व परामर्श दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

5147. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यातित विभिन्न मसालों की मसाले-वार मात्रा कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान मसालों के निर्यात में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें किस सीमा तक गिरावट आई है;

(घ) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी, 2002 की अवधि के दौरान प्रमुख मसालों के मदवार निर्यात नीचे दिये गये हैं:

मद	अप्रैल-फरवरी, 2002 के दौरान निर्यात	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	2	3
काली मिर्च	20,500	189.02
इलायची (छोटी)	800	46.36
इलायची (बड़ी)	1,200	19.61
लाल मिर्च	64,000	222.24
अदरक	7,500	23.16
हल्दी	34,000	77.73
धनिया	10,100	34.35
जीरा	12,250	105.20
सेलरी	4,300	13.37
काला जीरा	3,500	13.78
मेथी	4,200	12.10
अन्य बीज (1)	4,400	15.17
लहसुन	1,000	2.92
अन्य मसाले (2)	35,000	156.45
करी पाउडर	5,600	38.48
पुदीना तेल	3,300	116.11
मसाला ओलियारेजिन तथा अन्य तेल	4,000	353.98
कुल	215,650	1440.02

स्रोत: मसाला बोर्ड

(1) सौफ, अजवान बीज, सोआ बीज, पोस्त बीज, सरसों इत्यादि शामिल है।

(2) इमली, हींग, दालचीनी, केसिया, कोकम, केसर इत्यादि शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि मसालों के निर्यात को बढ़ाया जाए। सामान्य व्यापार नीतिगत सुधारों के अलावा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाये गये कुछेक कदमों में शामिल है-मसालों के निर्यात पर 0% की दर से उपकर को युक्तिसंगत बनाना ताकि उन्हें विदेशी बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके; "लोगो संवर्धन" जैसी ब्रांड संवर्धन योजनाओं को क्रियान्वित करना; गुणवत्ता युक्त उत्पादों के प्रसंस्कर्ता/निर्यातक की मान्यता के रूप में "मसाला गृह प्रमाण-पत्र" प्रदान करना; गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करना; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया उन्नयन तथा उत्पाद विकास।

आर्थिक विकास पर विश्व बैंक रिपोर्ट

5148. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी विश्व विकास वित्त 2002 की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के विषय में चालू वर्ष का कोई संदर्भ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और पाकिस्तान जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था पण्यों के निर्यात पर आधारित है वे कॉफी, कपास, चावल और सोयाबीन इत्यादि जैसे उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूनतम मूल्यों के कारण वास्तव में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व बैंक रिपोर्ट के मद्देनजर वर्ष 2002-03 के दौरान अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनायी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी विश्व विकास वित्त, 2002 की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास वित्त, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि विकास की वर्तमान धीमी गति का कारण मुख्यत: कम घरेलू मांग का होना रहा है, यद्यपि पहले की अपेक्षा इस बार बाध्य कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(घ) वस्तुओं की कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दीर्घकालिक गिरावट रही है। कॉफी, कपास और सोयाबीन की वस्तु कीमतें निम्नानुसार है:

वस्तु	इकाई	1990	2000	2001
कॉफी, अन्य माइल्ड	सेन्टस/किग्रा.	197.2	192.0	137.3
कॉफी रोबस्टा	सेन्टस/किग्रा.	118.2	91.3	60.7
सोयाबीन	डालर/मी. टन	246.8	211.8	195.8
कपास	सेन्टस/किग्रा.	181.9	130.2	105.8

स्रोत: विश्व विकास वित्त, 2002

(ङ) वर्ष 2002-03 के लिए पेश किए गए बजट में देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए बुनियादी सुविधा क्षेत्र में निवेश, कृषि और खाद्य क्षेत्र में सुधारों को जारी रखने, वित्त क्षेत्र और पूंजीगत बाजार का सुदृढ़ीकरण, ढांचागत सुधारों को तेज करने और औद्योगिक विकास को पुन: प्राप्त करने, इत्यादि के रूप में कई उपायों की घोषणा की गई है। इसके अलावा, हाल ही में एग्जिम नीति 2002-07 में घोषित नीति पैकेज निर्यातों का सकारात्मक रूप से संवर्धन करने के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं विशेष आर्थिक जोनों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की अनुमति देना, कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन इमदाद, निर्यात उत्कृष्टता केन्द्रों का विकास, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यात हेतु अतिरिक्त सहायता

और सौदों की लागत में आगे और कमी करना। इसके अतिरिक्त, 2002-07 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति की भी घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य वर्ष 2006-07 तक विश्व निर्यात का 1% हिस्सा प्राप्त करना है। इन सभी उपायों का उद्देश्य आमतौर पर आर्थिक विकास को बढ़ाना तथा विशेष रूप से निर्यात में वृद्धि करना है।

वक्फ बोर्ड

5149. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य और केन्द्रीय वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने के लिए क्या कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या सभी राज्य वक्फ बोर्ड भारत सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि के संबंध में उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राज्य वक्फ बोर्ड या केन्द्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए कोई विशिष्ट शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 (8) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, अध्यक्ष का चयन संबंधित बोर्डों द्वारा किया जाता है।

(घ) से (च) राज्य वक्फ बोर्डों को निर्मुक्त राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। पिछले तीन वर्षों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

डी.ई.पी.बी. स्कीम में परिवर्तन

5150. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डी.ई.पी.बी. स्कीम को विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुरूप बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो डी.ई.पी.बी. स्कीम को विश्व व्यापार संगठन के दिशा-निर्देश के अनुरूप बनाने के लिए कौन से परिवर्तन करने की संभावना है;

(ग) क्या यह प्रक्रिया शुरू हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी समिति ने इन दृष्टिकोणों का भी परीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) शुल्क हकदारी पासबुक योजना निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों के अनुसार निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मानी गई आयातित निविष्टियों पर मूल सीमाशुल्क की वापसी की अवधारणा पर आधारित है। अत: यह योजना डब्ल्यू टी ओ के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करती है। भूतपूर्व वाणिज्य सचिव, श्री पी.पी. प्रभु की अध्यक्षता में प्रभु समिति ने डीईपीबी योजना के कार्य संचालन का अध्ययन किया। जहां अन्य बातों के साथ-साथ इसने डब्ल्यू टी ओ की सुसंगतता की भी जांच की थी। समिति ने डीईपीबी को जारी रखने की सिफारिश की है। तदनुसार इस योजना को हाल ही में घोषित एक्जिम नीति 2002-2007 में भी जारी रखा गया है।

साधारण बीमा कंपनी की नई पॉलिसियां

5151. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा कंपनियों ने गुजरात में नई पालिसियां देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल के दंगों के दौरान उद्योग को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि के दावे प्राप्त किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी

क्षेत्र) संघ (जिप्सा) ने सूचित किया है कि जहां एक ओर चल रही बीमा पॉलिसियां सामान्य पद्धति के अनुसार नवीकृत की जाती हैं, वहीं नई पॉलिसियां हामीदारी करार के अनुसार जोखिम की जांच करने के बाद जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) जिप्सा ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को लगभग 173 करोड़ रु. मूल्य के लगभग 5000 दावे प्राप्त हुए हैं।

सिंगापुर के साथ व्यापार संबंध

5152. श्री अनन्त नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के सिंगापुर के साथ किन क्षेत्रों में व्यापार संबंध है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिंगापुर के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सिंगापुर के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो भारत-सिंगापुर व्यापार को बढ़ाने के लिए किन नए क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(च) इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (च) सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार मुख्यत: कार्यालय एवं डाटा मशीन के पुर्जों तथा इलेक्ट्रानिक उत्पादों, हीरा एवं आभूषण अपरिष्कृत स्वरूप से भिन्न पेट्रोलियम तथा खनिज तेल, अल्युमीनियम, मेन्थाल, डीजल इंजन सहित मशीनरी, बुने हुए वस्त्र, अनगड़ चांदी, बोरिंग अथवा सिंकिंग मशीनरी के पुर्जों में होता है। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में शामिल है-भारत को और भारत से व्यापार एवं कारोबार मिशनों की शुरूआत करना, कारोबार मंचों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करना, भारत के साथ कारोबार करने में अवसरों को रेखांकित करना इत्यादि। हाल ही में अप्रैल, 2002 में प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी करार करने के लिए एक अध्ययन दल के गठन पर सहमति व्यक्त की हैं।

प्रधानमंत्री की हाल ही की सिंगापुर यात्रा के दौरान अभिज्ञात किये गये नये क्षेत्रों में शामिल हैं-भारत-सिंगापुर जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना; पर्यटन संपर्क को बढ़ाना तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही हैं।

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल	व्यापार संतुलन
1998-99	517.45	1384.16	1901.61	-866.72
1999-2000	669.00	1534.41	2203.41	-865.41
2000-2001	867.75	1434.13	2301.88	-566.38

दक्षेस देशों के साथ व्यापार

5153. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-01 के दौरान भारत का दक्षेस देशों के साथ व्यापार 37 प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दक्षेस क्षेत्र में व्यापार का रुझान क्या है;

(ग) क्या दक्षेस देशों से होने वाले आयात में भी तेजी से वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आगामी वर्षों में दक्षेस देशों को निर्यात बढ़ाने हेतु कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस संबंध में प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार वर्ष

1999-2000 में 7510.20 करोड़ रुपए का था जो वर्ष 2000-2002 के दौरान 10,753.53 करोड़ रुपए का हो गया जिसमें 43.18% तक की वृद्धि हुई।

(ख) वित्तीय वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर की अवधि) के दौरान सार्क क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 7490.24 करोड़ रुपए के व्यापार से बढ़कर 9104.44 करोड़ रुपए का हो गया जिसमें 21.55% की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

(ग) और (घ) सार्क देशों से भारत में आयात वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए 1409.22 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000-2001 के दौरान 1971.88 करोड़ रुपए का हो गया। यही प्रवृत्ति वर्ष 2001-02 के दौरान भी जारी रही और सार्क देशों से आयात वर्ष 2001-2002 में अप्रैल-दिसम्बर अवधि के दौरान वर्ष 2000-2001 की इसी अवधि में हुए 1411.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 2092.97 करोड़ रुपए का हो गया।

(ङ) और (च) भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण-एशिया क्षेत्र के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार किए हैं। नेपाल के साथ व्यापार संधि के अंतर्गत, दोनों देश एक देश से दूसरे देश को निर्यात बढ़ाने के लिए टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान करते हैं। भारत और भूटान के बीच निर्यातों को पारस्परिक आधार पर शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार करार में सहमत समय सीमा के आधार पर दोनों देशों में बाजार पहुंच प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। बंगलादेश और मालदीव (पाकिस्तान को छोड़कर) समेत सभी देशों के साथ किए गए व्यापार करारों में द्विपक्षीय व्यापार के प्रवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा किए जाने की व्यवस्था है। भारतीय निर्यात संभाव्यता से अवगत कराने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों को नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले वार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है।

सार्क मंच पर सभी सदस्य देश एक शुल्क मुक्त व्यापार प्रणाली जिसे सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा यथाशीघ्र स्थापित करने की मंशा से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए टैरिफ की दरों में कमी करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

आयात-निर्यात मानदण्डों का सरलीकरण

5154. श्री राजो सिंह:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2001 में घोषित आयात-निर्यात नीति ने किस सीमा तक आयात-निर्यात की प्रक्रिया को सरल किया है;

(ख) इससे किसी सीमा तक निर्यातकों की लेन-देन लागत में कमी आयी है;

(ग) क्या सरकार ने आयात-निर्यात मानदंडों को हाल में और सरलीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) मानदण्डों के सरलीकरण के परिणामस्वरूप निर्यातकों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एग्जिम नीति (31.03.2001 तक यथासंशोधित) में कुछेक क्रियाविधिक सरलीकरण लागू किए गए थे जैसे आयातक-निर्यातक प्रोफाइल को केवल एक बार ही प्रस्तुत किया जाना जब तक सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हो, ई-मेल के जरिए स्पष्टीकरण तथा साक्षात्कार, गोल्डन दर्जा धारकों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को समाप्त करना, सभी श्रेणी के लाइसेंसों के लिए इलैक्ट्रानिक फाइलिंग का विस्तार करना तथा ऑफ लाइन फाइलिंग की सुविधा लागू करना। इन उपायों से कारोबार की लागतों में कमी आई है।

(ग) से (ङ) एग्जिम नीति 2002-2007 में कुछेक अन्य सरलीकरण उपाय शुरू किए गए हैं जैसे सीमाशुल्क (डीजीएफटी तथा डीजीसीआईएण्डएस) में एक साझा वस्तु वर्गीकरण ताकि वर्गीकरण संबंधी विवादों को समाप्त किया जा सके, इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए अधिकतम आवेदन शुल्क में कमी लाना, क्षेत्रीय कार्यालयों में उसी दिन लाइसेंसिंग योजना को शुरू करना, सीमाशुल्क द्वारा निर्यात कार्गो की वास्तविक जांच की प्रतिशतता में कमी करना, वास्तविक चूकों के मामले में दंडनीय ब्याज दर को 24% से कम करके 15% करना, नमूनों के आयात-निर्यात का उदारीकरण ईसीजीसी के तहत कवर प्रदान किए जाने के बाद निर्यात आय की वसूली नहीं होने पर कोई दंड नहीं, दस्तावेजों के बारे में प्रत्यक्ष बातचीत के मामले में बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) के बदले में फारेन इन्वार्ड रैमिटैंस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने की अनुमति तथा किसी एक योजना के अंतर्गत लाभ से इन्कार करने की स्थिति में एक योजना से दूसरी योजना में वैकल्पिक सुविधा प्रदान करना। इन उपायों से सरलीकरण के साथ-साथ निर्यातको के लिए कारोबार लागतों में भी कमी आएगी।

बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले

5155. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में कुछ भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने मामले दायर किए गए और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.बी.यू. कारों का आयात

5156. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.आई.पी.बी. द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों और भारत सरकार के सचिवों के दल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सी.बी.यू. कारों पर ए.आर.ए.आई. द्वारा स्वीकृति प्रमाण-पत्र विदेशों में कार निर्माण करने वाली उन कम्पनियों को दिया जाना था जिन्होंने कार निर्माण के क्षेत्र में 500 मिलियन डालर का भारत में निवेश किया हो;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ एजेंट इन बी.एम.डब्ल्यू. कारों के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करने का दावा कर सीबीयू कारों का मुक्त आयात कर रहे हैं यद्यपि बीएमडब्ल्यू भारत में किसी कार का निर्माण नहीं कर रही है या उनका भारत में उनकी कोई निर्माण इकाई भी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कदाचार को रोकने और अवैध रूप से स्वीकृति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से रोकने हेतु कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) भुगतान संतुलन के कारणों से भारत द्वारा लगाए गए सभी आयात प्रतिबंधों को हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के मद्देनजर समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार पूर्ण रूप से तैयार कार इकाइयों पर से आयात प्रतिबंध भी 31.3.2001 से हटा लिए गए थे। वर्तमान में कारों का आयात दिनांक 31.3.2001 की अधिसूचना सं. 4 में उल्लिखित नीति के अधीन है। तथापि दिनांक 14.9.2001 की अधिसूचना सं. 31 के अनुसार व्यक्तियों की कुछेक विशेष श्रेणियों जैसे कि भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों, आवास के परिवर्तन पर वापस आ रहे अनिवासी भारतीयों को इन शर्तों से छूट दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार भारत में कारों का आयात नियम 126, जो स्वीकृति से संबंधित है, सहित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर) के उपबन्धों के अनुपालन के अधीन है। दी आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), जो सीएमवीआर 1989 के नियम 126 के तहत विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण है ने सूचित किया है कि बीएमडब्ल्यू एजी जर्मनी के एजेंटों से कुछ पूछताछ प्राप्त हुई थी जिसमें टाइप अनुमोदन प्रमाणन जारी करने हेतु अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसे उन्हें प्रदान कर दिया गया था। तथापि उन्हें टाइप अनुमोदन के बारे में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

5157. श्री सुबोध मोहिते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके वापस लिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों के क्या विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आदेश जारी किया जिमसें व्यौहारियों को किसी भी मात्रा में गेहूं, धान/चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल के मुक्त क्रय, भण्डारण, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान आदि करने की अनुमति दी गई है जिसके लिए अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश के अंतर्गत लाइसेंस या परमिट लेने की आवश्यकता

नहीं होगी। यह आदेश, इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व किसी राज्य द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, इसके जारी होने की तारीख (15.2.2002) के 30 दिन के बाद प्रभावी हो गया है। खाद्यान्नों के मुक्त व्यापार और संचलन को सुकर बनाने से किसानों को अपने उत्पाद के सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त होंगे, मूल्यों में स्थिरता आएगी और कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(घ) और (ङ) कृषि उत्पादों पर विभिन्न नियंत्रण, जिनमें ऐसे उत्पादों के अंतर-राज्यीय संचलन पर नियंत्रण भी शामिल हैं, को शिथिल करने की आवश्यकता पर 21.5.2001 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और उसके बाद मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में गठित कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति में चर्चा की गई। स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एक छत्रक कानून के रूप में बना रहना चाहिए ताकि केन्द्र और राज्य आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें, किन्तु नियंत्रणों और प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने की भी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं

5158. श्री राम टहल चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की प्रकृति कैसी है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) वक्फ बोर्डों में अनियमितता/भ्रष्टाचार के पता चले मामलों को समुचित कार्रवाई के लिए संबद्ध वक्फ बोर्डों को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. द्वारा उच्च दरों पर ओवरहेड प्रोजेक्टरों एवं कम्प्यूटर की बिक्री

5159. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रघुनाथ झा:
श्री अरुण कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. ने वायुसेना मुख्यालय को बाजार दर से अधिक दर पर ओवरहेड प्रोजेक्टरों को बेचा है;

(ख) क्या एन.सी.सी.एफ. ने कम्पनी के एकक मूल्य से अधिक दर पर कम्प्यूटरों को भी बेचा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त को अत्यधिक मूल्यों पर बेचने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

एन.एस.सी.एन.(के.) के साथ संघर्ष विराम समझौते की अवधि बढ़ाना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एन.एस.सी.एन. (के.) के साथ 28.4.2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक औपचारिक संघर्ष विराम समझौता किया था।

इस अवधि के दौरान भारत सरकार और एन.एस.सी.एन.(के.) के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श होता रहा। दोनों पक्ष, संघर्ष विराम कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति से संतुष्ट है।

अत: दोनों पक्ष, संघर्ष विराम को 28.4.2002 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमत हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 (भाग), 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (भाग) के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 (भाग) के प्रतिवेदन के संबंध में दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही-संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5517/2002]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2002 का संख्यांक 1)-(वाणिज्यिक)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5518/2002]

(2) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2002 का संख्यांक 2)-(वाणिज्यिक)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5519/2002]

(3) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2002 का संख्यांक 3)-(वाणिज्यिक)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5520/2002]

(4) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2002 का संख्यांक 4)-(वाणिज्यिक)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों के कतिपय क्रियाकलापों की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5521/2002]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): महोदय, मैं डा. वल्लभभाई कथीरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियां, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियां, इलाहाबाद का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5522/2002]

(3) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5523/2002]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और उसके अनुषंगी निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और उसके अनुषंगी निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5524/2002]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5525/2002]

(4) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5526/2002]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2002 जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी-36(1)/2001 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5527/2002]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 226(अ) जो 27 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 227(अ) जो 27 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 2-मिथायल (5) नाइट्रो इमडाजोल सामान्यतया जिसे 2 एम.एन.आई. के रूप में जाना जाता है, पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 228(अ) जो 27 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर सऊदी अरब और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामाइन पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 229(अ) जो 27 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर कतर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड, सामान्यतया जिसे कास्टिक सोडे के रूप में जाना जाता है, पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 230(अ) जो 27 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर कनाडा, जापान और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पेंटाइरीथ्रीटोल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 232(अ) जो 28 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्रेट पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 233(अ) जो 28 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 70 प्रतिशत सान्द्रणों को छोड़कर सभी सान्द्रणों के हाइड्रोफलोरिक एसिड पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5528/2002]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 200(अ) जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 26/99-सी.शु. में तकनीकी परिवर्तन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 3 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5529/2002]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199(अ) जो 11 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना सख्या 8/2001 और 9/2001-के.उ.शु. में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5530/2002]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के अंतर्गत अधिसूचना का.आ. संख्या 1120(अ) जो 12 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बन्धपत्र और सामान्य शेयर (डिपोजीटरी रिसीट मैकेनिज्म के माध्यम से), स्कीम, 1993 के निर्गम को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5531/2002]

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 2001 जो 26 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.आर.डी.डी./2266/कर्मचारिवृन्द/विनियम में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गम तथा प्रबंधन) संशोधन विनियम, 2001 जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल नम्बर 3306/आर.एम.डी. बंधपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5532/2002]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5(ख)/24.11.2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.आर.सी. 47 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 19 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/आई.आर./573 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3937 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 9 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ.डी.ए.आर./1/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 9 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./अमेंड-1/2002 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5533/2002]

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूआईआर 4062/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तुलसी ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 4 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/सीएस/2001/2278 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) छत्रसाल ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 23 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/प्रशासन/570 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कल्पतरू ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएमएस/00328 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मगध ग्रामीण बैंक (बैंक का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 26 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमजीबी/611/01 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) फरूर्खाबाद ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 106 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 15 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 9/एसएमजीबी/गवर्नमेंट/2031/2001/पीएडी में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ/पर्स/एसकेएम/3648 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 566-सी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) श्रावस्ती ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्रका/का.प्रा./1357/2450 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम.जी. 372/403 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) जमुना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 26 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेजीबी/पर्स/बीएम/478/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) दुर्ग-राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./पर-3178/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 103 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) अवध ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/सेक्ट/वीकेएस/जी-1/जी-4/एफ-202/13 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसटीएफ/1565/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पब/पर्सनल/467 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरबी/एसटीएफ/8351/01 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) विदुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 22 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीजीएम/1 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 2 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एसटी/सी-212/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) चंद्रपुर-गढ़चिरौली ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 15 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीजीजीबी/एचओ/पर्स/पी/245 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) श्री सातवाहना ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/758 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) सरयू ग्रामीण बैंक लखीमपुर खेरी (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/डव/922 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) लखीमी गांवलिया बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूनचा संख्या एलजीबी/सीएमएस/100/05/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) डूंगरपुर बनासवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 29 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/18/पीडी/01-02/303 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) कनक दुर्गा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 25 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या रेफ संख्या 11/98/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 10 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनएनएल/21/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(अठाईस) श्री अनंत ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1175/पीडी/सीएसटी/2000-01 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नतीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 22 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 684/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीजीबी/प्रशासन/यूबीआई/16/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) कोलार ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.एस.52/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 19 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्रशासन/पेस/01-02/1446 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 16 जुलाई 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमसीयूबी/सर्विस/रेग./4 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) चित्रदुर्गा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएमएस/एसटीएफ/1402/2001/एबीआर में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर/आरएआई/2253 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) नालंदा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनजीबी/पी/एसआर/30/214 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5534/2002]

(8) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2002 जो 19 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 214अ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5535/2002]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5536/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निर्यात तथा आयात नीति (1 अप्रैल, 2002-31 मार्च, 2007) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) हैंड बुक आफ प्रोसीजर्स (खंड-I) (1 अप्रैल, 2002-31 मार्च, 2007) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5537/2002]

(3) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्टस् गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5538/2002]

(5) (एक) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलॉक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5539/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 23 अप्रैल, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौंटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 29 अप्रैल, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001

(2) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक, 2001

(3) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001

(4) चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक, 2001

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

(1) बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी विधेयक, 2000

(2) उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002

(3) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002

(4) संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (सशोधन) विधेयक, 2002।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल करने की कृपा की जाये:

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत विल्हा स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस तथा वेलगहना स्टेशन पर अमरकंटक एक्सप्रेस गाड़ी का स्टाप किया जाये।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आरक्षित लोक सभा क्षेत्र में बिलासपुर से पोड़ी मडला तक 100 किलोमीटर बचत राजमार्ग को राष्ट्रीय मार्ग की स्वीकृति दी जाये जिससे चौड़ीकरण कराया जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

(1) वर्तमान समय में देश में व्याप्त विघटनकारी प्रवृत्तियों, आतंकवाद एवं देशद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए, देश में व्याप्त निराशा की भावना दूर करने, वीरत्व तथा उत्साह का संचार करने एवं राष्ट्रीय भावनात्मक एकता को प्रबल किये जाने हेतु देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता।

(2) देश में निरंतर बढ़ती जा रही आपराधिक गतिविधियों तथा आपसी लड़ाई झगड़े तथा मारधाड़ एवं ईर्ष्या, द्वेष आदि को मिटाने के लिए तथा आचारहीनता एवं बढ़ती हुई विलासिता को रोकने हेतु भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों में उल्लेखित नशाबंदी विशेषत: शराबबंदी को सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता।

डॉ. संजय पासवान (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल करने की कृपा की जाये:

(1) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001 को सभा के पटल पर रखकर चर्चा कराने के संबंध में।

(2) संविधान समीक्षा कार्यकरण आयोग की अनुशंसाओं को सभा के पटल पर रखकर उसकी चर्चा कराने के संबंध में।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। अब यहां अधिक नाम नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने 'शून्य काल' में बोलने के लिए नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बारी आने पर मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में बिजली, पानी के भीषण संकट से दिल्लीवासियों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी दिल्ली में गर्मी का मौसम शुरू हुआ है कि बिजली, पानी का भीषण संकट पैदा हो गया है। 23 अप्रैल को जिस तरह से संसद के अंदर बिजली काफी देर तक गुल रही, उसे आपने भी देखा। अखबारों में 2-3 हैंडिंग इस प्रकार से ये हैं "पानी संकट से त्रस्त आर.के. पुरम के लोगों का सब्र टूटा" सांसदों ने चखा संसद में बिजली संकट का स्वाद", "बिजली संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं, कागजी योजना ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी सबमिशन है।

उपाध्यक्ष महोदय: लेकिन मुझे आपका नोटिस नहीं मिला।

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष जी, यहां केवल कालोनियों की ही बात नहीं है। दिल्ली की एक करोड़ 40 लाख आबादी में से 70 लाख लोग अनधिकृत कालोनियों-झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं और उसके कारण उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। पानी के टैंकर्स नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में पानी का इतना संकट है कि पिछले साल 800 एम.जी.डी., इस वर्ष 850 एम.जी.डी. की डिमांड है जबकि सप्लाई केवल 650 एम.जी.डी. रही है। इस प्रकार 200 एम.जी.डी. की कमी है।

उपाध्यक्ष जी, 1994 में जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उस समय पड़ोस के पांच राज्यों के साथ यमुना का एक समझौता हुआ था जिसमें यह फैसला लिया गया था कि हरियाणा से मुनक नहर जो कच्ची है और 100 साल पुरानी है, उसे बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया लगाना था जिसमें से 5 करोड़ रुपया एडवांस में दिया हुआ है लेकिन आज तक यह नहर नहीं बनी जिसके परिणामस्वरूप 30 परसेंट पानी हरियाणा से आने पर रास्ते में ही कच्ची जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। दो साल पहले सैंट्रल गवर्नमेंट ने 140 एम.जी.डी. पानी दिल्ली सरकार को दिये जाने का फैसला किया था लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दो साल पहले इस नहर का काम पूरा होना था, वह नहीं हुआ। मुरादनगर से दिल्ली बड़ी लाइन केवल 16 प्रतिशत बनकर तैयार हुई है।

वाटर वर्क्स का काम केवल 36 फीसदी हुआ है और कालोनियों में जो पाइप पड़नी थी, उसका कहीं अता-पता नहीं है। नांगलोई का 60 प्रतिशत पानी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 125 क्यूसेज पानी मिलना चाहिए। उसकी लाइनें भी टूटी हुई हैं, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं देता। मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दो दिन पहले तक जो सप्लाई थी, वह 2760 मेगावाट थी, जबकि डिमांड 3250 मेगावाट है। मजेदार बात यह है कि डिमांड इतनी है, लेकिन दिल्ली में डी.वी.बी. का रिंग सर्किट तीन हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं दे सकता है और अभी तक वह पूरा सर्किट बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली में बिजली-पानी का भीषण संकट है,

अपराह्न 12.11 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

यह दिल्ली सरकार के निकम्मेपन और अपराधपूर्ण लापरवाही का ही परिणाम है। जिसके कारण आज दिल्ली के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अभी गर्मी शुरू हुई है, जब मई और जून का महीना आयेगा तो दिल्ली की क्या हालत होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे दिल्ली सरकार के मंत्रियों को बुलाकर बात करें और आगे क्या एक्शन प्लान है तथा क्या करने वाले हैं, उसमें जो भी सहायता हो सके, देकर दिल्ली को राहत दें तथा दिल्ली को बिजली-पानी के संकट से मुक्त कराया जाए, यही मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता था।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): मैं, श्री मदन लाल खुराना द्वारा व्यक्त भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष जी, दिल्ली के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक नया पद बनाया जाए और खुराना जी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, जैसा खुराना जी ने बताया कि दिल्ली की शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के कारण बिजली और पानी की समस्या से दिल्ली के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली के संसदीय क्षेत्रों की आबादी लगभग 40 लाख है जिसमें झुग्गी-झोंपड़ी, पुनर्वास बस्ती तथा गांवों के लोग रहते हैं। रात को तीन-तीन, चार-चार बजे लोगों के फोन आते हैं कि पानी नहीं है और जब हम उनसे कहते हैं कि टैंकर भेजिये तो अधिकारी और मिनिस्टर कहते हैं कि टैंकर बहुत पड़े हैं, लेकिन वहां टैंकर नहीं मिलते हैं। लोग पानी की त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जैसा खुराना जी ने बताया कि 850 एम.जी.डी. वाटर चाहिए, लेकिन 600 एम.जी.डी. पानी उपलब्ध है। 140 एम.जी.डी. वाटर प्वाइंट्स तैयार करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के सोनिया विहार में जो काम शुरू होना था, वह दो साल में भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने वहां काम शुरू नहीं किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह क्या दिल्ली सरकार को बिजली-पानी की समस्या के लिए कोस रहे हैं, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के चुनावों में आपकी क्या हालत हुई है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता।

श्री लाल बिहारी तिवारी: मैं आपसे विनती करता हूं कि दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली में बिजली और पी का विशेष प्रबंध किया जाए।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली): सभापति महोदय मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्योंकि यह दिल्ली से हैं, इसलिए वह श्री खुराना का समर्थन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): विकास नहीं करेंगे तो बेचारा वहां जाकर क्या देखेगा।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, दिल्ली की निकम्मी कांग्रेस सरकार के कारण दिल्ली के लाखों लोग बेहद परेशान हैं, उन्हें इस सरकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार के रहते दिल्ली में न पानी है और न बिजली है। यहां सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। अनअथॉराइज्ड कालोनियों को रेगुलराइज करने में ये लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए सही मायने में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने के लिए इसके खिलाफ पार्लियामैन्ट में एक मोशन आना चाहिए और नियम 184 के तहत आपकी परमीशन सें उस पर चर्चा हो जाए और वोटिंग हो जो, ताकि यह सरकार बर्खास्त हो सके।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: दिल्ली के नगर निगम चुनाव हारने के बाद वे इतने कुंठित हैं कि वे चिल्ला-चिल्ला कर रो रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, दिल्ली में पिछले डोढ़-दो साल से बिजली के प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा है और डेढ़ साल में 3000 करोड़ रुपया तीन-चार कंपनियों को देकर सरकार बिजली को प्राइवेटाइज कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश भर में तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइनवैस्टमेंट का विरोध करती है पर दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार होते हुए भी कुछ नहीं किया गया है। इस वजह से इस समय न सरकार बिजली की व्यवस्था ठीक कर रही है और न प्राइवेटाइजेशन कर रही है। परिणामस्वरूप बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिजली नहीं होती तो पानी नहीं मिलता। बिजली और पानी के अभाव में दिल्ली की एक करोड़ चालीस लाख जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और उसके लिए दिल्ली की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार संविधान की धारा 355 में दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे और वैसे भी यह यू.टी. है, इसलिए दिल्ली सरकार पर सख्त कार्रवाई करे।

डॉ. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोलबाग): सभापति जी, दिल्ली सरकार में जो कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं, वह स्वयं जल बोर्ड की अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली में बिजली और पानी की बेहद समस्या है। हाल में एन.डी.एम.सी. एरिया में 24 घंटे बिजली गायब रही जबकि वह वी.आई.पी. एरिया है और एम.पीज वहां रहते हैं। जब वी.आई.पी. एरिया का यह हाल है तो आम कलोनीज में क्या हाल होगा। इसके अलावा पानी की बेहद समस्या है। मेरे क्षेत्र में दो विधान सभा क्षेत्र आनन्द पर्वत और बलजीत नगर का एरिया पड़ता है। वहां पानी की बेहद समस्या है। पानी की कमी के कारण वहां की सीवर लाइनें भी ब्लाक हो रही हैं। इसके कारण वहां बीमारियां फैल रही हैं। वहां तत्काल बीमारियां फैलने से रोका जाना चाहिए और दिल्ली की मुख्य मंत्री को उनके पद से बरखास्त किया जाये क्योंकि वह अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. साहिब सिंह वर्मा: महोदय, दिल्ली की समस्याओं पर यहां एक बहस हो जाए तो हम सब लोग जो दिल्ली के सांसद हैं, अपनी बात रख सकते हैं और विपक्ष को भी अपनी सफाई

देने का मौका मिलेगा। मुख्य मंत्री को तो दिल्ली की समस्याओं के बारे में पता नहीं है। इनको पता है तो ये बहस के दौरान बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी: संसदीय कार्य मंत्री इस पर कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं। यदि वह चाहते हैं तो इस पर अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं, आपने अपनी बात उठा दी है।

श्री रामदास आठवले: महोदय, दिल्ली की पानी की समस्या बहुत गंभीर है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामदास जी, आप बैठिये।

श्री रामदास आठवले: दिल्ली की बिजली और पानी की समस्या हल करनी है तो इन तीन में से दो लोगों को मंत्री बनाइए।

सभापति महोदय: ठीक है, आप बैठिये। मुद्दा यह नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किसी को मंत्री बनाने की सिफारिश करना मजाक नहीं है। हम खुराना जी की बहुत इज्जत करते हैं। इतने काबिल आदमी होते हुए भी उनको केन्द्रीय मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया गया?

अपराह्न 12.19 बजे

आगरा में थल सेना और वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर भवनों के गिराये जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, आगरा के छावनी क्षेत्र मे लंबे समय से फौज द्वारा गरीब लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है। इस सम्मानित सदन में पिछले सत्र में भी हमने यह सवाल उठाया था। कभी रक्षा मंत्रालय ने इस जमीन का अधिग्रहण किया होगा तो उस समय इस जमीन की उपयोगिता होगी लेकिन आज वहां घनी आबादी है और 50-60 वर्षों से गरीब और वाल्मीकि लोग वहां रह रहे हैं। बिना किसी नोटिस और पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में लोगों को उजाड़ दिया गया है। स्थिति यहां तक बिगड़ी है कि जिसके घर में कल शादी होने वाली है, उसके यहां रिश्तेदार आ गए, मिलने-जुलने वाले आ गए। पता चला कि रात को ही उसका घर उजाड़ दिया गया और उसको बेघरबार कर दिया गया।

सभापति जी, आज हजारों लोग खुले मकान के नीचे रहने को विवश हैं और जो हालत वहां बन गई है उसके कारण बहुत तेजी से गरीब और दलित लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार को अगर इन्हें उजाड़ना था तो सबसे पहले इनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करती। सरकार ने इनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

व्यक्तिगत तौर पर मैं और हमारे साथी सांसद श्री राज बब्बर जी रक्षा मंत्री जी से मिले। जो हमारे आगरा के बगल के क्षेत्र के सांसद श्री एस.पी. बघेल जी हैं, वे भी रक्षा मंत्री जी से मिले। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में भी हमने मंत्री महोदय से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार करें और वहां के आला अफसरान को बुलाकर बात करिए कि ये लोग गरीब लोग हैं। इनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन लोगों के रहने का कोई बन्दोबस्त किया जाए, लेकिन आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है।

ऐसी हालत में जहां इन दलित बस्तियों को उजाड़ने का यह काम हो रहा था वहां एयरफोर्स के सेंट्रल कमान के अधिकारियों ने एक और फरमान जारी किया कि एयरपोर्ट आगरा की बाउंड्री वॉल से 900 मीटर दूरी पर जो लोग रहते हैं उनको हटाया जाएगा। इन लोगों ने जब वहां मकान बनवाए थे तब एन.ओ.सी. लिया था। मकान बनाने की सब प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी की थीं।

बिल्कुल गलत तरीके से लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है और हम व्यक्तिगत रूप से फरियाद कर चुके हैं, सरकार से कह चुके हैं, इस सदन में भी अपनी बात कह चुके हैं कि इस प्रकार से लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अभी सरकार ने कहा है कि नौ एकड़ जमीन कालिंदी विहार में इन लोगों को मुहैया कराई जाएगी, लेकिन वह अपर्याप्त है। मैं चाहूंगा कि सरकार इन लोगों से बगैर एक पैसा लिए इन लोगों को बसाने का काम करे।

श्री मदन लाल खुराना: यह कहां का सवाल उठा रहे हैं?

श्री रामजीलाल सुमन: आगरा का है और कहां का है। खुराना जी, अभी आपने जो सवाल उठाया था, क्या वह लंदन का था? खुराना जी, आप दिल्ली में रहते हैं इसलिए आप दिल्ली के बारे में बोल रहे थे। मैं आगरा का हूं। इसलिए मैं आगरा के बारे में बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामजी लाल सुमन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। देखने में यह भी आया है कि वहां के जो अधिशासी अधिकारी और दूसरे लोग हैं, उनकी जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में पक्षपात है। गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जो अच्छी आलीशान कोठियां बनी हैं, उनको टच नहीं किया जा रहा है। किसी की दुकान में ताला लगा दिया, फिर थोड़ी ही देर बाद वह ताला खोल दिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि वहां से कोई हटे, लेकिन प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, जो लोग 50-60 साल से वहां रह रहे हैं, जिनके पास टेलीफोन कनैक्शन है, राशन कार्ड है, बिजली का कनैक्शन है, इन लोगों का मतदाता सूची में नाम है और सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें वहां से हटाया जा रहा है। यह अत्यन्त गंभीर सवाल है।

हम यह जरूर चाहेंगे कि इस मामले में सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और वहां आर्मी को निर्देशित करे कि वहां से किसी को भी हटाने का काम न किया जाए और जिन लोगों को उजाड़ दिया गया है, उन्हें सरकार अपने खर्चे पर बसाने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): मैंने नोटिस दिया है और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, मैं आपको बुलाऊंगा।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): सभापति जी, अभी आगरा के कैंटोनमेंट बोर्ड और आगरा एयरपोर्ट तथा एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा जो फरमान जारी किया गया है तथा जिसके बारे में हमारे वरिष्ठ सांसद श्री सुमन जी ने अभी मामला उठाया, मैं उस विषय में कुछ और बातें बताना चाहता हूं। खेरिया हवाई अड्डा जो आगरा में है और जहां से राज बब्बर जी हमारे सांसद हैं, उनकी और हमारी भावनाएं एक ही हैं। वे इस विषय में रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, आगरा के अधिकारियों से मिल चुके हैं। खेरिया के हवाई अड्डे की जो बाउंड्री वॉल है उससे वायु सुरक्षा के नाम पर 900 मीटर में जितने भी मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल और अस्पताल हैं उन सबको गिराने के लिए कहा गया है। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि वहां एक भी पेड़ नहीं रहेगा। इससे 50 हजार मकान गिरेंगे। यह बहुत गंभीर बात है और 5 लाख से 6 लाख के बीच में आबादी प्रभावित होगी।

ये वे मकान हैं, कालोनियां हैं जो लगभग 25 साल से लेकर 100 साल तक पुरानी हैं। इसमें कुछ मोहल्ले तो 100 साल पहले अंग्रेजों के जमाने से बने हुए हैं। कुछ कालोनियां 25 साल पहले बनी हैं जिनमें मुख्य रूप से अर्जुन नगर, ग्यासपुरा, लक्ष्मण नगर, आदर्शपुरी, कमालखां, नबीपुरा और घनौली आदि हैं। ये जितने भी मकान हैं, उन सबकी रजिस्ट्री है, सबके बयनामे हैं। इसके अलावा उन सबके आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं। इन मकानों के मालिक आगरा नगर-निगम को टैक्स दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा "नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" भी उन भूस्वामियों को दिया गया है। जिन मकानों को गिराने के लिए कहा गया है, उनको बनाने के लिए जो एन.ओ.सी. दी जाती है, उसकी कापी मैं लेकर आया हूं। वे भू-स्वामी नगर निगम को उन मकानों का टैक्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा वह जमीन किसानों से खरीदी गयी थी, भूमिधर किसानों से खरीदी गयी थी। एयर फोर्स ने एन.ओ.सी. देते समय यह शर्त जरूर रखी थी कि वहां ड्रैनेज और सीवरेज जरूर होना चाहिए। इसके अलावा मकान की ऊंचाई 30 फुट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यद्यपि यह वायु सुरक्षा का मामला है और राष्ट्र से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इस बात से हम भी सहमत हैं। सवाल यह है कि वहां छ:-सात लाख लोगों को उजाड़ा जायेगा। 50 हजार मकान गिराये जायेंगे। उन्होंने एन.ओ.सी. ले रखी है। उनके पास उन मकानों का रजिस्ट्रेशन है और वह टैक्स भी दे रहे हैं। ए.डी. से नक्शा एप्रूव्ड है। 11 अप्रैल के "दैनिक जागरण" अखबार में जब से यह खबर छपी है तब से लेकर कम से कम 10-15 लोगों को हार्ट अटैक पड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि एक ईमानदार आदमी अपने जीवन भर की कमाई से ज्यादा से ज्यादा एक मकान बना पाता है और एक-आध अपनी बिटिया की शादी कर पाता है। जब उनके मकान गिर जायेंगे तब वे कहां जायेंगे?

इस बात के लिए श्री राज बब्बर जी रक्षा मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस संबध में श्री सुमन जी और हमने भी यहां सवाल उठाया है। इसके अलावा हम अपने क्षेत्र में भी इस बात को कहेंगे। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से यह घोषणा की गई है तब से उन मकानों की जमीन

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

की वेल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग कहेंगे कि आज एम.पी. साहब ने लोक सभा में बात उठाई है, प्रदर्शन और धरना किये हैं इसलिए यह मामला टल गया लेकिन बाद में फिर कभी यह जरूर गिराये जायेंगे। इसलिए उन जमीनों की वेल्यू बिल्कुल गिर गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करिये कि वहां 50 हजार मकान गिराये जायेंगे जिससे पांच-सात लाख लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इसको रोका जाये।

श्री राज बब्बर (आगरा): माननीय सभापति जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री सुमन जी और श्री एस.पी. बघेल ने आगरा की जो व्यथा, आगरा में जो आतंक पिछले तीन महीने से फैलाया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बात की है। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दो महीने पहले जब मैंने रक्षा मंत्री जी से बात की और जब वे डैलीगेशन लेकर यहां पर आये तब उनसे मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं होगी। लेकिन सेना के अधिकारियों ने वहां पर इस तरह से आतंक मचा रखा है कि वे वहां पर दिन में आकर कोई तोड़-फोड़ नहीं करते बल्कि रात को दो बजे बाकायदा बुलडोजरों और फौज के साथ आकर वहां पर एक घबराहट का माहौल फैलाते हैं और पांच बजे से तोड़ना शुरू करते हैं। साढ़े सात बजे जब मैं उस क्षेत्र में पहुंचा तो उस क्षेत्र का सांसद होते हुए भी मुझे वहां के इलाके के आस-पास तक जाने नहीं दिया गया। मैंने फिर भी संयम से काम लिया। उसके बाद सुबह पौने आठ बजे मैंने रक्षा मंत्री जी के घर फोन किया तो पता चला कि वे अभी सोकर ही नहीं उठे हैं, फोन पर नहीं हैं। वे सवा आठ बजे फोन पर एवेलेबल हुए। मैंने वहां के लोकल आदमियों से रक्षा मंत्री जी की बात कराई। मैंने कहा कि देखिये ये लोग रो रहे हैं और इसके पीछे बुलडोजर इनके मकान ढा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अफसरान को भेजता हूं। वहां अफसरान भेजे गये लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी तक मैं नहीं जानता। इतना जरूर हुआ कि अफसरान के आने के बाद भी वहां तोड़-फोड़ का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ। 11 तारीख के अखबार में यह घोषणा हुई थी कि एयरफोर्स के इलाके में 900 मीटर के दायरे में जो लोग आते हैं, वहां पर उनके मकान तोड़ दिये जायेंगे। मेरा कहना है कि उन लोगों ने एन.ओ.सी. लेकर उस 900 मीटर के दायरे में अपने मकान बनाये थे। अभी उन्होंने यह बात बहुत सही कही कि वहां पर 50 हजार मकान गिराये जायेंगे जिससे पांच-सात लाख लोग प्रभावित होंगे। दुनिया के अंदर जब कभी भी इस तरह की योजना बनती है, जहां तक देश की सिक्योरिटी की बात है तो इसकी रक्षा के लिए सबसे पहले हम खड़े होने वालों में से हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि जहां देश की सुरक्षा और रक्षा की बात होगी वहां समाजवादी पार्टी, हमारे वरिष्ठ साथी या हम लोग कहीं भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। किसी भी पार्टी में बैठे हुए लोग उससे पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।

मेरी विनती केवल इतनी है कि कल अगर इस तरह का आर्डिनैंस लाया जाता है कि सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए ये मकान तोड़े जायेंगे तो एक भय का माहौल बन जाएगा। दुनिया में कई जगह जैसे शिकागो, लंदन और भी बड़े-बड़े शहरों में ऐसा हुआ। अगर इस तरह हवाई पट्टी हटानी पड़ती है, खेरिया की हवाई पट्टी सिर्फ इसलिए हटानी पड़ी कि वह आर्मी के अंतर्गत है, वहां आज तक आम आदमी को सुविधा नहीं मिल रही है। अगर सुरक्षा को इतने प्रभाव में लाना है तो क्यों न उस हवाई पट्टी को ही वहां से हटा कर 50, 100 किलोमीटर दूर ले जाएं। क्यों आम आदमी के ऊपर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? वहां पांच लाख लोग बर्बाद होंगे। आज से पहले वहां दस लाख रुपये से नीचे का कोई मकान नहीं था लेकिन आज उनके मकानों के दाम गिर गए हैं। मैं तीन दिन पहले भी रक्षा मंत्री जी से मिला था, इसी एयरफोर्स के मामले को लेकर डैलीगेशन भी मिला था। उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र कर रहा हूं। लेकिन तीन दिन हो गए, अभी तक आगरा के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। अगर सिक्युरिटी के नाम पर वे प्लाट्स जो गरीबों से छीने गए हैं, यह सुनने में आया है और अखबारों में भी छपा है कि वे प्लाट किसी बड़े व्यावसायिक अस्पताल को दिए जा रहे हैं, किसी कारपोरेट सैक्टर को दिए जा रहे हैं जहां टेलीफोन कम्पनी या होटल का निर्माण होगा, तो इससे बड़ी सरकार की विफलता नहीं हो सकती। हमने प्रदेश सरकार से विनती की, केन्द्र सरकार के केन्द्रीय मंत्री से विनती की। मेरी आपसे सदन के माध्यम से विनती है कि आगरा को इस आतंक से बचाया जाए। वहां उजड़ने वाले लोगों में गरीब मुसमलान हैं और गरीब हिन्दू भी हैं, दलित भी हैं, अगर तोड़-फोड़ हो और लोग अपने घरों को टूटता हुआ देख कर वहां खड़े हो जाएं, तो कहीं यह न कहा जाए कि दूसरी कौम के लोगों ने देश की पुलिस के साथ वहां आतंक मचाया और वह आतंक हिन्दू और मुसलमानों का बन जाए। मैं सदन को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि दलित मुसलमान और गरीब हिन्दू अगर खड़े हुए तो जिस तरह गुजरात में आतंक फैला, कहीं दुबारा आगरा में ऐसा आतंक प्रदेश सरकार न मचा दे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, सरकार क्या कर रही है। ...*(व्यवधान)* रक्षा मंत्री जी नहीं हैं, आप सरकार की तरफ से बताइए कि क्या करने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बघेल जी, आप बैठिए।

श्री प्रमोद महाजन: सबके भाषण में उल्लेख आया है कि वे बार-बार रक्षा मंत्री जी से मिले हैं, रक्षा मंत्री जी से निरंतर सम्पर्क

में हैं, आदरणीय बब्बर जी ने दूर ध्वनि पर भी बात की। फिर भी आज उन्होंने सदन में यह विषय उठाया है तो मैं फिर से रक्षा मंत्री जी तक आपकी भावनाएं पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं यहां खड़े होकर रक्षा मंत्री जी की किसी जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं सुना सकता। मैं आपकी भावनाएं उन तक पहुंचा दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: दिल्ली के पानी, बिजली के संकट के बारे में भी बताइए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: खुराना जी, आप नाराज मत होइए। ...*(व्यवधान)* आपकी बिजली, पानी की दो मांगें दिल्ली सरकार की हैं। मैं उनको लिख नहीं सकता। किसी ने शीला जी के त्यागपत्र की मांग की है तो वह सोनिया जी करेंगी। मैं उनको लिख नहीं सकता। यह केन्द्र सरकार का मामला था इसलिए मैंने इसमें हस्तक्षेप किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: खुराना जी को मंत्री बनाने के बारे में हमारा जो सुझाव था, वह भावना आप वाजपेयी जी तक पहुंचा दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन: प्रियरंजन जी की कांग्रेस में तो कोई सुनता नहीं है, उन्होंने कहा है तो मैं वाजपेयी जी तक उनकी बात पहुंचा दूंगा।

श्री जे.एस. बराड़: सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही दुखदायी मामला हुकुमत के नोटिस में लाना चाहता हूं। वैसे तो देश के कोने-कोने से रोजी-रोटी के लिए लोग विदेशों में जाते हैं लेकिन पंजाब से लगभग हर वर्ष अपनी जमीनें बेच कर और सब कुछ छोड़ कर वहां के नौजवान विदेश जाते हैं। पहले उनको ट्रैवल एजैंट लूट लेते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज से दो रोज पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। पहले एक बोट ट्रैजडी माल्टा में हुई थी जिसमें साढ़े तीन सौ के करीब नौजवान डूब कर मर गए थे। दो रोज पहले यह खबर छपी है कि 55 के करीब पंजाब के बेरोजगार नौजवान लेबनान से ग्रीस जाते हुए उनके पासपोर्ट ले लिए गए। उनसे 1 लाख 25 हजार रुपया लिया गया। यहां पर वित्त मंत्री, जी संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके ध्यान में यह दुखदाई बात पार्टी लाइन से ऊपर उठकर लाना चाहता हूं। उन 55 नौजवानों से दो-दो लाख रुपए फीस के रूप में लेकर उनको बोट में बिठा दिया गया और वे डूबकर मर गए। पंजाब में एक जिला नवांशहर है। वहां के डिप्टी कमिश्नर के साथ राफ्ता कायम करके, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिलाया जाए। उन नौजवानों की लाशें अभी तक बरामद नहीं हुई हैं। उनको ढूंढकर यहां लाने के लिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि वह तुरंत ग्रीस की हुकूमत के साथ, यहां की एम्बैसी के साथ, पंजाब की हुकूमत के साथ और डिप्टी कमिश्नर के साथ सम्पर्क करे। उनके परिवार वाले चिंतित हैं कि क्या वाकई उनके बच्चे डूब गए हैं या बचे हैं। इसलिए इस मामले को तुरंत टेकअप किया जाए।

अपराह्न 12.36 बजे

महाराष्ट्र में बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं की कथित हत्या के बारे में

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति जी, परसों महाराष्ट्र में मुम्बई के पास एडवोकेट श्री ललित जैन की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। वे भिवंडी जिले के विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के अध्यक्ष थे। प्रदेश में जो गोहत्या के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसके बारे में वे कोर्ट में अपनी दलील पेश करने के लिए जा रहे थे। न्यायालय के बाहर सुबह 11 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके सात दिन पहले इसी प्रकार से कल्याण जिले में बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। उसके चार दिन पहले अकोला शहर में इसी प्रकार से कुछ लोगों ने दंगे की शुरुआत की। इस तरह गत 12 दिनों से महाराष्ट्र में एक के बाद एक कल्याण में, भिवंडी में और अकोला में विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और शिव सेना के प्रमुख कार्यकर्ताओं को चुन-चुनकर मारा जा रहा है। लेकिन आज तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। वहां के लोगों का सवाल है कि क्या अफरोज को इसीलिए छोड़ा गया था, जो संसद में हुए हमले में आरोपी था। उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने पोटो लगाया था, लेकिन वह वापस ले लिया गया। बाद में कोर्ट में जाकर महाराष्ट्र सरकार के एडीशनल ए.जी. ने सरकार का पक्ष नहीं रखा और परिणामस्वरूप उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। जो देशद्रोही है, उसको छोड़ा जा रहा है और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना के कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या की जा रही है। इस मामले में गृह मंत्री जी अध्ययन करके प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मंगाएं। हत्या के विरोध में आज भिवंडी बंद है, दो दिन पहले अकोला और कल्याण भी बंद था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस पर भी चर्चा हो? हम यहां मांग करते हैं कि महाराष्ट्र पर भी नियम 184 के तहत चर्चा होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार होगी? क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस पर कोई नोटिस नहीं दिया? क्या वहां मारे गए लोग मानव नहीं और क्या उनका परिवार परिवार

[श्री किरीट सोमैया]

नहीं है? मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि यह किस प्रकार का सेक्यूलरिज्म है? वहां एक भी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है।

सभापति महोदय: आपने विस्तार से अपनी बात कह दी है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किरीट सोमैया: वहां की सरकार से, पुलिस कमिश्नर से और गृह मंत्री से पूछा जाए कि अफरोज को क्यों छोड़ा गया है। संसद पर हुए हमले में यहां मारे गए लोगों को हमने श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन उस हमले का जो आरोपी है, उसको हम छोड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी गृह मंत्री जी को कहें और इस पर यहां चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी यहां हैं। अगर वह रिएक्ट करना चाहते हैं तो करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: किरीट सोमैया जी, जब आप बैठेंगे तभी वह कहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: मैं साफ कर दूं कि मैंने आगरा के विषय में संसद में कोई निवेदन करने की बात नहीं कही मैंने इतना ही कहा कि जो मुद्दा उठाया गया है, यह भावना मैं रक्षा मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। अभी कुछ सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनकी भावनाएं मैं माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): महोदय, मैं असम, तेजपुर के स्क्वैड्रन लीडर टी.जे. खान एक अन्य जवान के साथ (मिग) एम.आई.जी.-29 की एक उड़ान भरते हुए 20.4.2002 से लापता हैं। अभी तक उनका कोई अता-पता नहीं है। रक्षा विभाग की ओर से एक सप्ताह बाद भी उनकी खोज के लिए और उनके विमान की खोज के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। अभी तक श्री खान का पता नहीं है। दो-दो जवान गायब हैं, एयरक्राफ्ट गायब है और इस संबंध में परिवार के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि श्री खान की खोज के लिए कौन से गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं और इसके बारे में पूरी सूचना कब तक यह सरकार सदन को और उनके परिवार वालों को उपलब्ध कराएगी?

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यह बहुत ही अहम विषय उठाया है और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इसके संबंध में जो जानकारी है, वह सदन के सामने रखेगी।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं जिसका उल्लेख इस सभा में काफी पहले किया गया है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार ने केरल के दो या तीन कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहले ही कर दी है। पहला मुद्दा नारियल उत्पादन से संबंधित है। केरल राज्य में नारियल की खरीद पूरी तरह रुक गई है। पिछले तीन या चार महीनों से कोई खरीद नहीं हुई है। इसी तरह, केन्द्र सरकार ने रबड़ की भी खरीद नहीं की है। संबंधित अधिकारी वहां यह कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह, स्थिति बहुत ही गंभीर है।

नारियल उत्पादक और रबड़ उत्पादक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। आज, केरल में लगभग सभी किसान संगठनों ने आंदोलन आरम्भ कर दिया है। त्रिवेन्द्रम में सरकार के सचिवालय के समक्ष बड़ी भारी रैली है। हजारों किसान त्रिवेन्द्रम में सरकार के सचिवालय के समक्ष इस विशाल रैली के भाग ले रहे हैं। वहां स्थिति बहुत गंभीर है। वहां संपूर्ण सचिवालय को केरल के करीब सभी जिलों से आए लाखों किसानों ने घेर रखा है। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है और हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

लगभग सभी कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। कीमतों में काफी कमी आई है। लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह गंभीर स्थिति है जिसे मैं सभा के समक्ष बताना चाहूंगा। इस बारे में हम जब तक कोई त्वरित तथा निषेधात्मक कदम नहीं उठायेंगे तब तक राज्य इस संकट का सामना करता रहेगा। केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वह स्थिति की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करे और यह समझे कि वे किसान, जो आमतौर पर शांतिप्रिय हैं अब संघर्ष पर उतारू हैं। अत: सरकार को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में अविलंब सभी संभव उपाय करने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) हास्पिटल की लापरवाही के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर के एक गांव कुदुंडड से आए 18 दिन के बच्चे का हार्ट का इलाज करने के लिए भर्ती किया। आपरेशन के लिए वहां

छत्तीसगढ़, बिलासपुर के अपोलो हास्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन अपोलो हास्पिटल में सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। यहां 18 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहां एम्स हास्पिटल में पहले मलेरिया हुआ, फिर जान्डिस हुई और फिर उसको गंगाराम हास्पिटल, दिल्ली ले जाया गया, ठीक नहीं हुआ। दिल्ली एम्स में संक्रामक बीमारी फैलने से आठ बच्चों की मृत्यु हो गई। मेरा निवेदन है कि दिल्ली एम्स के लापरवाही बरतने वाले डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): जनाब, मैं आपके जरिए एक इशू पर एवान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। ज्यादा बेहतर होता, यदि इधर और उधर बैठने वाले आनरेबिल मैम्बर इस इशू को लेकर आते, लेकिन वे नहीं लाए। आपको मालूम है, जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस सब बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो वहां काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी कान्स्टीचुयेंसी अनंतनाग में अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए पहला पड़ाव पहलगांव में पड़ता है। उस गांव में बी एस एफ की एक पार्टी गई और एक 17-18 साल की लड़की के साथ घर वालों के सामने बलात्कार किया। यह एक एलीगेशन है। मेरी कान्स्टीचुयेंसी अनंतनाग में बराबर मुजाहिरे और डिमान्सट्रेशन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार के मुलाजिम हैं, इनके खिलाफ कौन सा एक्शन होगा। मैं इस एवान के जरिए इस हुकूमत की नोटिस में लाना चाहता हूं, ऐसे आफिसरों के खिलाफ, जिन्होंने यह जुर्म किया है, सख्त-से-सख्त एक्शन लिया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह हिदायत दी जाए कि वे बेगुनाह लोगों के साथ बहुत अच्छे सलूक से पेश आयें। वहां पर हमारी पार्टी की हुकूमत है।

[अनुवाद]

मुख्य दल व उग्रवादियों के समर्थक इसका उपयोग भारत के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध और हर चीज के विरुद्ध करते हैं। इसलिए, भारत सरकार को, स्थानीय प्रशासन व भारत सरकार के लिए कठिनाईयां उत्पन्न करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, सख्ती से पेश आना चाहिए। भारत में यह कभी नहीं होना चाहिए।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب عالی، میں آپ کے ذریعے ایک ایشو پر ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ زیادہ بہتر ہوتا، اگر ادھر اور اُدھر بیٹھنے والے آنریبل ممبر اس ایشو کو لیکر آتے، لیکن وہ نہیں لائے۔ آپ کو معلوم ہے جموں کشمیر میں ملیٹینسی ہے اور ملیٹینسی کا مقابلہ کرنے کے لئے وہاں سیکورٹی فورسیز کو بھیجا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسیز سب کے سب نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میرے پارلیمانی حلقہ اننت ناگ میں امرناتھ کی یاترا پر جانے کے لئے پہلے پڑاؤ پہلگام میں پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں بی ایس ایف کی ایک پارٹی گئی اور ایک 17-18 سال کی لڑکی کے ساتھ گھر والوں کے سامنے بلاتکار کیا۔ یہ ایک الیگیشن ہے۔ میرے پارلیمانی حلقہ اننت ناگ میں برابر مظاہرے اور دھرنے ہو رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی سرکار کے ملازم ہیں، انکے خلاف کون سا ایکشن ہوگا۔ میں اس ایوان کے ذریعے اس حکومت کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ایسے آفیسروں کے خلاف، جنھوں نے یہ جرم کیا ہے، سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور سیکورٹی فورسیز کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آئے۔ وہاں پر ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, इस मामले से मैं भी जुड़ा हुआ हूं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, बिहार में छह वर्षों के बाद पंचायत के चुनाव हुए हैं। हम चाहेंगे कि देश के सभी राज्यों में जहां-जहां पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उन पंचायतों के जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, चाहे वे मुखिया हों, पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद सदस्य, उन सभी को निश्चित रूप से भत्ता दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि देश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्किटों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास किया जाएगा और माननीय पर्यटन मंत्री ने उन सर्किटों की घोषणा भी कर दी है। किंतु हैरानी की बात तो यह है कि इन क्षेत्रों में उड़ीसा को सम्मिलित नहीं किया गया है। जहां तक पर्यटकों को आकर्षित करने का संबंध है, उड़ीसा किसी से कम नहीं है और इसी कारण से हमने आशा की थी कि उड़ीसा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। यदि उड़ीसा को इन में सम्मिलित कर लिया जाता है और उसका विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है तो उड़ीसा में आधारभूत संरचना का विकास होगा और इससे आर्थिक विकास व रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। इसलिए, मैं, यहां उपस्थित माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा को भी इन छः क्षेत्रों में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति जी, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान की राजधानी एवं गुलाबी नगरी जयपुर शहर को "ए क्लॉस" श्रेणी का नगर घोषित किया जाए। आज जयपुर की आबादी 25 लाख से ऊपर हो गयी है, वहां पर सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरोड्रम का कार्य पूरा हो रहा है तथा रेल सेवा भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ गयी है। जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है और राज्य के सारे भूतपूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री वहीं पर रहते हैं। संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा दर्शनीय ऐतिहासिक पर्यटक स्थल होने के नाते विदेशी और देशी पर्यटक जयपुर शहर में आते हैं। अगर

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

इसे "ए क्लॉस" घोषित कर दिया जाए तो वहां के रहने वाले कर्मचारियों को हाउस-रेंट, दैनिक भत्ता, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, सिटी कम्पनसेटरी एलाऊंस और महंगाई भत्ता अधिक मिलने लगेगा और जयपुर नगर के विकास में योगदान मिलेगा। जयपुर शहर को दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई के बराबर लाया जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, भारत के राष्ट्रपति माननीय के.आर. नारायणन जी ने एनसीएसटी के लिए प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की अपनी ओपिनियन बताई है। हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एससीएसटी के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए, यह भी उन्होंने बतलाया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से उनकी इस बात की अनदेखी हो रही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने राष्ट्रपति जी की ओपिनियन का आदर करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। सरकार भी जब कहती है कि एससीएसटी को रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन में मिलना चाहिए तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है और एससीएसटी का रिजर्वेशन कम होता जा रहा है तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू करने का कानून उनको संसद में लाना चाहिए। यहां पर मानीय प्रमोद महाजन जी और माननीय यशवंत सिन्हा जी बैठे हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को प्राइवेटाइजेशन में एससीएसटी का रिजर्वेशन लागू करने के बारे में जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए और माननीय राष्ट्रपति जी की ओपिनियन का आदर करना चाहिए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): माननीय सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र इटावा की दूरभाष समस्या के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र के जिन इलाकों ने दूरभाष के लिए आवेदन कर रखा है वहां पर दो-दो साल बीतने के बाद भी कनैक्शन नहीं दिये गये हैं। साथ ही जिन केन्द्रों में दूरभाष स्थापित होने की स्वीकृति मिल चुकी है वहां भी अभी तक दूरभाष केन्द्र स्थापित नहीं हुए हैं। सायल क्षेत्र औरैया में दूरभाष केन्द्र स्थापित होना स्वीकृत है। बलरई में स्वीकृत है लेकिन हमने उसकी जगह माननीय मंत्री जी को ग्राम धौलपुर, जो मेरा स्थायी निवास भी है, में स्थापित करने के लिए लिखा है। डब्ल्यूएलएल चालू किया जा रहा है। हमारे नजदीकी क्षेत्र इटावा, विधुना, औरैया, भइयना में दूरभाष केन्द्र स्वीकृत हो गये हैं लेकिन जसवंत नगर की दूरी भी बहुत है। इसलिए डब्ल्यू एल एल जसवंत नगर में भी स्थापित किया जाए जिससे आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। मैं, सामुदायिक सौहार्द के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जय सिंह पठान नामक व्यक्ति को 1995 में माननीय राष्ट्रपति ने कबीर सम्मान प्रदान किया था। उन्होंने 35 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। उनके नेतृत्व में एक पुरातत्वीय संस्था भी गठित की गई है। सामुदायिक सौहार्द व मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, योजना आयोग व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने काफी धन प्रदान किया है।

किंतु वर्तमान परिदृश्य में, गुजरात की परिस्थिति से ऐसा माहौल बन गया है कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से धमकियां मिल रही हैं तथा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। स्थिति बहुत ही गंभीर है। स्थानीय पुलिस थाने में इस बारे में शिकायत पहले ही दर्ज करा दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय प्रशासन ने इस व्यक्ति व इस क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसके बावजूद, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार बहुसंख्यक वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गोधरा कांड के बाद जब भारत बंद हुआ था तो राजस्थान भी बंद हुआ था। सफल राजस्थान बद से बौखला कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए कई स्थानों पर स्थिति को ढंग से नहीं संभाला। परिणामस्वरूप अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा गया और दूसरा व्यक्ति मरणासन्न हो गया जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती कराना पड़ा। वहां सैकड़ों व्यक्तियों की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई की गई। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में भी पुलिस की गोली से मौके पर ही एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई तथा दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए बहुसंख्यकों को ही गोली से मारा। इसी प्रकार सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 25 मार्च को मोहर्रम के दिन तीन व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए। इसे लेकर वहां के लोगों में अभी तक असंतोष है। परसों 50 हजार लोग इकट्ठे हुए। उस दिन गंगापुर शहर बंद रहा। पाली जिले के लांबिया और कुशालपुरा कस्बे तथा जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व ब्यावर, सरवाड़, उदयपुर आदि स्थानों पर भी साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं घटीं।

सभापति महोदय: यह स्थानीय मामला है।

प्रो. रासा सिंह रावत: राज्य सरकार को कहा जाए कि वह किसी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार न करे। इसके साथ मैं कहना

चाहूंगा कि नियम 184 के अंतर्गत राजस्थान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, '184' इनके लिए एक वायरस बन गया है। मैं क्या कर सकता हूं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरुखाबाद): सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरी कही बात रक्षा मंत्री तक पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश का फतहगढ़ कंटोनमैंट क्षेत्र, जहां के अध्यक्ष ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने और वहां के अधिशासी अधिकारी ने बनते हुए नाले के सामने दीवार खड़ी कर दी। एमपी एरिया डैवलपमैंट फंड से दो तिहाई नाला बन चुका था। इससे पूरे मोहल्ले का पानी रुक गया है और बीमारी फैलने का पूरा अंदेशा है। बरसात निकट है। यदि उसका पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई तो पूरा मोहल्ला पानी में डूब जाएगा। पानी निकलने का दूसरा कोई रास्ता कंटोनमैंट क्षेत्र के अलावा हो ही नहीं सकता। मेरा अनुरोध है कि निर्माण कार्य में आए गतिरोध को तुरंत दूर किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम, दूसरे मद पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के आधार पर सभा यह निर्णय पहले ही ले चुकी है कि वित्त विधेयक, 2002 पर चर्चा 26 और 29 अप्रैल, 2002 को की जाएगी। यदि सभा सहमत हो तो वित्त विधेयक के तीनों चरणों की चर्चा के लिए 26 व 29 अप्रैल, 2002 को उपलब्ध आठ घण्टों में से हम आम चर्चा के लिए साढ़े छः घंटे, खण्डवार विचार करने के लिए एक घन्टे तथा तृतीय वाचन के लिए आधे घण्टे का समय निश्चित कर सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: धन्यवाद, मुझे आशा है कि सभा आज मध्याह्न भोजन के समय का भी चर्चा के लिए उपयोग करने पर सहमत होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, 26 तथा 29 दोनों दिन उपलब्ध हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम सहयोग करेंगे और देर तक बैठेंगे। हम यहां आपकी सहायता के लिए हैं। हम सहयोग करेंगे।

सभापति महोदय: मैं आशा करता हूं कि सभा मध्याह्न भोजन अवकाश न लेने पर सहमत होगी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह एक ऐसा विषय है जिस पर माननीय वित्त मंत्री व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हमने पहले भी सहयोग किया है। संपूर्ण बजट बिना चर्चा के पारित किया गया था। आप इससे अधिक सहयोग की आशा नहीं कर सकते *...(व्यवधान)* क्या आप चाहते हैं कि यह विधेयक भी बिना चर्चा के पारित हो जाए? *...(व्यवधान)* यदि आप चर्चा टालना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय: माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: पहले, पूरा बजट बिना चर्चा के पारित हुआ था।

अपराह्न 1.00 बजे

हम इसे सत्र बुलाए बिना भी समाप्त कर सकते हैं। हम यहां सत्र क्यों बुलाते हैं? क्या हम सत्र केवल वित्त विधेयक को पारित करने के लिए बुला रहे हैं? यह तो एक परंपरा ही बन गई है। आपने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि संसद को बिना कोई चर्चा किये बजट पारित करना पड़ेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसे बिना चर्चा के पारित करना पड़ेगा। देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि संपूर्ण बजट बिना चर्चा के पारित करना पड़ेगा।

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या आप विश्व में कहीं भी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं?

अपराह्न 1.01 बजे

वित्त विधेयक, 2002

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सभापति महोदय, 28 फरवरी, 2002 को विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात्, पहले के वर्षों की ही भांति मुझे सांसदों, व्यापार व उद्योग के प्रतिनिधियों व अन्य इच्छुक पार्टियों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैंने सभी अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और मैं उनमें से कुछ में कही गई बातों से सहमत भी हूँ।

महोदय, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उदार कर व्यवस्था तथा बड़ी संख्या में रियायतें एक साथ नहीं चल सकती। मेरा मानना है कि रियायतें लेने के आदी लोग, इन रियायतों के वापिस लिए जाने का विरोध करेंगे। जबकि इसे नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता फिर भी मैं कुछ परिवर्तन करना चाहूंगा।

कई औद्योगिक संघों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन के विभिन्न चरणों पर चार प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा जो वांछनीय नहीं है। मैं उनके तर्क से सहमत हूं। इसलिए जिन मुद्दों के विनिर्दिष्ट पुर्जों तथा कलपुर्जों पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया था, उन पर से मैं उत्पाद शुल्क वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें साइकिलों, हैंडपम्पों के पुर्जे, खिलौनों के पुर्जे और छातों के पुर्ज़े शामिल हैं।

जिन मदों के विनिर्माण के दौरान अवशिष्ट और छीजन बनते हैं तथा जिन पर 4 प्रतिशत लेवी लगाई गई थी, उन पर भी मैं छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

छत (रूफिंग) की टाईलों पर चार प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया है। चूंकि यह उद्योग श्रम-प्रधान है ऐसी टाइलों का उपयोग अधिकतर गरीब लोग करते हैं, अत: मैं छत की टाईलों पर लगाये गये उत्पाद शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे यह बताया गया है कि प्रीरिकार्डेड 'आडियो कैसेट' पर उत्पाद शुल्क लगाने से चोरी को बढ़ावा मिलेगा और असली कैसेट निर्माताओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह के कैसेटों पर 4 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क से छूट बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं अन्य किसी भी मद पर 4 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क को हटाने के बारे में संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इन सभी वस्तुओं का निर्माण करने वाला लघु एकक एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये तक की स्वीकृति पर छूट पाने का पहले से ही हकदार है।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सभी नए मद, जिन्हें 4 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया है, लघु उद्योगों को प्राप्त रियायत के हकदार होंगे।

महोदय, मेरे बजट प्रस्तावों में वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष पैकेज भी शामिल था। जहां मैंने वस्त्र पर उत्पाद शुल्क का समग्र भार कम किया था, वहीं मैंने यार्न और प्रसंस्कृत वस्त्रों से संबंधित कुछ छूट वापस लेने का भी प्रस्ताव किया था।

मैंने यह प्रस्ताव किया था कि स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा हाथ से प्रसंस्कृत कपड़ों पर लागू छूट सिर्फ तीन प्रक्रियाओं यथा-स्कोरिंग, हाइड्रो-एक्सट्रैक्शन और कैलेंडरिंग तक लागू होंगे। इस छूट को कुछ अन्य प्रक्रियाओं पर भी लागू करने के लिए मुझे अभ्यावेदन मिले हैं। इन अभ्यावेदनों पर काफी विचार करने के बाद मैं पैंडिंग, (बैक फीलिंग सहित), डैम्पिंग और फलेनेलेट रेविंग को भी छूट की प्रक्रियाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, भले ही वह बिजली की सहायता से की जाती हो।

महोदय, मैं स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा ओपन एयर स्टेनटर्स का प्रयोग करके हाथ द्वारा प्रसंस्कृत सूती वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क की दर को 12 प्रतिशत से कम कर 8 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। ऐसे प्रसंस्करणकर्त्ताओं को उपलब्ध ऋण से वास्तविक शुल्क केवल 4 प्रतिशत होगा। मैं हैंक यार्न के रूप में दो काउंट तक के काटन वेस्ट यार्न को भी इस शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, सभा को याद होगा कि मैंने लघु क्षेत्रों में विनिर्मित ग्रेनाइट पर उत्पाद शुल्क की छूट को वापस लिया था। मैंने संगमरमर के साथ समानता लाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझे सुझाव दिये कि दूसरे तरीके से भी समानता लाई जा सकती है। उनको इच्छाओं का सम्मान करते हुए, मैं लघु क्षेत्र उत्पाद शुल्क छूट योजना का लाभ ग्रेनाइट तथा संगमरमर दोनों को देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस योजना का लाभ बंगाल लाइट्स को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं एवीएसएन गैस को भी विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे देश में विमानचालकों को प्रशिक्षण देने की लागत में कमी आयेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैंने पूर्वोत्तर राज्यों से आने-जाने वाली उड़ानों के संबंध में इनलैंड एअर ट्रैवल कर से छूट दी थी।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, धन्यवाद।

श्री यशवंत सिन्हा: ऐसा पहले ही किया जा चुका है। मैं यह छूट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लेह को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि यदि डेरी उत्पादों जैसे बटर ऑयल के आयात में वृद्धि हुई तो इससे डेरी उत्पादों के घरेलू उत्पादकों तथा किसानों पर असर पड़ेगा। इस तरह के किसी भी भय को दूर करने के लिए मैं बटर और बटर ऑयल सहित डेरी उत्पादों पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर डब्ल्यूटीओ की दर अर्थात 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, सभा को स्मरण होगा, मैंने अनेक नई सेवाओं जिनमें जीवन बीमा भी शामिल है, पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव किया था। मुझे इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जीवन बीमा सेवाओं पर प्रस्तावित सेवा कर सिर्फ जोखिम (रिस्क) प्रीमियम तक ही सीमित होना चाहिए। मैं इस मांग को स्वीकार करता हूं और तदनुसार सेवा कर के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र शुल्क युक्त उपस्कर, कच्चा माल, संघटक आदि की अधिप्राप्ति करने के हकदार होंगे, चाहे वे आयात किये गये हों या उन्हें स्थानीय रूप से खरीदा गया हो। यह भी नीति है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को की गई आपूर्ति को शुल्क, टेरिफ और केन्द्रीय कर के प्रयोजनार्थ वास्तविक निर्यात माना जाये। इस नीति को लागू करने के लिए मैं सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में समुचित परिवर्तन करने हेतु वित्त विधेयक में संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर पर आता हूं। विभिन्न समूहों और विशेषकर संसद सदस्यों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय मैंने यह प्रस्ताव किया था कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत 20 प्रतिशत की विद्यमान दर से कर छूट केवल उन्हीं लोगों को दी जायेगी जिनकी कर योग्य आय 1.50 लाख रुपये तक हैं। डेढ़ लाख से पांच लाख तक की कर योग्य आय वाले लोगों के लिए इस छूट को कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था। मध्यम आय समूह के लोगों पर इस प्रस्ताव के अतिरिक्त कर भार को कम करने के उद्देश्य से अब मैं डेढ़ लाख से पांच लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत की दर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं छूट के लिए निवेश की अधिकतम राशि को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। जिसमें विशेष रूप से अवसंरचना बांड में निवेश के लिए वर्तमान में 2000 रु. की तुलना में 30,000 रुपये भी शामिल होंगे। मुझे विश्वास है कि इन दो रियायतों से करदाता संतुष्ट होंगे।

वित्त विधेयक में मैंने प्राप्तकर्त्ताओं को इक्विटी-उन्मुख फंड को छोड़कर म्युचुअल फंड से प्राप्त लाभांश और आय पर उन पर लागू दर के हिसाब से कर लगाने का प्रस्ताव किया है। ऐसी आय 10 प्रतिशत की दर के हिसाब से स्रोत पर कर कटौती के अध्यधीन होगी। छोटे करदाताओं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों द्वारा झेली जा रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मैं आयकर अधिनियम की धारा 80 में दी गई 9,000 रुपये की समग्र सीमा के अन्तर्गत इस धारा के अधीन इस आय के संबंध में कटौती का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि स्रोत पर कर की कटौती तभी की जायेगी जब कम्पनी अथवा म्युचुअल फंड से प्राप्त राशि 1,000 रुपये से अधिक होगी।

आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत विशेष निर्यात लाभ की शतप्रतिशत कटौती विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित एककों के लिए केवल 1.4.2009 से शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष तक ही उपलब्ध है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित उपक्रमों की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गयी आयात-निर्यात नीति के अनुरूप मैं 1 अप्रैल 2002 को अथवा इसके पश्चात् उत्पादन शुरू करने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र की सभी इकाईयों को पांच वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात् आगामी दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। यदि लाभ अर्जित करने वाले किसी उपक्रम के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है तो आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी एककों को दिये गये कर-अवकाश को मौजूदा उपबन्धों के अंतर्गत वापिस ले लिया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां किसी फर्म अथवा एकमात्र स्वामी के स्वामित्व वाले उपक्रम को कतिपय शर्तों के अध्यधीन व्यवसाय के उत्तराधिकार के माध्यम से कम्पनी को हस्तांतरित किया जाता है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने धारा 10क और 10ख के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों पर बहुत कम भार लगाया है। उनकी आय पर 10 प्रतिशत कर लगाने और उस पर अधिभार लगाकर सुरक्षा अधिभार लगाये जाने की अपेक्षा थी। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि यह केवल इस वर्ष के लिए अस्थायी अधिभार है और मुझे आशा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े मेरे मित्र इस भार को वहन करेंगे।

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों तथा जिलों में स्थापित उपक्रमों को धारा 80(झ)(ख) के अंतर्गत दिये गये कर प्रोत्साहन केवल उन्हीं एककों को मिलते थे जो 31.3.2002 से पहले स्थापित किये गये थे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह लाभ 31.3.2004 को खत्म होने वाली आगामी दो वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे क्षेत्रों में स्थापित नये एककों को भी किया जाये।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

वित्त विधेयक में मैंने प्रस्ताव किया है कि धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं की आय के किसी भी भाग को 5 वर्षों से ज्यादा अवधि के लिए संचित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न न्यासों तथा संस्थाओं द्वारा बतायी गयी कठिनाइयों पर विचार करते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि वे अपनी 15 प्रतिशत आय को अनिश्चित अवधि के लिए संचित कर सकेंगे। तथापि, 15 प्रतिशत से अधिक आय की राशि को केवल 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ही संचित किया जा सकता है।

वर्तमान में, 1/6 योजना जो देश के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है, के अंतर्गत सभी टेलीफोन उपभोक्ताओं से अपेक्षित है कि वे आयकर रिटर्न भरें। योजना से इस मानदण्ड को समाप्त किये जाने का अनुरोध करते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि टेलीफोन अब छोटे शहरों में भी कम कीमत पर सहज उपलब्ध हैं और टेलीफोन रखना सम्भाव्य करदाता का द्योतक नहीं है। इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1/6 योजना के अंतर्गत टेलीफोन उपभोक्ता के इस मानदंड को हटा दिया जाये और यह केवल सेल्यूलर फोन तक ही सीमित किया जाये। मुझे उम्मीद है कि अब इस सदन में सेल्युलर टेलीफोन की घंटियां कम सुनाई देंगी।

विधेयक के प्रावधानों में छोटे-मोटे सुधार हेतु अन्य संशोधनों के भी प्रस्ताव हैं जिनके लिए मैं इस समय सदन का समय नहीं लेना चाहता। उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

मेरे प्रस्तावों में संशोधनों से सेवाकर सहित अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में 1450 करोड़ रुपये और प्रत्यक्ष करों के संबंध में 700 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। यह राशि कुल 2,150 करोड़ रुपये है। यदि हम इस राशि में रसोई गैस के मूल्य में कमी करने के परिणामस्वरूप सरकार को हुए 700 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ें तो बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् कुल 2,850 करोड़ रुपये का परिवर्तन होगा।

महोदय, आपके माध्यम से जो बात मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि बजट में, जहां व्यय बजट 4,10,000 करोड़ रु. है 2,850 करोड़ रुपये की यह राशि कोई महत्वपूर्ण राशि नहीं है और हम आने वाले वर्षों में इस राशि का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा गैर-जरूरी व्ययों में कमी लाकर तथा कर वसूली में वृद्धि करके किया जायेगा। इस प्रकार इस बजट की महत्ता अक्षुण रहती है।

महोदय, मैंने सभापटल पर यह घोषणा की थी कि सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों, चाहे वे निजी क्षेत्र में ही हों, के लिए भारत सरकार के राहत बांड में निवेश के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया जायेगा ताकि वे इन बांडों में अपनी संपूर्ण राशि निवेश कर सकें। मुझे सभा को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस योजना को और अधिक उदार बनाया जा रहा है, ताकि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी बगैर किसी वित्तीय सीमा के राहत बांडों में किये गये निवेश से होने वाले किसी भी अन्य बचत का पुन: निवेश कर सकें।

इस प्रकार, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी तथा वे जिन्होंने अपनी पूंजी राहत बांडों में लगा रखी है, अब उनके लिए 2 लाख की सीमा नहीं होगी।

महोदय, मैं अपने सहयोगी, संचार मंत्री की ओर से आपके माध्यम से सभा को डाक दरों में हुए कुछ परिवर्तनों की सूचना देना चाहूंगा। हम इस वर्ष को 'पुस्तक वर्ष' के रूप में मना रहे हैं और इस संबंध में प्रकाशन उद्योग ने यह अभ्यावेदन दिया है कि मुद्रित पुस्तकों वाले बुक्ड पैकेज के लिए डाक दरों में प्रस्तावित वृद्धि को हटा दिया जाए। इससे डाक विभाग की अतिरिक्त आय में 7 करोड़ रुपये की हानि होगी, यह विभाग घाटे का अत्यधिक भार वहन करता है। तथापि, विभाग के सहयोग से मुझे उम्मीद है कि 7 करोड़ रुपये जो प्रकाशन उद्योग को रियायत के रूप में दिए जा रहे हैं। इस हानि की कहीं और भरपाई हो जाएगी और समग्र हानि को सीमित रखा जाएगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के इस वर्ष के बजट भाषण की टिप्पणियों में पिछले सालों जैसा उत्साह नहीं था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वर्ष 2001 एक कठिन वर्ष रहा और उन्होंने विश्व आर्थिक विकास में आई संभाव्य मंदी को इस सरकार की असफलता का कारण बताया।

महोदय, उन्होंने अपना भाषण इस बजट को, आर्थिक सुधार प्रक्रिया को मजबूत, विस्तृत और गहरा करने वाला बजट कहते हुए समाप्त किया। आम आदमी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए यह पता नहीं चलता कि वह किस मजबूती की बात करते हैं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आर्थिक सुदृढ़ीकरण और अनुशासन की असफलता की स्वीकारोक्ति को देखते हुए जब उन्होंने निवल कर राजस्व में 20,683 करोड़ रुपये की कमी का उल्लेख किया, तो क्या उन्हें लगता है कि यह सरकार के सुधारों को सुदृढ़ करने के प्रयास और क्षमता उचित है और क्या इससे संभावित उपलब्धियां बेकार नहीं जाएंगी।

महोदय, आप राह चलते किसी भी आदमी से मिल लीजिए, आप यह मान जाएंगे कि थोड़ी-बहुत वृद्धि वापस लेने की घोषणाएं करने के बावजूद भी, वित्त विधेयक में प्रतिबिंबित बजट प्रस्तावों से उसकी कठिनाइयों और परेशानियों में वृद्धि ही होगी।

अप्रवासी भारतीयों तथा विदेशी कंपनियों को छोड़ कर बाकी सभी इन प्रस्तावों से आहत हुए हैं। बजट प्रस्ताव एक प्रहार है। यह मध्यम वर्ग पर प्रहार है।

मैं इस बात से सहमत होता हूं कि कभी-कभी कुछ पाने के लिए कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है किंतु यहां आपको ऐसी कोई आशा नजर नहीं आती। इससे वेतनभोगी वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 1999 के आम चुनावों में भाजपा ने आश्वासन दिया था कि आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। आज तीन वर्ष के बाद भी यह मात्र 50,000 रुपये है जबकि रुपये के मूल्य में काफी गिरावट आई है। कर आधार को बनाये रखने के लिए छूट की सीमा बढ़ाई नहीं गई है। मैं यह समझ सकता हूं लेकिन एक लाख के आय वर्ग को 10 प्रतिशत की श्रेणी के अंतर्गत न लाने का कारण समझ में नहीं आता। इस आय वर्ग के लोग इसके हकदार हैं। कर देने वाले सामान्य लोगों की समस्याओं को और अधिक जटिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पांच प्रतिशत का अधिभार लगाया गया है जो आज श्री जार्ज फर्नान्डीज के हाथों में है जब रक्षा सौदों में प्रभाव का उपयोग बढ़ गया है। यही समय है जब जनता से अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर ले उन्हें दण्डित किया जा रहा है।

वित्त विधेयक में शामिल वित्तीय प्रस्ताव बचत पर अधिक आघात करते हैं। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज या उनकी जमा पूंजी—जिसे वे लघु बचतों में निवेश करते हैं, संभवत: एकमात्र आय है तथा वे सरकारी मनमर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। पहले की ही भांति, आज भी न केवल लघु बचतों पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली छूट में भी काफी कटौती कर दी गई है। इससे केवल वित्तीय रूप से विवेकी लोगों को दण्ड ही मिलेगा जो सरकार की बचत की नेक सलाह पर चलते हैं।

वित्त मंत्री द्वारा थोड़ी सी छूट देने की घोषणा के बाद भी 5 लाख रुपये से अधिक की आमदनी वाले व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिलेगी। अब तक ऐसी योजनाओं में 80,000 रुपये तक के निवेश पर 16,000 रुपये की छूट मिलती थी लेकिन अब नहीं। छूट देने की घोषणाएं होने के बाद अब 1.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 12,000 रुपये की छूट मिलेगी जबकि पहले यह छूट 16,000 रुपये थी। इस उपबंध से एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे निर्धारित सीमा से एक रुपया भी अधिक कमाने वाले व्यक्ति को घोषणाएं वापस लेने के बाद भी 4,000 रुपये खोने होंगे।

इस उपबंध का कुल मिलाकर परिणाम यह है कि जो व्यक्ति अपनी ाय से बचत में कुछ निवेश कर सकता है, उसे अब बचत करने पर कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पांच लाख रुपये से अधिक कमाने वाले लोगों को बचत करने की जरूरत ही नहीं है। शायद सरकार का यही दर्शन है। 1.5 लाख रुपये से कम कमाने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रोत्साहन भ्रामक हैं। आप 12,000 रुपये मासिक आय वाले व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। मौजूदा दरों के अनुसार उसे 13,800 रुपये का आय कर देना होगा तथा वर्ष में 1,44,000 रुपये कमाने वाले इस व्यक्ति को 10,000 रुपये बचाने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करना होगा और वह 4,000 रुपये के आयकर का भुगतान भी करेगा। क्या वह यह वहन कर पाएगा? क्या वास्तव में यह संभव है? तो, वित्त मंत्री गरीब लोगों के किस लाभ की बात करते हैं? यह समाज का वह वर्ग है जिनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और मुझे डर है कि माननीय वित्त मंत्री उनकी उपेक्षा कर गए हैं।

इसके अलावा, ये अतिरिक्त रियायतें जो पहले लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों, व खिलाड़ियों इत्यादि को मिलती थीं, वे भी वापिस ले ली गई हैं। वे अब उनकी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते। यह सब संभवत: उसी तर्क संगतता के नाम पर हो रहा है जिसकी बात मंत्री जी करते हैं।

मैं ऐसे लोगों को, जिनकी लाभांश से आय 1,000 रुपये तक है, स्रोत पर कर से मुक्त किये जाने की घोषणा का निश्चित रूप से स्वागत करता हूं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस संबध में एक बुनियादी परिवर्तन किया गया है जो कि लोगों के हितों के प्रतिकूल है, वह यह है कि जहां अब तक कर लगने वाले लाभांश का भुगतान कंपनी करती थी अब लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस स्लैब के अनुसार कर का भुगतान करना होगा, जिसके अंतर्गत वह आता है। इसका अर्थ है उस पर 10 से 20 प्रतिशत का अतिरिक्त भार पड़ेगा। क्या लोगों को बचत करने का यही प्रोत्साहन वह देना चाहते हैं?

जहां तक स्रोत पर कर कटौती का संबंध है, 1000 रुपये की छूट उन लोगों के लिए वास्तव में छूट नहीं है जिनकी लाभांश

[श्री पवन कुमार बंसल]

से आय ही 1,000 रुपये के आसपास है। क्या यह पर्याप्त है? आपको साधारण आय कमाने वाले और 5 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति में भेद करना चाहिए किंतु ऐसा नहीं किया गया है। इसका परिणाम होगा कि अभी भी इसमें कई बाधाएं होंगी जैसे किसी व्यक्ति को कटौती संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें पार करना ही होगा, उसे अपना केस प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों के पास जाना होगा। हालांकि प्रमाणपत्र जमा करवाने के लिए ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष का समय दिया जाता है किंतु इसके साथ-साथ जिस प्रकार की नौकरशाही हमारे यहां है और जो अपनी व्यवस्था हमारे यहां है, कागजी कार्यवाही किसी हाल में कम नहीं होगी और ऐसा भी हो सकता है कि लाभांश से प्राप्त होने वाली आय उस कठिनाई की तुलना में काफी कम हो सकती है जो व्यक्ति को उठानी पड़ती है तथा ऐसा व्यक्ति ऐसी योजना में निवेश करके केवल समस्याओं को ही आमंत्रित करेगा।

अधिक राजस्व एकत्रित करने की चिंता में माननीय वित्त मंत्री ने कर जाल में जीवन बीमा जैसी दस नयी सेवाओं को शामिल किया है, हालांकि जीवन बीमा निगम के बारे मे अब स्पष्टीकरण जारी किया गया है। रेल यात्रा एजेण्ट, ब्यूटी-पार्लर, स्वास्थ्य क्लब, फिटनेस केन्द्र, फैशन डिजाईनर, केबल आपरेटर, ड्राई क्लीनर, अंतरदेशीय कार्गो प्रचालन, भण्डारण और भंडारागार व समारोह प्रबंधक इत्यादि। इन सभी मामलों में सेवा प्रदान करने वाले अपने पांच प्रतिशत के भार को निश्चित रूप से उपभोक्ताओं पर डाल देंगे, और उनका नाम, उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा पीड़ित, देश के लोगों की लम्बी सूची में जुड़ जाएगा। पहली बार जब सेवा कर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तब भी यह मुद्दा उठाया गया था कि यही ठीक रहेगा कि इस कर को उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाए। किंतु शायद वह अभ्यावेदन माननीय मंत्री को स्वीकार नहीं हुआ।

महोदय, इन प्रस्तावों में जो एक विचित्र बात मैं देखता हूं वह है—नागरिकों को बिजली-पानी की आपूर्ति देने वाले सरकारी अधिकारियों, आवास बोर्डों तथा जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले दूसरे प्राधिकरणों—मैं उसी से उद्धृत कर रहा हूं—जो आवास सुविधाएं या योजना विकास के उद्देश्य के लिए या शहरों, नगरों व गांवों में सुधार करते हैं, खेल निकाय, बाजार समितियां, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रसार भारती तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड इत्यादि को भी आय कर का भुगतान करना पड़ेगा। एक बार उन्हें यह करना पड़ा तो वे भविष्य में अपने प्रभार बढ़ा देंगे जिनका भार असहाय नागरिकों पर पड़ेगा।

इसी प्रकार खाद्यान्न आदि का भंडारण करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित भंडार गृह को जो आयकर अधिनियम की धारा 10, खंड 29 के अंतर्गत अभी तक आयकर से मुक्त थे, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। महोदय, एक ओर तो सरकार जोर दे रही है कि वह खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता बढ़ाये जाने पर विशेष जोर देना चाहती है। अब जबकि सरकार खाद्यान्नों के भंडारण पर प्राप्त होने वाले किराये पर कर लगा रही है, क्या यह इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का दिखावा मात्र नहीं है? क्या यह और भंडारगृह बनाये जाने में बाधक नहीं होगा। क्या इससे देश के भंडारगृहों और भंडारण गतिविधि पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा?

महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार ने देश में किसी को भी नहीं छोड़ा है। अभी तक किसी समाचार-पत्र में लेख लिखने अथवा कहीं व्याख्यान देने से होने वाली 5,000 रुपये से कम की आय को आयकर से छूट मिली हुयी थी—ऐसा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इन लोगों को आयकर में छूट मिली हुयी थी। लेकिन अब तर्कसंगत बनाने के नाम पर यह छूट समाप्त कर दी गयी है। साथ ही वित्त विधेयक में ब्याज अथवा कतिपय अधिसूचित बांडों की पुन:प्राप्ति पर प्रीमियम से होने वाली आय संबंधी छूट को समाप्त करने का प्रावधान भी है।

महोदय, आम आदमी पर कर का भार बढ़ाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि मुद्रास्फीति के कारण उसकी क्षमता घटती जा रही है। कहीं कोई छूट नहीं दी गयी है और रुपये के मूल्य में ह्रास हुआ है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि एक आम ट्रक ऑपरेटर की संभावित आय में 75 प्रतिशत वृद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए मुद्रास्फीति का उल्लेख किया गया है। मुद्रास्फीति के नाम पर दो-तीन ट्रक चलाने वाले आपरेटरों की संभावित आय में 75 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। क्या ऐसा करने का कोई औचित्य है?

हमने सुना है कि वित्त मंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों और साफ्टवेयर पार्कों, जिनका उन्होंने फिर संदर्भ देकर जिक्र किया है, के लाभ बढ़ाने की बात की है। लेकिन मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये उपक्रमों द्वारा निर्यात से प्राप्त लाभ और फायदे पर अब तक अनुमत्त 10 प्रतिशत की कटौती के प्रावधान को इस वित्त विधेयक में समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार जो एक तरफ दे रही है उसे दूसरी तरफ वापस ले रही है। शायद इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है कि वे जो 10 प्रतिशत की बचत पहले कर लेते थे वह अब समाप्त हो गयी है।

यही स्थिति साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क में स्थापित नए उद्यमों की है, जिसके बारे में तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के बारे में पहले काफी कहा गया। इन सबके बावजूद भी मैं पुन: यह कहूंगा कि घोषित रियायतों, कर रियायतों को वापस लेकर तथा बचत राशि पर ब्याज दरों में

कटौती करके ऐसे ही अनेक प्रावधानों द्वारा आम आदमी पर काफी भार लाद दिया गया है। लोगों को यही उपदेश दिया जाता है कि और कड़े निर्णय लिये जाने वाले हैं लेकिन बदले में आम आदमियों को आपने क्या दिया है?

मैं कहना चाहूंगा कि सर्वाधिक समझ में न आने वाली बात, या यूं कहें कि भोले-भाले लोगों के साथ धोखा देने वाली बात मैं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए मजबूर हूं, यह है कि एच.यू.एफ. के नाम जारी राष्ट्रीय बचत-पत्र की परिपक्वता पर सरकार परिपक्वता राशि देने से मना कर रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदे हैं और राशि की परिपक्वता के लिए पांच से छह वर्षों तक इंतजार किया है। अब जबकि वे डाकघरों अथवा दूसरे प्राधिकरणों के पास अपनी राशि भुनाने जाते हैं तो उन्हें वापस कर दिया जाता है। क्या आपने कभी सुना था कि कोई सरकार ऐसा भी कर सकती है। किसी निजी व्यक्ति को ऐसे कृत्यों के लिए जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन वित्त मंत्री इसे अपना संप्रभु अधिकार मानते हैं।

इस वित्त विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे खुशी होती हो। बेशक चाय पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गयी है। मैं माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि जिस आयातित शराब पर सरकार ने सीमा शुल्क को 210 प्रतिशत से घटा कर 182 प्रतिशत कर दी है, उसे हर कोई नहीं पीता। माननीय वित्त मंत्री समय-समय पर अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। हमें बताया गया है कि कर प्रशासन को चुस्त बनाया गया है, कर चोरी पर रोक लगायी गयी है और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। यह सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं जब वैसे लोगों को कर भुगतान के नोटिस जारी किये जाते हैं जिन्हें करदेय नहीं है जबकि कर चोरी करने वाले सुरक्षित रूप से अपने धन में वृद्धि करते हैं। मेरे विचार में यह बात माननीय वित्त मंत्री के संज्ञान में अवश्य आई होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा 1/6 योजना के तहत टेलीफोन कनेक्शन को शामिल न करने की घोषणा का स्वागत करता हूं। लेकिन क्या कभी उनके विचार में आया कि इस सूची में बैंक लाकर को शामिल किये जाने की आवश्यकता है? हाल ही में पंजाब लोक सेवा आयोग के घोटालों में आरोपित चेयरमैन के अनेक रिश्तेदारों के नाम बैंक लॉकरों में करोड़ों रुपये पाये जाने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर ध्यान देंगे और क्या वह बैंकों द्वारा पी.ए.एन. के साथ बैंक लॉकरों के बारे में आयकर अधिकारियों को सूचित करने को अनिवार्य बनाये जाने पर विचार करेंगे। क्योंकि गलत तरीकों से अर्जित किये गये पैसों को बैंक लॉकरों में रखना अब तक सर्वाधिक सुरक्षित तरीका रहा है।

अब कर प्रस्तावों और वित्त विधेयक पर पुनः गौर करें तो वित्त मंत्री को आशा है कि उन्हें प्रत्यक्ष करों से 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिल जायेगी। चूंकि अब यह 700 करोड़ रुपए कम है इसलिए अब यह राशि 5300 करोड़ रुपये है। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय ने करदाताओं को सपनों और झूठी आशाओं के अलावा कुछ दिया है। गत वर्ष के बजट को स्वप्निल बजट के रूप में स्वागत किया गया था लेकिन वह लोगों के लिए एक भयानक स्वप्न ही साबित हुआ। इस बार भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है बल्कि पहले से भी बदतर है।

वित्त मंत्री आर्थिक विकास की बात करते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। देश के प्रत्येक सामान्य नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपको इसी दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन क्या वह रोजगार के अवसरों का सृजन किए बिना ही इस लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद करते हैं? प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रोजगार सृजन की बात कहां गयी? प्रधान मंत्री ने इस संबंध में लाल किले की प्राचीर से आश्वासन दिया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सैद्धांतिक रूप से अर्थव्यवस्था के निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की नीति के विरोधी नहीं हैं। लेकिन इसका जिस प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है उससे हमें अवश्य चिंता है। महोदय, विभिन्न स्तरों पर सरकार की विफलताओं से निवेश में तेजी आने की बजाय कमी आई है। और साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की बात भी प्रतिफलित नहीं हुयी है। बल्कि लघु क्षेत्रों के उद्योगों पर सरकार के कुठाराघातों के कारण रोजगार सुरक्षा की स्थिति भी बदतर हो गयी है। आपने कहा कि 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के तहत शामिल मदों के उत्पादकों को लघु उद्योग की श्रेणी में माना जायेगा। यह ठीक है। लेकिन लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। उन पर कुठाराघात हो रहा है। इन कुठाराघातों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं क्योंकि लघु उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। वे बाजार से लुप्त हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने वृद्धि प्रक्रिया का भी आयात किया है। अगर आप दूसरों से कुछ सीखें तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यह वृद्धि है कहां? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। शायद इस सरकार को बड़े स्तर पर हुई छंटनी, कामबंदी, तालाबंदी का पता नहीं है। जीवन-यापन के लिए छोटे स्तर पर भी काम ढूंढने के लिए बाध्य होना पड़ा। कामगारों को, लोगों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। वे पूंजीपतियों की दया पर निर्भर हैं। जो व्यक्ति 7000 रुपये कमा रहा था उसे आज 2000 रुपये की भी नौकरी नहीं मिल रही है। आप इन बातों को यह कहकर न्यायोचित ठहरा सकते हैं कि बाजार की शक्तियां क्रियाशील हैं लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या परिस्थिति है यहां पर लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं और आप वास्तव में उन्हें किस प्रकार पूरा करते हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हो सकता है कि मैं वित्त विधेयक के अच्छे प्रस्तावों को पढ़ न पाया हूं। लेकिन मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह ऐसी बातें बताएं जिनसे रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं अथवा ऐसे अवसर उत्पन्न होंगे। आज अभियंता, उच्च योग्यता प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा एम.बी.ए. किए हुए लोग भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

महोदय, वित्त विधेयक में उद्योगों को फिर से चलाये जाने के लिए पैकेज दिए जाने के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रतिस्पर्धा करो अथवा मिट जाओ-आपका संदेश यही है। हमारे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी ठोस और उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि सरकार इसी बात से संतुष्ट है कि सभी नौजवान युवक व युवतियों का विदेशी वस्तुओं को बेचने हेतु सैल्समैन बनने लगें। आयात को इस हद तक बढ़ावा दिया गया है कि स्वदेशी को बढ़ावा देने वालों के कारण हमारे उद्योग बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं। महोदय, शायद यह उनका दर्शन नहीं बल्कि एक चाल है।

कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृत संगठनों तथा संस्थाओं को भुगतान की गयी राशि पर कर योग्य आय की गणना में कटौती की अनुमति वाले प्रावधान को वापस लिया जा रहा है। इसका कारण सरकार द्वारा इसकी उचित निगरानी करने में विफलता है अत: इसका समाधान यह निकाला गया कि इसे वापस ले लिया जाए।

वित्त मंत्री के प्रस्तावों के अनुसार उत्पाद शुल्क में अतिरिक्त 6,700 करोड़ रुपये की धनराशि की बढ़ोत्तरी होने की आशा है और दूसरी ओर सीमा शुल्क के संबंध में अपनाए गए उपायों के कारण 2,200 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का भी अनुमान है। वह इसे भी शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना कहते हैं। लेकिन इससे ऐसे समय मूल्यों में निश्चय ही वृद्धि होगी जबकि मांग में पहले से ही मंदी है। गरीब आदमी के लिए रसोई गैस उसकी पहुंच से बाहर हो जायेगी।

बजट प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त बाद कुछ चीजों विशेषरूप से रसोई गैस की बढ़ी कीमतें वापस लिये जाने की घोषणा हुई और कुछ मदों के बारे में घोषणा अब हुई है। हालांकि मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं। इससे सरकार की अनिर्णय की स्थिति का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि वह लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सजग नहीं है। वित्त मंत्री पर उनके दल के अंदर से ही दबाव पड़ा जिसके आगे वह झुक गए। श्री एल.के. आडवाणी द्वारा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश के बारे में पहले दिए गए संदर्भ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के दोनों हाथों में लड्डू है। मैं कहना चाहता हूं कि अब सरकार दोनों तरफ नुकसान की स्थिति में है। आपने रियायतों की घोषणा अवश्य की है, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया था वह समझ चुके हैं कि उन्होंने ऐसा करके गलती की, आपके हाथों में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और आपकी कार्य योजना में उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप यह सन्देश उन्हें स्पष्ट रूप से दे चुके हैं, अब आप चाहे जो भी करें।

मैं रसोई गैस की बात कर रहा था। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बायोमास ईंधन का उपयोग करना छोड़ दें। ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की बड़े पैमाने पर एजेंसियां खोले जाने के बारे में घोषणाएं की जाती है। आप उन्हें एलपीजी सिलैंडर का आकर्षण दिखाते हैं लेकिन आज यह उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। माननीय वित्त मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इन प्रस्तावों से गरीबों की क्रय शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की कीमत में वृद्धि किए जाने का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

चूंकि औद्योगिक विकास दर पिछले वर्ष, दस वर्षों में सबसे कम रही है इसलिए आशा थी कि निवेश को बढ़ावा देने हेतु निगमित कर को कम करने और न्यूनतम वैकल्पिक कर समाप्त करने के लिए कदम उठाए जायेंगे लेकिन कुछ नहीं किया गया। केवल विदेशी कमपनियों को ही अनुगृहित किया गया है। उनका कर 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है किन्तु घरेलू कम्पनियों के लिए ऐसा नहीं किया गया वो चिल्ला-चिल्ला कर इसकी मांग कर रही हैं और जो निवेश करना चाहती हैं लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए कांई प्रोत्साहन नहीं मिलता।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आर्थिक मंदी की स्थिति को बदलने के लिए क्या नीति बनाई गई है। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो वित्त मंत्री जब सुधारों के दूसरे चरण के विस्तृत एजेण्डा को लागू करने की बातें करते हैं तो वे न तो विश्वस्त दिखाई देते हैं और न ही गम्भीर नजर आते हैं। वह एजेण्डा क्या है? यह दिखाई कहां देता है उसके वास्तविक प्रभाव कहां हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विधेयक में दो प्रावधान स्वागत योग्य हैं। संघटकों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी से सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर क्षेत्र, जो अब तक उपेक्षित था को सहायता मिलेगी। हमने स्थायी समिति में इस आशय की सिफारिश भी की है। हार्डवेयर के निर्माता वास्तव में इसके लिए बहुत जोर दे रहे थे, वे इसकी वकालत जी जान से कर रहे थे। यह मान लिया गया है। किन्तु हमने इससे भी एक कदम आगे की आशा की थी। विश्वस्तरीय

फाउन्ड्री जिसकी देश में बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही थी, की स्थापना के लिए कुछ विधायी उपाय करने थे। इसके बिना, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारा हार्डवेयर उद्योग वैसा कार्य नहीं कर पा रहा है जैसा कि इस क्षेत्र में वास्तव में कर सकते हैं।

अब मैं, आधारभूत संरचना से संबंधित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यवसाय में लगे औद्योगिक उपक्रम को अनुमति देने के निर्णय पर आता हूं। उन्हें परिभाषा के बारे में जांच करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरा मंत्रालय इसे कई बार अलग-अलग परिभाषित करता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह आधारभूत संरचना से संबंधित दूरसंचार सेवाएं हैं या दूरसंचार सेवा संबंधी आधारभूत संरचनाएं हैं। अब इन कंपनियों को अपने घाटे, आगे ले जाने और कंपनी विलय के मामले में अवमूल्यन समाहित न किये जाने का लाभ प्राप्त होगा। मुझे इसका स्वागत करने में निश्चय ही कोई झिझक नहीं होगी किंतु यह लाभ इस क्षेत्र के एक खण्ड को ही नहीं मिलना चाहिए अपितु यह संपूर्ण क्षेत्र को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर, सभी निजी कंपनियों को विनिर्दिष्ट संख्या में ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष उपलब्ध कराने के अपने वायदे को निभाना चाहिए अब तक ये कंपनियां अपना वायदा निभाने में और सरकार उसे लागू करवाने में असफल रही है।

आयकर अधिनियम के सैक्शन 80झक के अंतर्गत ऐसे उपक्रम को छूट मिली है जिसने 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च 2003 तक अवधि में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करानी आरम्भ की है। यह इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया था जो विस्तार व विकास के लिए जरूरी है। लेकिन आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को इस आधार पर यह लाभ नहीं दिया गया कि वे एक प्राधिकरण यानि दूरसंचार सेवा विभाग के उत्तराधिकारी हैं जो इस तिथि 1 अप्रैल, 1995 से बहुत पहले से इस व्यवसाय में कार्यरत था। यह कोई तर्क नहीं है। बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल दोनों इस देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए इस अवधि के दौरान भारी निवेश करते रहे हैं। जैसाकि मैंने उल्लेख किया था, वहां निजी कंपनियां अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई है, सरकार उन क्षेत्रों में भी वी.पी.टी. उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी बी.एस.एन.एल. पर ही डाल रही है। जब, ऐसी स्थिति है, तो मेरे विचार से बी.एस.एन.एल देश में सेवाओं का विस्तार करने और दूरसंचार सघनता, जिसका हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत कर रही है, तो यह जरूरी है कि आयकर अधिनियम की धारा 80झक में संशोधन कर यह लाभ बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को भी दिया जाना चाहिए।

किसी भी सरकार का कार्य या उसका लक्ष्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। उसे सामाजिक कल्याणकारी उपाय करने चाहिए और वह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त हो जाये। किंतु यहां, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान में किये गये तिरानवें संशोधन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के आवंटन में कुछ वृद्धि की गई है किंतु वह भी वास्तव में पर्याप्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री यह स्वीकार भी करेंगे कि वर्ष 2002 गुणवत्ता शिक्षा का वर्ष है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह भूल गये हैं कि देश में गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसमें उपबंधों को शामिल नहीं किया है।

अब मैं संक्षेप में डाक शुल्क की बात करूंगा। अब एक छोटे से संशोधन की घोषणा की गई है किंतु मूल चीज वहीं की वहीं है और यह तर्क व समझ से परे है कि मुद्रित पोस्टकार्ड का मूल्य 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये क्यों कर दिया गया जबकि लिफाफे का मूल्य 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये ही किया गया है। मैं केवल तुलना ही कर रहा हूं वरना यह एक अधिक वृद्धि है।

प्रतियोगिता कार्ड के मामले में मूल्य पांच रुपए से बढ़ाकर दस रुपए कर दिया गया है। मुद्रित पोस्ट कार्ड अधिकांशत: लोगों द्वारा निधन, याद क्रिया आदि के संदेश भेजने में किया जाता है। किंतु इन सभी मामलों में लोग आपके द्वारा आपूर्ति किए गए कार्डों का उपयोग नहीं करते। आप यह नहीं कह सकते कि आपको कार्ड बनाने में काफी खर्च करना पड़ता है। वे अपने कार्ड प्रयोग में लाते हैं और उस पर केवल टिकट लगाते हैं। शायद आप नहीं चाहते कि वे ऐसा करें।

इसी प्रकार, प्रतियोगिता कार्डों में हुई 5 रुपये से 10 रुपये की वृद्धि का भार किस पर पड़ेगा? यह भार छात्रों पर पड़ेगा। छात्र विभिन्न प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धाओं और दूरदर्शन, रेडियो, पत्रिकाओं तथा अन्य मीडिया द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें ऐसी क्या बात है। मैं समझ सकता था कि यदि विभाग द्वारा बनाए गए कार्डों का इस्तेमाल किया जाता। वे अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी जब लोग उन कार्डों का उपयोग करना पसंद नहीं करेंगे और लिफाफों का उपयोग करेंगे? क्या सरकार के लिए वे लिफाफे उपलब्ध कराना सस्ता होगा। जिन पर आप अब चार या पांच रुपये का टिकट लगाते हैं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बंसल जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं लेकिन आपको 40 मिनट हो गए हैं। आप अपने दल का समय देख लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए उनके द्वारा बनाए गए उपबंधों के अनुसार बैंकों को कुल आय की मौजूदा 5 प्रतिशत की कटौती की तुलना में 7.5 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति दी गई है। यह लगता तो ठीक है किंतु मुझे डर है कि इससे एन.पी.ए. में वृद्धि न हो पाये। इसी पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अपराह्न 1.59 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन* हुई]

आशा और अपेक्षाओं के बीच एन.डी.ए. ने सत्ता संभाली थी। भाजपा ने स्वयं को एक अलग प्रकार का दल बताया था। अभियान के दौरान इसने जनता को सुख समृद्धि का रास्ता दिखाया था। यह तो पता ही था कि राजीव गांधी की संकल्पना तथा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अंतरिक्ष विकास व प्रौद्योगिकी मिशन इत्यादि को बढ़ावा देने के संबंध में उनके द्वारा उठाये गये ठोस कदमों के परिणाम अवश्य निकलेंगे। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के लाभ भी भाजपा देख ही चुकी थी किंतु यह सब कुछ न दे पाने में असफल रहने पर भाजपा को हाल ही के चुनावों से स्पष्ट संदेश मिल गया है। समाचार पत्रों में इस शीर्षक से समाचार छपे हैं कि ''पीपल डिसइनवेस्ट ईन बीजेपी''

अपराह्न 2.00 बजे

प्रधान मंत्री वाजपेयी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, 'स्टोक्स आर फालिंग', 'स्टेट्स पोल्स हेन्ड कफ पी एम' ''वोट ऑफ नो-कन्फीडेंस ईन पी एम'' आज यह स्थिति है।

महोदया, मैं कयामत की भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता किंतु यह देखकर कि यह सरकार विशाल और विविधता वाले राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने, अर्थव्यवस्था को सम्हालने में असमर्थ सिद्ध हुई है, मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. शासन के दौरान अपने जीवन स्तर में किसी सुधार की आशा की थी तो यह उनकी गलती थी।

अंत में, मैं वित्त विधेयक, 2002 में परिलक्षित बजटीय और वित्तीय प्रस्तावों का समर्थन करने में अपनी असमर्थता करता हूँ। मैं केवल आम आदमी का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदया, सबसे पहले मैं बजट की पृष्ठभूमि पर कुछ कहना चाहूंगा। पृष्ठभूमि जैसा कि 'इकोनॉमिक सर्वे' में दर्शाया गया है, औद्योगिक उत्पादन में 1999-2000 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में वर्ष 2000-01 में विकास दर पर्याप्त रूप से कम अर्थात केवल 5 प्रतिशत दर्ज की गई। यह धीरे-धीरे कम हुई है। निर्माण व विद्युत दोनों क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 में विकास दर क्रमश: 5.3 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की।

विनिर्माण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया- सभी क्षेत्रों में धीरे-धीरे मंदी आई है और पिछले वर्ष तो यह अधिकतम अनुपात तक पहुंच गई है। इस बजट की यही पृष्ठभूमि है।

विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर गिरकर 2.4 प्रतिशत रह गई। जो पिछले साल उसी अवधि के दौरान दर्ज की गई 6 प्रतिशत की विकास दर से बहुत ही कम है। पिछले वर्ष में 6 प्रतिशत से गिरकर अब यह 2.4 प्रतिशत रह गई है। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर पिछले 10 सालों में सबसे कम थी।

इसी प्रकार विद्युत उत्पादन की विकास दर 2.7 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान दर्ज की गई। 4.8 प्रतिशत की विकास दर से बहुत ही कम थी और यह भी पिछले 10 सालों के दौरान सबसे कम थी। यही पृष्ठभूमि है, जहां हम अब खड़े हैं। अब मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। किंतु अन्य आंकड़े भी हैं।

मैं अब संरचना क्षेत्र पर आता हूं जिसके बारे में बजट भाषण और अन्य चर्चाओं के दौरान काफी कुछ कहा गया है। हम इसमें क्या देखते हैं? संरचना का कार्यनिष्पादन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन को ही दर्शाता है। 'इकोनॉमिक सर्वे' में यही कहा गया है। संरचनागत निवेश छह प्रमुख संरचनागत उद्योगों-कोयला उद्योग, विद्युत, कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात और सीमेंट की बिक्री द्वारा आंका जाता है। 100 के आंकड़े को आधार मानकर वर्ष 1993-94 में 26.7 प्रतिशत को समग्र औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा मानते हुए समग्र औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 6.8 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान विकास दर केवल 2 प्रतिशत दर्ज की गई।

छ: प्रमुख अवसंरचना उद्योगों में से; सीमेंट उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष उसी अवधि में 2.1 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा की गई है। इसी में यही वृद्धि हुई है। विद्युत, इस्पात, शोधन आदि

में वृद्धि दर में गिरावट आई है। अप्रैल से दिसंबर 2001-02 के दौरान पेट्रोलियम में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसका दोष सामाजिक-आर्थिक प्रबंधन कार्यक्रम, आदि को दिया गया है। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो यह आर्थिक परिदृश्य था। इस बजट से आर्थिक विकास में सकारात्मक वृद्धि करने या मंदी को रोकने और आगे विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई दिशा नहीं मिलती।

इस पृष्ठभूमि में, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, 'मंदिर शिलादान' पर सामाजिक तनाव अपने चरम पर था। सरकार द्वारा जानबूझकर, मंदिरों, मस्जिदों या अन्य पवित्र स्थलों के निर्माण में भाग लेने आदि की घटनाएं हो रही थीं। जैसा मंदिरों के मामले में किया गया है वैसा ही अन्य पवित्र स्थलों के बारे में भी किया जाना चाहिए। पूरे देश में बड़ा तनाव फैल गया था। कृपया जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था उस दिन का 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' देखें। बजट दूसरा मुद्दा था। उसमें पहली खबर थी, ''गुजरात बर्न्स, टाउन्स अन्डर सीज''। कृपया प्रस्तुत किये जाने के अगले दिन अर्थात 2 मार्च का समाचार पत्र देखें। उसके बाद बजट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। आम तौर पर बजट वाले दिन और अगले दो या तीन दिन तक मीडिया के लोग स्वयं को बजट पर चर्चा करने में समर्पित किए रहते हैं। इस बार उस पृष्ठभूमि के कारण ऐसा नहीं हो सका जो मैंने अभी स्पष्ट किया है। बजट चर्चा का प्रमुख विषय होना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी 'कलह' के दौरान बजट प्रस्तुत किया गया। सामान्य बजट और रेल बजट में पूंजीपतियों और भू-स्वामियों को फायदा पहुंचाते हुए अर्थव्यवस्था के केवल एक पक्ष पर ही ध्यान दिया गया है। बजट में घोषित किया गया राजस्व का प्रत्येक उपाय पहले से ही गरीब जनता पर अधिकाधिक भार डालने और पूंजीपतियों और बड़े भूस्वामियों को रियायतें देने के लिए किया गया था।

गत कुछ वर्षों से पहले दौर के सुधारों के नाम पर यह सब बड़े व्यवस्थित तरीके से किया गया था और अब यह दूसरी पीढ़ी के सुधारों के रूप में किया जा रहा है। पहली पीढ़ी के सुधारों के तुलन पत्र का क्या परिणाम निकला है? आर्थिक सर्वेक्षण में पहली पीढ़ी के सुधारों के तुलनपत्र की व्याख्या की गई है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ विशेषताओं की व्याख्या की गई है। कुछ मुख्य विशेषताओं की व्याख्या उन जन आंदोलनों के रूप में सामने आ रही है जो देश भर में सरकार द्वारा लोगों के विरुद्ध उठाए गए कड़े आर्थिक उपायों के विरोध में किये जा रहे हैं।

लोगों पर क्रूर हमले हुए हैं। बजट प्रस्तावों में क्या कहा गया है? इनमें उत्पाद शुल्क में कुल 6,700 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव है। 2,200 करोड़ रुपये के शुल्क कम किए गए हैं। इसमें एल.पी.जी. के सिलेंडर में 20 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की कीमत में 1.50 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। डाक शुल्क में 20 से 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें उर्वरकों पर राज सहायता में कमी की गई है। रेल किरायों में वृद्धि की गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आय कर पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य निधि और अन्य लघु बचतों पर ब्याज दर में कमी ने आग में घी डालने का काम किया है। ये बजट प्रस्ताव देश में फैले सामाजिक तनाव की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए गए हैं।

अब जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो गुजरात में आग अभी बुझी नहीं है। वह अभी भी जल रहा है।

यह देश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य से संबंधित है। यह हमारे चर्चा करने के विवेक से संबंधित है अर्थात् क्या हम ऋण के जाल में फंसने जा रहे हैं या नहीं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में हमें आश्वस्त किया है कि हालांकि ऐसा होने का खतरा तो है परंतु सरकार ने इस स्थिति को टालने हेतु जो उपाय किए हैं उनसे ऋण के जाल में फंसने का खतरा टल गया है।

यह तानाशाही शासन है जिसमें सर्वसम्मति पर आधारित निर्णयों की कोई भूमिका नहीं है। हमने लक्ष्यों और मुद्दों को भुला दिया है और मंत्रियों द्वारा विभिन्न मुद्दों अनर्गल भाषणों और अलग-अलग बयान दिये जाने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का गहन विश्लेषण करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है।

इस शोरगुल में, एक ओर तो निजी कारपोरेट और विदेशी पूंजी के लिए अनेक नई रियायतें दी गई है। कुछ भी मिनट पूर्व मेरे साथी ने कहा था कि उनके खराब कार्य-निष्पादन के बावजूद एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। गत वर्ष के बजट में उन्हें 16,000 करोड़ रुपये की रियायतें दी गई थीं। इस बार भी उन्हें 40 से 48 प्रतिशत तक की और अधिक रियायतें दी गई हैं। उन्हें नये संयत्रों और मशीनरी के लिए भी 15 प्रतिशत मूल्य ह्रास की अनुमति दी गई है। अप्रवासी भारतीयों को पूरी स्वतंत्रता और 'आजादी' दी गई है। चाहे कोई भी अप्रवासी भारतीय हो, जब भारतीय धन खाड़ी के देशों में ले जाया जाए और वहां से वापस भारत में लाया जाये तो वह एक अप्रवासी भारतीय द्वारा किया गया निवेश बन जाता है। अत: किसी व्यक्ति को केवल इतना करना है कि वह भारत से धनराशि खाड़ी के देशों में ले जाए और वहां से अप्रवासी भारतीय के रूप में रियायतें लेने हेतु वापस आ जाए। यही सब हो रहा है। मेरे विचार से बजट भाषण या बजट प्रस्तावों

[श्री तरित बरण तोपदार]

में कुछ अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने हेतु अपनाई जा रही ऐसी सन्देहास्पद पद्धति पर रोक लगाने हेतु कोई उपाय नहीं किया गया है। इसी में आगे और अधिक चिंता की बात यह है कि 50 और मदों को लघु-उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित सूची में से निकाल दिया गया है। इससे केवल विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित एकाधिकार वाले घरानों को लाभ मिलेगा और लघु उद्योग क्षेत्र को किनारे किया जायेगा।

मैं सुधारों के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। संस्कार क्या संहार के लिए होगा? सुधार देश और देश के लोगों के हित में किए जाने चाहिए। ये सुधार ऐसी सम्पत्ति को व्यर्थ लुटाने हेतु नहीं किये जाने चाहिए जो हमने उस समय संचित की थी जब निजी क्षेत्र ने उन वित्तीय कठिनाइयों के कारण, जिनका मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता, प्रमुख उद्योगों में प्रवेश नहीं किया था। अब जब सब चीजें सही हैं, चाहे वह विनिर्माण का क्षेत्र हो या आधारभूत ढांचे का, ये सभी उन पूंजीपतियों को औने-पौने दाम पर वापस दिये जा रहे हैं जो एक समय यह सब करने को अनिच्छुक थे। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मूल्य निर्धारित तंत्र बहुत दोषपूर्ण है।

महोदया, मैं कुछ ही मिनटों में समाप्त कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके पास केवल दो मिनट का समय है।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदया, वर्ष 2000 की स्थिति के अनुसार निगमित घरानों पर आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। इनमें से अधिकांश बड़े निगमित घराने है। यही निगमित लॉबी गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों मे 80,000 करोड़ रुपये भी डकार गई है, जोकि ब्याज सहित 1,20,000 करोड़ रुपये की राशि बनती है। अत: यह कुल धनराशि 1,82,000 करोड़ रुपये बनती है। एक ओर, सरकार संगठित क्षेत्र के गरीब-कुशल और अकुशल-श्रमिकों को कर की परिधि में ला रही है और दूसरी ओर, सरकार इन कर अपवंचकों से यह धनराशि वसूल करने हेतु कदम नहीं उठा रही है। अत: आम आदमी पर कर लगाया जा रहा है और कर अपवंचकों को नहीं पकड़ा जा रहा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार: इस सन्दर्भ में, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक में कुछ संशोधन रखते हुए अभी इस सदन को यह बताया है कि 4,10,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय बजट की तुलना में 2,000 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 4,10,000 करोड़ रुपये के व्यय बजट की तुलना में 6,000 करोड़ रुपये भी एक छोटी सी धनराशि है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन मांगों को मान लें और अतिरिक्त कराधान को वापस ले लें।

सभापति महोदय: श्री तरित बरण तोपदार, आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा। आपके दल को केवल 29 मिनट का समय मिला है। आप पहले ही 25 मिनट का समय ले चुके हैं। अगले वक्ता को समय नहीं मिलेगा। यह उनके साथ न्याय नहीं है। आपके दल के दो वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: महोदया, मैं इस अपील के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी आम लोगों को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों को वापस लें और कारपोरेट पर कर लगाने और कर अपवंचकों को दण्ड देने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देश बड़े विकट संकट से गुजर रहा है। इस देश में कड़े निर्णय होने चाहिए, लिए जाने चाहिए, यह देश के हित के लिए होगा। भले ही तात्कालिक तौर पर कठोर किसी खास वर्ग को लग सकता है, कठिनाई हो सकती है लेकिन देश को दुनिया में एक अच्छी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, वह बहुत ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से यह सरकार कर रही है, वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। निस्संदेह हमें उन पर गर्व है कि बावजूद इसके कि जो कदम वे उठा रहे हैं, उससे कुछ खास वर्गों में आक्रोश होता है। मगर जब वे समझते हैं, उनको जब जानकारी होती है कि आज देश की क्या डिमांड है, आर्थिक स्थिति जो लचर हो गई थी, उसे सुधारने की आवश्यकता है, तो उससे लगता है कि यह निर्णय आवश्यक है। भले ही आज कठोर निर्णय दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम राष्ट्र के हित में होने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग जनता में इस बात को लेकर जा रहे हैं कि इन निर्णयों का तात्कालिक परिणाम भले ही थोड़ा खराब दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वह भयावह नहीं है, उत्साहवर्धक है। आज हमारा देश दुनिया के चार सबसे बड़े

अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। यह इस सरकार की उपलब्धि है। खासकर वित्त मंत्री महोदय के लिए बहुत ही पोजिटिव साइन है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए।

देश में कुछ बुनियादी चीजें है, जो सभी के लिए जरूरी हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें बताया जाता था कि मनुष्य के लिए बुनियादी चीजें भोजन, वस्त्र और आवास है। आज भोजन के मामले में हम सरप्लस है। यहां वस्त्र मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज हमें सस्ता और सुलभ वस्त्र प्राप्त हो रहा है। आवास का निश्चित तौर से संकट था। लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस सरकार ने इस दिशा में उत्साहवर्धक कदम उठाए हैं और इस सेक्टर को बूस्टअप किया है। आवास को जो वित्तीय सहायता दी गई है, उससे गरीबों में, देहात में रहने वाले लोगों में आवास निर्माण के प्रति जागरूकता जगी है। अब लोगों को लोन मिलने में सुविधा हो रही है और कम सूद पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। हमें लगता है कि निश्चित तौर से दो-तीन सालों में आवास के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सब लोगों को घर मिलेगा और सिर छिपाने के लिए छत मिलेगी। हम लोग जब अपने इलाकों में जाते हैं, गांवों में जाते हैं, तो लोग आवास की समस्या बताते हैं। लेकिन अब हम निश्चित तौर से दावा कर सकते हैं इस क्षेत्र में वित्त मंत्री जी काफी उदार रहे हैं। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश गया है। लोग अनुभव कर रहे हैं कि घर का संकट भी दूर हो रहा है। पहले हमारा लक्ष्य था कि एक साल में हम 20 लाख घर बनाएंगे। लेकिन यह खुशी की बात है कि उसको बढ़ाकर अब 28 लाख गृह निर्माण का लक्ष्य कर दिया गया है। सही मायनों में वित्त मंत्री महोदय और आवास मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे ऊपर माननीय प्रधान मंत्री बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एक साल में 20 लाख घर देने का वादा किया था और उसे बढ़ाकर 28 लाख घर कर दिया। उसमें 30 प्रतिशत ग्रोथ की गई है। इसी तरह मे इंदिरा आवास योजना के लिए भी जो लक्ष्य रखा गया था, उसको भी बढ़ाया गया है और राशि को भी बढ़ाया गया है। भोजन, वस्त्र के बाद अब देश के गरीब लोग जो बिना घर के रहते थे, घर पा सकेंगे।

वित्तीय प्रक्रिया के माध्यम से जो फिस्कल डैफिसिट है, उसको कम करने का प्रयास किया गया है। यह आज काफी बड़ा संकट है। मैं इसको फिगर्स द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। नान प्लान एक्सपेंडिचर में 1990-91 में इंटरेस्ट पेमेंट 28 प्रतिशत था। 1995-96 में वह 38 प्रतिशत हो गया। यह दस प्रतिशत ग्रोथ 1996 में हुई। उस समय सरकार में कौन लोग बैठे हुए थे, यह हम सब जानते हैं। यह सरकार और वित्त मंत्री कोई सांताक्लोज नहीं हैं कि सबके लिए गिफ्ट लाएंगे। यह देश कौटिल्य का है, चाणक्य का है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में माना जा रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी सांताक्लोज की तरह काम न करें जो सबको गिफ्ट देते रहें और अपना घर लुटा दें, देश को लुटा दें। यह नहीं होने वाला है क्योंकि यह देश कौटिल्य का है। चाणक्य और कौटल्य की जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से यह देश चलेगा क्योंकि उसका दूरगामी असर पड़ने वाला है। सरकार को कुछ कड़े निर्णय करने पड़ रहे हैं जिनसे कभी-कभी जनता को कष्ट सहना पड़ता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि 1991 से 1996 तक जो इंटरेस्ट पेमेंट पर 28 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की ग्रोथ हुई थी, यह चिंताजनक बात है। हमारी सरकार ने इतने दिनों के बाद भी केवल दो प्रतिशत जो चालीस प्रतिशत अभी जिस तरह से खर्च हो रहा है, उसको हमने स्टेबल करके रखा है। यह बहुत बड़ी बात है कि उनको कितना प्रयास करना पड़ता होगा, हम जानते हैं। हम सब एमपीज जो दो करोड़ रुपया खर्च करते हैं, कितनी परेशानी होती है, हमारे क्षेत्र में ही कितने लोग हमसे नाराज होते हैं। इसी प्रकार से इस बात का अंदाजा हम कर सकते हैं कि इनको भी कितनी परेशानी होती होगी।

सब्सिडी के मामले में भी हम एक मौलिक प्रश्न करना चाहेंगे कि सब्सिडी जिनके लिए निमित्त है, क्या उन तक पहुंच पाती है? यह बड़ा अहम प्रश्न है क्योंकि जो सब्सिडी की डिलीवरी होती है, जो राज सहायता है, सब्सिडी जिनको मिलनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बिचौलिये एक बहुत बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। इसीलिए जो ब्रोकर है, जो मिडिल-मैन हैं, वे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हजम कर जाते हैं। इसीलिए एक निश्चित रूप से री-थिंकिंग होनी चाहिए कि सब्सिडी के बदले में कुछ उपाय किये जाएं या जिनके लिए यह सब्सिडी निमित्त है, यह उनको ही पहुंचे, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। इसीलिए सब्सिडी सिस्टम एक बार फिर कटघरे में खड़ा है कि जिन गरीबों, किसानों और मजदूरों की बात की जाती है, उन तक वह सामान कैसे पहुंचे? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अब कृषि उत्पादों के लिए है और कृषि राज्य का विषय है लेकिन कृषि सामग्री या कृषि उत्पादों की देश में मार्केटिंग कैसे हो, इसके बारे में पहली बार किसी वित्त मत्री ने चिंता की है और ऐसे राज्य जो इस दिशा में अच्छा काम करेंगे, उनको इंसेन्टिव देने की बात भी कही गई है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पहली बार किसी वित्त मंत्री ने यह चिंता व्यक्त की है और केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि आधारभूत संरचनाओं और पॉवर सैक्टर के लिए चिंता की है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कदम उठाये जा रहे हैं, निश्चित रूप से इन कदमों की सराहना होनी चाहिए और साथ-साथ वित्त मंत्री जी को यह चिंता छोड़नी चाहिए कि राज्य में वैस्टेड इंटरेस्ट के लोग क्या चाहते हैं।

[डा. संजय पासवान]

मध्यम वर्ग की आय के लोग बहुत दुखी है, ये कितने प्रतिशत हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन मध्यम वर्ग के लोग हैं? क्या ये वे मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी आय पांच लाख रुपये सालाना है। आखिर मध्यम वर्ग के कौन लोग हैं? आज दुनिया भर में इंडिया को सर्वाइव करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में इंडिया को नं. वन पर आना है। इसलिए यह भी डिफाइन करने की आवश्यकता है कि ये मध्यम वर्ग के कौन लोग हैं? खासकर नौकरी-पेशे में जो लोग हैं, वे बड़ी हायतौबा मचाते हैं।

हम मानते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी लाबी काम कर रही है, लेकिन खेत में जो काम करने वाले हैं, नौकरी में है या नौकरी के बाहर, उन लोगों की चिन्ता कौन करेगा। इसलिए सरकार को भी और ब्यूरोक्रेट्स को भी माइंड सैट करना पड़ेगा और विचारों में परिवर्तन करना होगा। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना होगा। शुरुआत में परेशनी हो सकती है, लेकिन जो प्रयास सरकार कर रही है, उससे देश को दूरगामी लाभ होगा। सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन करते हैं।

महोदय, वित्त विधेयक के क्लाज-126 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस को डिफाइन करने की बात कही गई है। कान्प्रिहैंसिव बनाने की बात कही गई है। इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। अब स्थिति यह है कि एग्जिक्युटिव को पावर दी गई है, ताकि कन्फ्युजन को खत्म किया जा सके। सरकार के इस प्रयास का भी हम समर्थन करते हैं। इसी प्रकार क्लाज-128 में भी एग्जैम्पशन की बात है। इस क्लाज में रिबेट कैसे दिया जाता है, उसमें भी निश्चित रूप से पारदर्शिता की बात कही गई है। इसके लिए भी एग्जीक्युटिव को एकाउन्टेबल बनाया है। इस कदम का भी हम समर्थन करते हैं और सदन को भी समर्थन करना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से जुडिशियरी में न पड़ कर केसेज को जल्दी से जल्दी डिसपोज करने की बात है। जल्दी एक्सपिडाइट करने की बात है। क्लाज-134 में कहा है, कोर्ट में जो केसेज पैंडिंग पड़े हुए हैं, पांच-दस सालों से मामले तय नहीं होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि 180 दिनों के अन्दर मामला तय हो या न हो, आर्डर को माना जाएगा। अधिकारों का हनन नहीं होगा। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है, उसके दूरगामी लाभ देश को होंगे और देश का हित होगा।

कहा जा रहा है, लीकर के दाम कम हो गए हैं। हम लोग तो प्रज्ञा पीने वाले हैं। अधिकांश मात्रा में जो पीने वाले हैं, वे ही ज्यादा इसके बारे में कह रहे हैं। दाम कम होने पर मन-ही-मन खुश हो रहे हैं। मंत्री जी ने गैस के दाम भी वापिस लिए हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूं, अगर मंत्री जी को इससे भी कठोर निर्णय करना पड़े, तो देश की जनता उनके साथ है। दल से राष्ट्र ऊंचा है और राष्ट्र के हित में कठोर निर्णय करने पड़े, तो हम उनके साथ हैं।

जनता भी इनके साथ रहेगी, उन्हें हम इस लायक बनाएंगे और जाकर कहेगे। आज स्थिति यह है कि लोग कहते हैं कि इनफ्लेशन रेट कम हो गया है। इनफ्लेशन रेट कम हो गया है, उसका संबंध सीधे इंटरेस्ट रेट से है। अगर इंटरेस्ट रेट भी हम बढ़ाते जाएं, इनफ्लेशन रेट कम हो रहा है, इनफ्लेशन को ध्यान में रख कर पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, अब इनफ्लेशन कम हो रहा है, निश्चित तौर से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कम हो रहा है-चाहे वह डोमेस्टिक सेविंग्स पर हो, बैंक की सेविंग्स पर हो या पीएफ की सेविंग पर हो, तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। लोग देर-सवेर मानेंगे, जिन लोगों ने इनफ्लेशन के बढ़े हुए रेट का बढ़ा हुआ इंटरेस्ट लिया था। आज वे देखेंगे कि इनफ्लेशन रेट घट रहा है और आगे भी घटता रहेगा।

वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। वे देश के हित के साथ चल रहे हैं, हम सब और देश की सारी जनता भी इस कदम में उनके साथ है। मैं इस फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं और आशा एवं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर से इससे देश को लाभ होगा तथा राष्ट्र को भी लाभ होने वाला है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदया, मैंने भी माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ क्षेत्रों में उनसे कर प्रस्तावों को वापस लेने का अनुरोध किया था। मैं साइकिल के अतिरिक्त पुर्जों और उपसाधनों, छातों के उपसाधनों और पुर्जों, छत की टाइलों पर उत्पाद शुल्क में कमी और जीवन बीमा से संबंधित मामलों में सेवा कर वापस लेने के उनके प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। ये सभी स्वागत योग्य कदम है। इन करों का प्रस्ताव पहली बार नहीं किया जाना चाहिए था, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि श्री यशवन्त सिन्हा ने देर से ही सही लेकिन बुद्धिमता का परिचय तो दिया। वस्त्र के क्षेत्र में धागों के लच्छों पर उत्पाद शुल्क लगाने का उनका प्रस्ताव बहुत गलत था। हालांकि जिस भाषा में उन्होंने इसे वापस लिया है उससे यह और दुरुह हो जाता है क्योंकि उन्होंने सूती अपशिष्ट धागे को दो धागों तक सीमित कर दिया है तथापि मैं यह आशा करता हूं कि इससे धागे के लच्छों से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया, हालांकि इन्होंने कोन यार्न पर उत्पाद शुल्क के बारे में कुछ नहीं किया है। वस्त्र उद्योग क हालत को देखते हुए, विशेषतया विकेन्द्रीकृत क्षेत्र जिस तनाव से गुजर रहा है, मेरे विचार से सरकार को सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में अपनी पूरी

नीति की पूर्ण रूप से समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जिस विशेष पैकेज का उल्लेख किया है उसमें कई वर्तमान पैरामीटरों की गंभीरता से नहीं लिया है और इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है कि (क) पूरे वस्त्र उद्योग के सम्मुख चाहे वह मिल क्षेत्र हो या विकेन्द्रीकृत क्षेत्र एक गहरी मन्दी की स्थिति है (ख) वस्त्र क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के कारण इस क्षेत्र में बहुत से नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। अत: मैं हमारे सामने आने वाले वर्ष 2002-03 के लिए सरकार से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि वह सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी चीजों की व्यापक रूप से समीक्षा करे। ऐसा मिल क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र, जिनमें वित्तीय मामले समस्या का एक भाग हैं पूरी समस्या नहीं, दोनों में किया जाना चाहिए। अगले बजट तक सरकार को इस क्षेत्र को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां यह डब्ल्यू.टी.ओ. की चुनौतियों से घबराने के बजाय वर्ष 2004 से इसके सम्मुख आने वाले अवसरों का लाभ उठा सके। पहले ही बहुत देर हो चुकी है परन्तु ऐसा भी नहीं है कि जिसका उद्धार अब भी ऐसा किया जाना संभव है। संयोगवश वस्त्र मंत्री सदन में उपस्थित हैं और हालांकि वित्त मंत्री स्वयं सदन में उपस्थित नहीं हैं परंतु उनके योग्य उप-मंत्री यहां हैं और कदाचित दोनों में से कोई एक इस बात की ओर ध्यान केन्द्रित कर सके जिसका कि सूती वस्त्र क्षेत्र, विशेषकर विकेन्द्रीकृत सूती वस्त्र क्षेत्र, अधिकारी है। इस संबंध में मुझे संदेह है कि वित्त मंत्री ने अपने इस सुबह दिए नवीनतम वक्तव्य में तैयार सूती वस्त्र के संबंध में जो कुछ प्रस्तावित किया है। वह पर्याप्त नहीं है। हमें वर्तमान उत्पाद शुल्क, जो कि अभी बहुत अधिक है, को कम करने की आवश्यकता है जिससे कि इस उद्योग को संकट की स्थिति से निकाल कर आगे बढ़ाया जा सके।

वित्त मंत्री ने हमारे निर्यात के एक महत्वपूर्ण घटक सिले-सिलाए वस्त्रों के संबंध में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। तैयार वस्त्र के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है उसके साथ इतनी सारी शर्तें लगा दी गई हैं कि वह रंगाई (पैडिंग), नम बनाने (डैंपिंग) और फ्लालौन लगाने जैसे प्रसंस्करण कार्यों तक ही सीमित हो गया है; इसमें प्रसंस्करण से संबंधित अन्य कार्य सम्मिलित नहीं हैं, यह केवल हाथ से तैयार किए गए सूती कपड़े के लिए है, उसमें भी केवल स्वतंत्र उत्पादकों के लिए और उसमें भी केवल उन उत्पादकों के लिए जो 'ओपन-एयर' स्टेनटोरस' आदि का उपयोग करते हैं। इन सब शर्तों से इस प्रस्ताव में इतना अवरोध आ गया है कि इससे कुछ को ही लाभ होगा न कि समग्र रूप से पूरे उद्योग को। इस पर बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कृत्रिम रेशा उद्योग वैसे भी सूती वस्त्र उद्योग पर छाता चला जा रहा है।

सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान मैंने हस्तक्षेप करते हुए सूती वस्त्र उद्योग द्वारा 1980 के दशक में दर्ज की गई वृद्धि की तुलना में 1990 के दशक में इस उद्योग के सम्मुख आए खतरे का उल्लेख किया था। अत: मैं सामान्यतया इस बात पर जोर देते हुए यह अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस संबध में कुछ स्वागतयोग्य कदम उठाए हैं फिर भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय वस्त्र मंत्री जी एक साथ मिलकर बैठेंगे और 2003 के बजट से पूर्व ही एक ऐसा पैकेज लेकर आएंगे जो केवल एक वित्तीय पैकेज ही नहीं होगा उससे कहीं अधिक होगा।

महोदया अब मैं एक ऐसे क्षेत्र को लेता हूं जिस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कतई ध्यान नहीं दिया है और वह क्षेत्र है, चाय। चाय उद्योग संकट में है। यह एक ऐसा उद्योग है जो संतोष मोहन देव के असम से शुरू होकर नीचे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था के इतिहास की शुरुआत में बहुत तेजी से प्रगति की थी और अब अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुरूप घरेलू उपाय न किये जाने के कारण गंभीर संकट की स्थिति में है। यहां मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ चुनिंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि दो सोमवार से पहले इन पर विचार कर लेंगे, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं भी कर सके तो भी मुझे आशा है कि वे इन्हें अपने विचाराधीन रखेंगे जिससे कि इसी वर्ष फिर किसी समय हम चाय उद्योग पर ध्यान दे सकें। मेरे सुझाव इस प्रकार हैं।

चाय विकास खाते से संबंधित धारा 33कख के अनुसार राजस्व व्यय निर्गमित करने और पूंजी व्यय निर्गमित करने के बीच भेद है। लेकिन वस्तुत: यदि आप इन दो बड़े-बड़े शब्दों के परे देखें तो आप पाएंगे कि राजस्व व्यय में सम्मिलित मदें और पूंजी व्यय में सम्मिलित मदें दोनों ही चाय उद्योग को पुनरुज्जीवित करने हेतु आवश्यक है। इस प्रकार पौध लगाने, छंटाई करने, आपूर्णन करने और अवयस्क झाड़ियों की देख-रेख करने आदि कार्य राजस्व खाते में आते हैं जो कि कम से कम पूंजी व्यय जितने ही महत्वपूर्ण हैं जिसके अंतर्गत पौधरोपण का विस्तार, संयंत्र और मशीनें और श्रमिक आते हैं। अत: कृपया इस पूर्णतया कृत्रिम भेद को समाप्त किया जाए और चाय विकास खाते को चाय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जाए।

महोदया, इसके पश्चात धारा 33कख की उपधारा में चाय विकास खाते से राशि जमा करने और निकालने पर समय संबंधी प्रतिबंधों के संबंध में एक प्रावधान है। ये सब चीजें उस बीते समय की हैं जब चाय उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज के समय में चाय उद्योग तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। अत:,

[श्री मणिशंकर अय्यर]

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री से परामर्श करके चाय बोर्ड और भारत सरकार को साथ लेकर ऐसी योजना बनाएं जिसके अंतर्गत नए पौधे लगाए जाएं और उन पौधों के बड़े होने की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, जब वे लाभ देने की स्थिति में आएंगे, एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे धारा 33कख की उपधारा (1) के अंतर्गत राशि जमा करने और निकालने पर लगी वर्तमान समय संबंधी पाबंदी समाप्त हो जाए।

महोदया, चाय के मामले में ही यदि आप आयकर नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित धारा 88 जग पर भी नजर डालें तो पता चलता है कि जब तक धारा 88जग के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का संबंध नियम (1) के प्रावधानों से वास्तव में अलग नहीं किया जाता, तब तक चाय निर्यातकों और चाय उत्पादकों को छूट का पूरा लाभ नहीं मिलेगा जो कि वित्त मंत्री स्वयं इस उद्योग को देना चाहते हैं। इसके अलावा हमें निर्यात से प्राप्त आय पर 100 प्रतिशत छूट वापस देनी होगी क्योंकि एक समय में हमारे निर्यात उद्योगों में यह उद्योग प्रमुख उद्योग था किंतु अब इस उद्योग को न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अन्य प्रतियोगियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इसे घरेलू बाजार में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगियों से चुनौतियां मिल रही हैं जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था में आने की अनुमति दी गई है।

दूसरे शब्दों में, यह चुनौती चाय के अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों के साथ-साथ चाय के सार्क निर्यातों से भी मिल रही है। इसके लिए हमें एक सर्वथा नया दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि, इस असाधारण रूप से महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग को-जैसा कि मैंने अभी एक मिनट पहले कहा है कि यह उद्योग तमिलनाडु व केरल से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है-उतना महत्व तो मिल रहा है जितना कि इसे मिलना चाहिए किंतु इसे पिछले कुछ समय से यह महत्व नहीं मिल रहा था।

महोदया, इस मामले पर पूर्व विचार कर चाय उत्पादकों व निर्यातकों के निगमित आयकर की दरों में कमी करने की आवश्यकता है। यह मामला वित्त मंत्री की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उदाहरण के लिए आप चाय उत्पादकों पर लगने वाले राज्य कृषि आयकर को ही लीजिए। असम और प. बंगाल में यह 45 प्रतिशत है और त्रिपुरा में यह 65 प्रतिशत है। हमारा काम राज्य सरकार से इन करों में कमी करने का अनुरोध करना नहीं है बल्कि यहां संसद में हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्रीय कर का बोझ जिसका वहन राज्य पहले से ही कर रहा है। इतना अधिक न हो जाए कि इस विशेष उद्योग को ही समाप्त कर दे।

इसके बाद उपकर हैं। एक है स्टेट ग्रीन लीफ सैस और दूसरा है 1953 का केन्द्रीय चाय उपकर अधिनियम। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सभा में हम स्टेट ग्रीनलीफ सैस पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं किंतु हम कम से कम 1953 के चाय अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए केन्द्रीय उपकर से तो पूरी तरह छूट प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सन् 1953 करीब 50 वर्ष पहले आया था और लगभग आधी शताब्दी पहले चाय उद्योग में आई तेजी, मंदी के चलते इस शताब्दी के बदलते-बदलते एकदम विपरीत हो गई हैं।

महोदया, दार्जिलिंग में तो केन्द्रीय उपकर में रियायत दी गई है किंतु श्री संतोष मोहन देव के निर्वाचन क्षेत्र की बराक घाटी और त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में उगने वाली चायों को यह रियायत नहीं दी गई है। यह सर्वथा अनुचित है कि इन पर दार्जिलिंग की अपेक्षा अधिक कर लगाया गया है। इसी प्रकार, बिक्री कर के मामले में भी चाय को आवश्यक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। क्योंकि, वित्त मंत्री भी चाय का कप पिए बिना अपनी आंखे नहीं खोल पाते हैं। यह एक आवश्यक वस्तु है। गांवों-देहातों में हम लोग चाय पीते देखते हैं। यदि आप चाय को आवश्यक वस्तु के रूप में लें तो आप देखेंगे कि दूसरी आवश्यक वस्तुओं की ही तरह इस पर भी न्यूनतम बिक्री कर लगाया जा सकता है।

जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध है, चाय बैगिंग मशीनों पर से आयात कर तथा आयातित फिल्टर पेपर से उत्पाद शुल्क को कम करना बहुत ही जरूरी है। हमें इसे मूल्यवर्धित करना है और केवल बैग में बंद करके, जो बल्क में निर्यात करने से भिन्न है, निर्यात करने से हमारी निर्यात आय इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे ख्याल से वित्त मंत्री इसका श्रेय श्री मारन को न देकर स्वयं लेने लगेंगे या दोनों ही इसका श्रेय लेना चाहेंगे कि हम केवल बल्क चाय का निर्यात नहीं करते बल्कि अब हम बैगबंद चाय के निर्यात में भी सबसे आगे हैं।

इस संदर्भ में, मैं समझता हूं कि सार्क (एस.ए.ए.आर.सी.) देशों के बीच आर्थिक एकीकरण होना आवश्यक है लेकिन चाय उत्पादकों पर अत्यधिक भार नहीं होना चाहिए, नेपाल से आने वाले आयात की मात्रा तथा वहां के चाय के उत्पादन में बहुत कम संबंध है। अत: नेपाल से आयातित सामान पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्ध पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसे कम करना चाहिए और साथ ही श्रीलंका से आयात का क्या प्रतिकूल असर पड़ा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को मैं बन्द नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह इस तरह से हो की उससे सबको लाभ हो। वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारी कीमत पर कुछ देशों को लाभ पहुंचाये। संभवत: इसका उत्तर आयातित चाय के पी.एफ.ए. मानकों पर गौर करने में हो। विकसित

देशों की तरह हमें भी आधुनिकतम बनना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री से यही मेरा अनुरोध है और स्पष्टत: यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में उन्हें विदेश तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ परामर्श कर कदम उठाने होंगे।

अब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज-जोकि स्वर्ण आभूषण है, का जिक्र करना चाहूंगा। महोदया, मुझे विश्वास है कि ये आपको भी अच्छे लगते होंगे।

सभापति महोदय: आप हमेशा उस वस्तु में रुचि लेते हैं, जिसमें महिलाएं रुचि रखती हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: दुर्भाग्यवश आज मशीन से निर्मित स्वर्ण आभूषण हाथ से बने स्वर्ण आभूषणों का स्थान ले रहे हैं। हाथ से बने स्वर्ण आभूषण न केवल सुंदरता की दृष्टि से अपितु कलात्मक दृष्टि से भी अत्यधिक उत्कृष्ट होते हैं। इतना ही नहीं इसको अत्यधिक तादाद में गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मशीन से निर्मित स्वर्ण आभूषणों के उत्पादक बेझिझक अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि हाथ से बनाने वाले उत्पादक अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अत: हमारा सुझाव है कि मशीन से निर्मित स्वर्ण आभूषणों पर कम से कम 16 प्रतिशत उत्पाद कर लगाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अनुमानत: श्री यशवंत सिन्हा जी को अतिरिक्त 2,500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त हो सकते हैं और यह राशि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर होने वाले व्यय के समान है। वह मशीन निर्मित स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद शुल्क लगा सकते हैं और इससे 2,500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं, साथ ही हाथ से बनाने वाले स्वर्ण आभूषण उत्पादकों को बने रहने का भी अवसर प्रदान कर सकते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): आप दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर: आप यह अन्तर इसका उत्पादन करने वाली इकाई के स्तर पर तथा जिस स्थान पर इसका उत्पादन हो रहा है वहां पता लगा सकते हैं। स्पष्ट है कि मयिलादुतुरई में मशीन निर्मित स्वर्ण आभूषण नहीं हैं जबकि मुम्बई या सूरत में पूरी तरह उसी पर आधारित है। इस तरह इन जगहों पर ऐसी-ऐसी इकाईयां हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इनमें अन्तर करने के तरीके हैं। वित्त मंत्री के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इसका सही उत्तर खोजें। मुझे विश्वास है कि वे सूझ-बुझ और बुद्धिमानी से इस संबंध में सही उत्तर खोज सकते हैं। वह आयातित स्वर्ण आभूषणों और आयातित परिष्कृत हीरों पर भारी आयात शुल्क लगा सकते हैं। इसके साथ यदि वह स्वर्ण भंडारों को विनियमित और निरीक्षण करें तो वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल आधारों के संबंध में मौजूदा एकाधिकार की स्थिति न रहें।

वित्त मंत्री जी ने देश में गैसोहोल को बढ़ावा देने का एक असाधारण प्रस्ताव पेश किया है। यह एक असाधारण प्रस्ताव है। उन्होंने पेट्रोल पर अलग तथा इथनोल युक्त पेट्रोल पर अलग अधिभार लगाया है। लगभग 75 पैसे प्रति लीटर दोनों के बीच अन्तर है।

महोदया, जिस प्रकार आप मुझे देख रही हैं-उससे मेरा अनुमान है कि मुझे अपने समय में कटौती करनी होगी।

वित्त मंत्री द्वारा पेट्रोल पर अलग तथा इथनोल युक्त पेट्रोल पर अलग अधिभार लगाने के परिणामस्वरूप मद्य निर्माण करने वालों को 750 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। इस सबंध में मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं उन्हें वित्त मंत्री जी के पास भेजने वाला हूं। मैं यह कदापि विश्वास नहीं कर सकता कि माननीय यशवंत सिन्हा जी जैसे मंत्री अल्कोहल आधारित रसायन उद्योगों की कीमत पर मद्य उत्पादकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपये का उत्पादन करते हैं और 15,000 से ज्यादा व्यक्तियों को ये मूल आधार उद्योग रोजगार प्रदान करते हैं। ये रसायन उद्योग औषधियों और फार्मास्युटिकल्स, वस्त्र, डाईस, टायर कोर्ड, एडिसिव्स और चूड़ियों जैसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इससे मद्य निर्माण करने वालों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं समझता हूं कि मद्य निर्माण करने वाले एक राजनैतिक दल से दूसरे दल से पूछते रहते थे कि क्या उन्हें उनकी मदद चाहिए। इसलिए किसी ने यह चाल चली है। मैं विश्वास नहीं करता कि श्री यशवंत सिन्हा जी वास्तव में ऐसा चाहते थे। अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस दिशा में सावधानीपूर्वक कदम उठाएं।

महोदया, कहने को अनेक बाते हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक-दो का उल्लेख जल्दी से कर दूं।

अपराह्न 3.00 बजे

एक तो विकलांगता विषय है। 1995 में, नि:शक्तता अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत हमने वायदा किया था कि जिन नियोक्ताओं के कार्यबल में 5 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति होंगे, उन्हें रियायतें दी जाएंगी। हालांकि इसे 1995 में अधिसूचित किया गया था, सात वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि ये रियायतें क्या हैं और इसका लाभ किसी को नहीं मिला। मैं समझता हूं कि हमें विकलांगों की वजह से ये रियायतें मिली हैं।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

विशेषकर तबसे जब संसद ने सात वर्ष पहले इस अधिनियम को पारित किया था और अगले कुछ दिनों में हमें वित्त मंत्रालय से अधिसूचना मिलती है जिसमें बताया गया कि विकलांगों को रोजगार प्रदान करने पर, क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जायेंगे। हम यह भी चाहते हैं कि वित्त मंत्री विकलांगों के लिए निर्धारित आयकर छूट सीमा में वृद्धि करें। 1996 में यह 40,000 रुपये निर्धारित की गई थी। छह वर्ष के बाद मैं समझता हूं कि इसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाये, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों को जो नौकर रखने पड़ते हैं उनका वेतन 1996 से अब तक दोगुना हो चुका है। इन अटेन्डेंटों, नौकरों की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि विकलांग स्टाइल से जीना चाहते हैं, बल्कि उनकी विकलांगता के कारण उनके लिए एटेन्डेन्ट रखना आवश्यक हो जाता है।

मार्च के शुरु में 'डिस्एबल्ड राइट्स ग्रुप' द्वारा वित्त मंत्री के आवास स्थान पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया गया, कि कम्प्यूटर चिप पर तो कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया गया लेकिन विकलांगों के उपयोग हेतु वस्तुओं जैसे व्हील चेयर्स, ब्रेलर्स, हीयरिंग एड्स आदि पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया है। उस वक्त वित्त मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि वे गलत हैं और वे इन चीजों का शुल्क-मुक्त आयात कर सकते हैं। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि विदेश से केवल स्वयं आने वाले विकलांग व्यक्ति ही इन सहायक वस्तुओं को शुल्कमुक्त ला सकते हैं। इस देश में इसे आयात नहीं किया जा सकता, गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी नहीं और भले ही उनका मुफ्त वितरण ही क्यों न किया जाना हो। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी, माफ कीजिए वित्त मंत्री जी-मैंने यह सुझाव देकर गलती की कि गृह मंत्री के पास हृदय है। मुझे इसमें संदेह है लेकिन वित्त मंत्री का हृदय सही जगह पर स्थित है और वह विकलांग लोगों के साथ है। अगर वित्त मंत्री जी विकलांगों को सहायता हेतु इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान करें तो मैं उनका बहुत आभार मानूंगा।

एक दो विषय और भी हैं लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि आप मुझे और अधिक समय तो देने वाले नहीं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुमति चाहूंगा कि धर्मार्थ संस्थाओं के संबंधित मामलों के बारे में उन्हें लिख कर दूं?

वित्त विधेयक की व्याख्या करते हुए ज्ञापन की अनुक्रमणिका के संबंध में और इन व्याख्याओं को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए वे बताते हैं, मैं इस संबंध में एक लोकप्रिय उदाहरण से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अगर वह वित्त विधेयक को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के पृष्ठ 16 को देखें तो वह पाएंगे कि धारा 10(29) प्रावधान की व्याख्या करने हेतु वह कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि-"प्रस्ताव किया जाता है कि छूट वापस ली जाये।" वापस लेने के प्रस्ताव के लिए उनकी व्याख्या है कि यह प्रस्ताव है कि छूट वापस ली जाये। यह स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि ज्ञापन का प्रत्येक शब्द वित्त मंत्री जी नहीं लिखते पर मंत्रालय में ऐसा कोई अधिकारी है जिसके कानों को मरोड़ना जरूरी है। अत: आप अपने ज्ञापन की अनुक्रमणिका बनाएं ताकि वह आसानी से पढ़ी जा सके। ज्ञापन में इस प्रकार की बेबुनियाद व्याख्या देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। हम अपने मित्रों को सुन रहे थे। जिन परिस्थितियों में यह बजट आया, उन परिस्थितियों की चिंता प्राय: सभी मित्रों ने की है। खास तौर से कांग्रेस के जो वरिष्ठ मित्र बोल रहे थे, उन्होंने परिस्थितियों की गंभीरता को महसूस करते हुए अपने विचार व्यक्त किये। आर्थिक सुधारों का दौर 1991 से शुरू हुआ। अनेक कठिनाइयां थीं और उन कठिनाइयों में देश की जो आर्थिक स्थिति निर्मित हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और एन.डी.ए की सरकार को विरासत में जो कुछ मिला, उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता किसी भी वित्त मंत्री की मजबूरी हो सकती है। माननीय सिन्हा साहब की भी मजबूरी थी। उस मजबूरी में भी सर्वाधिक ध्यान गांव की ओर दिया गया और गांवों को पहली बार आर्थिक सुधार के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। मैं समझता हूं कि यह महात्मा गांधी के उन सपनों को साकार करने का अवसर देना था जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई वर्षों से यह देश कर रहा था। हमारी योजनाएं जो भी बनती थीं, उन सब आर्थिक योजनाओं में हम केवल आंकड़ों पर चर्चा करते थे और आंकड़ों के आधार पर ही नए आंकड़े खड़े किया करते थे, लेकिन गांवों की उन जरूरतों को महसूस नहीं कर पाए जिनके बिना गांव और शहर के बीच की खाई बढ़ती रही। नतीजा यह हुआ कि मानव संसाधन की दृष्टि से हम काफी पीछे चले गए। विश्व में हमारा स्थान कहां पहुंच गया, यह कहना कठिन है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं और योजनाएं कुछ मुट्ठी भर लोगों को नजर में रखकर निर्मित होती थीं। करोड़ों लोग जो गांवों में बसते थे, उनके पीने के पानी की चिन्ता, आने जाने के लिए रास्तों की चिन्ता, रोशनी के लिए बिजली की चिन्ता, खेतों में पानी पहुंचे इसकी चिन्ता, उनकी उत्पादकता बढ़े इसकी चिन्ता और उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिले इसकी चिन्ता बहुत कम की जाती थी, शायद नहीं के बराबर की जाती थी। यह अवसर देश को देखने को मिला कि आज गांव की ओर यह देश और देश की व्यवस्था मजबूती से बढ़ रही है। अभी पिछले महीने ही हम लोग आंध्र प्रदेश के जनपद गुंटूर के

एक गांव में गए थे और उस समय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय भी साथ में थे। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति के साथ गए थे। जिस प्रकार हम यहां अपने मित्रों को सुन रहे हैं, खास तौर से प्रतिपक्षी मित्रों को, उसी तरह से हमने आम बजट को लेकर वहां के आम व्यक्ति को सुना। वह प्रतिक्रिया मैंने गांव में देखी।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि स्व-सहायता समूह एक क्रांतिकारी योजना है। मैं समझता हूं कि आज तक आर्थिक दृष्टि से बैंकिंग की जितनी भी प्रणालियां शुरू की गईं, वित्त व्यवस्था बनाई गई, उसमें सैल्फ हैल्प ग्रुप एक क्रांतिकारी कदम है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करना एक नई सोच थी। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने की दृष्टि से, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, उनको सामजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से, उन्हें आर्थिक सुधार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस क्रांतिकारी कदम को सराहा गया होता, या एक भी प्रतिपक्षी मित्र द्वारा ऐसा कहा जाता तो मैं समझता कि उन्होंने गांव की चिन्ता की है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि शहर से शहर जुड़े, गांवों से शहर जुड़े, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के रास्ते खुलें, यह अच्छ बात है लेकिन मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में आज की तारीख में 357 गांव ऐसे हैं जहां जाने के लिए कच्चा पक्का कोई रास्ता नहीं है। यह स्थिति एक कांस्टीट्यूएंसी की नहीं है, यह स्थिति पूरे देश की है और जब लोगों को चलने का ही रास्ता नहीं होगा तो वह प्रगति कैसे करेंगे और गांव प्रगति नहीं करेंगे तो देश प्रगति करेगा, यह कहना कठिन और गलत भी होगा।

महोदय, गांवों की चिन्ता श्री मणिशंकर जी कर रहे थे, वह बड़ी अच्छी बात कर रहे थे और उनके ध्यान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ की बात थी। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए राज्यों को बेहतर होना होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारत सरकार ने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए, विकास से जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है, इसके जैसा सुधार कार्यक्रम इसके पहले कभी नजर नहीं आया। इसे प्रभावी बनाने की दृष्टि से जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि राज्यों को इसमें वह सहयोग देना चाहिए, जिस की अपेक्षा केन्द्र उनसे कर रहा है। फिर केवल गांवों की बात नहीं है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो स्वर्ण जयन्ती चतुर्भुज योजना बनाई गई है, और जो अगले कुछ वर्षों में पूरी होने जा रही है। उसके पूरा होने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस कर सकेंगे कि हम भी एक लोकतांत्रिक देश हैं। पहले जब हम देश के बाहर जाते थे और वहां के एक्सप्रैस-वे देखते थे तो भारत में वह हमारे लिए सपना सा नजर आता था कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इस कठिन परिस्थिति में भी एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है और कश्मीर से कन्याकुमारी को तथा गुवाहाटी को गुजरात से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिस कदम का लाभ लोगों को रोजगार के रूप में भी मिल रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आज रोजगार नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। यदि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझा जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि हम इस देश में, कर्ज से मुक्ति का रास्ता निकाल पाएंगे और उसे आत्मनिर्भर बना पाएंगे। जब तक हम रोजगार के अवसर को सार्वजनिक जीवन में नहीं ले जाएंगे, जब तक हम रोजगार के अवसर को व्यक्तिगत जीवन में अर्थात् निजी क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, तब तक हम आत्मनिर्भरता की भावना अपने देश और जनता में पैदा नहीं कर सकते हैं। आज लाखों मजदूर इन नई सड़कों पर काम कर रहे हैं रोजी कमा रहे हैं और वे अपनी जीविका चला रहे हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है। ऊर्जा की देश में उपलब्धता आज भी एक चुनौती है, एक चेलेंज है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश या स्वदेशी निवेश की अपेक्षा कर रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से प्रयत्नशील हैं क्योंकि हमें जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में भी गांव-गांव में बिजली पहुंचाने, रोशनी पहुंचाने का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और महत्वाकांक्षी संदेश है।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था और वह संदेश गांव तक गया है। आज तक पी.डी.एस. के माध्यम से अनाज का जो वितरण होता रहा है, उसमें एक बड़ी विचित्र बात यह है कि पहले हम अनाज खरीदते हैं फिर उसे केन्द्रीय मुख्यालय पर भेजते हैं, उसे जिला मुख्यालय पर भेजते हैं या प्रान्त के मुख्यालय पर भेजते हैं उसके बाद भंडार से पी.डी.एस. में वितरण हेतु वहीं भेजते हैं जहां से उसे खरीदा जाता है। ऐसा करने में व्यर्थ में सरकार को भाड़ा पड़ता है, अन्न की जो दुर्दशा होती है वह अलग। इस स्थिति के कारण हालत यह हो गई कि जब पिछली दफा राज्यों को गेहूं और चावल निशुल्क दिया गया, तो कई राज्यों ने वह माल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनके पास अनाज ढोने हेतु देने के लिए भाड़ा नहीं था। इसलिए इस बार गांवों में पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि वे गांवों में अन्न-बैंक बनाएं। उन अन्न बैंकों से किसान अन्न उधार ले और जैसे

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

ही उसकी पैदावार आ जाए वह अपना उधार चुकता कर दे। इससे जहां अन्न उत्पादित होता है, वह वहीं रहेगा। उसकी दुर्दशा नहीं होगी और जो अन्न उत्पादक किसान हैं उन्हें जरूरत के समय अन्न गांव में ही उपलब्ध हो सकेगा। आज स्थिति यह है कि जब फसल आती है, तो अन्न की कीमत कुछ होती है और जब बाजार में अभाव उत्पन्न होता है, तो उसी अन्न की कई गुनी कीमत देकर किसान को खरीदना पड़ता है क्योंकि किसान को उसके द्वारा उत्पादित अन्न के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे पहले बेचना पड़ता है और फिर खरीदना पड़ता है। इस सरकार ने ग्रामों में अन्न बैंक बनाने का जो कदम उठाया है, उससे ग्रामों के जो सामान्य आदमी हैं, उन्हें लाभ होगा। आज यह बात ग्रामों के लोग महसूस करते हैं।

महोदय, जिस प्रकार से गांवों में अन्न बैंक बनाने की शुरुआत हो गई है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और गावों में जो फल व सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जिनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए और अन्न बैंक की ही तरह फल और सब्जी बैंकों की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा ब्लॉक स्तर पर कर दी जाए, तो फल और सब्जी उत्पादकों को, जो छोटी कास्त के होते हैं और कम उपज करने वाले होते हैं, वे अपनी छोटी कास्त में भी अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपनी जीविका चला सकेंगे।

मैं समझता हूं कि जब अन्न बैंक की स्थापना की शुरुआत हुई है, तो फल और सब्जियों के भंडारण एवं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी धीरे-धीरे उपलब्ध हो जाएगी। आगे चलकर हम इसी प्रकार इस काम के लिए निजी क्षेत्र को भी हर प्रकार की छूट देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं और ऐसा कर के हम फल व सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं।

महोदय, श्री मणि शंकर जी सही बोल रहे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने भाषण में दो-तीन बातें काफी अच्छी कही थीं। चाय के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं। चाय के निर्यात से धन का लाभ होता है। चाय का निर्यात हमारी दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन यह क्षेत्र हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है। जहां चाय होती है वहां के मजदूर हिंसा से प्रभावित हैं। वह सारा क्षेत्र हिंसा प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहां के मजदूर ऐसे क्षेत्र से होते हैं जहां यदि चाय का काम नहीं हो, तो उनकी जीविका नहीं चल सकती। इसलिए चाय की गुणवत्ता सुधारने और निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी कदम उठाएं।

महोदय, स्वर्ण आभूषण बनाने वालों की बात कही गई है। जो सुनार होते हैं, चान्दी और सोने का काम करने वाले लोग होते हैं, वे गरीब लोग होते हैं और ऐसा काम करने वाले लोग होते हैं कि उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि भारत के कालीन का व्यापार विदेशों में बहुत अच्छा था लेकिन उसके पीछे चाइल्ड लेबर इन्वाल्व है, की बात कहकर विदेशों में हमारे कालीन को लेने से इंकार कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कालीन के निर्यात पर हमें बहुत नुकसान हुआ। जबकि आज भी भारत का जो कालीन हाथ से बना हुआ है, उसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। हमें उसका अच्छा बाजार मिल सकता है लेकिन उसकी मार्केटिंग के लिए हमें विदेशों में यह वातावरण बनाएं कि इसमें जो छोटे बच्चे इन्वाल्व हैं, उनका शोषण न करके बल्कि उनकी पढ़ाई-लिखाई, रोजगार, रख-रखाव और उनके पोषण का उचित प्रबंध किया जाता है। यह विश्वास अगर उन लोगों को दिया जाये तो निश्चय ही हमारा कालीन व्यापार बढ़ेगा।

इसी तरह से जो हस्त उद्योग हैं, चाहे कालीन हों, स्वर्णाभूषण हों या कांच की चूड़ी हों, इन सबमें जो श्रम का निवेश होता है, उस श्रम को सही आदर, सही मूल्य और सही संरक्षण शासन से मिलेगा तो इसका लाभ देश को न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और बेरोजगारी दूर करने में होगा बल्कि उससे हम विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति जी, वित्त मंत्री जी कोटिश: धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारे खजाने में जितनी विदेशी मुद्रा, यू.एस. डालर है, भारत के इतिहास में इससे पहले उतनी कभी नहीं रही। इसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए। इसी तरह अनाज के गोदामों में आज जितना अनाज है, उतना कभी नहीं रहा। धन दो प्रकार के होते हैं-एक सोने के रूप में दिखाई पड़ता है-कनक-कनक ते सौगुनी। ये दोनों कनक होते हैं या तो वह सोना कनक है या खेत में पैदा होने वाला गेहूं कनक है। दोनों कनक हमारे पास काफी हैं। यह रिकार्ड है कि इससे पहले इतना भंडार कभी नहीं रहा। यह सब कैसे हुआ-एक नीति के तहत हुआ। हम जानते हैं कि इसी देश में 1991 में कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आयेगी तो हम सौ दिन में महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे लेकिन 1996 में, इन पांच साल में महंगाई सौ गुना बढ़ गई। वह महंगाई सौ दिन में कम नहीं हुई। आज इस सरकार के चार सालों में महंगाई किस क्षेत्र में हुई है-जहां भी हुई है, उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है।

महंगाई अब सरकार की ओर से बढ़ानी पड़ रही है। गेहूं का दाम हमें अपनी ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। चावल का दाम हमें अपनी ओर से बढ़ाकर तय करना पड़ रहा है। प्याज के बल पर बहुत से लोग सत्ता में आ गये लेकिन आज प्याज का भाव भी बढ़ नहीं पा रहा है। प्याज की उत्पादकता चाहे जैसी हो लेकिन बाजार में प्याज की दर पर हम नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य जीवन को जीने के लिए जो महंगाई का सवाल पैदा

हुआ करता था, वह आज मुझे किसी के भाषण में सुनने को नहीं मिलता है। किसी के घोषणा पत्र में महंगाई अब राजनीतिक समस्या नहीं रह गयी, जिस समस्या का असर सामान्य आदमी के जीवन पर पड़ता है।

अभी हमारे एक साम्यवादी नेता कह रहे थे कि प्रवासियों को छूट दी गयी है। हम जानते हैं कि जब हमारे ऊपर संकट पड़ा, जब परमाणु परीक्षण हुआ और देश पर आर्थिक संकट आया तब हम पर सब तरह के प्रतिबंध लागू हुए थे। उन सैंक्शन्स में हमारी दिक्कत यह थी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था कैसे कायम रखें। एक इंसर्जेंट बांड ऑफ इंडिया जारी किया गया, तब वह प्रवासियों का ही धन था, जिससे 4 अरब 34 करोड़ रुपये जो आपके खजाने में आकर भर गये, जिससे यह देश आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं बना बल्कि भारत का स्वाभिमान जागा, वह प्रवासियों का ही धन था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सुधार के क्रम में कुछ छूट हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज गांव का ध्यान कितना रखा गया है? आज गांव-गांव को टेलीफोन की सुविधा दी गई है। जब मैं 1998 में मछलीशहर से चुनाव लड़ने के लिए गया तब टेलीफोन में डायल-टोन नहीं हुआ करती थी। उस समय परमात्मा का मिलना आसान था लेकिन डायल-टोन का मिलना मुश्किल था। हमको टेलीफोन के सौ-सौ कनेक्शन दिये जाते थे और कहा जाता था कि इसको आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी को भी दे सकते हैं। हम गांव के लोगों से कहते थे कि ये कनेक्शन ले लो तो वे कहते थे कि हम इसका क्या करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें टेलीफोन नहीं चाहिए। आज उसी गांव के लोग टेलीफोन की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आज टेलीफोन गांव-गांव में पहुंच रहा है।

अभी पोस्ट कार्ड की बात कही गयी, पोस्ट कार्ड के टिकट की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि वह साधारण पोस्ट कार्ड की बात न होकर प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की बात कही गयी है। श्री पवन जी ने स्वयं ही कह दिया कि वह आपके पोस्ट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वे खुद भी छपवाते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं जिनमें शादी के भी कार्ड हैं और नव वर्ष के भी कार्ड हैं। हम बाजार में एक कार्ड की कीमत पता करने गये तो पता चला कि वह 25 रुपये का कार्ड है। अगर लोग बाजार से 25 रुपये का कार्ड पब्लिशर को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद सकते हैं तो यदि उस पर 6-8 रुपये का टिकट लगा दें तो कोई गुनाह नहीं है। इससे राष्ट्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, कर्जा उतरता है। हम व्यापारिक और अपने संबंधियों को कार्ड के माध्यम से जिस तरह संदेश पहुंचाते हैं, उस पर खर्च करते हैं लेकिन जो सरकार के खाते में धन जा रहा होता है, उस पर ऐतराज करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। आज टेलीफोन सस्ता हो गया है इसलिए लोग टेलीफोन से बात कर लेते हैं, कार्ड से कौन काम चलाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचने से सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति आई है और इस क्रान्ति को व्यवहारिक बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचने से सूचना के क्षेत्र में एक क्रान्ति आई है और इस क्रान्ति को व्यावहारिक बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी इम्पोर्ट किया जाता है, अगर उस पर कर कम किये जाते हैं तो अपने देश की सूचना प्रौद्योगिकी सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है, इसकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं है।

कृषि नीति इसी कार्यकाल में बनी। आज हमें कृषि नीति का स्वागत करना चाहिए कि तमाम कृषि उत्पादों पर टैक्स की कमी हो गई है, टैक्स घट गए हैं, कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी लाने के लिए टैक्सों को कम किया गया है जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। शुगर के मामले में सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उससे चीनी उद्योग न केवल पनपा है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसान 1992 में गन्ना बेचता था तो उसे 1996 में भुगतान मिलता था, वह चार वर्ष तक प्रतीक्षा करता था। आज महीनों, दिनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती केवल हफ्ते में भुगतान मिल जाता है। यह केवल गन्ना, चीनी के संबंध में अपनाई गई उदार नीति के कारण है।

एक अंतिम बात जरूर कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। आज रिलीजियस ट्रस्ट आदि के साथ दिक्कत खड़ी हो गई है। यह सब जमा पूंजी के ब्याज से चलते थे। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, वह अपने जीवनकाल में जितनी सम्पत्ति अर्जित करता है, उसे ट्रस्ट में इन्वैस्ट करके विल कर देता है कि यह ट्रस्ट बना दिया है, इसकी जमा पूंजी है इसके ब्याज से ये कल्याणकारी काम चलेंगे, चाहे स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक सेवा का काम हो, छोटे बच्चों, डिसएबल्ड का काम हो, सबकी सेवा के काम होते हैं। जैसे-जैसे बैंकों की ब्याज की दर घटती जा रही है, उनके बजट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इससे सेवा के काम कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, यहां तक कि तमाम धार्मिक संस्थाएं प्रभावित हैं। अभी राम कृष्ण मिशन के लोग मुझे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमा पूंजी पर मिलने वाला ब्याज कम हो गया है इसलिए हमें सेवा कार्य में संकोच करना पड़ रहा है, उसे कम करना पड़ रहा है। इसी तरह शिक्षा संस्थाएं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए कि उनके जो सेवा

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

कार्य चल रहे हैं, वे यथावत चलते रहें, धार्मिक कार्य यथावत चलते रहें, उन पर कोई वित्तीय दिक्कत न आए, उनके सामने वित्तीय चुनौती न खड़ी हो।

अपराह्न 3.24 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

मैं दो दिन पहले यूरोप गया था। यूरोप के मित्रों ने बड़ी अच्छी बात कही। भारत के वहां तमाम लोग रहते हैं। जिस गुजरात की हम बात करते हैं, गुजरात के लोग भी वहां थे। सुरक्षा पर जो पांच प्रतिशत अधिभार है, उसकी चर्चा किसी ने शुरू कर दी थी कि सुरक्षा पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाया गया है, एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई तो दस लोगों ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, आपत्ति क्यों? क्या यह देश भामा शाह का देश नहीं है, लोग जीवन बलिदान कर सकते हैं लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आमदनी से अगर पांच प्रतिशत अधिभार स्वीकार नहीं कर सकते तो उनकी राष्ट्र भक्ति पर सवाल खड़ा होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे अधिभार नहीं मानना चाहिए बल्कि यह सरकार को दिया गया एक उपहार है। यह एक अवसर है, इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्र संकट की इस घड़ी में राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हमारा सब कुछ न्योछावर हो तो भी करना चाहिए। पांच प्रतिशत अधिभार कोई ज्यादा नहीं होता, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी के इस कठिन परिस्थिति में, आर्थिक चुनौती में, जहां उनको जितना रिवैन्यू मिलता है, उसका आधा सिर्फ कर्जे का ब्याज चुकाना पड़ता है, इस परिस्थिति में जहां सीमा पर संकट है, सीमा पार से चुनौती मिल रही है, इन सारी परिस्थितियों में जिस प्रकार बजट और आर्थिक व्यवस्था वित्त मंत्री जी ने दी है, उससे हम राष्ट्र की चुनौती का सामना कर सकेंगे। उसमें इच्छाशक्ति दिखाई पड़ती है। हम अपने खर्चे को कम करें और अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। सरकार पर निर्भरता कम करें और अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। यह किसी भी देश के लिए और उसके नागरिक के लिए गर्व की चीज हो सकती है।

केन्द्र की योजनाओं को राज्य सरकारें बेहतर ढंग से समझें और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रदेश को सूखा राहत के लिए पैसा दिया गया। उस पैसे से उस राज्य सरकार ने हवाईअड्डा बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे काम होगा तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए राज्य सरकारों को भी यह जिम्मेदारी महसूस की जानी चाहिए। जो संकट देश के सामने है, उसे राज्यों को भी देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए और इस आर्थिक संकट के समाधान में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है कि कुछ हद तक मेरे बोलने का भार कम कर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न मांगों के संबंध में जो मांगें माननीय संसद् सदस्यों तथा अन्य संस्थाओं ने रखी थी को माननीय वित्त मंत्री जी ने राहत प्रदान की है। यह तभी संभव हुआ है जब ऐसे वित्त मंत्री मौजूद है जिनमें एक खिलाड़ी की भावना है अन्यथा अगर और कोई होता तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब लोग आपको रोल-बैक मंत्री कहें तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति वक्त पर देश की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करे वह ही रोल बैक कर सकता है। अन्य नहीं। आपने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया, आपने जो कुछ किया, देश के हित में किया है और इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे मित्र मणि शंकर अय्यर ने कुछ मुद्दे उठाए, आपने उन्हें सुना और मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। मैं एक ऐसे जिले में जन्मा और पला-बढ़ा हूं जहां 110 चाय बागान हैं। चाय हमारा मूलभूत उद्योग है। चाय उद्योग हमारे यहां पर मौजूद हर संस्था को मदद देता है। स्थानीय लोगों के हितों को चाय उद्योग के लोग संरक्षण देते है। उद्योग के लोग चाय लोगों की मदद के लिए वे किसी समय भी और किसी बात पर भी आगे आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस उद्योग की स्थिति आज बहुत ही गंभीर है। 15 से 20 चाय बागान बंद कर दिए गए हैं। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, उपकर तथा अन्य का बकाया अत्यधिक है। फिर भी वे किसी तरह बागान चला रहे हैं और मजदूरों को भी अदायगी कर रहे हैं। बैंक भी उनकी मदद करने में अनिच्छुक हैं। हालांकि हमारे हस्तक्षेप के बाद इस उद्योग को मदद करने के लिए बैंक आगे आये हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ।

हम इस उद्योग की मदद करने को क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह एक श्रमिक बहुल उद्योग है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु विशेषकर नीलगिरि में इस उद्योग में कम से कम चार मिलियन

श्रमिक कार्यरत हैं। फिर यह उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दस मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। यह आंकड़े मेरे नहीं है। यह आकड़े चाय बोर्ड के हैं।

यह दिलचस्प बात है कि इस उद्योग में कार्यरत 50 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। इस उद्योग में महिलाएं काम करती हैं। इतनी तादाद में महिलाएं कहीं और कार्य नहीं करतीं। अन्य उद्योगों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 15 से अधिक नहीं है किंतु यहां यह 50 प्रतिशत है। राजस्व उगाही की दृष्टि से तो यह अच्छा है कि चाय उद्योग हमारी सरकार के लिए अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सर्वाधिक मांग के समय, इससे करीब 2000 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। जहां तक चाय का संबंध है, यह उद्योग केन्या और श्रीलंका से चुनौती का सामना कर रहा है। ये देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाय की आनन-फानन में बिक्री कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे घरेलू बाजार में भी वे ऐसा कर रहे हैं। उनकी सरकारें उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ देती है। हमारी सरकार के लिए यहां इस उद्योग को ऐसे लाभ देना बहुत ही कठिन है। मैं आपसे वे लाभ देने के लिए नहीं कहूंगा। किंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि चाय उद्योग की मौजूदा स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे सरकार से सहायता की आवश्यकता है। यदि आपको याद हो तो जनता सरकार के कार्यकाल में इस उद्योग पर पांच रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था और यह उद्योग बड़ी कठिनाई में आ गया था।

सरकार ने 1980 में इसे फिर से वापिस ले लिया। चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश के खण्ड 17 की वापसी के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी नीलामी, गुवाहाटी के नीलामी बाजार में होनी चाहिए। यह आपका कार्य नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय को इसका ध्यान रखना होगा। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि अगर वह इस समस्या को सहानुभूतिपूर्वक नहीं देखेगी, तो श्रमिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। यदि श्रमिक अशांत होंगे तो भविष्य निधि व दूसरी चीजें नहीं दी जा सकेंगी। आप जानते हैं कि यह उद्योग चावल व धान काफी कम दामों पर देता है जो कामगारों को उचित दर की दुकानों पर मिलने वाले चावल व धान से भी कम होता है। केन्द्र सरकार के कहने पर यह लाभ दिया गया था। सरकार को श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना होगा। उद्योग तथा चाय बोर्ड के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि श्री मणिशंकर अय्यर ने इसका तथा संशोधन की आवश्यकता वाले विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख किया है। इस पर मैं और अधिक बोलना नहीं चाहता।

मैं अपने क्षेत्र बराक वैली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा-हमें कच्चे तथा तैयार माल को सिल्चर-शिलांग-गुवाहाटी मार्ग, जोकि खराब मौसम की वजह से बहुत ही दुर्गम है, से परिवहन करने पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। वहां न तो नियमित रेल सेवा है और न ही जल परिवहन की व्यवस्था। परंपरागत रूप से कछार में उत्पाद अनुसूची के जोन 1 में आने के कारण इस पर हमेशा से ही अलग उत्पाद शुल्क लगाया गया। अब, सभी प्रकार की निर्मित चाय पर मानक दर से उत्पाद शुल्क देय है, चाहे स्थान कोई भी हो। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि इस उद्योग की आदान लागत में वृद्धि हुई है और उत्पादकता में कमी आई है। यह एक अप्रिय स्थिति है इसके कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां उत्पादन लागत काफी अधिक हो गई है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए मैं माननीय मंत्री से उत्पाद शुल्क पूरी तरह या फिर अस्थाई अवधि के लिए हटाने का अनुरोध करूंगा। मैं उन्हें इसे पूरी तरह हटाने के लिए भी नहीं कहना चाहता। उद्योग को इससे मिलने वाली राहत की तुलना में सरकारी खजाने पर इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा। यह उद्योग लाखों लोगों की जीवन रेखा है। यह उद्योग न केवल लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है बल्कि वह उनके विभिन्न सामाजिक दायित्वों, जैसे आज भी उन्हें 75 पैसे प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल व आटा, मुफ्त चिकित्सीय सुविधा, मुफ्त बचाव वस्त्र, मुफ्त ईंधन की लकड़ी व अन्य कई सुविधाओं आदि का निर्वहन करता है।

महोदय, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1999 व 2002 के बीच बराक घाटी में इसके मूल्य की 25 रुपये प्रति कि.ग्रा. गिर गये है जबकि औसत उत्पादन लागत में 12 रुपये से 60 रुपये प्रति कि.ग्रा. की बढ़ोत्तरी हुई है। बिक्री का औसत मूल्य 8 स्ट्रलिंग है जबकि गोवाहाटी नीलामी का मूल्य 37.60 रुपये प्रति कि.ग्रा. था। इससे करीब 23 रुपये प्रति कि.ग्रा. की हानि होती है और मुझे विश्वास है, माननीय मंत्री यह स्वीकार करेंगे कि यह हानि कोई भी उद्योग वहन नहीं कर सकता। मैं इन पर पहले भी आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। पिछले बजट में भी मैंने इन मुद्दों को उठाया था। ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थिति कोई अच्छी नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को वह गंभीरतापूर्वक देखें। मैं आपको बता चुका हूं कि आप हमेशा विभिन्न समस्याओं को देखते हैं। आपकी मित्र मण्डली छोटी है। आपकी अपनी समस्याएं हैं। आप जादूगर नहीं है। आप कर नहीं लगा सकते किंतु आपको राहत देनी चाहिए। इन दोनों में से आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं नहीं जानता किंतु जो आप दूसरों के लिए करते हैं वह हमारे लिए भी कीजिए। केवल यही अनुरोध मैं कर रहा हूं।

मैं आपको यह सूचित करना चाहूंगा जो मैंने आपको मध्याह्न भोजन के दौरान कहा था कि, पूर्वोत्तर क्षेत्र की मौजूदा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

[श्री संतोष मोहन देव]

यह खेद की बात है कि हाल ही के बजट प्रस्तावों में नए उद्योग पर आयकर लाभ पूर्वोत्तर को नहीं मिला है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा था, वे लाभ देने का प्रस्ताव था, किंतु ये लाभ नहीं दिए गए। आयकर अधिनियम की धारा 80ख के अंतर्गत पूर्वोत्तर में नए उद्योग को आयकर का लाभ मिलने की समय-सीमा 31.3.2002 को समाप्त हो गई है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैंने इस समय सीमा को आज ही बढ़ा दिया है।

श्री संतोष मोहन देव: जी हां, आपने ऐसा कर दिया है किंतु कुछ औद्योगिक घराने इस लाभ का दुरुपयोग कर रहे हैं गोवाहाटी में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के 104 मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में उन सभी बड़े औद्योगिक घरानों की निंदा की गई जिन्होंने वहां जाकर इस लाभ को उठाने का प्रयत्न किया है। रोजगार तथा व्यापार सृजन के बजाए वे धन को इधर-उधर करने का प्रयत्न करते हैं जिससे भारत सरकार को हानि होती है और वे उस प्रयोजन को भी व्यर्थ करते हैं जिसके लिए यह राशि दी गई है। मैं यह लाभ देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद करता हूं।

अंतत: मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि मैंने सिल्चर में एक स्टेडियम का निर्माण करवाया है। इसके लिए हमें भारत सरकार तथा एन.ई.सी. से सहायता मिली और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक और खेलकूद केन्द्र बन गया है। यह बहुत जल्दी पूरा हुआ और मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा, मैं किसी अनुदान की मांग नहीं कर रहा। वह पूरा हो गया है-मैं चाहूंगा कि वह आकर इस स्टेडियम के उद्घाटन में भाग लें। वह स्टेडियम देखकर बहुत खुश होंगे क्योंकि वह बड़े शहर से नहीं हैं बल्कि बहुत ही छोटे शहर से हैं और वह देख सकते हैं कि किस प्रकार विभिन्न लोगों की सहायता से एक खेल स्टेडियम तैयार हो सकता है। वह यह जानकर खुश होंगे कि हमने क्रिकेट तथा दूसरे खेलों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ कर दिया है। अब, 90 प्रतिशत खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में है न कि शहरों में। इस स्टेडियम से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि प्रतिभा को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो हम देश को बहुत से अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं।

मैं वह सब दोहराना नहीं चाहता जो श्री पवन कुमार बंसल या श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है। मैंने अपने भाषण के चार या पांच पृष्ठ छोड़ दिए हैं। श्री पवन कुमार बंसल लगभग सभी मुद्दों पर बोल चुके हैं और श्री मणि शंकर अय्यर भी चाय सहित सभी मुद्दों को उठा चुके हैं। इन शब्दों के साथ, मैं यह सोचता हूं कि मैं जब 29 तारीख को वित्त मंत्री का उत्तर सुनने आऊंगा तो मैं अप्रसन्न नहीं लौटूंगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 के बजट में निहित वित्तीय प्रस्तावों और वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित राहत के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पिछले 50 वर्षों से हम हर वर्ष फरवरी में बजट देखते आए हैं। यह देखा गया है कि पहले लोग सही मायने में बजट को सुनते थे। उद्योग पर इसका इतना प्रभाव पड़ता था कि बजट घोषणाओं तथा वित्तीय प्रस्तावों से एक उद्योग, व्यक्ति या फिर पूरी वित्तीय व्यवस्था चौपट हो सकती थी।

महोदय, मैं उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करने हेतु माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। पहले एक मद पर एक वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। इसे अगले वर्ष हटाया जाता था और इसे फिर से लगाया जाता था और हमारी दीर्घकालीन योजनाएं नहीं होती थी। अत: उत्पाद कर ढांचे को युक्तिसंगत तथा सरल करना देश के लिए बहुत अच्छा है।

मैं संयुक्त राज्य अमरीका में था और उस समय वहां पर उन्होंने बजट घोषणाएं की थी। मैंने वहां देखा कि भारत के विपरीत वहां बजट में कोई रुचि नहीं है।

यह सामान्य बजट घोषणा होती है। इसमें उतार-चढ़ाव हो सकते हैं किंतु इससे वहां जनता पर कभी प्रभाव नहीं पड़ा। वे इस पर वैसे ध्यान नहीं देते जैसे कि भारत में दिया जाता है। ऐसा कुछ व्यवस्थाओं के कारण है जो वहां पर हैं। उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती।

महोदय, वस्त्र उद्योग के संबंध में उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतें दिये जाने के लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमने इनकी मांग की थी। वस्त्र उद्योग एक बड़ा उद्योग है जो हजारों लोगों पर प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव मेरे निर्वाचन क्षेत्र पर भी पड़ता है क्योंकि मैं भीलवाड़ा क्षेत्र से हूं जो एक वस्त्र उद्योग प्रधान शहर है। वित्त मंत्री ने घरेलू उद्योगपतियों को चीनी वस्त्रों की आवक का सामना करने के लिए समान अवसर दिए हैं और वस्त्र-निर्यात को विश्व में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। लाभांश कर होना चाहिए या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। आज वित्त मंत्री जी ने लाभांश कर से संबंधित कुछ राहत दिए जाने की घोषणा की है। यह राहत बहुत अच्छी है। 1000 रुपये या उससे कम लाभांश पर अब स्रोत पर कोई आय कर की कटौती नहीं होगी। इसका हम स्वागत करते हैं। महोदय, आप भी जानते हैं कि अनेक कारणों से शेयर बाजार संकट में है। हालांकि एन.ए.एस.डी.ए.क्यू. और एन.वाई.एस.ई.

अलग तरह आरम्भ की गई थी, लेकिन इनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन भारतीय शेयर बाजार में शेयरों को खरीदना अथवा उनकी बिक्री करना इतना सरल नहीं है। कुछ अन्य कारण भी हैं। मुख्य कारणों में से लाभांश कर एक है। जब हमने वित्त मंत्री जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें लाभांश के रूप में लाखों रुपये मिलते हैं लेकिन वे इस लाभांश पर कोई कर जमा नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार कर का प्रावधान है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस लाभांश कर का भुगतान कम्पनी द्वारा पहले ही किया जा चुका है और यह उन व्यक्तियों तथा पूंजी बाजार और शेयर बाजार के लिए दोहरा कराधान है जो पहले ही मन्दी से गुजर रहे हैं। एक बढ़िया पूंजी बाजार और शेयर बाजार मनोविज्ञान के आधार पर काम करता है। इस घोषणा के बाद, जिसके बारे में पूरे देश को आज पता चला है सूचकांक 30 अंक नीचे चला गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को एक लाख अथवा दो लाख रुपयों का लाभांश मिल रहा है आप उस पर रोक लगाएं लेकिन छोटे निवेशकों तथा शेयर बाजार को बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ करना होगा। यह आवश्यक है कि पुन: किसी तरह की घोषणा की जाये ताकि लोगों की मनोवृत्ति बदल जाये और लोग शेयर बाजार में निवेश करना आरम्भ कर दें। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि अगर स्टाक मार्किट में उछाल आएगा, तो हमें यू.टी.आई. में इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। एम.आई.पी. के बारे में हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं। एक बार जब पुन: खरीद शुरू होगी और उन्हें भुगतान देना होगा तो आपको ही उनका ध्यान रखना होगा।

आपको ही उन्हें इस समस्या से बाहर निकालना होगा। अत: यदि शेयर बाजार सुदृढ़ होगा तो यू.टी.आई. की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को एक और सुझाव, आवास उद्योग के संबंध में देना चाहूंगा। इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। इस बजट में एक नयी धारा 50ग जोड़ी जा रही है। हम सभी जानते हैं कि धारा 371ख भी हुआ करती थी जो विफल रही। अनेक सम्पत्तियां ऐसी थी जिसके संबंध में आयकर विभाग यह समझता है कि उनका मूल्यांकन कम किया गया है। जब उसे उन्होंने स्वयं खरीदा और उसे बाजार में बेचा तो उस पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास धारा 50ग है। लेकिन धारा 50ग क्या है? महोदय धारा 50ग के प्रावधान के अंतर्गत अंचल संपत्ति के अंतरण के मामले में संपूर्ण मूल्य का निर्धारित किया जाता है। अब बेचने वाले को पूंजी प्राप्ति कर का भुगतान विभाग तथा अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर करना होगा न की वास्तविक लेन-देन मूल्य के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि बेचने वाले की कठिनाइयां और बढ़ेंगी क्योंकि वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के अवज में उसे काल्पनिक विक्रय मूल्य जो उसने प्राप्त नहीं किया के आधार पर कर का भुगतान करना होगा। आमतौर पर स्टाम्प ड्यूटी खरीदने वाला देता है, लेकिन अब बेचने वाले को सजा दी जा रही है। एक ओर जब आवास उद्योग विकास की ओर अग्रसर है, मैं समझता हूं कि इससे इस उद्योग को हानि पहुंचेगी। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह है आयकर अधिनियम में धारा 133क। इस बजट के अनुसार अधिकारियों को लेखों और दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। उन लोगों के लिए जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह ब्लैकमेल करने का हथियार साबित होगा। वे उनसे जेरोक्स प्रति की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर दस्तावेज या लेखों को जब्त कर लेंगे तो मेरे विचार में आप अधिकारियों को जो अधिकार दे रहे हैं वे नहीं दिए जाने चाहिए।

धारा 143 के अंतर्गत सीमित इश्यू के संबंध में आयकर के आंकलन के बारे में भी मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा। धारा 143 के अंतर्गत यदि किसी आकलन अधिकारी को यह लगे कि निर्धारिती ने किसी नुकसान, छूट, कटौती, भत्ता या अन्य राहत का दावा किया है जोकि अस्वीकार्य है निर्धारण अधिकारी प्रस्तावित नए खंड 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करेगा, जहां निर्धारिती को अपने दावे के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा तथा बाद में निर्धारण अधिकारी आदेश जारी करेगा। अगर आकलन अधिकारी को यह लगे कि मामले में और छानबीन की आवश्यकता है तो उसे रिटर्न की पूरी छान-बीन करने के लिए नोटिस जारी करने का पूरा अधिकार होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्धारिती को अधिकारियों द्वारा ब्लैकमेल करने का एक और मौका मिलेगा क्योंकि हर मामले में छान-बीन की जायेगी और तंग किया जा सकेगा। मेरे विचार से निर्धारण अधिकारियों तथा आयकर अधिकारियों पर भी कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। जिन-जिन प्रस्तावों की घोषणा की गयी है हम उनका स्वागत करते हैं।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, वित्त विधेयक के विषय-वस्तु पर आने से पहले मैं ओल्ड टेस्टामेंट के पात्र नेबुचदनेज्जार द्वारा स्वप्न में देखी गई छवि के बारे में बताना चाहूंगा। उस छवि का सिर बढ़िया सोने का बांहें तथा छाती चांदी की, पेट तथा जांघ पीतल की तथा पैर आधे लोहे और आधे मिट्टी के बने थे। जब पैरों पर पत्थर फैंका गया तो वह टुकड़े-

[श्री अधीर चौधरी]

टुकड़े हो गया। मैंने मिट्टी के उन पैरों के रूप में वित्त मंत्री की नीतियों में विसंगतियां पायी हैं। उन्होंने 'रोल-बैक' वित्त मंत्री के रूप में ख्याति पायी है। वे बात पलटने में बड़े दक्ष हैं और जब भी ऐसी स्थिति आती है वह अपनी इस कला का परिचय देते हैं।

गत वित्त वर्ष में माननीय मंत्री जी ने लाभांश कर और म्युचुअल धनराशियों से प्राप्त आय पर कर छूट का प्रस्ताव किया था, परन्तु एक वर्ष के अंदर ही उन्होंने अपनी नीति बदल ली और अब उन्होंने लाभांश और म्युचुअल धनराशि से प्राप्त आय पर कर लगाने का प्रस्ताव जो धारकों द्वारा देय होगा किया है। उन्होंने कम्पनियों और म्युचुअल धनराशियों के संबंध में भी कंपनियों द्वारा वितरित किये जाने वाले लाभांश तथा म्युचुअल फंड आय पर दस प्रतिशत का वितरण कर को भी समाप्त कर दिया है, इस तरह के कदमों से आम निवेशक को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उन्होंने आम निवेशकों को वित्त उगाही का साधन समझ लिया है। लेकिन मैं इस तथ्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था ब्याज की कमी के कारण अल्प विकास, अल्प निवेश, वित्तीय चुनौतियों तथा घरेलू समस्याओं का सामना कर रही है।

यदि इन उपायों को अपनाया जाता है तो इससे आम निवेशकों के लिए समस्या खड़ी हो जायेगी और वे पूंजी बाजार या शेयर बाजार में धन नहीं लगाने की प्रवृत्ति बन जाएगी।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में 1,72,965 करोड़ रुपये के कर राजस्व का प्रस्ताव किया है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने इस प्रस्तावित लक्ष्य को कभी प्राप्त किया है? भारत के वित्त मंत्री के रूप में वे अपने पूरे कार्यकाल में राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह का अनुकरण करना चाहिए जो अपने लक्ष्यों की प्रगति में कभी भी विफल नहीं रहे।

महोदय, वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व 62,742 करोड़ रुपये प्रस्तावित था और संशोधित अनुमान में 64,988 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुयी। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व 74,347 करोड़ रुपये प्रस्तावित था और संशोधित अनुमान में 81,088 करोड़ रुपये संचित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व 97,310 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमान में 97,212 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुयी, वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान में कुल राजस्व 1,13,393 करोड़ रुपये प्रस्तावित था और संशोधित अनुमान में 99,158 करोड़ रुपये का कुल कर राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित कुल कर राजस्व 1,16,857 करोड़ रुपये था और संशोधित अनुमान में 1,09,537 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुयी। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान में कुल राजस्व 1,32,365 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। संशोधित अनुमान में 1,26,465 करोड़ रुपये की उपलब्धि रही। वर्ष 2000-01 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व 1,46,209 करोड़ रुपये प्रस्तावित था और उपलब्धि 1,44,403 करोड़ रुपये की हुयी इसमें फिर कमी पायी गयी।

अपराह्न 4.00 बजे

फिर कमी रही। इसी प्रकार वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में कुल कर राजस्व 1,63,031 करोड़ रुपये प्रस्तावित था और संशोधित अनुमान 1,42,348 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुयी। इस वर्ष अर्थात 2002-03 के बजट में कुल कर राजस्व 1,72,965 करोड़ रुपये के कुल कर राजस्व का प्रस्ताव है। मेरे अनुमान से स्पष्ट है कि वित्त मंत्री अपने मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राजस्व को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाये हैं। इसलिए सक्षम वित्त मंत्री होने के साथ-साथ सक्षम संग्रहकर्ता भी होना आवश्यक है। बेहतर होगा कि वे टोडरमल के उदाहरण का अनुकरण करें। इस वर्ष वित्त मंत्री जी ने अनेक प्रकार के कर वृद्धि के प्रावधान किये हैं जिससे पूरे देश, पर और विशेषकर आम निवेशकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

वर्ष 2001-02 में भी इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में राजस्व में 13.22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में लक्ष्य प्राप्त करने में 21 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की कमी रही है। तथापि वित्त मंत्री ने डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देशों का पालन करते हुए सीमा शुल्क को कम किया है। क्या मैं वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उनके द्वारा इस वर्ष बजट में प्रस्तावित छूट देने की वजह से कितने राजस्व की हानि होगी?

व्याकुल करने वाला एक और भी पहलू है। जैसा कि देखा गया है, अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6.5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था लेकिन उपलब्धि केवल 5.4 प्रतिशत रही। भारतीय अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर से गुजर रही है। देश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष पिछले वर्ष 6.1% की तुलना में वर्ष 2000-01 में 4 प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक विकास दर वर्ष 2001-02 में 5.4 प्रतिशत होने की आशा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.4 प्रतिशत औसतन वार्षिक दर होने का अनुमान है जो 6.5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से कम है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विकास दर का वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी के पास जादू की छड़ी है?

महोदय, अब हमारी घरेलू बचत कितनी है? हमारी घरेलू बचत 23.4 प्रतिशत के करीब है और घरेलू निवेश 24 प्रतिशत है। हाल ही के वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण वृद्धि में अस्थिरता देखी गयी है। वर्ष 2000-2001 में वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण की वृद्धि दर में 15.7 प्रतिशत से कम होकर 2 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 2001 में बचत में अधिक गिरावट आने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन बचतों में माईनस 1.7 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गयी। हम सब जानते हैं कि बढ़े हुए पूंजी उत्पादन अनुपात के फार्मूले के अनुसार 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए भारत को 32 प्रतिशत घरेलू बचत करने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह पैसा कहां से आयेगा।

एक और प्रमुख चिन्ता का क्षेत्र केन्द्रीय योजना परिव्यय है। सरकार, केन्द्रीय योजना परिव्यय का प्रस्ताव कर रही है, पर हर बार यह देखा जाता है कि केन्द्रीय योजना परिव्यय के अंतर्गत धन आवंटन में भारी कमी रहती है। मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान में केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,05,187 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। लेकिन संशोधित अनुमान में यह कम होकर 88,482 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान में केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,03,521 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था लेकिन संशोधित अनुमान में यह कम होकर 96,310 करोड़ रुपये रह गया। आवंटन में भारी कटौती की जाती है। वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में केन्द्रीय योजना परिव्यय का 1,17,334 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन संशोधित अनुमान में इसे 1,08,587 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,30,181 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था लेकिन संशोधित अनुमान में इसे कम करके पुन: 1,27,856 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसलिए 8 प्रतिशत के लक्ष्य को सरकार कैसे प्राप्त करेगी, मैं समझ नहीं पा रहा। वास्तव में यह एक समस्या है।

इस वर्ष वित्तीय घाटा 5.3 प्रतिशत निर्धारित किया है। वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.7 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन यह बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया।

अत: उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकास और अधिक वित्तीय घाटे से स्थायी रूप से ग्रस्त है। कभी-कभी सरकार अपनी कमियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेती है। जब सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने में असमर्थ होती है तो वह कोई बहाना ढूंढ लेती है। इसका कारण कभी उड़ीसा में आए चक्रवात, कभी गुजरात में आए भूकंप को बताया जा रहा है तो कभी सरकार द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न करने का कारण अमेरिका पर हुआ आतंकवादी हमला बताया जा रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इन्हें निर्धारक तत्व मानती है? अगर ऐसा है तो उसे विकास करने के लिए करों में कटौती करने, सीमा शुल्क लगाने या राहत देने की क्या आवश्यकता है? मेरा यही प्रश्न है।

सरकार ने सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 35 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 2004-05 तक इसे पुन: 20 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ये उच्चतम दर है या बनाई गई हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि उच्चतम दर अनेक हैं जैसे 210,170, 115, 100, 80, 70, 55, 50, 45, 40, 25, 15, 10 और 5 कुल मिलाकर उच्चतम दरों की कुल संख्या 15 हैं जो वर्ष 1991-92 में 13 थी। डब्ल्यू.टी.ओ. के निदेशों का पालन करते हुए शराब पर उच्चतम दर जो 210 प्रतिशत लगायी गयी थी, कम करके 182 प्रतिशत कर दी गई। महोदय, जहां तक सीमा शुल्क दरों का सम्बन्ध है तो उनमें भी कई प्रकार की विकृतियां और मुकदमेबाजियां निहित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शुल्क ढांचे को तर्कसंगत और सरल बनाए, जिसके बारे में पहले ही विरमानी समिति ने सिफारिश की है।

सरकार ने एल्युमिनियमम, तांबा, टिन आदि पर करों में कटौती की गई है जिससे गैर-अयस्क उद्योग में चिन्ता व्याप्त हो गयी है। जहां तक 'मोडवैट' का संबंध है, यह अभी भी कानूनी विवाद के घेरे में आ सकता है। इसे और युक्तिसंगत और सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में भी इस बात पर विचार किया गया था कि नौवीं योजना अवधि के दौरान भारी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अर्थात-छह मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमें पता है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र और सामाजिक तथा रोजगार क्षेत्र में केवल 1.82 प्रतिशत का निवेश किया है।

अपने देश में रोजगार के अवसर तेजी से कम हो रहे हैं जो हमारे सामाजिक तनाव के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी इस विषय पर खतरे का संकेत दिया गया है। रोजगार के अवसरों की कमी न केवल काम के अवसरों में कमी के कारण है बल्कि रोजगार सृजन के अवसरों के स्थानिक ढांचे और श्रमिकों की बढ़ती हुई तादाद में असमानता तथा श्रम सचलता के कारण भी है।

महोदय, बुनियादी तंत्र भी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बैंकों, सहकारी बैंकों तथा शेयर बाजार के संबंध

[श्री अधीर चौधरी]

में नियामक तंत्र बिल्कुल विफल रहे हैं। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 65 प्रतिशत राशि सरकारी प्रतिभूतियों में बंद पड़ी है।

महोदय, सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्य कृषि के बारे में सरकार के कार्यनिष्पादन का बढ़ा-चढ़ा कर जिक्र कर रहे थे। सरकार ने इस वर्ष नया नारा दिया है, 'किसान की आजादी'। लेकिन मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वे इस नारे को बदल कर-'किसान की बर्बादी' कर दें। जहां करीब छह मिलियन टन खाद्यान्न गोदामों में सड़ रहा है, और हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह वास्तव में शर्मनाक बात है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दुग्ध और डेयरी उत्पाद अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि नयी दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जा सके। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसानों के कठिन परिश्रम से ही हम हरित क्रांति लाने में सफल रहे हैं। इसी तरह किसानों की कड़ी मेहनत से ही हम श्वेत क्रांति लाने में सफल रहे हैं। हरित क्रान्ति की वजह से ही हमारा देश अन्न की कमी वाले देश से अतिरिक्त अन्न पैदा करने वाला देश बना है। इसी तरह श्वेत क्रान्ति के कारण ही दुग्ध की कमी वाला हमारा देश अत्यधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना है। आज भारत में 81 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। भारत को विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। लेकिन हमारे पास अतिरिक्त दूध नहीं है कि हम उसका निर्यात कर सकें। इसलिए दूध के निर्यात के संबंध में हमारी स्थिति बहुत खराब है।

करीब 80 मिलियन लोगों, जिसमें ज्यादातर गांव की महिलाएं शामिल हैं, को इस क्षेत्र से आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। 367 जिलों को पहले ही दुग्ध सहकारिता समितियों के अंतर्गत लाया जा चुका है। भारत में 80,000 से भी ज्यादा सहकारी समितियां हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दुग्ध क्षेत्र का हमारे देश में क्या महत्व है। पशुधन क्षेत्र का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुल कृषि उत्पादन का 28 प्रतिशत योगदान है।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश में संशोधन के पश्चात पूरे दुग्ध क्षेत्र पर बाजारी शक्तियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे देश के उन पददलित व्यक्तियों के समक्ष गंभीर समस्याएं पैदा हो जायेंगी जो दुग्ध बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

एक ही झटके में सरकार ने मिल्क-शैड अवधारणा को बंद कर दिया जिसे हमने बड़ी मेहनत से वर्षों में बनाया था। आप सभी आपरेशन फ्लड से अवगत हैं। आपरेशन फ्लड और उसके स्थान पर आये आपरेशन फ्लड की वजह से ही आज हम विश्व में, दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन इस संसोधन के कारण वह स्वप्न टूट रहा है।

मिल्क-शैड अवधारणा अपने आप में एक अनोखी योजना है। भौगोलिक दृष्टि से एक निर्धारित क्षेत्र में केवल वही डेयरी जो पंजीकृत हैं को केवल दूध इकट्ठा करने और उस विशेष क्षेत्र में दूध उत्पादन क्षमता का उपयोग करने का हक होगा। ये दूध सहकारी समितियां वर्षों से दूध उत्पादन के लिए स्थानीय लोगों को मना रही थी। मध्यम और सामान्य क्षमता के दूध उत्पादन क्षेत्र अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में तबदील हो गए हैं। अब अगर कोई 10,000 लीटर से ज्यादा दूध को संसाधित करने का लाइसेंस लेता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। अब कोई भी पाबन्दी या लाइसेंस के बगैर ही किसी दूध-संसाधित इकाई की लगा सकता है। इसलिए आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुल जायेगा।

अन्य देशों विशेषकर कनाडा और आस्ट्रेलिया में दूध और दूध से निर्मित चीजें बहुतायत में हैं। डबल्यू.टी.ओ. के नियमों की वजह से अब कोई भी दूध तथा दूध निर्मित चीजों का आयात इन देशों से भारत में कर सकता है। इसलिए पूरा दूध क्षेत्र डर से घबराया हुआ है। अत: मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस संशोधन पर पुन: विचार करें और अगर सम्भव हो तो इस संशोधन को अपने अन्य प्रस्तावों से हटा दें ताकि इस क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

महोदय, वित्त मंत्री ने फसल में विविधीकरण और खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत ही परिवहन भंडारण, रेफ्रीजरेशन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

भारत एक ऐसा देश है, जहां पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, समुचित विपणन और भंडारण सुविधाओं के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों की वजह से हम फलों और सब्जियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं।

महोदय क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उचित विपणन, प्रसंस्करण और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि न होने के कारण प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत फल और सब्जियां खराब हो जाते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड) की कुल खपत के बराबर है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 80 प्रतिशत साइट्स फल प्रतिवर्ष खराब हो जाते हैं। इस क्षेत्र में 10 मिलियन रुपए का निवेश कर हम 39,000 रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

लेकिन जहां तक मूल्य संवर्धन का प्रश्न है, इस क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। वर्तमान स्तर पर हम केवल 7 प्रतिशत मूल्य संवर्धन ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर कर सकते हैं, जबकि इस क्षेत्र में 35 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है ताकि हम विश्व में खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी कंपनियों के साथ स्पर्धा कर सकें। डब्ल्यू.टी.ओ. में आने के बाद चीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है।

इसलिए अगर हम इस विशेष क्षेत्र में नए उत्साह से पहल करें तो तेज गति से विकास कर सकते हैं और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजन कर सकते हैं।

अत: महोदय इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के इस विशेष क्षेत्र के लिए हमारे वित्त मंत्री ने कितनी राशि अलग से आबंटित की है मैं नहीं जानता।

अब कोई उपाय नहीं है। हमें मानना होगा कि कृषि एक प्रक्रिया है और खाद्य एक उत्पाद। हमें मानना होगा कि कृषि व्यापार एक उद्योग है। इसलिए खाद्य और कृषि व्यापार के लिए पहल करना यथाशीघ्र आवश्यक है।

जहां तक कृषि का प्रश्न है। मैं योजना आयोग की कृषि तथा समवर्गी क्षेत्र के संबंधित ''नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 की मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य बातों'' की कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि खाद्यान्नों और गैर खाद्यान्न फसल के उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आई है, नब्बे के दशक में यह दर क्रमश: 3.54 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत और 4.02 प्रतिशत से 3.17 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। नब्बे के दशक में दूध और मछली के उत्पादन की वृद्धि दर क्रमश: 4.78 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत रिकार्ड की गई।

अभी कुछ समय पहले मैंने दूध उत्पादन का मुद्दा उठाया था। एक ओर क्षेत्र में हमने क्रांति ला दी है जिसे नीली क्रांति कहते हैं। अब हम मत्स्य एवं समुद्री उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगे हैं।

हमें मान लेना चाहिए कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। यह रोजगार, खाद्य, खाद्यान्न सुरक्षा और प्रमुख उद्योगों जैसे चीनी, जूट, वस्त्र आदि के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। लेकिन यह अत्यंत खेद की बात है कि इस क्षेत्र के लिए योजना आवंटन में धीरे-धीरे कमी आ रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत का आवंटन किया गया था। लेकिन अब इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसके लिए निधियों का आवंटन केवल 20 प्रतिशत रह गया है। पहले सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 33 प्रतिशत योगदान होता था लेकिन अब यह कम होकर केवल 26.8 प्रतिशत रह गया है। बाजार ताकतों की वजह से कृषि उदासीनता की शिकार है। इसने अपना प्रमुख स्थान खो दिया है। निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण-इन तीनों के प्रभाव के कारण कृषि का महत्व कम हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि दो-तिहाई से ज्यादा श्रमशक्ति अभी भी इस क्षेत्र में लगी हुई है।

मैं सभा का ध्यान कुछ मुख्य क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम सभी कृषि के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कृषि के बिना भारत का अस्तित्व नहीं रह सकता। लेकिन यह भी देखा गया है, स्वीकार किया गया है कि हरित क्रांति के लाभ हम पहले ही उपयोग कर चुके हैं। अत: अब हमें कुछ नया करना होगा। हमारे वित्त मंत्री जी को पुराने घिसे पिटे रास्ते अपनाने की आदत है। राजस्व इकट्ठा करने के अभियान को चलाने से पहले उन्हें इन सब पुराने तथा घिसे पिटे तरीकों को त्यागना होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हरित क्रांति के लाभ हम पहले ही ले चुके हैं। आज कृषि उत्पादों डी एन ए, फिंगर प्रिंटिंग, उत्तक कृषि और 'ट्रांसजैनिक' बीजों तथा फसलों की प्रौद्योगिकी में कृषि उत्पादन का राज छुपा है। लेकिन अगर हम अपने देश में यह गुणवत्ता उपलब्ध करानी है तो हमें अनुसंधान और विकास के लिए अधिक आवंटन करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भारत में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आवंटन 0.16 प्रतिशत से 0.23 प्रतिशत के बीच किया गया।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, सदन में बहुत कम लोग उपस्थित हैं। फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री सदन में नहीं हैं और हम फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वित्त मंत्री सदन में मौजूद हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): वित्त मंत्री जी सदन में हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, स्थिति बहुत खराब है। देश वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। लेकिन क्या यह अच्छा लगता है। जब सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही हो और वित्त मंत्री सभी प्रश्नों के जवाब देने को तैयार हैं तब सत्तापक्ष और

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

गठबंधन के इतने कम लोग उपस्थित हैं? वे वित्त विधेयक पर चर्चा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं यहां पर असहयोग करने के लिए नहीं हूं लेकिन क्या इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है *...(व्यवधान)* यह अत्यंत दुर्भाग्य है। यह मुद्दा लड़ने का नहीं है। स्थिति बहुत खराब है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): इसके लिए आप भी इतने ही जिम्मेदार हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अपने वक्ता देकर मदद कर रहा हूं *...(व्यवधान)* क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या संसदीय कार्य मंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह सरकार तथा दल के सदस्यों को तैयार करें ताकि वित्त विधेयक पारित हो सके? हमारा कार्य सहयोग देना है और हम सहयोग दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सदन में चार मंत्री हैं और चार बीजेपी के सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): आप भी इतने ही जिम्मेदार हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आपके नेता जिम्मेदार नहीं हैं? अगर वह जोर देंगे तो मैं गणपूर्ति की मांग करता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हमदर्दी है। यह अच्छा नहीं लगता है। यह तरीका ठीक नहीं है। बहस करने की गरिमा है और क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अगर ऐसा ही चाहते हैं, तो कोरम कर लीजिए।

[अनुवाद]

मैं कोरम की घंटी बजाने का आग्रह कर रहा हूं *...(व्यवधान)* महोदय, हम कोरम घंटी बजाये जाने की मांग करते हैं। इस वाद-विवाद का आरम्भ मैंने किया था। मुझे इसे समाप्त करने को कहा गया। मैंने अपना भाषण पूरा नहीं किया। मैं बोलने के लिए और समय चाहता था लेकिन मुझे न बोलने के लिए कहा गया। अब सदन में यह सब हो रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कोरम के लिए घन्टी बजाई जा रही है। कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

कोरम के लिए घन्टी बजाई जा रही है।

सभापति महोदय: कोरम बेल बज रही है, इसलिए कोई बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

सभापति महोदय: कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही 29 अप्रैल 2002 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 4.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार 29 अप्रैल, 2002/9 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।